



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/80/05/2024
Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024

दिनांक: 17 मई, 2024
Date: 17th May, 2024

प्रति / To,
सभी बीमाकर्ता / All Insurers

विषय: बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों संबंधी मास्टर परिपत्र

Subject: Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers

1. यह मास्टर परिपत्र आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के विनियम 7 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 के उपबंधों के अधीन जारी किया जाता है।

This Master Circular is issued under the provisions of Section 34 of the Insurance Act, 1938 and Section 14 of the IRDA Act, 1999 read with Regulation 7 of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

2. यह मास्टर परिपत्र आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के विभिन्न उपबंधों से संबंधित पहलुओं पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है तथा एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ताओं सहित, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, सभी बीमाकर्ताओं पर लागू है।

This Master Circular provides necessary guidance on aspects pertaining to various provisions of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and applicable to all insurers including those engaged exclusively in reinsurance business, unless otherwise specified.

3. इस मास्टर परिपत्र की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाएगी, जब तक इसकी समीक्षा या निरसन की आवश्यकता पहले उत्पन्न नहीं होती।

This Master Circular shall be reviewed every year unless review or repeal is warranted earlier.

4. इस परिपत्र में उल्लिखित विवरणियाँ और रिपोर्टें इस मास्टर परिपत्र और विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र में विद्यमान उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की जाएँगी।

The Returns and Reports referred under this circular shall be submitted as per the provisions herein and the master circular on submission of returns.

5. इस मास्टर परिपत्र में प्रयुक्त और अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

All words and expressions used herein and not defined in this Master Circular but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

6. इस मास्टर परिपत्र में निहित किसी भी उपबंध के कार्यान्वयन या अर्थनिर्णय में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका या कठिनाई हो दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जब भी आवश्यक समझा जाएगा तब उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of this Master Circular, the Competent Authority may issue appropriate clarifications as and when deemed necessary.

हस्ता. / Sd/-

(एस. पी. चक्रवर्ती / S P Chakraborty)

मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकिक) / CGM (Actuarial)

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.	
अध्याय 1 – बीमांकिक कार्य		
खंड – I : नियुक्त बीमांकक/ परामर्शक (मेंटर) बीमांकक/ परामर्शदाता बीमांकक/ प्रमाणकर्ता बीमांकक	5	
खंड – II : जीवन बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन	8	
खंड – III : साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन	13	
खंड – IV : पुनर्बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन	18	
खंड – V : परिपत्रों / दिशानिर्देशों का निरसन	23	
अनुबंध		
एसीटीएल-एए-1	फार्म आईआरडीएआई-नियुक्त बीमांकक/परामर्शक (मेंटर) बीमांकक/परामर्शदाता बीमांकक	25
एसीटीएल-एलआई-1	“लाभसहित निधि प्रबंध” से संबंधित उपबंध	30
अध्याय 2 – वित्त संबंधी कार्य		
खंड – I : प्रस्तावना	32	
खंड – II : लेखांकन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ	33	
खंड – III : जीवन बीमाकर्ताओं के लिए विशिष्ट लेखांकन और प्रकटीकरण	33	
खंड – IV : साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं सहित) के लिए विशिष्ट लेखांकन और प्रकटीकरण	36	
खंड – V : पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीएस और लायड्स के लिए विशिष्ट लेखांकन और प्रकटीकरण	38	
खंड – VI : सामान्य	40	
खंड – VII : निर्धारित फार्मेटों से विचलन	40	
अनुसूचियाँ और अनुबंध	40	
अध्याय 3 – निवेश कार्य		
सामान्य दिशानिर्देश	67	
खंड – I : निवेशों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू शर्तें	69	
खंड – II : जोखिम प्रबंध और समवर्ती लेखा-परीक्षा	84	
खंड – III : मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश	92	
खंड – IV : परिचालन प्रक्रिया	96	
खंड – V : प्रकटीकरण मानदंड	110	
खंड – VI : रिपोर्टिंग मानदंड और प्रमाणपत्र	112	
खंड – VII : निरस्त परिपत्रों की सूची	112	
खंड – VIII : निवेश श्रेणी कूट और मूल्यांकन कार्यपद्धति	114	

Index

Particulars	Page No.
Chapter 1 – Actuarial Function	
Section - I : Appointed Actuary/Mentor Actuary/Consulting Actuary/Certifying Actuary	132
Section - II : Valuation of Life Insurance Business	136
Section-III: Valuation of General and Standalone Health Insurance Business	140
Section-IV: Valuation of Reinsurance Business	145
Section-V: Repeal of Circulars/ Guidelines	150
Annexures	
ACTL-AA-1 Form IRDAI-Appointed Actuary / Mentor Actuary/ Consulting Actuary	152
ACTL-LI-1 Provisions related to “With Profit Fund Management”	157
Chapter 2- Finance Function	
Section – I: Introduction	159
Section – II: Accounting and Disclosure Requirements	160
Section – III: Accounting and Disclosures specific to Life Insurers	160
Section – IV: Accounting and Disclosures specific to General Insurance, Health insurance and Reinsurance companies (including branches of foreign reinsurers)	163
Section – V: Accounting and Disclosures specific to Reinsurers, FRBs & Lloyds	166
Section – VI: General	168
Section – VII: Deviation from prescribed Formats	168
Schedules & Annexure	169
Chapter 3 – Investment Function	
General Guidelines	202
Section – I: Conditions applicable for Specific Categories of Investments	203
Section – II: Risk Management and Concurrent Audit	219
Section – III: Valuation Guidelines	228
Section – IV: Operational Procedure	233
Section – V: Disclosure Norms	248
Section – VI: Reporting Norms and Certificates	251
Section – VII: List of Circulars Repealed	251
Section – VIII: Investment Category Codes and Valuation Methodology	252

अध्याय 1 – बीमांकिक कार्य

खंड-I: नियुक्त बीमांकक (एए)/परामर्शक बीमांकक/परामर्शदाता बीमांकक/प्रमाणकर्ता बीमांकक

1. एफआरबी को छोड़कर अन्य बीमाकर्ता

- (1) **नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए आवेदन:** आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(3) के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए आवेदन, इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध-एसटीएल-एए-1 में दिये गये फार्मेट में नियुक्त बीमांकक के रूप में आवेदक की नियुक्ति की सिफारिश करनेवाले बोर्ड संकल्प के उद्धरण और बीमाकर्ता के द्वारा जारी किये गये नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा।
- (2) आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के भाग II के खंड 2(5) के अधीन छूट की अपेक्षा करनेवाला बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ पात्रता शर्तों में छूट के लिए लिखित में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (3) आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(1)(iii), 2(1)(iv), 2(1)(v) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों की छूट के लिए लागू उपबंध:
- (i) यदि आवेदक बीमांकक आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(1)(iii) या (iv) या (v) के अंतर्गत की गई अनुभव की अपेक्षा से एक वर्ष से अनधिक समय का कम अनुभव रखता है, तो बीमाकर्ता परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के समर्थन/की सहायता के साथ मानदंडों से छूट के लिए आवेदन करेगा।
 - (ii) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक एक ऐसा बीमांकक है जो इस मास्टर परिपत्र के अध्याय I के खंड-I के वाक्य-खंड 1(3)(v) में उल्लिखित रूप में पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है और परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के पद के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
 - (iii) उक्त एए तब तक परामर्शक (मेंटर) बीमांकक द्वारा समर्थन/सहायता प्राप्त करेगा जब तक उक्त एए अपेक्षित अनुभव प्राप्त नहीं करता।
 - (iv) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक का दायित्व:
 - (क) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक अपने दायित्वों का निर्वहण वैयक्तिक क्षमता में करेगा।
 - (ख) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक नियुक्त बीमांकक के साथ बीमाकर्ता के सभी बीमांकिक कार्यकलापों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा।
 - (ग) आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अन्य विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों/ मार्गदर्शी नोटों में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य और दायित्व परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के लिए भी लागू होंगे। इन कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :
 - i. नया उत्पाद फाइलिंग
 - ii. प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार सभी बीमांकिक विवरणियों/रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

- iii. समय-समय पर विभिन्न मानदंडों में निर्धारित रूप में शोधन-क्षमता का अनुरक्षण करना तथा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना
- (v) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के लिए पात्रता मानदंड:
- (क) जीवन बीमाकर्ता या साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता में वैयक्तिक क्षमता में परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के पद के लिए आवेदक निम्नलिखित शर्तों के साथ आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(1) के अंतर्गत निर्धारित रूप में संबंधित बीमाकर्ता के लिए नियुक्त बीमांकक हेतु लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा:
- खंड 2(1)(vi) के अंतर्गत यथाउल्लिखित पात्रता मानदंड अर्थात् : “पूर्णकालिक आधार पर बीमाकर्ता का कर्मचारी” आवेदक परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के लिए लागू नहीं है।
 - आवेदक परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के लिए अनुभव के मानदंड:
- | व्यवसाय का प्रकार | आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची I के भाग II के अनुसार वाक्य-खंड का संदर्भ | स्तंभ (2) के अंतर्गत खंड में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त अपेक्षित अनुभव के वर्षों की संख्या |
|--------------------------|---|---|
| जीवन बीमा/पुनर्बीमा | 2(1)(iii)(क) | 5 |
| | 2(1)(iii)(ख) | 3 |
| | 2(1)(iii)(ग) | 2 |
| साधारण बीमा/पुनर्बीमा | 2(1)(iv)(क) | 3 |
| | 2(1)(iv)(ख) | 2 |
| | 2(1)(iv)(ग) | 2 |
| स्वास्थ्य बीमा/पुनर्बीमा | 2(1)(v)(क) | 3 |
| | 2(1)(v)(ख) | 2 |
| | 2(1)(v)(ग) | 2 |
- (vi) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक की नियुक्ति के लिए सभी पात्रता मानदंड परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के समस्त कार्यकाल के दौरान लगातार पूरे किये जाने चाहिए।
- (vii) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची I के भाग II के खंड 5(1) के अंतर्गत उपबंध परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के लिए लागू होंगे।
- (viii) परामर्शक (मेंटर) बीमांकक एक ही समय किसी अन्य बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के एए के लिए परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के रूप में अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता/ पुनर्बीमाकर्ता के एए की भूमिका में परामर्शदाता बीमांकक के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के अंदर किसी अन्य भूमिका को धारित नहीं करेगा।
- (ix) परामर्शक (मेंटर) के कर्तव्यों तथा उसके द्वारा धारित किसी अन्य पद के कर्तव्यों के संबंध में हितों का कोई भी संघर्ष नहीं होना चाहिए।
- (x) बीमाकर्ता इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध-एसीटीएल-एए-1 में दिये गये फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करते हुए, परामर्शक (मेंटर) की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

(4) नियुक्त बीमांकक (एए) के बिना व्यवसाय संचालित करना:

- (i) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 4(1) के संदर्भ में, बीमांकक इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध-एसीटीएल-एए-1 में आवेदन प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से 180 दिन तक परामर्श-कार्य के आधार पर वैयक्तिक क्षमता में एए की भूमिका का निष्पादन करने के लिए किसी बीमांकक को नियुक्त कर सकता है।
- (ii) परामर्शदाता बीमांकक आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 2(1)(vi) को छोड़कर संबंधित नियुक्त बीमांकक के लिए विनिर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करेगा।
- (iii) परामर्शदाता बीमांकक बीमाकर्ता के सभी बीमांकिक कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होगा। आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अन्य विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों/मार्गदर्शी नोटों में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य और दायित्व परामर्शदाता बीमांकक पर भी लागू होंगे।
- (iv) परामर्शदाता बीमांकक एक ही समय एक ही क्षमता में अथवा परामर्शक (मेंटर) बीमांकक अथवा एए के रूप में किन्हीं अन्य बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए कार्य नहीं करेगा। परामर्शदाता बीमांकक के कर्तव्यों तथा एक ही बीमाकर्ता के अंदर या किसी अन्य बीमाकर्ता के अंदर उसके द्वारा धारित किसी अन्य पद के कर्तव्यों के संबंध में हितों का की कोई संघर्ष नहीं होगा।

(5) पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व:

- (i) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 9(2) के प्रयोजन के लिए, जीवन बीमाकर्ताओं के पास कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त, कम से कम दो बीमांकक होंगे।
- (ii) इसी प्रकार, प्रत्येक साधारण, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के पास कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त कम से कम एक बीमांकक होगा।
- (iii) नये बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त उपबंध 5(i) और (ii) के अंतर्गत विद्यमान शर्तों से छूट दी गई है।

2. विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) के संबंध में लागू उपबंध:

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) की अनुसूची-I के भाग II के खंड 10 के संदर्भ में, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:

- (1) साधारण और जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता विवरण और अन्य विनियामक बीमांकिक रिपोर्ट उक्त संदर्भित विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ 'प्रमाणकर्ता बीमांकक' के रूप में जाने जानेवाले एक बीमांकक द्वारा अलग से प्रमाणित की जाएँगी।
- (2) उक्त रिपोर्टों को प्रमाणित करनेवाला/वाले बीमांकक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा/करेंगे:

- (i) भारतीय बीमांकक संस्थान का फेलो सदस्य;
- (ii) साधारण और जीवन पुनर्बीमा व्यवसायों को प्रमाणित करने के लिए क्रमशः साधारण बीमा और जीवन बीमा व्यवसाय में विधिमान्य सीओपी से युक्त होना चाहिए। सीओपी से नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय बीमा संस्थान द्वारा जारी किया गया 'व्यवहार का प्रमाणपत्र' (सर्टिफिकेट आफ्र प्रैक्टिस) अभिप्रेत होगा;
- (iii) ऐसी रिपोर्टों के प्रमाणीकरण की तारीख को 70 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए;
- (iv) संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अर्हता के बाद का संगत अनुभव हो;
- (v) भारत में किसी अन्य बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता का कर्मचारी न हो;
- (vi) आवेदक बीमांकक के विरुद्ध किसी व्यावसायिक निकाय या किसी बीमा विनियमनकर्ता द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए अथवा प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए; तथा
- (vii) पिछले दस वर्षों के दौरान दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं किया गया हो।

3. अन्य उपबंध:

- (1) सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक और समीचीन समझा जाता है, तो बीमाकर्ता/ पुनर्बीमाकर्ता से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए नियुक्त बीमांकक/परामर्शक (मेंटर) बीमांकक/परामर्शदाता बीमांकक से कह सकता है।
- (2) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II के खंड 5(3) और 5(4) के संदर्भ में, नियुक्त बीमांकक/परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के रूप में सेवा समाप्त करने के लिए नियुक्त बीमांकक/परामर्शक (मेंटर) बीमांकक, बीमाकर्ता को तीन महीने की नोटिस अवधि देगा। इसके अलावा, सेवा-समाप्ति की तारीख किसी भी वर्ष में 1 जनवरी से 30 जून के बीच नहीं होनी चाहिए ताकि वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने तथा वार्षिक सांविधिक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब से बचा जा सके।

खंड - II: जीवन बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन:

1. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची I के भाग III(क) के खंड 9 के अनुसार समग्र प्रावधान करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा:

- (1) व्यपगत / घटाई गई प्रदत्त पालिसियों के लिए आरक्षित निधि खंड 9(2) और खंड 9(3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में :

 - (i) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान समाप्त की गई असंबद्ध बीमा पालिसी के लिए आरक्षित निधि भविष्य में पुनःप्रवर्तन की स्थिति में एक अत्यंत उच्च मूल्य तक वृद्धि का कारण बन सकती है जो पालिसीधारकों की निधि के लिए चिंता की बात हो सकती है। एए इस स्थिति पर विचार करे तथा असंबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत पुनःप्रवर्तन के लिए आरक्षित निधि की व्यवस्था करने की एक उपयुक्त पद्धति अपनाये।
 - (ii) अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) के दौरान समाप्त की गई संबद्ध पालिसियों के मामले में, एए समाप्त की गई पालिसियों के संभावित पुनःप्रवर्तन पर उत्पन्न होनेवाले भार को ध्यान में रखेगा और

सुस्पष्ट रूप से फार्म एलबी-1 के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान करेगा। समाप्त की गई शेष पालिसियों से घटाया गया समापन प्रभार, शीर्ष “भावी विनियोजनों के लिए निधियाँ” के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में पुनःप्रवर्तन अवधि की समाप्ति के कारण या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण या अवरुद्धता अवधि की समाप्ति के कारण, जैसा लागू हो, बहियों से पालिसी का निर्गम होने तक धारित किया जाएगा। यह राशि भी फार्म एलबी-1 में फुटनोट के रूप में दर्शाई जाएगी।

- (iii) घटाई गई प्रदत्त संबद्ध पालिसियों के मामले में, एए ऐसी पालिसियों के पुनःप्रवर्तन पर उत्पन्न होनेवाले भार के लिए प्रावधान करेगा।

(2) खंड 9(4) और 9(5) के अनुसार पालिसी विकल्पों और गारंटियों के लिए प्रावधान:

एए विभिन्न पद्धतियों के आधार पर गणना करने के बाद विकल्पों और गारंटियों की लागत को प्राप्त करेगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार प्रावधान की गई लागत प्रीमियम का एक शून्येतर (नान-जीरो) सकारात्मक प्रतिशत होगा।

(3) खंड 9(6) के अनुसार विदेशी मुद्राओं में जारी की गई पालिसियों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान:

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III(ख) के खंड 2(4)(vi)(च) के अनुसार एए विनियम दरों में भावी विभिन्नताओं से उत्पन्न होनेवाली गणितीय आरक्षित निधियों की संभावित वृद्धि की गणना करने की पद्धति का विवरण देगा। इस संबंध में, एए को सूचित किया जाता है कि मूल्यांकन की तारीख को विद्यमान विनियम-दर, अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान उच्चतम/निम्नतम दर, आदि का विवरण बताये।

(4) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची I के भाग III(क) के खंड 6(4) और 8(4) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सामान्य निधि, आरक्षित निधि मूल्यांकन की तारीख को विद्यमान लागू करवेज के 15 दिन को कवर करने के लिए मृत्यु-दर प्रभार के एक आधारस्तर के अधीन होगी।

(5) अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन (आरएसएम) की संगणना में अतिरिक्त प्रावधानों/वैश्विक आरक्षित निधियों का व्यवहार:

बीमाकर्ता के लिए आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III(क) के खंड 9 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है। इन अतिरिक्त प्रावधानों/वैश्विक प्रावधानों के संबंध में लागू किये जानेवाले आरएसएम कारक एनएलबी1/एलबी1 फार्मों में किये गये उनके संबंधित श्रेणीकरणों के अनुरूप होंगे।

(6) निवेश गारंटी के लिए आरएसएम कारक:

यदि निवेश/पूँजी गारंटी किसी संबद्ध उत्पाद के अंतर्गत प्रस्तावित किसी निधि के अंतर्गत उपलब्ध है, तो “गारंटियों से युक्त” के लिए आरएसएम कारक केवल उन निधियों के लिए ही लागू किये जाने चाहिए। एक एकल उत्पाद के अंतर्गत विभिन्न निधियों के लिए व्यवहार में यह विभिन्नता संबंधित एलबी-1 (उत्पाद-वार विश्लेषित विवरण के साथ) में एक नोट के रूप में और फार्म केटी-1 में दर्शाये गये अलग समायोजन के रूप में प्रतिबिंबित की जानी चाहिए।

(7) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III(क) के खंड 1(9) के संदर्भ में पुनर्बीमाकर्ता की शेष राशियों के संबंध में बकाया अवधि की गणना (अधर्पक बीमाकर्ता के द्वारा पुनर्बीमाकर्ता के पास बीजक (इनवाइस) प्रस्तुत करने की तारीख, अधर्पक बीमाकर्ता को

दावेदार से दावे की सूचना की तारीख के बाद 46वें दिन में से जो भी पहले हो, से की जाएगी। पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य बकाया शेष राशियाँ अधर्घर्पक के द्वारा देय प्रीमियमों के साथ समायोजित करने के पहले होंगी।

पुनर्बीमा शेषराशियों की बकाया अवधि का मापन करने के लिए उदाहरण:

परिदृश्य-1: जब प्रत्यक्ष दावे की तारीख और पुनर्बीमाकर्ता के पास बीजक प्रस्तुत करने की तारीख के बीच अंतराल 45 दिन से अधिक नहीं है

पालिसीधारक/दावेदार से प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को दावे की सूचना देने की तारीख: 01.01.2023

पुनर्बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता के द्वारा दावे की सूचना देने की तारीख: 10.01.2023

चूँकि पुनर्बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता के द्वारा सूचना देने की तारीख प्रत्यक्ष दावे की तारीख अर्थात् 01.01.2023 से 45 दिन के अंदर आती है, अतः पुनर्बीमाकर्ता की शेषराशियों की बकाया अवधि का मापन पुनर्बीमाकर्ता को बीजक प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख अर्थात् 10.01.2023 से किया जाएगा।

परिदृश्य-2: जब प्रत्यक्ष दावे की तारीख और पुनर्बीमाकर्ता के पास बीजक प्रस्तुत करने की तारीख के बीच अंतराल 45 दिन से अधिक है

पालिसीधारक/दावेदार से प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को दावे की सूचना देने की तारीख: 01.01.2023

यदि पुनर्बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता के द्वारा दावे की सूचना देने की तारीख 20.02.2023 (अर्थात् प्रत्यक्ष दावा सूचना (01.01.2023) से 50 दिन के बाद) है:

बकाया अवधि का मापन 16.02.2023 (अर्थात् प्रत्यक्ष सूचना की तारीख अर्थात् 01.01.2023 + 45 दिन = 16.02.2023 – प्रत्यक्ष सूचना की तारीख के बाद 46वाँ दिन) से किया जाएगा।

(8) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III(क) के खंड 1 (आस्तियों का मूल्यांकन) के संदर्भ में कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संदर्भित विनियमों की अनुसूची-I के अनुसार किया जाएगा।

2. प्रस्तुत की जानेवाली अन्य विवरणियाँ और रिपोर्टें :

(1) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III (ख) के खंड 2(3)(i) के अनुसार बीमाकर्ता “लाभ सहित समिति (डब्ल्यूपीसी) रिपोर्ट” प्रस्तुत करेगा। “लाभ सहित समिति” के गठन और डब्ल्यूपीसी के द्वारा कवर की जानेवाली विषय-वस्तु का विवरण अनुबंध एसीटीएल- एलआई-1 में दिया गया है।

(2) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III (ख) के खंड 2(3)(ii) और 2(3)(iii) के अनुसार जीवन बीमाकर्ता दी गई प्रयोज्यता के अनुसार इस परिपत्र की सारणी-एलआई की क्रम सं. 1 से क्रम सं. 13 तक विनिर्दिष्ट रूप में अतिरिक्त विवरणियाँ / रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे:

सारणी-एल1

क्रम सं.	रिपोर्ट/विवरणी	‘विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी मास्टर परिपत्र’ में संदर्भ	प्रस्तुतीकरण का फार्म/ पद्धति	आवृत्ति	प्रस्तुतीकरण के लिए नियत तारीख
1	आईआरडीएआई (बीमा-कर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची । के भाग III(ख) के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश (एआरए)		डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित (फार्म सहित) एआरए की सारणियाँ, फार्म दोनों डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल में होंगे	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो।
2	(i) फार्म डीडी (ii) फार्म डीडीडी (iii) फार्म एनएलबी-1 (iv) फार्म वीआईपीएनएल बी - 1 (v) फार्म वीआईपी एलबी-1 (vi) फार्म वीआईपी एलबी-2 (vii) फार्म एलबी-1 (viii) फार्म एलबी-2 (ix) फार्म- एसटी (x) फार्म- एनबीईबी (xi) सारणी- पिछले वर्ष से मूल्यांकन पद्धति/ माडल/पूर्वानुमानों में परिवर्तन' (xii) सारणी- सममूल्य पालिसियों के संबंध में आईआरआर (xiii) वार्षिक रिपोर्ट के लिए विवरण (क) प्रचलन में व्यवसाय (पालिसियों की संख्या) (ख) प्रचलन में व्यवसाय (बीमाकृत राशि) (ग) वैयक्तिक असंबद्ध व्यवसाय के संबंध में जब्ती/व्यपगत पालिसियों	विवरणी- एसीटीएल-1	एमएस-एक्सेल (डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित के अतिरिक्त)	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो।

	का विवरण (घ) जीवन बीमा पालिसियों की निरंतरता (पालिसियों की संख्या के आधार पर)				
3	नियुक्त बीमांकक की वार्षिक रिपोर्ट (एएआर)	अनुबंध एसीटीएल-एलआई-2	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित (फार्म सहित) एएआर की सारणियाँ, फार्म दोनों डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल में होंगे।	वार्षिक	एआरए के साथ
4	समाधान और जाँच-सूची (जीवन बीमा)	विवरणी-एसीटीएल-2	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और अतिरिक्त रूप से सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
5	लाभ सहित समिति (डब्ल्यूपीसी) की रिपोर्ट	इस मास्टर परिपत्र का अनुबंध एसीटीएल-एलआई-1	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	एआरए के साथ
6	आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम)	अनुबंध एसीटीएल-एलआई-3 और विवरणी-एसीटीएल-3	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
7	आर्थिक पूँजी	अनुबंध एसीटीएल-एलआई-4 और विवरणी-एसीटीएल-4	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
8	निरंतरता रिपोर्ट	अनुबंध एसीटीएल-एलआई-5	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	30 जून प्रत्येक वर्ष
9	वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर)	जैसा कि बीमांकिक व्यवहार मानकों में	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	बीमाकर्ता के बोर्ड को प्रस्तुत करने की तारीख से एक सप्ताह के समय के अंदर

		निर्धारित है			
10	समकक्ष समीक्षक की रिपोर्ट (केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) के लिए लागू)	जैसा कि बीमांकिक व्यवहार मानकों में निर्धारित है	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	एआरए के साथ
11	लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण	-	एमएस-एक्सेल	वार्षिक	एआरए के साथ
12	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट रूप में फार्म केटी-3 के फार्मेट में शोधन-क्षमता विवरण	-	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर, अंतिम तिमाही को छोड़कर जब वार्षिक प्रस्तुतीकरणों के भाग के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं
13	एएलएम-सारणी-तिमाही (केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) के लिए लागू)	अनुबंध एसीटीएल-एलआई-3	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	तिमाही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

(3) बीमाकर्ताओं से बीमांकिक मूल्यांकन या पुनर्बीमा से संबंधित किन्हीं भी रिपोर्टों, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों की हार्ड प्रतियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है। दस्तावेजों की पीडीएफ और एमएस-वर्ड/एक्सेल प्रतियाँ ई-मेल आईडी: actuarial-valuation-1@irdai.gov.in को भेजी जाएँगी और उनकी एक प्रति आईआरडीएआई के बीमांकिक विभाग के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी।

- (i) ऐसे सभी दस्तावेजों की पीडीएफ प्रतियों पर अपेक्षित हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किये जाएँगे।
- (ii) तथापि, बीएपी के माध्यम से विवरणियों का प्रस्तुतीकरण वर्तमान प्रथा के अनुसार अगली सूचना तक जारी रहेगा।

खंड III – साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1. शोधन-क्षमता विवरण तैयार करना:

- (1) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग IV के खंड 2(1) के अनुसार आस्तियों, आईटी/कंप्यूटर साफ्टवेयर, दृष्टिबंधक रखी गई / भारग्रस्त आस्तियों, ट्रेडमार्क / ट्रेड लोगो जैसी अमूर्त आस्तियों, शोधन-क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए सह-बीमा शेषराशियों के व्यवहार के लिए मानदंड नीचे विनिर्दिष्ट किये गये रूप में हैं। ये दोनों तिमाही और वार्षिक प्रस्तुतीकरणों के लिए लागू होंगे।
- (i) आईटी/कंप्यूटर साफ्टवेयर: आईटी/कंप्यूटर साफ्टवेयर का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रत्येक तिमाही में 1/12 से अन्यून दर पर किया जाएगा, जो उस तिमाही से प्रारंभ होगा जिसमें आईटी/कंप्यूटर साफ्टवेयर को

सकल ब्लाक में जोड़ा गया हो। उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए अवलिखित (रिटेन डाउन) मूल्य पर विचार किया जाएगा।

इसका एक निदर्शन निम्नानुसार है:

यदि रु. 120 मूल्य के एक आईटी/कंप्यूटर साप्टवेयर को सकल ब्लाक में वित्तीय वर्ष 2015-16 की तिमाही2 में जोड़ा गया है, तो प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए आईटी/ कंप्यूटर साप्टवेयर का स्वीकार्य मूल्य नीचे की सारणी के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में अवलिखित (रिटेन डाउन) मूल्य होगा:

निम्नलिखित की समाप्ति पर शोधन-क्षमता की संगणना	प्रारंभिक अवलिखित मूल्य	मूल्यहास	तिमाही के अंत में अवलिखित मूल्य
वि.व.2015-16 की तिं2	120	10	110
वि.व.2015-16 की तिं3	110	10	100
वि.व.2015-16 की तिं4	100	10	90
वि.व.2016-17 की तिं1	90	10	80
वि.व.2016-17 की तिं2	80	10	70
वि.व.2016-17 की तिं3	70	10	60
वि.व.2016-17 की तिं4	60	10	50
वि.व.2017-18 की तिं1	50	10	40
वि.व.2017-18 की तिं2	40	10	30
वि.व.2017-18 की तिं3	30	10	20
वि.व.2017-18 की तिं4	20	10	10
वि.व.2018-19 की तिं1	10	10	शून्य

(ii) दृष्टिबंधक रखी गई / भारग्रस्त आस्तियाँ :

(क) जहाँ उन बाध्यता(ओं)/आकस्मिकता(ओं) को लेखा-बहियों में देयता के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनके लिए आस्तियों को दृष्टिबंधक / भारग्रस्त रखा गया है, वहाँ उक्त आस्तियों और देयताओं के संपूर्ण बही मूल्य को शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखना चाहिए।

(ख) जहाँ उन बाध्यता(ओं)/आकस्मिकता(ओं) को लेखा-बहियों में देयता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिनके लिए आस्तियों को दृष्टिबंधक/भारग्रस्त रखा गया है, वहाँ उक्त आस्तियों और देयताओं के संपूर्ण बही मूल्य को शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(iii) ट्रेड मार्क / ट्रेड लोगो: ट्रेड मार्क या ट्रेड लोगो जैसी अमूर्त आस्तियों को उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए अस्वीकार्य के रूप में माना जाएगा।

- (2) सह-बीमा शेषराशियाँ : समाधान न किये गये और प्रमाणित न किये गये सह-बीमा प्राप्य शेष को शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य आस्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (3) अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के प्रयोजन के लिए, इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा (दोनों देशी एवं विदेशी सहित) को स्वास्थ खंड के साथ सम्मिलित किया जाएगा तथा आरएसएम-1 और आरएसएम-2 पर तदनुसार विचार किया जाएगा।
- (4) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) दावों के लिए आरक्षित निधि का अनुमान सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा तथा उसे दावा देयता के भाग के रूप में माना जाएगा।
- (5) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग IV के खंड 2(1)(x), 2(1)(xi), 2(1)(xii) के संदर्भ में पुनर्बीमाकर्ता की शेषराशियों/सह-बीमाकर्ता की शेषराशियों के संबंध में बकाया अवधि की गणना (अधर्यपक बीमाकर्ता/अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता/सह-बीमाकर्ता के पास बीजक प्रस्तुत करने की तारीख, अधर्यपक बीमाकर्ता/अनुसरणकर्ता को दावेदार से दावे की सूचना की प्राप्ति के बाद 46वें दिन) इनमें से जो भी पहले हो, से की जाएगी। पुनर्बीमाकर्ता/ सह-बीमाकर्ता से प्राप्य बकाया शेषराशियाँ अधर्यपक/अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा देय प्रीमियमों के साथ समायोजन करने से पहले होंगी।

पुनर्बीमा शेषराशियों की बकाया अवधि का मापन करने के लिए उदाहरण:

परिदृश्य-1: जब प्रत्यक्ष दावे की तारीख और पुनर्बीमाकर्ता के पास बीजक प्रस्तुत करने की तारीख के बीच का अंतर 45 दिन से अधिक नहीं है

पालिसीधारक/दावेदार से प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को दावे की सूचना की तारीख: 01.01.2023

पुनर्बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता द्वारा दावे की सूचना की तारीख: 10.01.2023

चूँकि पुनर्बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता द्वारा सूचना की तारीख प्रत्यक्ष दावे की तारीख अर्थात् 01.01.2023 से 45 दिन के अंदर आती है, अतः पुनर्बीमाकर्ता की शेषराशियों की बकाया अवधि का मापन पुनर्बीमाकर्ता को बीजक प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख अर्थात् 10.01. 2023 से किया जाएगा।

परिदृश्य-2: जब प्रत्यक्ष दावे की तारीख और पुनर्बीमाकर्ता को बीजक प्रस्तुत करने की तारीख के बीच का अंतर 45 दिन से अधिक है

पालिसीधारक/दावेदार से प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को दावे की सूचना की तारीख: 01.01.2023

यदि पुनर्बीमाकर्ता को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता द्वारा दावे की सूचना की तारीख 20.02.2023 है (अर्थात् प्रत्यक्ष दावे की सूचना की तारीख (01.01.2023) से 50 दिन के बाद है):

बकाया अवधि का मापन 16.02.2023 से (अर्थात् प्रत्यक्ष सूचना की तारीख अर्थात् 01.01.2023 के बाद 46वाँ दिन + 45 दिन = 16.02.2023) किया जाएगा।

- (6) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के खंड-I के भाग IV के वाक्यांश (कलाज़) 2(1) (आस्तियों का मूल्यांकन) के संदर्भ में, कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उक्त संदर्भित विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार किया जाएगा।

2. प्रस्तुत की जानेवाली अन्य विवरणियाँ और रिपोर्टें:

- (1) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग IV के खंड 2(4) और 2(5) में विनिर्दिष्ट रूप में विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर अथवा 30 जून तक, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किये जाएँगे।
- (2) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग IV के खंड 2(5)(iv) के अनुसार, बीमाकर्ता इस परिपत्र की सारणी-जीआई की क्रम सं. 10 से विनिर्दिष्ट रूप में अतिरिक्त विवरणियाँ/रिपोर्टें दी गई प्रयोज्यता के अनुसार प्रस्तुत करेंगे:

सारणी – जीआई

क्रम सं.	रिपोर्ट/विवरणी	विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी मास्टर परिपत्र में संदर्भ	प्रस्तुतीकरण का रूप/पद्धति	आवृत्ति	प्रस्तुतीकरण की नियत तारीख
1	आईबीएनआर रिपोर्ट	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-1	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर या 30 जून, जो भी पहले हो।
2	आईबीएनआर फार्म और सारणियाँ	विवरणी-एसीटीएल-5	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ
3	वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर)	अनुबंध एसीटीएल - जीआई-2	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के सात
4	एफसीआर सारणियाँ	विवरणी-एसीटीएल-6	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ
5	आस्ति-देयता प्रबंधन और दबाव परीक्षण रिपोर्ट	अनुबंध एसीटीएल-जीआई – 3 और विवरणी एसीटीएल-7	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एएलएम सारणियों का एमएस- एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ
6	आर्थिक पूँजी रिपोर्ट	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-4 और विवरणी-एसीटीएल-8	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित – ईसी सारणियों का एमएस एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

7	समकक्ष समीक्षक की रिपोर्ट (केवल प्रणाली-गत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) के लिए लागू)	बीमांकिक व्यवहार मानकों में निर्धारित रूप में	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के सात
8	शोधन-क्षमता मार्जिन अनुपात के अनुरक्षण की रिपोर्ट (तिमाही शोधन-क्षमता रिपोर्ट आईआरडीएआई (बीमा-कर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग IV के खंड 2(4) और 2(5) के अंतर्गत यथा- विनिर्दिष्ट फार्मेटों में)	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग IV के खंड 2(4) और 2(5) तथा इस मास्टर परिपत्र के खंड- III का उपबंध 1	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और फार्मेटों का एमएस-एक्सेल	तिमाही	30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए: बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर या 30 जून, जो भी पहले हो
9	आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणियाँ (केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) के लिए लागू)	विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी मास्टर परिपत्र का अनुबंध एसीटीएल-जीआई-3 और विवरणी-एसीटीएल-7	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एएलएम सारणियों का एमएस-एक्सएल	तिमाही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर
10	लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (एमएस-एक्सेल फार्मेट)		एमएस-एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

(3) रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

- (i) बीमाकर्ताओं के लिए बीमांकिक सत्यापन या पुनर्बीमा से संबंधित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों की हार्ड प्रतियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों की पीडीएफ और एमएस-वर्ड/एक्सेल प्रतियाँ निम्नलिखित ई-मेल आईडी: actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in को भेजी जानी चाहिए तथा उनकी एक प्रति आईआरडीएआई के बीमांकिक विभाग के नोडल अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- (ii) ऐसे सभी दस्तावेजों की पीडीएफ प्रतियाँ अपेक्षित हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। उपर्युक्त दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

3. आईआईबीआई के पोर्टल में मोटर अन्य पक्ष डेटा को अपलोड करना:

नियुक्त बीमांकक और मुख्य अनुपालन अधिकारी आईआईबीआई को प्रस्तुतीकरण करने से पहले मोटर अन्य पक्ष डेटा की संपूर्णता, औचित्य और सहीपन को सुनिश्चित करेंगे जबकि मुख्य अनुपालन अधिकारी प्रयोज्य समय-सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

खंड IV – पुनर्बीमा व्यवसाय का मूल्यांकनः

1. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के खंड-I के भाग V के खंड 3(1) (आस्तियों का मूल्यांकन) के संदर्भ में कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संदर्भित विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार किया जाएगा।
2. प्रस्तुत की जानेवाली अन्य विवरणियाँ और रिपोर्टः
 - (1) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग V के खंड 5(1) से 5(3) तक में विनिर्दिष्ट फार्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर बोर्ड/प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर अथवा 30 जून तक, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किये जाएँगे।
 - (2) भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू प्रस्तुतीकरणों की आवधिकता और नियत तारीखें ‘सारणी-आरआई-भारतीय पुनर्बीमाकर्ता’ के अंतर्गत नीचे उल्लिखित रूप में हैं।

सारणी-आरआई-भारतीय पुनर्बीमाकर्ता

क्रम सं.	जीवन पुनर्बीमा/ साधारण पुनर्बीमा/ संस्था स्तर	रिपोर्ट/विवरणी	‘विवरणियों की प्रस्तुति संबंधी मास्टर परिपत्र’ में संदर्भ	फार्म/ प्रस्तुतीकरण की पद्धति	आवृत्ति	प्रस्तुतीकरण के लिए नियत तारीख
1	जीवन पुनर्बीमा/ साधारण पुनर्बीमा/ विनियमों के अनुसार संस्था का स्तर	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग V के खंड 5(1) से 5(3) तक में विनिर्दिष्ट फार्म	-	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित (फार्म सहित) सारणियाँ, फार्म दोनों डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल में होंगे	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो

2	जीवन पुनर्बीमा	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची । के भाग III (ख) के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश (एआरए)	-	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित (फार्म सहित) एआरए की सारणियाँ और फार्म दोनों डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल में होंगे	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो
3	जीवन पुनर्बीमा	फार्म डीडीडी फार्म एनएलबी-1	विवरणी-एसीटीएल-1	एमएस-एक्सेल (डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित के अतिरिक्त)	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो
4	जीवन पुनर्बीमा	समाधान और जाँच-सूची (जीवन बीमा)	विवरणी-एसीटीएल-2	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
5	संस्था के स्तर पर	आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम)	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-3 और विवरणी-एसीटीएल-7	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
6	संस्था के स्तर पर	आर्थिक पूँजी	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-4	डिजिटल स्तर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
7	संस्था के स्तर पर	समकक्ष समीक्षक की रिपोर्ट (केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं द्वारा)	बीमांकिक व्यवहार मानकों में निर्धारित रूप में	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित रूप में	वार्षिक	एआरए के साथ
8	संस्था के स्तर पर	लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण	-	एमएस-एक्सेल	वार्षिक	एआरए के साथ

9	संस्था के स्तर पर शोधन-क्षमता मार्जिन अनुपात के अनुरक्षण की रिपोर्टिंग	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम की अनुसूची-I के भाग V का 5(3)	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और फार्म का एमएस-एक्सेल	तिमाही	30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर या 30 जून तक, जो भी पहले हो।	
10	साधारण पुनर्बीमा	आईबीएनआर रिपोर्ट	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-1	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर या 30 जून तक, जो भी पहले हो
11	साधारण पुनर्बीमा	आईबीएनआर फार्म और सारणियाँ	विवरणी-एसीटीएल-5	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ
12	संस्था के स्तर पर वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर)	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-2	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ	
13	संस्था के स्तर पर एफसीआर सारणियाँ	विवरणी-एसीटीएल-6	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस-एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ	
14	संस्था के स्तर पर आस्ति-देयता प्रबंधन (केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं के द्वारा)	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-3 और विवरणी एसीटीएल-7	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	तिमाही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर	

(3) विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबीएस) के लिए लागू प्रस्तुतीकरणों की आवधिकता और नियत तारीखें 'सारणी-आरआई-एफआरबीएस' के अंतर्गत नीचे उल्लिखित रूप में हैं।

सारणी-आरआई-एफआरबीएस

क्रम सं.	जीवन पुनर्बीमा/साधारण पुनर्बीमा/ संस्था का स्तर	रिपोर्ट/विवरणी	'विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र' में संदर्भ	फार्म/ प्रस्तुतीकरण की पद्धति	आवृत्ति	प्रस्तुतीकरण के लिए नियत तारीख

1	जीवन पुनर्बीमा/ साधारण पुनर्बीमा/ विनियमों के अनुसार संस्था का स्तर	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम की अनुसूची-1 के भाग V के खंड 5(1) से 5(3) तक में विनिर्दिष्ट फार्म	-	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित (फार्म सहित)	वार्षिक	बोर्ड/प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो।
2	जीवन पुनर्बीमा	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-1 के भाग III(ख) के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश (एआरए)	-	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित (फार्म सहित) सारणियाँ, एआरए के फार्म दोनों डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल में	वार्षिक	बोर्ड/प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो।
3	जीवन पुनर्बीमा	फार्म डीडीडी फार्म एनएलबी-1	विवरणी-एसीटीएल-1	एमएस-एक्सेल (डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित के अतिरिक्त)	वार्षिक	बोर्ड/प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो।
4	जीवन पुनर्बीमा	समाधान और जाँच-सूची (जीवन बीमा)	विवरणी-एसीटीएल-2	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और इसके अतिरिक्त, सारणियाँ एमएस-एक्सेल में	वार्षिक	एआरए के साथ
5	साधारण पुनर्बीमा	आईबीएनआर रिपोर्ट	अनुबंध एसीटीएल-जीआई-1	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित	वार्षिक	बोर्ड/प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर या

						30 जून तक, जो भी पहले हो।
6	साधारण पुनर्बीमा	आईबीएनआर फार्म और सारणियाँ	विवरणी-एसीटीएल-5	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और एमएस एक्सेल	वार्षिक	आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ
7	संस्था के स्तर पर	लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण	-	एमएस-एक्सेल	वार्षिक	एआरए के साथ
8	संस्था के स्तर पर	शोधन-क्षमता मार्जिन अनुपात के अनुरक्षण की रिपोर्टिंग	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम की अनुसूची-1 के भाग V का 5(3)	डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित और फार्मों का एमएस एक्सेल	तिमाही	30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड/प्रबंधन की कार्यकारी समिति द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर या 30 जून तक, जो भी पहले हो।

(4) प्रत्येक एफआरबी प्राधिकरण के पास फाइल की जानेवाली विनियामक विवरणियों के साथ समग्र रूप में विदेशी पुनर्बीमा कंपनी की शोधन-क्षमता और वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में मूल पुनर्बीमा कंपनी से एक अतिरिक्त बीमांकिक प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेगी। यह प्रमाणीकरण मूल विदेशी पुनर्बीमा कंपनी के लिए लागू वर्तमान शोधन-क्षमता मानदंडों पर आधारित होगा।

(5) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के भाग V के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए और फार्म आईआरडीएआई-आरआई-एसएम के अनुसार भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के मामले में संस्था के स्तर पर संयुक्त आस्ति और शोधन-क्षमता विवरण उक्त विनियमों के द्वारा अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाये गये रूप में अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ दोनों जीवन पुनर्बीमा व्यवसायों और साधारण पुनर्बीमा व्यवसायों के नियुक्त बीमांककों द्वारा प्रमाणित किये जाएँगे।

(6) आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के भाग V के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए और फार्म आईआरडीएआई-आरआई-एसएम के अनुसार एफआरबीएस के मामले में समग्र शाखा स्तर पर संयुक्त आस्ति और शोधन-क्षमता विवरण उक्त विनियमों के द्वारा अधिदेशात्मक किये गये रूप में अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय और साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय को प्रमाणित करनेवाले दोनों बीमांककों के द्वारा प्रमाणित किये जाएँगे।

3. रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

- (1) बीमाकर्ताओं के लिए बीमांकिक मूल्यांकन या पुनर्बीमा से संबंधित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों की हार्ड प्रतियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों की पीडीएफ और एमएस-वर्ड/एक्सेल प्रतियाँ निम्नलिखित ई-मेल पता: actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in पर भेजी जानी चाहिए तथा उनकी एक प्रति आईआरडीएआई के बीमांकिक विभाग के नोडल अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- (2) ऐसे सभी दस्तावेजों की पीडीएफ प्रतियों पर अपेक्षित हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

खंड V – परिपत्रों का निरसन:

यह मास्टर परिपत्र निम्नलिखित परिपत्रों का अधिक्रमण करता है:

क्रम सं.	परिपत्र/दिशानिर्देश का संदर्भ	निर्गम की तारीख	विषय
1	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध /111/05/2011	25 मई 2011	गैर-जीवन उद्योग के लिए आर्थिक पूँजी
2	आईआरडीए/एसीटीएल/सीआईआर/एएलएम/006/01/2012	3 जन. 2012	आस्ति-देयता प्रबंधन और दबाव परीक्षण
3	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन /075/03/2017	31 मार्च 2017	साधारण बीमा के लिए वित्तीय स्थिति रिपोर्ट
4	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/070/03/2017	31 मार्च 2017	वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना
5	आईआरडीए/एसीटीएल/बीएपी/सीआई-आर/066/2015-16/	24 अप्रैल 2015	बीएपी के माध्यम से एआरए, एएएआर और पुनर्बीमा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण
6	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध /035/01/2014	23 जन. 2014	जीवन बीमा पालिसियों की निरंतरता (पालिसियों की संख्या के आधार पर) अनुबंध III (ड)
7	आईआरडीए/एसीटीएल/सीआईआर/एएल -एम/005/01/2012	4 जन. 2012	आस्ति-देयता प्रबंधन और जीवन बीमा व्यवसाय का दबाव परीक्षण
8	आईआरडीए/एम(ए)/एसीटीएल/ईसी/12 /2020-11	27 दिसं. 2010	जीवन बीमा कंपनियों में आर्थिक पूँजी
9	11/आईआरडीए/एसीटीएल/आईबीएनआर /2005-06	8 जून 2005	साधारण बीमा व्यवसाय के अंतर्गत आईबीएनआर दावा प्रावधान के अनुमान संबंधी दिशानिर्देश
10	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/075/03/2017	31 मार्च 2017	वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना और संबंधित प्रस्तुतीकरण
11	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन /88/5/2022	11 मई 2022	बीमांकिक और पुनर्बीमा विवरणियाँ – हार्ड प्रति की प्रस्तुति की समाप्ति
12	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर /विविध/4/1/2023	10 जन. 2023	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 संबंधी परिपत्र

13	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध /001/01/2020	1 जन. 2021	आईआरडीएआई (जीवन बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 संबंधी स्पष्टीकरण
14	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध /147/06/2017 और संबंधित ई-मेल दिनांक 19.01.2021	21 जून 2017 19 जन 2021	लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों द्वारा बीमांकिक रिपोर्टों की प्रस्तुति
15	आईआरडीए/एसीटीएल/सीआईआर/जन./ 045	7 मार्च 2011	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए “बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश” की तैयारी के लिए नियुक्त बीमांककों के उपयोग हेतु नोट
16	056/आईआरडीए/एसीटीएल/शोधन-क्षमता मार्जिन/फरवरी-07	23 फर. 2007	शोधन-क्षमता अनुपात के अनुरक्षण की रिपोर्टिंग – तिमाही आधार
17	041/आईआरडीए/एसीटीएल/मार्च-2006	29 मार्च 2006	संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत व्यपगत पालिसियों के लिए आरक्षित निधियों के निर्धारण और प्रावधानों के लिए पद्धति संबंधी नोट
18	परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/विविध/234/12/2022	5 दिसं. 2022	आईआईबीआई के पोर्टल में मोटर अन्य पक्ष डेटा का अपलोड
19	आईआरडीए/एसीटीएल/जीडीएल/विविध/ 194/08/2017	17 अग. 2017	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के अंतर्गत साक्रांतिक उपबंधों संबंधी दिशानिर्देश
20	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एआरए /073/03/2016-17	31 मार्च 2017	परिपत्र सं. आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/035/01/2014 दिनांक 23.01.2014 – निरंतरता दर और नवीकरण दर संबंधी रिपोर्ट
21	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध /229/08/2020	01 सितं. 2020	बीमांककों की सूची का पैनल
22	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध /228/08/2020	01 सितं. 2020	बीमांककों का पैनल
23	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध /283/11/2020	18 नवं. 2020	बीमांककों का पैनल
24	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध /300/12/2020	28 दिसं. 2020	बीमांककों का पैनल
25	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएल-एम/066/03/2017	28 मार्च 2017	शोधन-क्षमता मार्जिन
26	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएल-एम/090/05/2018	30 मई 2018	फ़सल व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
27	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएल -एम/119/07/2019	25 जुलाई 2019	फ़सल व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
28	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएल-एम/220/08/2020	26 अगस्त 2020	फ़सल व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
29	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएल-एम/217/08/2021	03 अगस्त 2021	फ़सल व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
30	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएल-	13 जून 2022	फ़सल व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन

	एम/122/06/2022		
31	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/082/05/2019	20 मई 2019	शोधन-क्षमता विवरण तैयार करना
32	045/आईआरडीए/एफएण्डए/मार्च-06	31 मार्च 2006	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 - स्पष्टीकरण
33	008/आईआरडीए/एफएण्डए/मई-06	17 मई 2006	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
34	002/आईआरडीए/एफएण्डए/अप्रैल-06	21 अप्रैल 2006	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन- क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
35	051/आईआरडीए/एफएण्डए/फरवरी/07	08 फर. 2007	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन- क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
36	आईआरडीए/एफएण्डए/060/मार्च-08	11 मार्च 2008	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन- क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
37	009/आईआरडीए/एफएण्डए/अगस्त-08	13 अग. 2008	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000

टिप्पणी: ऊपर सूचीबद्ध निरस्त परिपत्रों/दिशानिर्देशों की **क्रम सं. 1** से **क्रम सं. 10** तक के अंतर्गत उल्लिखित परिपत्रों के सभी उपबंधों का लागू होना विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र के अधिसूचित होने तक जारी रहेगा।

अनुबंध-एसीटीएल-एए-1

फार्म आईआरडीएआई-नियुक्त बीमांकक/परामर्शक बीमांकक/परामर्शदाता बीमांकक
 (आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-। देखें)

आवेदक बीमांकक का विवरण:

1. बीमाकर्ता का नाम:
2. बीमांकक का नाम:
3. आवासीय पता टेलीफोन नंबर सहित: [पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवासीय पते दिये जाने चाहिए]
 - 3.1 क्या सामान्य तौर पर भारत का नागरिक है?

(संदर्भित विनियमों के भाग I का खंड 1(3) और भाग II का खंड 2(1)(i) देखें)
4. कार्यालयीन पता टेलीफोन नंबर सहित:
5. पुष्टि करें कि क्या नियुक्त बीमांकक पूर्णकालिक नियोजन पर रहेगा:

(उक्त विनियमों के भाग II का खंड 2(1)(vi) देखें)
6. जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष):

(उक्त विनियमों का खंड 2(1)(x) देखें)

7. मोबाइल नंबरः
 8. ई-मेल पता:
 9. वार्षिक पारिश्रमिक और अनुषंगी लाभः
 10. बीमाकर्ता (जिसके लिए आवेदक को नियुक्त बीमांकक के रूप में प्रस्ताव किया गया है) में तथा प्रवर्तकों की कंपनियों में भी शेयरधारिता, यदि कोई हो, शेयरधारिता का प्रतिशतः (उक्त विनियमों के भाग ॥ का खंड 8 देखें)
 11. व्यावसायिक अर्हताएँ :
- (उक्त विनियमों के भाग ॥ का खंड 2(1)(ii) और 2(1)(iii) या 2(1)(iv) या 2(1)(v), जैसा लागू हो, देखें)
12. कार्य अनुभवः
 - 12.1 उक्त विनियमों के भाग ॥ के खंड 2(1)(iii) या 2(1)(iv) या 2(1)(v), जैसा लागू हो, के अनुसार संबंधित अनुभव का प्रदर्शनः

(1) कुल संबंधित अनुभव

क्रम सं.	संस्था का विवरण	पदनाम	कब से (दिन/माह/वर्ष)	कब तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि (महीनों में)	अनुभव का विवरण*
1						
.....						
कुल						

(जीवन/स्वास्थ्य/साधारण/भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के संबंधित क्षेत्र में अनुभव स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें)

(2) फेलोशिप के बाद का अनुभव (उपर्युक्त (क) में से)

क्रम सं.	संस्था का विवरण	पदनाम	कब से (दिन/माह/वर्ष)	कब तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि (महीनों में)	अनुभव का विवरण*
1						
.....						
कुल						

(उक्त विनियमों के भाग ॥ के उप खंड 2(1)(iii)(ख) या 2(1)(iv)(ख) या 2(1)(v)(ख) के प्रयोजन के लिए, जैसा लागू हो: अनुभव स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें : जीवन/स्वास्थ्य/ साधारण/ भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के संबंधित क्षेत्र में वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन/उत्पाद कीमत-निर्धारण/समकक्ष समीक्षक/स्वतंत्र बीमांकक/पैनल बीमांकक/प्रमाणकर्ता बीमांकक/बीमांकिक परामर्शदाता/प्राधिकरण के पास संबंधित अनुभव)

(3) मध्य/वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन का अनुभव

क्रम सं.	संस्था का विवरण	पदनाम	कब से (दिन/माह/वर्ष)	कब तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि (महीनों में)	अनुभव का विवरण
1						
.....						
कुल						

13. उपलब्धियाँ और वर्तमान में या इसके पहले धारित विशेष पद:

14. किन्हीं अन्य फर्मों या कंपनियों के नाम, संस्थापन के देश, पते और प्रधान कार्यकलाप जिनमें आवेदक वर्तमान में या इसके पहले निदेशक, भागीदार, स्वामी, कर्मचारी, परामर्शदाता, समकक्ष समीक्षक, लाभ सहित समिति के संबंध में स्वतंत्र बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के लिए परामर्शी (मेंटर), पैनल बीमांकक या पुनर्बीमा विवरणियों का प्रमाणकर्ता बीमांकक था।

क्रम सं.	संस्था का विवरण (नाम, संस्थापन का देश आदि)	पदनाम	कब से	कब तक	अवधि (महीनों में)	कार्य का प्रोफ़ाइल
1						
.....						
कुल						

15. सीओपी विवरण और विधिमान्यता की अवधि (उक्त विनियमों के भाग II का खंड 2(1)(ix) देखें):

16. भारत में या अन्यत्र अपराधों के लिए किसी भी आपराधिक दोषसिद्धि का विवरण:

17. क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

18. क्या किसी व्यावसायिक निकाय या किसी बीमा विनियमनकर्ता या किसी अन्य संस्था के द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो ब्योरा दें (उक्त विनियमों के भाग II का खंड 2(1)(vii) देखें):

19. उक्त विनियमों के भाग II के खंड 8 और 9(4) के अनुसार हितों के संघर्ष के संबंध में घोषणा:

मैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची I के भाग II के अनुसार कार्य करूँगा/ करूँगी तथा किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करूँगा/ नहीं करूँगी जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में मेरी भूमिका का निष्पादन करने में हितों के संघर्ष में परिणत हो सकेगा।

आवेदक बीमांकक द्वारा प्रमाणीकरणः

मैं(बीमांकक का नाम), इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि इस फार्म में दी गई सूचना और घोषणा संपूर्ण, सही और वास्तविक है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-साक्षांकित प्रतियाँ भी संलग्न करता हूँ/करती हूँ :

1. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया फेलोशिप प्रमाणपत्र;
2. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया नवीनतम व्यवहार प्रमाणपत्र;
3. विषय के विशेषीकरण में उत्तीर्णता का दस्तावेजी प्रमाण, यदि लागू हो;
4. कोई अन्य संगत दस्तावेज (दस्तावेजों की सूची दें)

स्थानः

दिनांकः

बीमांकक के हस्ताक्षर

बीमाकर्ता के प्रधान अधिकारी/सीईओ द्वारा प्रमाणीकरणः

प्रस्तावित आवेदक बीमांकक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, मैं (नाम) (बीमाकर्ता का नाम) का प्रधान अधिकारी/सीईओ, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि'

1. प्रस्तावित बीमांकक (नाम) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची I के भाग II की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
2. प्रस्तावित बीमांकक (नाम) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग II की निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता। (उक्त विनियामक उपबंधों के उपयुक्त संदर्भ के साथ उन अपेक्षाओं का उल्लेख करें जिनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए उपर्युक्त विनियमों के खंड 2(5) के अंतर्गत एक अलग अनुरोध किया गया है
(‘जो लागू न हो, उसे काट दें)

स्थानः

दिनांकः

प्रधान अधिकारी/सीईओ के हस्ताक्षर

परामर्शकत्व (मेंटरशिप) के लिए आवेदक बीमांकक द्वारा प्रमाणीकरण:
(जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

मैं,(बीमांकक का नाम)..... इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि

1. मैं बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों संबंधी मास्टर परिपत्र के अध्याय-1 के बीमांकिक कार्य के खंड-1 के उपबंध 1(3) के अनुसार कार्य कर्सँगा/कर्सँगी तथा मैं किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं कर्सँगा/नहीं कर्सँगी जो परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के रूप में अपनी भूमिका का निष्पादन करने में हितों के संघर्ष के रूप में परिणत हो सकेगा।
2. इस फार्म में दी गई सूचना संपूर्ण, सही और वास्तविक है।

मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-साक्षांकित प्रतियाँ भी संलग्न करता हूँ/करती हूँ:

1. भारतीय बीमांकक संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान या निकाय (संस्थान या निकाय का नाम), जिसके साथ आईएआई का पारस्परिक मान्यता करार है, द्वारा जारी किया गया फेलोशिप प्रमाणपत्र।
2. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया व्यवसाय (प्रैक्टिस) का नवीनतम प्रमाणपत्र (सीओपी)

स्थान:

दिनांक:

बीमांकक के हस्ताक्षर

परामर्शकत्व (मेंटरशिप) के लिए आवेदक बीमांकक द्वारा वचनपत्र
(यदि लागू नहीं है तो काट दें)

मैं इसके द्वारा वचन देता हूँ/देती हूँ कि यदि उपर्युक्त बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के परामर्शकत्व (मेंटरशिप) से अलग किसी संस्था से मेरे द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य स्वीकार किया जाता है, तो इसकी सूचना प्राधिकरण को ऐसी स्वीकृति की तारीख से 7 दिन के अंदर दी जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

बीमांकक के हस्ताक्षर

बीमाकर्ता के प्रधान अधिकारी/सीईओ द्वारा प्रमाणीकरण
(परामर्शक (मेंटर) बीमांकक के मामले में लागू)

प्रस्तावित परामर्शक (मेंटर) बीमांकक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर,
मैं.....(नाम).....,(बीमाकर्ता का नाम)का/की प्रधान अधिकारी/सीईओ¹
इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रस्तावित परामर्शक (मेंटर) बीमांकक.....(बीमांकक का नाम).....
बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों संबंधी मास्टर परिपत्र के अध्याय-1-बीमांकिक कार्य के खंड-1 के उपबंध 1(3) की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

स्थान:

दिनांक:

प्रधान अधिकारी/सीईओ के हस्ताक्षर/कार्यालय की मुहर

टिप्पणी: यथाप्रयोज्य रूप में उक्त फार्म के सभी उपबंध/विवरण पर्याप्त विवरण के साथ, लागू न होनेवाली मर्दों को काटते हुए प्रस्तुत किये जाएँगे।

अनुबंध-एसीटीएल-एलआई-1

“लाभ सहित निधि प्रबंधन” से संबंधित उपबंध

1. जीवन बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग III(ख) के खंड 2(3)(i) के अनुसार “लाभ सहित समिति (डब्ल्यूपीसी) रिपोर्ट” के गठन के संबंध में विवरण प्रस्तुत करे तथा उक्त रिपोर्ट की न्यूनतम अपेक्षित विषय-वस्तु नीचे दी जाती है।
2. “लाभ सहित समिति” का गठन
 - (1) उक्त लाभ सहित समिति का गठन कम से कम निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा:
बोर्ड का एक स्वतंत्र निदेशक, सीईओ, सीएफओ, नियुक्त बीमांकक और एक स्वतंत्र बीमांकक।
 - (2) उक्त “लाभ सहित समिति” में स्वतंत्र बीमांकक:
 - (i) भारतीय बीमांकक संस्थान का एक फेलो सदस्य होगा
 - (ii) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया जीवन बीमा के क्षेत्र में एक विधिमान्य व्यवसाय का प्रमाणपत्र रखेगा
 - (iii) जीवन बीमा व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष का संबंधित योग्यता के बाद का अनुभव रखेगा तथा
 - (iv) 75 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा
 - (v) उक्त स्वतंत्र बीमांकक एक ही बीमाकर्ता की डब्ल्यूपीसी में तीन निरंतर वर्षों से अधिक जारी नहीं रहेगा
 - (vi) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, उक्त स्वतंत्र बीमांकक तीन से अधिक लाभ सहित समितियों का सहभागी नहीं होगा
 - (3) बीमाकर्ता उक्त डब्ल्यूपीसी में बीमांकिक, वित्त, निवेश के क्षेत्रों अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञों को जोड़ सकता है। ऐसे अतिरिक्त विशेषज्ञों के लिए स्वतंत्र बीमांकक हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
3. आस्ति अंश:
 - (1) बीमाकर्ता आस्तोयों के अंश का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।

(2) आस्तियों के अंश का विस्तृत कार्यचालन, आस्तियों के अंश में अनुमत व्यय, निधि पर अर्जित निवेश आय तथा अन्य संबद्ध तत्व जो आस्ति-अंश में निरूपित किए गये हैं, नियुक्त बीमांकक के द्वारा निर्धारित किये जाएँगे।

4. लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट

- (i) उक्त लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित को कवर किया जाएगा:
- (क) इस अनुबंध के पैराग्राफ-3 के अंतर्गत उल्लिखित रूप में आस्ति अंशों के परिकलन में प्रयुक्त कार्यपद्धति और आधार की उपयुक्तता तथा किसी परिवर्तन के लिए औचित्य
- (ख) बोनस अर्जन की क्षमता उसके परिकलन सहित
- (ग) बोनस दरों की संवेदनशीलता का विश्लेषण तथा उपयुक्त रूप में आधार
- (घ) एक संक्षिप्त नोट कि पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं (पीआरई) को कैसे पूरा किया जाएगा
- (ङ) विशेष अभ्यर्पण मूल्य में कोई परिवर्तन, औचित्य के साथ
- (च) भावी विनियोजन के लिए निधि (एफएफए) का व्यवहार, एफएफए खोलने से लेकर एफएफए बंद करने तक के संबंध में समाधान संबंधी विवरण
- (छ) लाभ-सहित निधि में नामे डाले गये व्यय और इसकी उपयुक्तता
- (ii) लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट को वर्षात वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले बीमाकर्ता के बोर्ड के साथ साझा करना चाहिए। उक्त लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट को बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश के साथ विनियमनकर्ता के साथ भी साझा किया जाना चाहिए। लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट की माँग, लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट के तर्काधार को स्पष्ट करने के लिए विनियमनकर्ता द्वारा की जा सकती है। यह प्रत्याशा की जाती है कि नियुक्त बीमांकक और लाभ-सहित समिति के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण के बीच अंतर, यदि कोई हों, का समाधान लाभ-सहित व्यवसाय पर नियुक्त बीमांकक द्वारा अपनी अंतिम सिफारिश करने से पहले किया जाना चाहिए। तथापि, उस सीमा तक जहाँ तक महत्वपूर्ण अंतर का समाधान नहीं किया जाता, इसका उल्लेख लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।
- (iii) नियुक्त बीमांकक आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के भाग-II का अनुपालन करते हुए तथा आईएआई के बीमांकिक व्यवहार मानकों/मार्गदर्शी नोटों और व्यावसायिक व्यवहार मानकों के उपबंधों के अनुरूप अपने कार्य के लिए संपूर्ण दायित्व रखता है। अतः नियुक्त बीमांकक के पास इस बात का अंतिम निर्णय अनिवार्यतः रखना चाहिए कि क्या लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उसके कार्य के किसी तत्व को परिवर्तित करने की आवश्यकता है या नहीं। अतः नियुक्त बीमांकक को सूचित किया जाता है कि वह इस क्षेत्र में अपने विवेक का प्रयोग सावधानीपूर्वक करे।

अध्याय 2 – वित्त संबंधी कार्य

खंड I: प्रस्तावना

जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ॥ (भाग I) की अपेक्षा का अनुपालन करेगा। साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा का व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ॥ (भाग II) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के संदर्भ में एक तुलन-पत्र, एक लाभ-हानि लेखा, एक अलग प्राप्ति और भुगतान लेखा, एक राजस्व लेखा तैयार करें।

1. वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना और अन्य फाइलिंग करना तथा वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना:

सभी बीमाकर्ता आईआरडीएआई को अपने लेखा-परीक्षित खाते और धारा 11 में उल्लिखित विवरण अथवा धारा 13 की उप-धारा (5) में उल्लिखित विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर अथवा बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करेंगे।

सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 15 के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार अपनी वार्षिक रिपोर्ट अपनी संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

2. न्यूनतम तौर पर निम्नलिखित प्रकटीकरण भी यथाविनिर्दिष्ट वित्तीय विवरणों का भाग बनेंगे:-

1. वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटीकरण

- i) बीमाकर्ता अनुबंध-I के अनुसार एस 3 – “नकदी प्रवाह विवरण” में विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार अलग प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेगा;
- ii) अनुबंध-II(क) / अनुबंध-II(ख) के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सारांश;
- iii) अनुबंध-III(क) / अनुबंध-III(ख) के अनुसार लेखांकन अनुपात;
- iv) अनुबंध-IV के अनुसार विभिन्न सरकारी / विनियामक निकायों के द्वारा बीमाकर्ता पर लगाये गये दंडों/अर्थदंडों के संबंध में सूचना;
- v) अनुबंध-V के अनुसार बकाया कार्यकलापों से संबंधित व्ययों का प्रकटीकरण;
- vi) अनुबंध-VI के अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन या पुनःवर्गीकरण;

2. प्रबंधन रिपोर्ट का भाग बननेवाले प्रकटीकरण

- (i) अनुबंध-VII(क) / अनुबंध-VII(ख) के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय में विद्यमान प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट करते हुए दावों की कालावधि;
- (ii) अनुबंध-VII के अनुसार भुगतानों की एक अनुसूची जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हैं जिनमें बीमाकर्ता के निदेशक हितबद्ध हैं।

खंड II: लेखांकन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ

1. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय:

सीएसआर कार्यकलापों पर किये गये व्यय पालिसीधारकों के खाते में प्रभारित नहीं किये जाने चाहिए। सुसंगति, एकरूपता और उचित प्रस्तुतीकरण लाने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति व्यय को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाएगा। बीमाकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जारी किये गये नियमों/ अधिसूचना/ परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में प्रकटीकरण करेगा।

खंड III: जीवन बीमाकर्ताओं के लिए विशिष्ट लेखांकन और प्रकटीकरण

1. 'प्रचलित' पालिसियों का लेखांकन:

उन शर्तों के अनुसार जिनके अंतर्गत जीवन बीमा पालिसियाँ जारी की जाती हैं, पालिसीधारक के पास एक अनुग्रह अवधि होती है जिसके अंदर पालिसी की शर्तों के अनुसार प्रीमियम जमा करनी होती है। इस नीति का अनुसरण समूची लेखांकन अवधि में और वर्ष के अंत में भी किया जाता है। इस प्रकार, किसी भी पालिसी पर प्रीमियम जो 31 मार्च को प्रचलित है, उपचित होगा यदि देय हो तथा विनिर्दिष्ट अनुग्रह अवधि के अंदर हो। संबद्ध व्यवसाय के लिए, भुगतान के लिए नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जा सकता है जब संबद्ध यूनिट निर्मित किये जाते हैं।

इसके अलावा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 13 बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश की तैयारी की अपेक्षा को निर्धारित करती है। उक्त विनियम आगे मूल्यांकन दिनांक, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार देयताओं के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था करते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, तथा विनियामक विवेक के तौर पर यह दोहराया जाता है कि

अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन पालिसियों को ध्यान में रखते हुए जो 31 मार्च को प्रचलित हैं, सभी बीमाकर्ताओं को चाहिए कि वे उस वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दें जिससे वे संबंधित हैं।

2. गैर-सहभागी निधियों में उत्पन्न होनेवाले अधिशेष की लाभ और हानि लेखे में लाभ के रूप में स्वीकृति:

यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर-सहभागी निधियों में उत्पन्न होनेवाले अधिशेष को तिमाही आधार पर लाभ और हानि लेखे में लाभ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि:

1. वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा/सीमित समीक्षा, जैसा लागू हो, तिमाही आधार पर की जाती है।
2. लाभ और हानि लेखे में अंतरित किये जानेवाले अधिशेष को अनिवार्यतः कंपनी के नियुक्त बीमांकक के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसकी सिफारिश की जानी चाहिए।
3. इस आशय का एक प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया जाना चाहिए।
4. किसी भी स्थिति में, अंतरित की गई राशि अनिवार्यतः वार्षिक लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतर, यदि कोई हो, का अनिवार्यतः समायोजन चौथी तिमाही में किया जाना चाहिए। यदि अधिशेष में उक्त भिन्नता 10% या रु. 5 करोड़, जो भी अधिक हो, से अधिक है, तो जीवन बीमाकर्ता प्राधिकरण को वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ

भिन्नता के लिए कारण बताते हुए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार प्रस्तुत की गई भिन्नताओं का स्पष्टीकरण जीवन बीमाकर्ताओं के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

3. बोनस की घोषणा:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था करती है कि कोई भी जीवन बीमाकर्ता मूल्यांकन तुलन-पत्र में दर्शये गये अधिशेष में से दर्शने के अलावा, किसी अन्य प्रकार से बोनस की घोषणा नहीं करेगा जो अधिशेष बीमाकर्ता की आस्तियों और देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, और न ही वह ऐसे अधिशेष में वृद्धि किसी आरक्षित निधि से या अन्य प्रकार से करेगा जब तक मूल्यांकन की तारीख को या उससे पहले ऐसे अंशदान राजस्व लेखे के माध्यम से राजस्व के रूप में नहीं लाये जाते।

3.1. पालिसीधारकों को बोनस की घोषणा के लिए पूरी की जानेवाली शर्तें :

बोनस की घोषणा करने के लिए इच्छुक बीमाकर्ता को चाहिए कि वह जहाँ सहभागी जीवन निधि कमी से युक्त है अथवा जब अधिशेष अपर्याप्त है, वहाँ प्राधिकरण द्वारा यहाँ नीचे निर्धारित रूप में शर्तों को पूरा करें:

- i) बीमाकर्ता सहभागी पालिसीधारकों के लिए बोनस की घोषणा करने से पहले, पालिसीधारकों के खाते में संचित कमी को पूरा करेगा तथा बोनस की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त आस्तियों का अंतरण भी करेगा। शेयरधारकों के खाते से ऐसा अंतरण लाभ और हानि लेखे के शेष में से या शेयरधारकों के खाते में आरक्षित निधियों से और/या बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी से आहरित करके हो सकता है। निहितार्थ से, इन परिस्थितियों में बोनस की घोषणा के लिए विकल्प देनेवाले बीमाकर्ता के मामले में पालिसीधारकों के खाते में कोई कमी नहीं होगी।
- ii) पूर्वोक्त प्रकार से कोई भी अंतरण, लाभ और हानि (शेयरधारकों के) लेखे में नामे डालने के द्वारा तथा राजस्व (पालिसीधारकों के) लेखे में जमा करने के द्वारा होगा।
- iii) पालिसीधारकों के खाते में इस प्रकार अंतरित की गई निधियाँ अपरिवर्तनीय स्वरूप की होंगी, अर्थात् किसी भी समय शेयरधारकों के खाते/निधि में वापस नहीं डाली जा सकतीं।
- iv) पालिसीधारकों के खाते में अंतरण अनिवार्यतः पालिसीधारकों की निधियों में आस्तियों/निवेशों के अंतरण के द्वारा पूर्णतः समर्थित होना चाहिए, तथा बोनस की लागत सहित, पालिसीधारकों की देयताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
- v) बोनस की प्रस्तावित दरें भविष्य में धारणीय होने के लिए सक्षम होनी चाहिए।
- vi) पालिसीधारकों के खाते में निधियों का अंतरण बीमाकर्ता की आम बैठक में शेयरधारकों के एक विशेष संकल्प के द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा,

प्रदत्त ईकिटी पूँजी को सुयोजित करने की वृष्टि से, जैसे पूर्वोक्त रूप में जीवन निधि में कमी (बोनस की लागत सहित) को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता निधियों के अंतरण की तारीख से छह महीने की अवधि के अंदर अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जानेवाली अधिक अवधि के अंदर प्रदत्त ईकिटी पूँजी में उपयुक्त रूप में वृद्धि करेगा तथा यह पालिसीधारकों की आस्तियों/निवेशों के द्वारा समर्थित और निरूपित होनी चाहिए।

बोनस की घोषणा की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त उपबंध बीमाकर्ताओं को उस वर्ष के प्रारंभ से केवल प्रथम बारह वित्तीय वर्षों के दौरान उपलब्ध हैं जिसमें जीवन बीमा व्यवसाय के परिचालन प्रारंभ किये गये हैं। उसके बाद, यह प्रत्याशित है कि बोनस की घोषणा शेयरधारकों से अंशदान का सहारा लिये बिना जीवन निधि के अंदर अधिशेष के द्वारा समर्थित होगी।

4. समाप्त पालिसियों से संबंधित प्रकटीकरण:

4.1 समाप्त पालिसियों से संबंधित निधियाँ “पालिसीधारकों की निधि” के अंतर्गत तुलन-पत्र में एक अलग शीर्षक के अंतर्गत पालिसी देयताओं के साथ निम्नलिखित तरीके से दर्शाई जाएँगी:

समाप्त पालिसियों के लिए निधियाँ :

- (i) प्रीमियमों का भुगतान न करने के कारण समाप्त की गई
- (ii) अन्य

4.2 वित्तीय वर्ष के दौरान पालिसीधारकों की निधि में लौटाई गई राशि और “समाप्त पालिसियों के लिए निधियाँ” में अंतरित राशि विनिर्दिष्ट फार्मेट में दर्शाई जाएगी।

4.3 लेखों की टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाएँगे:

- (i) वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्त की गई पालिसियों की संख्या;
- (ii) वर्ष के दौरान कुल पालिसियों (उत्पाद-वार) की तुलना में समाप्त पालिसियों का प्रतिशत;
- (iii) वर्ष के दौरान पुनःप्रवर्तित पालिसियों की संख्या और प्रतिशत (समाप्त पालिसियों के संदर्भ में);
- (iv) समाप्त पालिसियों के कारण लागू किये गये प्रभार;
- (v) समाप्त पालिसियों के पुनःप्रवर्तन के कारण पुनःसमायोजित प्रभार।

उक्त प्रकटीकरण **अनुबंध-IX** में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में किये जाएँगे।

5. वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

5.1. नियंत्रित निधि:

नियंत्रित निधि का विवरण संलग्न फार्मेट (**अनुबंध X**) में जीवन बीमाकर्ताओं के वार्षिक वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2. यूलिप व्यवसाय के लिए प्रकटीकरण:

(i) समूचे उद्योग में प्रकटीकरणों में पारदर्शिता और सुसंगति को सुनिश्चित करने के लिए, उक्त विनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग का फार्मेट निम्नलिखित को शामिल करने के लिए आशोधित किया गया है –

यूनिट सहबद्ध राजस्व लेखा को दो घटकों में वियोजन, उदा. (क) गैर-यूनिट निधियाँ और (ख) यूनिट निधि।

(ii) वियोजित निधियों की रिपोर्टिंग का फार्मेट – राजस्व लेखा, तुलन-पत्र और अंतर्निहित अनुसूचियाँ अतिरिक्त प्रकटीकरणों सहित (**अनुबंध XI**) जो बीमाकर्ता की वेबसाइट पर यूलिप प्रकटीकरणों का भाग बनेंगी।

5.3. यूलिप प्रकटीकरणों पर स्पष्टीकरण:

i. प्रीमियम का निवेश अंश यूनिट खंड तथा गैर-यूनिट खंड में गैर-निवेश अंश में प्रकट किया जाएगा।

- ii. निवेश पर आय उपर्युक्त (i) के साथ सामंजस्य में यूनिट और गैर-यूनिट अंश के अंतर्गत प्रकट की जाएगी
- iii. शुल्क और प्रभार गैर-यूनिट खंड में “आय” के रूप में तथा यूनिट खंड में “व्यय” के रूप में दर्शाये जाएँगे।
- iv. सभी परिचालन व्यय और कमीशन गैर-यूनिट खंड में प्रकट किये जाएँगे।
- v. केवल यूनिटों के निरसन से उत्पन्न होनेवाले दावे संबद्ध खंड के समक्ष दर्शाये जाएँगे तथा अन्य मर्दें जैसे मृत्यु-दर, अस्वस्थता-दर और गारंटीकृत लाभों का मूल्य गैर-यूनिट खंड के अंतर्गत प्रकट किये जाएँगे।

5.4. पालिसीधारकों की अदावी राशि को निरूपित करनेवाली राशि का प्रकटीकरण:

सभी बीमाकर्ताओं को समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये रूप में पालिसीधारकों की अदावी राशियों के संबंध में शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है। यह भी सूचित किया जाता है कि बीमाकर्ताओं के द्वारा किसी भी परिस्थिति में अदावी राशियों का विनियोजन/ प्रतिलेखन नहीं किया जाएगा।

5.5. दावों के स्वीकरण के लिए दिशानिर्देश:

दावों के स्वीकरण के लिए तारीख मृत्यु की सूचना की तारीख या पालिसीधारक द्वारा अभ्यर्पण की सूचना देने की तारीख होगी। परिपक्तता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी, आदि की स्थिति में दावों के स्वीकरण की तारीख पालिसियों के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगी।

खंड IV: साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं सहित) के लिए विशिष्ट लेखांकन और प्रकटीकरण

1. दावों का बीमांकिक मूल्यांकन जहाँ दावा अवधि चार वर्ष से अधिक है

उक्त विनियमों के द्वारा सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे संविदाओं के संबंध में किये गये दावों का विवरण प्रस्तुत करें जहाँ दावा भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक है। ऐसे दावों से बीमांकिक आधार पर स्वीकार किये जाने की अपेक्षा है, उदाहरण के लिए दीर्घकालिक निर्योग्यता से उत्पन्न होनेवाला भुगतान। ऐसे मामलों में, नियुक्त बीमांकक से देयता के निर्धारण के औचित्य के संबंध में एक प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जाना चाहिए तथा बीमांकिक पूर्वानुमान लेखों की टिप्पणियों के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के अंतर्गत प्रावधानीकरण का घटना और दावे के निपटान के बीच समयावधि के साथ कोई संबंध नहीं है।

2. वैकल्पिक जोखिम अंतरण करार (एआरटी)

कुछ गैर-जीवन बीमाकर्ता पुनर्बीमा की एक प्रतिस्थापित व्यवस्था/पुनर्बीमा के रूप में वैकल्पिक जोखिम अंतरण (एआरटी) कर रहे हैं। बीमाकर्ताओं के द्वारा किये जा रहे करारों के प्रकारों के एक विस्तृत आकलन से यह विदित होता है कि जबकि सबसे बढ़कर ये व्यवस्थाएँ पुनर्बीमा और वित्तपोषण व्यवस्थाओं का एक सम्मिश्रण हो सकता है, अन्य दृष्टिंतों में एआरटी विशुद्ध रूप से एक वित्तपोषण करार के स्वरूप का है।

किसी भी एआरटी व्यवस्था का लेखांकन “रूप की तुलना में उपादान” के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि उक्त करार वित्तपोषण की व्यवस्था से युक्त पुनर्बीमा के स्वरूप का है तथा घटक वियोजन के लिए सक्षम हैं, तो प्रत्येक तत्व का लेखांकन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार किया जाना चाहिए। तथापि, उन स्थितियों में जहाँ उपर्युक्त तत्व अलग करने योग्य नहीं हैं, वहाँ समूची व्यवस्था को एक वित्तीय लेनदेन के रूप में मानना चाहिए और उसका

लेखांकन तदनुसार किया जाना चाहिए। सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे एआरटी व्यवस्थाओं का लेखांकन “रूप की तुलना में उपादान” का अनुशीलन करने के द्वारा करें, तथा इसका लेखांकन जीएपी के अनुसार करें।

3. पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों का वियोजन:

3.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(2) यह अधिदेशात्मक करती है कि प्रत्येक बीमाकर्ता शेयरधारकों और पालिसीधारकों की अलग निधियाँ रखें। उपर्युक्त उपबंध को देखते हुए, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा कार्यालयों, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं सहित साधारण बीमाकर्ताओं को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- i. प्रत्येक तिमाही के अंत में पालिसीधारकों की निधि और शेयरधारकों की निधि को न्यूनतम तौर पर आनुमानिक आधार पर “निधि स्तर” पर द्विभाजित करें।
- ii. पालिसीधारकों की निधि निम्नलिखित का जोड़ होगी:

- (क) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) तथा उपगत परंतु पर्याप्त सूचित न किये गये (आईबीएनईआर) सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता
- (ख) अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि के लिए आरक्षित निधि (रिजर्व);
- (ग) प्रीमियम कमी, यदि कोई हो;
- (घ) आपात आरक्षित निधि, यदि कोई हो; तथा
- (ङ) अन्य आस्तियों को घटाकर अन्य देयताएँ।

उपर्युक्त अन्य देयताओं में, अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम, अनाबंटित प्रीमियम, अन्य बीमा कंपनियों को देय बकाया राशि, पूल के अन्य सदस्यों को देय राशि जैसे आतंकवाद पूल, विविध देनदार (पालिसीधारकों के कारण), आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त अन्य आस्तियों में, बकाया प्रीमियम, पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त राशि, आतंकवाद पूल के पास शेष राशि, यदि लागू हो, आदि शामिल हैं।

- iii. पालिसीधारकों की निधियों और शेयरधारकों की निधियों से किये गये निवेश विनिर्दिष्ट रूप में फार्मेटों में अलग-अलग दर्शाये जाएँगे।
- iv. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, तुलन-पत्र में दिखाई देने के रूप में उचित मूल्य परिवर्तन लेखा तदनुसार शेयरधारकों की निधि और पालिसीधारकों की निधि के अंतर्गत द्विभाजित हो जाएगा।
- v. निवेशों पर आय/हानियों के कारण पालिसीधारकों के लेखे से शेयरधारकों के लेखे में कोई अंतरण नहीं होगा।
- vi. निवेशों पर आय/उपचित हानियाँ/पूँजीगत लाभ/हानियाँ जैसी स्थिति हो, संबंधित राजस्व लेखे तथा लाभ और हानि लेखे में जमा की जाएँगी/ नामे डाली जाएँगी।
- vii. सभी बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि पालिसीधारकों को आबंटित निवेश पालिसीधारकों की निधि के मूल्य से कम नहीं होंगे।

3.2 कमी की पूर्ति – प्रत्येक बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि ऊपर परिभाषित पालिसीधारकों की निधि अनुसूची-8क में दर्शाये गये पालिसीधारकों के निवेशों के द्वारा पूर्णतः समर्थित है। अतः राजस्व लेखे में हानि के कारण अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाली पालिसीधारकों के निवेशों में किसी भी घटे/कमी का क्षतिपूरण छमाही आधार पर शेयरधारकों के निवेशों से पालिसीधारकों के निवेशों में प्रतिभूतियों के अंतरण के द्वारा किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार होगा।

4. शेयरधारकों के लेखे से पालिसीधारकों के लेखे में या अन्यथा प्रतिभूतियों का अंतरण

जहाँ पालिसीधारकों के लेखे में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है, वहाँ यह बाजार कीमत अथवा परिशोधित लागत, जो भी कम हो, पर होना चाहिए।

5. दीर्घावधि उत्पादों के लिए लेखांकन व्यवहार:

1. प्रीमियम स्वीकरण:

किसी दीर्घावधि पालिसी के लिए प्रीमियम पालिसी की बिक्री के समय पूरी पालिसी अवधि के लिए या 12 महीने से अधिक किसी अवधि के लिए वसूल किया जाता है, तो वार्षिक आधार पर स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी वित्तीय वर्ष के लिए सूचित किया गया सकल अंकित प्रीमियम उक्त दीर्घावधि पालिसी के लिए देय कुल सकल अंकित प्रीमियम, जिसे '1/एन' द्वारा गुना किया गया हो, होगा जहाँ 'एन' पालिसी अवधि है। वसूल की गई कोई भी अतिरिक्त राशि "प्रीमियम जमा" अथवा "आग्रिम प्रीमियम" मानी जाएगी।

2. कमीशन का भुगतान:

एक वर्ष में कमीशन का भुगतान उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत सकल अंकित प्रीमियम पर ही होगा।

खंड V: पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीएस और लायड्स के लिए विशिष्ट लेखांकन और प्रकटीकरण

1. विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालय और लायड्स इंडिया के लिए लागू

1. भारत में स्थापित शाखा कार्यालय के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, एक प्रधान कार्यालय खाता अनुरक्षित किया जाएगा।
2. उक्त प्रधान कार्यालय खाते का अनुरक्षण निम्नानुसार दो भागों में किया जाएगा:
 - i. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिदेशात्मक किये गये रूप में भारत में पुनर्बीमा का व्यवसाय करने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा शाखा को प्रदान की गई समनुदेशित पूँजी की अपरिवर्तनीय नियत राशि;
 - ii. समय-समय पर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से शाखा के लाभ या हानि के अंतरण सहित, शाखा कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच लेनदेनों को निरूपित करनेवाला चालू खाता: बशर्ते कि, किसी भी समय, (i) और (ii) की निवल शेषराशि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समनुदेशित पूँजी से कम नहीं होगी।
 - iii. तदनुसार, अनुसूची 5 अर्थात् शेयर पूँजी भारत में स्थापित शाखा कार्यालय के माध्यम से पुनर्बीमा का व्यवसाय करनेवाले विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए लागू नहीं होगी।

- iv. समनुदेशित पूँजी को निरूपित करनेवाली अपरिवर्तनीय नियत राशि तुलन-पत्र में “आरक्षित निधि और अधिशेष” के बाद एक अलग पंक्ति वाली मद के रूप में दर्शाई जाएगी। इसका विवरण अनुसूची 6क – “प्रधान कार्यालय खाता” में प्रस्तुत किया जाएगा।
 - v. प्रधान कार्यालय का चालू खाता अनुसूची-12- अग्रिम और अन्य आस्तियाँ अथवा अनुसूची-13 चालू देयताएँ, जैसी स्थिति हो, में प्रस्तुत की जानेवाली एक अलग पंक्ति वाली मद के रूप में दर्शाया जाएगा।
 - vi. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ॥ (भाग ॥) के सभी अन्य उपबंध भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं पर लागू होने की सीमा तक आवश्यक परिवर्तनों सहित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा पर लागू होंगे।
2. पुनर्बीमाकर्ताओं तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालय और लायड्स इंडिया के लिए लागू प्रीमियम, दावों और संबंधित व्ययों का अनुमान के आधार पर लेखांकन:
- प्राधिकरण ने एफआरबीएस और जीआईसी आरई द्वारा स्वीकार किये गये प्रीमियम का एक विश्लेषण संचालित किया है तथा पाया है कि जबकि कुछ एफआरबीएस प्रीमियम का लेखांकन “वास्तविक” आधार पर कर रही हैं, वहीं कुछ अन्य एफआरबीएस इसका लेखांकन “अनुमान” के आधार पर कर रही हैं।
- आगे यह भी देखा गया है कि अनुमान के आधार पर प्रीमियम के लेखांकन पर पुनर्बीमाकर्ताओं के द्वारा किसी एकरूप पद्धति / प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम का लेखांकन अनुमान के आधार पर निम्नलिखित कारणों से किया गया है: (i) बीमाकर्ता(ओं) से लेखों का विवरण प्राप्त करने में विलंब या देरी; और/या (ii) मूल संस्था के साथ लेखांकन प्रथाओं का सुयोजन।
- इस स्थिति के होते हुए कि प्रीमियम के एक उल्लेखनीय भाग का लेखांकन अनुमान के आधार पर किया जा रहा है, वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान के आधार पर स्वीकृत प्रीमियम के लेखांकन और प्रकटीकरणों को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, प्राधिकरण निम्नलिखित ढाँचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत एफआरबीएस/पुनर्बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कम से कम तीसरी तिमाही तक अनुमान के आधार पर कोई प्रीमियम उपचित न हो/ लेखांकत न किया जाए। तथापि, 31 मार्च को समाप्त होनेवाली चौथी तिमाही के लिए, जहाँ लेखा-विवरण समय पर प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ प्रीमियम, हानियों और संबंधित व्ययों का लेखांकन अनुमान के आधार पर किया जा सकता है। तथापि, उपर्युक्त आय और व्ययों के अनुमान में पुनर्बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि:
- क. समूचे संविभाग में एक सुसंगत कार्यपद्धति का अनुसरण किया जाए;
 - ख. जैसे ही वास्तविक मूल्य उभरते हैं, तब उक्त अनुमानों को सही किया जाए;
 - ग. वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकित कुल प्रीमियम, दावे और व्यय एवं अनुमान के आधार पर लेखांकित प्रीमियम, दावे और व्यय बताते हुए वार्षिक रिपोर्ट में एक विवरण शामिल किया जाएगा।
 - घ. संलग्न फार्मेटों – **अनुबंध XII** के अनुसार अनुमान के आधार पर लेखांकित प्रीमियम, दावों और व्ययों तथा उनके वास्तविक अनुभव का खंड-वार विश्लेषण देते हुए तीन वर्षों के लिए (चालू वित्तीय वर्ष सहित) संपूर्ण प्रकटीकरण किया जाएगा एवं लेखों की टिप्पणियों के अंतर्गत एक वार्षिक आधार पर 10% से अधिक भिन्नता, यदि कोई हो, पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ दी जाएँगी, यदि उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बहियों की बंदी के समय वास्तविक आंकड़े उपलब्ध होते हैं। यदि उक्त सूचना उपलब्ध नहीं होती, तो ऊपर संदर्भित प्रस्तुतीकरण अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में किये जाएँगे; तथा

ड. यदि वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बहियों की बंदी के समय वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो $\pm 10\%$ से अधिक किसी विचलन की सूचना प्राधिकरण को अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के अंदर ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित फार्मेट में दी जाएगी।

खंड VI: सामान्य

- 1) सभी बीमाकर्ताओं को इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्राधिकरण को विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट बिन्दु के लिए लागू कोई सूचना नहीं है, तो बीमाकर्ता को प्राधिकरण के पास फाइल की गई विवरणियों से उपर्युक्त बिन्दु को हटाने के बजाय 'लागू नहीं' या 'शून्य', जैसी स्थिति हो, निर्दिष्ट करना चाहिए।
- 2) उक्त विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि कुछ बिन्दुओं के लिए आवश्यक है कि उनका प्रमाणीकरण किसी विनिर्दिष्ट व्यवसायी (प्रोफेशनल) द्वारा किया जाए। बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त संदर्भ में उक्त विनियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपवाद, यदि कोई हों, संबंधित प्रमाणपत्र में स्पष्ट किये जाएँ।

खंड VII: विनिर्दिष्ट फार्मेटों से विचलन

सभी बीमाकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेटों (अनुसूचियों सहित) और उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी नई पंक्ति की मद को, यदि अलग से प्रकट करना आवश्यक हो, तो प्रत्येक मद के ब्योरे का विवरण देते हुए, राजस्व लेखे, पीएण्डएल लेखे और/या वित्तीय विवरणों की संबंधित अनुसूची में "अन्य" के अंतर्गत उसे दर्शाया जा सकता है।

अनुसूची-I : जीवन बीमाकर्ताओं के निरस्त परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र संदर्भ	विषय
1	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/232/12/2013 दिनांक 11.12.2013	जीवन बीमा व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार करने और विवरणियाँ फाइल करने संबंधी मास्टर परिपत्र
2	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एसीटी-एस/118/04/2014 दिनांक 28.04.2014	परिवर्ती बीमा उत्पादों के लिए प्रीमियम स्वीकरण
3	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/184/10/2019 दिनांक 04.10.2019	जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करना

अनुसूची-II – गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ता और एफआरबी के निरस्त परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र संदर्भ	विषय
1	मास्टर परिपत्र दिनांक अक्टूबर, 2012	वित्तीय विवरण तैयार करना
2	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एफए/126/07/2013 दिनांक 03.07.2013	मास्टर परिपत्र दिनांक अक्टूबर, 2012 संबंधी शुद्धिपत्र

3	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/सीपीएम/056/03/2016 दिनांक 04.04.2016	वित्तीय विवरण तैयार करना
4	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/सीपीएम/010/01/2017 दिनांक 12.01.2017	वित्तीय विवरण तैयार करना
5	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/08 1/05/2019 दिनांक 20.05. 2019	वित्तीय विवरण तैयार करना
6	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/12 3/6/2022 दिनांक 15.06.2022	प्रीमियम, दावों और संबंधित व्ययों का अनुमान के आधार पर लेखांकन – एफआरबीएस और भारतीय पुनर्बीमाकर्ता

अनुबंध-1 – नकदी प्रवाह विवरण (सभी बीमाकर्ताओं के लिए)

लेखांकन मानक 3 (एस 3) के अनुसार तैयार करना होगा – नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह विवरण केवल प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया जाएगा।

(राशि लाख रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
अग्रिम प्राप्तियों सहित, पालिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम		
अन्य प्राप्तियाँ (विश्लेषित विवरण दें)		
कमीशनों और दावों को घटाकर पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान		
दावों की वसूली को घटाकर सह-बीमाकर्ताओं को भुगतान		
दावों के भुगतान		
कमीशन और दलाली के भुगतान		
अन्य परिचालन व्ययों के भुगतान		
प्रारंभिक और परिचालन-पूर्व व्यय		
जमाराशियाँ, अग्रिम और स्टाफ ऋण		
प्रदत्त आय-कर (निवल)		
प्रदत्त माल और सेवा कर		
अन्य भुगतान		
असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह		
असाधारण परिचालनों से नकदी प्रवाह		
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
अचल आस्तियों की खरीद		
अचल आस्तियों की बिक्री से आगम राशि		
निवेशों की खरीद		
संवितरित ऋण		
निवेशों की बिक्री		

प्राप्त चुकौतियाँ		
प्राप्त किराया/ब्याज/लाभांश		
मुद्रा बाजार लिखतों में और तरल म्युचुअल निधियों में निवेश (निवल) ^(क)		
निवेशों से संबंधित व्यय		
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
शेयर पूँजी के निर्गम से प्राप्त राशि		
उधार लेने से प्राप्त राशि		
उधार की चुकौतियाँ		
प्रदत्त ब्याज/लाभांश		
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
नकदी और नकदी समतुल्यों पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव, निवल		
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि:		
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		

टिप्पणियाँ :-

- क. म्युचुअल निधियों में निवेश, जहाँ इनका प्रयोग निवेश होने तक वाहन पार्किंग की तरह किया जाता है, निर्दिष्ट किये जाने चाहिए (निवल)।
- ख. उपर्युक्त मदें न्यूनतम हैं जिन्हें सूचित किया जाना चाहिए। बीमाकर्ता कोई अन्य मदें शामिल कर सकते हैं जो वे उपर्युक्त समझते हैं।
- ग. पालिसियों की जमानत पर प्रदान किये गये ऋण “निवेश कार्यकलापों” के भाग के रूप में प्रकट किये जाने चाहिए।

अनुबंध II(क) – वित्तीय विवरणों का सारांश (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए)

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	पहला वर्ष*	द्वितीय वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाँचवाँ वर्ष
	<u>पालिसीधारकों का खाता</u>					
1	सकल प्रीमियम आय					
2	निवल प्रीमियम आय ¹					
3	निवेशों से आय (निवल) ²					
4	अन्य आय					
5	<u>शेयरधारकों के खाते से अंशदान</u> – अधिक ईओएम के प्रति					
	- पालिसीधारकों के खाते में कमी पूरी करने के प्रति					
6	पालिसीधारकों की अदावी राशि पर आय					

7	कुल आय					
8	कमीशन (निवल) ³					
9	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय ⁴					
10	कर के लिए प्रावधान					
11	कुल व्यय					
12	पालिसीधारकों को भुगतान ⁵					
13	बीमांकिक देयता में वृद्धि					
14	संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान					
15	परिचालनों से अधिशेष/(कमी)					
	शेयरधारकों का खाता					
16	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय ⁶					
17	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल व्यय					
18	कर से पहले लाभ/(हानि)					
19	कर के लिए प्रावधान					
20	कर के बाद लाभ/(हानि)					
21	तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ/ (हानि)					
22	विविध					
	(क)पालिसीधारकों का खाता					
	कुल निधियाँ					
	कुल निवेश					
	निवेशों पर प्रतिफल (%) ⁷					
	(ख)शेयरधारकों का खाता					
	कुल निधियाँ					
	कुल निवेश					
	निवेशों पर प्रतिफल (%) ⁷					
23	कुल निवेशों पर प्रतिफल					
24	प्रदत्त ईकिटी पूँजी					
25	निवल मालियत (नेट वर्थ)					
26	कुल आस्तियाँ					
27	उपार्जन प्रति शेयर					
28	मूल उपार्जन प्रति शेयर					
29	मंदीकृत उपार्जन प्रति शेयर					
30	बही मूल्य प्रति शेयर					
31	घोषित / प्रदत्त कुल लाभांश					
32	लाभांश प्रति शेयर					

33	शोधन-क्षमता अनुपात						
----	--------------------	--	--	--	--	--	--

*पहला वर्ष से सर्वाधिक हाल का समाप्त वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

टिप्पणियाँ :

1. पुनर्बीमा को घटाकर
2. हानियों को घटाकर (इसमें निवेशों के मूल्य में हास शामिल है)
3. इसमें बीमाकर्ता द्वारा बीमा एजेंट, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को अदा किया गया कोई भी क्षतिपूर्ति शामिल है
4. इसमें यूनिट निधि व्यय शामिल हैं
5. इसमें अंतरिम बोनस, यदि कोई हों, शामिल हैं
6. इसमें लाभ और हानि लेखे की अन्य आय शामिल है
7. निवेश आय ((प्रारंभिक निवेश + अंतिम निवेश)/2)

अनुबंध II(ख) – वित्तीय विवरणों का सारांश (जीवन बीमाकर्ताओं को छोड़कर अन्य बीमाकर्ताओं के लिए) (लाख रु.)

क्रम सं.	विवरण	पहला वर्ष	द्वितीय वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाँचवाँ वर्ष
	परिचालनगत परिणाम					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम					
2	सकल अंकित प्रीमियम					
3	निवल प्रीमियम आय ⁽¹⁾					
4	निवेशों से आय (निवल) ⁽²⁾					
5	अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)					
6	<u>शेयरधारकों के खाते से अंशदान</u> <ul style="list-style-type: none"> - अधिक ईओएम के प्रति - अन्य विनिर्दिष्ट करें 					
	कुल आय					
7	कमीशन (निवल) ⁽³⁾					
8	परिचालन व्यय					
9	प्रीमियम कमी					
10	निवल उपगत दावे					
11	अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में परिवर्तन					
12	परिचालन लाभ / (हानि)					
	गैर-परिचालन परिणाम					
13	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय					
14	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल व्यय					

15	कर से पहले लाभ / (हानि)					
16	कर के लिए प्रावधान					
19	कर के बाद लाभ / (हानि)					
	विविध					
20	पालिसीधारकों का खाता					
	कुल निधियाँ					
	कुल निवेश					
	निवेशों पर प्रतिफल					
21	शेयरधारकों का खाता					
	कुल निधियाँ					
	कुल निवेश					
	निवेशों पर प्रतिफल					
22	प्रदत्त ईकिटी पूँजी					
23	निवल मालियत (नेट वर्थ)					
24	कुल आस्तियाँ					
25	कुल निवेशों पर प्रतिफल					
26	उपार्जिन प्रति शेयर (मूल)					
27	बही मूल्य प्रति शेयर					
28	वर्ष के लिए घोषित/प्रदत्त कुल लाभांश					
29	लाभांश प्रति शेयर					
30	शोधन-क्षमता अनुपात					

*'पहला वर्ष' से सर्वाधिक हाल का समाप्त वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

टिप्पणियाँ

- पुनर्बीमा को छोड़कर
- हानियों को छोड़कर (इसमें निवेशों के मूल्य में हास शामिल है)
- इसमें बीमाकर्ता द्वारा बीमा एजेंट, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को अदा की गई कोई भी क्षतिपूर्ति शामिल है

अनुबंध III(क) – विश्लेषणात्मक अनुपात (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	नये व्यवसाय की प्रीमियम वृद्धि दर (खंड वार)		
(i) संबद्ध व्यवसाय:			
1) जीवन			
2) पेंशन			
3) स्वास्थ्य			

	4) अन्य		
	(ii) असंबद्ध व्यवसायः		
	सहभागीः		
	1) जीवन		
	2) वार्षिकी		
	3) पेंशन		
	4) स्वास्थ्य		
	5) अन्य		
	लाभ-रहितः		
	1) जीवन		
	2) वार्षिकी		
	3) पेंशन		
	4) स्वास्थ्य		
	5) अन्य		
2	कुल नये व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक व्यवसाय) की तुलना में एकल प्रीमियम (वैयक्तिक व्यवसाय) का प्रतिशत		
3	कुल नये व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक व्यवसाय) की तुलना में संबद्ध नये व्यवसाय प्रीमियम (वैयक्तिक व्यवसाय) का प्रतिशत		
4	निवल प्रतिधारण अनुपात		
5	संरक्षण (कन्सर्वेशन) अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय		
	1) जीवन		
	2) पेंशन		
	3) स्वास्थ्य		
	4) अन्य		
	(ii) असंबद्ध व्यवसायः		
	सहभागीः		
	1) जीवन		
	2) वार्षिकी		
	3) पेंशन		
	4) स्वास्थ्य		
	5) अन्य		
	लाभरहितः		
	1) जीवन		
	2) वार्षिकी		

	3) पेंशन		
	4) स्वास्थ्य		
	5) अन्य		
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात की तुलना में प्रबंधन व्यय		
7	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम की तुलना में प्रदत्त सकल कमीशन और प्रतिफल (रिवार्ड्स))		
8	नये व्यवसाय प्रीमियम की तुलना में व्यवसाय विकास और विक्रय संवर्धन व्यय		
9	नये व्यवसाय प्रीमियम की तुलना में ब्रैंड/ट्रेड मार्क उपयोग शुल्क/प्रभार		
10	शेयरधारकों की निधियों की तुलना में पालिसीधारकों की निधि का अनुपात		
11	निवल मालियत में परिवर्तन (राशि लाख रु. में)		
12	निवल मालियत में वृद्धि		
13	पालिसीधारकों की निधि की तुलना में अधिशेष का अनुपात		
14	कर के बाद लाभ / कुल आय		
15	(कुल स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) + ऋण) / (नकदी और निवेशित आस्तियाँ)		
16	कुल निवेश/ (पूँजी + आरक्षित निधियाँ और अधिशेष)		
17	कुल संबद्ध निवेश/ (पूँजी + आरक्षित निधियाँ और अधिशेष)		
18	निवेश प्रतिफल – (सकल और निवल) – निधि वार और प्राप्त लाभ के साथ/ के बिना		
19	निरंतरता अनुपात – प्रीमियम आधार (नियमित प्रीमियम/ वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए		
	25वें महीने के लिए		
	37वें महीने के लिए		
	49वें महीने के लिए		
	61वें महीने के लिए		
	निरंतरता अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/ वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्णतः प्रदत्त)		
	13वें महीने के लिए		
	25वें महीने के लिए		
	37वें महीने के लिए		
	49वें महीने के लिए		
	61वें महीने के लिए		
	निरंतरता अनुपात – पालिसी की संख्या आधार (नियमित प्रीमियम/वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत सीमित प्रीमियम भुगतान)		

	13वें महीने के लिए		
	25वें महीने के लिए		
	37वें महीने के लिए		
	49वें महीने के लिए		
	61वें महीने के लिए		
	निरंतरता अनुपात – पालिसी की संख्या आधार (एकल प्रीमियम /वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्णतः प्रदत्त)		
	13वें महीने के लिए		
	25वें महीने के लिए		
	37वें महीने के लिए		
	49वें महीने के लिए		
	61वें महीने के लिए		
20	अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात		
	पालिसीधारकों की निधियाँ		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवल एनपीए अनुपात		
	शेयरधारकों की निधियाँ		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवल एनपीए अनुपात		
21	शोधन-क्षमता अनुपात		
22	कर्ज ईकिटी अनुपात		
23	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात		
24	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात		
25	रु. में औसत टिकट आकार – वैयक्तिक प्रीमियम (गैर-एकल)		
26	जीवन बीमाकर्ताओं के लिए ईकिटी धारिता स्वरूप और उपार्जन संबंधी सूचनाः		
	शेयरों की संख्या		
	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारतीय		
	विदेशी		
	सरकारी धारिता का प्रतिशत (सरकारी क्षेत्र बीमा कंपनियों के मामले में)		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले मूल ईपीएस		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले मंदीकृत ईपीएस		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मूल ईपीएस		

	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मर्दों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मंदीकृत ईपीएस		
	बही मूल्य प्रति शेयर (रु.)		

अनुबंध III(ख)-विश्लेषणात्मक अनुपात (जीवन बीमाकर्ताओं को छोड़कर अन्य बीमाकर्ताओं के लिए*

क्रम सं.	विवरण	सीवाई	पीवाई
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर**		
2	निवल मालियत अनुपात की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
3	निवल मालियत की वृद्धि दर		
4	निवल प्रतिधारण अनुपात**		
5	निवल कमीशन अनुपात**		
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात की तुलना में प्रबंधन व्यय**		
7	निवल अंकित प्रीमियम अनुपात की तुलना में प्रबंधन व्यय**		
8	निवल उपार्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे**		
9	दावों के प्रावधानों की तुलना में प्रदत्त दावे**		
10	संयुक्त अनुपात**		
11	निवेश आय अनुपात		
12	निवल प्रीमियम अनुपात की तुलना में तकनीकी आरक्षित निधियाँ**		
13	जोखिम-अंकन शेष अनुपात		
14	परिचालन लाभ अनुपात		
15	देयताओं की तुलना में तरल आस्तियाँ अनुपात		
16	निवल उपार्जन अनुपात		
17	निवल मालियत पर प्रतिफल अनुपात		
18	शोधन-क्षमता मार्जिन अनुपात		
19	अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) अनुपात		
	पालिसीधारकों की निधियाँ		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवल एनपीए अनुपात		
	शेयरधारकों की निधियाँ		
	सकल एनपीए अनुपात		
	निवल एनपीए अनुपात		
20	कर्ज ईकिटी अनुपात		
21	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात		
22	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात		

23	जीवन बीमाकर्ताओं को छोड़कर अन्य बीमाकर्ताओं के लिए ईंकिटी धारिता स्वरूप तथा उपार्जन संबंधी सूचना:		
	शेयरों की संख्या		
	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारतीय		
	विदेशी		
M	सरकारी धारिता का प्रतिशत (सरकारी क्षेत्र बीमा कंपनियों के मामले में)		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले मूल ईपीएस		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले मंदीकृत ईपीएस		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मूल ईपीएस		
	अवधि (वार्षिकीकृत न किया जाए) के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मंदीकृत ईपीएस		
	बही मूल्य प्रति शेयर (रु.)		

निवल मालियत (नेट वर्थ) की परिभाषा में पुनर्बीमा शाखा के लिए प्रधान कार्यालय पूँजी शामिल की जाए।

**सीवाई और पीवाई के लिए खंडीय रिपोर्टिंग की जानी चाहिए

*उक्त अनुपातों का परिकलन अनिवार्यतः समय-समय पर विनिर्दिष्ट रूप में बीमाकर्ताओं के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरणों संबंधी परिपत्र के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

अनुबंध IV – विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाया जानेवाला अर्थदंड (सभी बीमाकर्ताओं के लिए)

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	प्राधिकारी	अननुपालन/ उल्लंघन	दिया गया अर्थदंड	अदा किया गया अर्थदंड	छूट-प्राप्त/ घटाया गया अर्थदंड
1	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)				
2	आय-कर प्राधिकारी				
3	जीएसटी प्राधिकारी				
4	कोई अन्य कर प्राधिकारी				
5	प्रवर्तन निदेशालय/ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/न्यायाधिकरण या फेमा के अधीन कोई भी प्राधिकारी				
6	कंपनियों का रजिस्ट्रार/ एनसीएलटी/ सीएलबी/ कारपोरेट कार्य विभाग या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई प्राधिकारी				
7	दावा निपटान सहित परंतु क्षतिपूर्ति रहित किसी				

	भी मामले के लिए किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) द्वारा दिया जानेवाला दंड/अर्थदंड				
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड				
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग				
10	कोई अन्य केन्द्र/राज्य/स्थानीय शासन/ सांविधिक प्राधिकारी (अलग-अलग विवरण दें)				

*दंड/अर्थदंड में किसी सरकारी प्राधिकारी(प्राधिकारियों) द्वारा लगाये जानेवाले संयुक्तीकृत (कम्पाउण्डिंग) प्रभार शामिल हैं।

अनुबंध V- बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों से संबंधित व्ययों का प्रकटीकरण (सभी बीमाकर्ताओं के लिए) (लाख रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल बाह्यस्रोतीकरण व्यय		
बाह्यस्रोतीकरण व्ययों का विश्लेषित विवरण (व्ययों का शीर्ष विनिर्दिष्ट करें जिसके अंतर्गत उक्त व्यय दर्ज किये गये हैं/सूचित किये गये हैं/प्रभारित किये गये हैं)		
1. _____		
2. _____		

अनुबंध VI- पुनःसमूहीकरण विवरण (सभी बीमाकर्ताओं के लिए)

क्र म सं.	विवरण (अनुसूची और लेखा-शीर्ष)	पुनःसमूहित/ पुनःसूचित राशि (लाख रु.)	पिछले वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार राशि (लाख रु.)	अंतर (लाख रु.)	पुनःसमूहीकरण/ पुनःविवरण के लिए कारण
	कहाँ से पुनःसमूहित	किसमें पुनः समूहित			

अनुबंध VII(क) – पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान में विद्यमान प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करनेवाली दावों की कालावधि

औसत दावा निपटान कालावधि (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए)

वर्ष	दावों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय (दिनों में)
पहला वर्ष	
दूसरा वर्ष	
तीसरा वर्ष	
चौथा वर्ष	
पाँचवाँ वर्ष	

I. पंजीकृत और निपटाये गये दावे:

संबद्ध व्यवसाय

(राशि लाख रु.)

वर्ष	30 दिन तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि
पहला वर्ष										
दूसरा वर्ष										
तीसरा वर्ष										
चौथा वर्ष										
पाँचवाँ वर्ष										

असंबद्ध व्यवसाय

(राशि लाख रु.)

वर्ष	30 दिन तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि
पहला वर्ष										
दूसरा वर्ष										
तीसरा वर्ष										
चौथा वर्ष										
पाँचवाँ वर्ष										

पाँचवाँ वर्ष									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. पंजीकृत और न निपटाये गये दावे:

संबद्ध व्यवसाय

(राशि लाख रु.)

वर्ष	30 दिन तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि
पहला वर्ष*										
दूसरा वर्ष										
तीसरा वर्ष										
चौथा वर्ष										
पाँचवाँ वर्ष										

असंबद्ध व्यवसाय

(राशि लाख रु.)

वर्ष	30 दिन तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि	दावों की संख्या	संबद्ध राशि
पहला वर्ष*										
दूसरा वर्ष										
तीसरा वर्ष										
चौथा वर्ष										
पाँचवाँ वर्ष										

*'पहला वर्ष' से सर्वाधिक हाल का समाप्त वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

अनुबंध VII(ख) - पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय में विद्यमान प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करनेवाली दावों की कालावधि

(जीवन बीमाकर्ताओं को छोड़कर अन्य बीमाकर्ताओं के लिए)

I. ब्रकाया सकल दावों का कालावधि विश्लेषण

अवधि	उत्पाद/खंड ⁽¹⁾	
	दावों की संख्या	संबद्ध राशि

0 - 30 दिन		
31 दिन से 6 महीने		
6 महीने से 1 वर्ष		
1 वर्ष से 5 वर्ष		
5 वर्ष और उससे अधिक		

II. पिछले पाँच वर्षों के लिए औसत दावा निपटान समय का विवरण

(राशि लाख रु.)

उत्पाद/खंड ⁽¹⁾	पहला वर्ष*			दूसरा वर्ष			तीसरा वर्ष		
	औसत निपटान समय (दिन)	निपटाये गये दावों की संख्या	अदा की गई राशि	औसत निपटान समय (दिन)	निपटाये गये दावों की संख्या	अदा की गई राशि	औसत निपटान समय (दिन)	निपटाये गये दावों की संख्या	अदा की गई राशि

*'पहला वर्ष' से सर्वाधिक हाल का समाप्त वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

टिप्पणियाँ :- (1) उत्पाद/खंड:- विनियमों में यथानिर्धारित।

उत्पाद/खंड ⁽¹⁾	चौथा वर्ष			पाँचवाँ वर्ष			
	औसत निपटान समय (दिन)	निपटाये गये दावों की संख्या	अदा की गई राशि	औसत निपटान समय (दिन)	निपटाये गये दावों की संख्या	अदा की गई राशि	औसत निपटान समय (दिन)

अनुबंध VIII – भुगतानों की अनुसूची जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हों जिनमें बीमाकर्ताओं के निदेशक हितबद्ध हैं (सभी बीमाकर्ताओं के लिए)

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	निदेशक का नाम, पदनाम सहित	संस्था जिसमें निदेशक हितबद्ध है	किस रूप में हितबद्ध है	किन प्रयोजनों के लिए लेनदेन/ भुगतान किये गये उनका विवरण	वर्ष के दौरान	पिछले वर्ष के दौरान

अनुबंध – IX – समाप्त पालिसियों के लिए निधि से संबंधित प्रकटीकरण (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू)

(राशि लाख रु. में)

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		उप- जोड़	कुल	उप- जोड़	कुल
	समाप्त पालिसियों के लिए निधि				
	समाप्त पालिसियों के लिए निधियों का प्रारंभिक शेष				
जोड़ें :	वर्ष के दौरान समाप्त पालिसियों की निधि				
घटाएँ:	वर्ष के दौरान पुनःप्रवर्तित पालिसियों की निधि				
जोड़ें:	निधि के निवेश पर निवल आय/अभिलाभ				
घटाएँ:	लगाये गये निधि प्रबंधन प्रभार				
घटाएँ:	वर्ष के दौरान पालिसीधारकों को लौटाई गई राशि				
	समाप्त पालिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष				
	अन्य प्रकटीकरण				
	वर्ष के दौरान समाप्त की गई पालिसियों की संख्या				
	वर्ष के दौरान कुल पालिसियों की तुलना में समाप्त पालिसियों का प्रतिशत (उत्पाद-वार)				
	वर्ष के दौरान पुनःप्रवर्तित पालिसियों की संख्या				
	वर्ष के दौरान (समाप्त पालिसियों की तुलना में) पुनःप्रवर्तित पालिसियों का प्रतिशत				
	समाप्त पालिसियों के कारण लगाये गये प्रभार				

	पालिसियों के पुनःप्रवर्तन के कारण पुनः समायोजित प्रभार			
--	--	--	--	--

अनुबंध X - (बीमाकर्ता) की नियंत्रित निधि दर्शानेवाला विवरण (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू)

(राशि लाख रु. में)

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	तुलन-पत्र के अनुसार नियंत्रित निधि की गणना		
	पालिसीधारकों की निधि (जीवन निधि)		
	सहभागी		
	वैयक्तिक बीमा		
	वैयक्तिक पेंशन		
	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	लाभरहित		
	वैयक्तिक बीमा		
	सामूहिक बीमा		
	वैयक्तिक वार्षिकी		
	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	संबद्ध		
	वैयक्तिक बीमा		
	सामूहिक बीमा		
	वैयक्तिक पेंशन		
	सामूहिक अधिवर्षिता		
	सामूहिक उपदान (ग्रैट्युटी)		
	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	भावी विनियोजनों के लिए निधियाँ		
	कुल (क)		
	शेयरधारकों की निधि		
	प्रदत्त पूँजी		
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष		
	उचित मूल्य परिवर्तन		
	कुल (ख)		
	अपलिखित न किये गये विविध व्यय		
	लाभ और हानि लेखे में जमा/ (नामे)		
	कुल (ग)		

	कुल शेयरधारकों की निधियाँ (ख+ग)	
	उधार राशियाँ (घ)	
	नियंत्रित निधि (कुल (क+ख+ग+घ)	
2	राजस्व तथा लाभ और हानि लेखे से नियंत्रित निधि का समाधान	
	नियंत्रित निधि का प्रारंभिक शेष	
	जोड़ें : अंतर्वाह	
	आय	
	प्रीमियम आय	
	घटाएँ : अध्यर्पित पुनर्बीमा	
	निवल प्रीमियम	
	निवेश आय	
	अन्य आय	
	शेयरधारकों के खातों से अंतरित निधियाँ	
	कुल आय	
	घटाएँ : व्यय	
	(i) प्रदत्त लाभ (निवल)	
	(ii) प्रदत्त अंतरिम बोनस	
	(iii) देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन	
	(iv) कमीशन	
	(v) परिचालन व्यय	
	(vi) कराधान के लिए प्रावधान	
	कुल व्यय	
	पालिसीधारकों की निधि का अधिशेष	
	घटाएँ : शेयरधारकों के खाते में अंतरित	
	पालिसीधारकों के खाते में निवल प्रवाह	
	जोड़ें : शेयरधारकों की निधि में निवल आय	
	निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह	
	जोड़ें : मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	
	जोड़ें : प्रदत्त पूँजी में वृद्धि	
	जोड़ें/घटाएँ : उधार राशियों में वृद्धि/कमी	
	जोड़ें/घटाएँ : आरक्षित निधियों और अधिशेष (लाभ और हानि लेखे में उतार-चढ़ाव को छोड़कर अन्य) में वृद्धि/कमी	
	नकदी प्रवाह के अनुसार नियंत्रित निधि का अंतिम शेष	

	जोड़े/घटाएँ : जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाता		
	नियंत्रित निधि का अंतिम शेष		
	तुलन-पत्र के अनुसार		
	अंतर, यदि कोई हो		
3	शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधि के साथ समाधान		
	पालिसीधारकों की निधियाँ		
3.1	पालिसीधारकों की निधियाँ – पारंपरिक-सममूल्य और सममूल्येतर		
	पालिसीधारकों की निधि का प्रारंभिक शेष		
	जोड़े : राजस्व लेखे का अधिशेष		
	जोड़े/घटाएँ : शेयरधारकों के खाते से/में अंतरित राशि		
	जोड़े : मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन		
	कुल		
	जोड़े/घटाएँ : जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाता		
	कुल		
	तुलन-पत्र के अनुसार		
	अंतर, यदि कोई हो		
3.2	पालिसीधारकों की निधियाँ - संबद्ध		
	पालिसीधारकों की निधि का प्रारंभिक शेष		
	जोड़े : राजस्व लेखे का अधिशेष		
	जोड़े/घटाएँ : शेयरधारकों के खाते से/में अंतरित राशि		
	जोड़े : मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन		
	कुल		
	तुलन-पत्र के अनुसार		
	अंतर, यदि कोई हो		
3.3	उधार राशियाँ		
	उधार राशियों का प्रारंभिक शेष		
	जोड़े/घटाएँ : उधार राशियों में वृद्धि/कमी		
	कमी		
	तुलन-पत्र के अनुसार		
	अंतर, यदि कोई हो		

3.4	शेयरधारकों की निधियाँ		
	शेयरधारकों की निधि का प्रारंभिक शेष		
	जोड़े : शेयरधारकों के खाते (लाभ-हानि लेखे) की निवल आय		
	जोड़े : पूँजी की वृद्धि		
	जोड़े : आरक्षित निधियों और अधिशेष (लाभ और हानि में उतार-चढ़ाव को छोड़कर अन्य) में वृद्धि		
	जोड़े/घटाएँ : पालिसीधारकों के खाते से/में अंतरित राशि		
	शेयरधारकों की निधि का अंतिम शेष		
	जोड़े/घटाएँ : जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाता		
	शेयरधारकों की निधि का अंतिम शेष		
	तुलन-पत्र के अनुसार		
	अंतर, यदि कोई हो		

अनुबंध XI - यूलिप व्यवसाय के लिए प्रकटीकरण (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू)

निधि का कार्यनिष्ठादान (समग्र वृद्धि %)

निधि का नाम	प्रारंभ का वर्ष	वर्ष			प्रारंभ से
		चालू वर्ष (X)	(X-1)	(X-2)	

टिप्पणियाँ :

1. निवेश प्रबंध
 - क. बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलाप
 - ख. पालिसीधारकों के खाते में प्रभारित विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रदत्त शुल्क
 - ग. शुल्क के भुगतान के लिए आधार
2. संबंधित पक्षकारों से संबंधित लेनदेन – विवरण निधि-वार प्रस्तुत किया जाए
 - क. संबंधित पक्षकारों को/से अदा की गई दलाली, अभिरक्षक शुल्क या कोई अन्य भुगतान तथा प्राप्तियाँ (एएस 18 में यथापरिभाषित)
 - ख. प्रवर्तक समूह में धारित निवेशों का कंपनी-वार विवरण, प्रबंधनाधीन निधियों में से उसके प्रतिशत के साथ। यह सूचना निधि-वार दी जानी चाहिए तथा यूलिपों के अंतर्गत कुल निधियों के लिए भी दी जानी चाहिए।
3. निवेशों का उद्योग-वार प्रकटीकरण (10% और उससे अधिक एक्सपोज़र से युक्त) जो स्क्रिप स्तर पर वियोजित किये गये हों। उद्योगों में निवेश जहाँ एक्सपोज़र 10% से कम है, शीर्ष “अन्य” के अंतर्गत समूहित किये जाने चाहिए। यह अपेक्षित है कि ऐसे प्रकटीकरण (i) रु. लाख की राशि में तथा (ii) संबंधित निधियों के प्रतिशत में किये जाएँ।
4. यूनिटों के अदावी प्रतिदान

5. एनएवी: उच्चतम, निम्नतम और वर्ष के अंत में विद्यमान
6. निधि में प्रभारित व्यय (%)
क. निधि की औसत दैनिक आस्तियों की तुलना में वार्षिकीकृत व्यय अनुपात
7. औसत दैनिक निवल आस्तियों की तुलना में सकल आय का अनुपात (प्राप्त न किये गये अभिलाभों सहित)
8. संबंधित निधि की आस्तियों पर संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान
9. वर्ग-वार वियोजित निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि और/या मूल्यहास का निधि-वार प्रकटीकरण

लेखों की तैयारी के संबंध में अनुदेश:

1. वित्तीय विवरणों में दोनों निवेश और जोखिम प्रीमियम का व्यवहार
क. जोखिम प्रीमियम और निवेश प्रीमियम आय का भाग बनेंगे तथा इनका प्रकटीकरण राजस्व लेखे में किया जाना चाहिए।
2. वित्तीय विवरणों में प्रदत्त लाभों का व्यवहार
क. भुगतान किये गये सभी लाभ राजस्व लेखे में शीर्ष “प्रदत्त लाभ” के अंतर्गत दर्शाये जाने चाहिए। लाभों का कोई भी भाग सीधे निधि से नहीं घटाया जाना चाहिए।
3. प्राप्त न किये गये अभिलाभों का व्यवहार: दोनों राजस्व लेखा और तुलन-पत्र में
क. यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के संबंध में अप्राप्त अभिलाभ राजस्व लेखे में जमा किये जाएँगे
ख. तुलन-पत्र में प्रकटीकरण निम्नानुसार किया जाना चाहिए:
संबद्ध देयताएँ XXX
उचित मूल्य परिवर्तन XXX

कुल संबद्ध देयता XXX

यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के संबंध में चालू आस्तियाँ और देयताएँ अनुसूची 8ख, अर्थात् संबद्ध देयताओं को कवर करने के लिए धारित आस्तियों का भाग बनेंगी

फार्म ए-बीएस (यूएल)			
बीमाकर्ता का नाम:			
पंजीकरण संख्या:			
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख:			
31 मार्च _____ की स्थिति के अनुसार निधि तुलन-पत्र			
(लाख रु. में)			
विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निधियों के स्रोत			
पालिसीधारकों की निधियाँ :			
पालसीधारकों का अंशदान	एफ-1		

राजस्व लेखा			
कुल			
निधियों का उपयोग			
निवेश	एफ-2		
चालू आस्तियाँ	एफ-3		
घटाएँ : चालू देयताएँ और प्रावधान	एफ-4		
निवल चालू आस्तियाँ			
कुल			

निवल आस्ति मूल्य प्रति यूनिट:

- (क) तुलन-पत्र के अनुसार निवल आस्ति (कुल आस्तियों में से चालू देयताएँ और प्रावधान घटाकर)
- (ख) बकाया यूनिटों की संख्या
- (ग) एनएवी प्रति यूनिट (क)/(ख) (रु.)

फार्म ए-आरए(यूएल)			
बीमाकर्ता का नाम:			
पंजीकरण संख्या:			
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख:			
31 मार्च _____ को समाप्त वर्ष के लिए निधि राजस्व लेखा			
(लाख रु. में)			
विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेशों से आय			
निवेश आय			
लाभांश आय			
निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि			
अंतर निधि अंतरण/ निवेश की बिक्री पर लाभ/ हानि			
विविध आय			
अप्राप्त अभिलाभ/हानि*			
कुल (क)			
निधि प्रबंध व्यय			
निधि संचालन व्यय			

अन्य प्रभार	एफ-5		
कुल (ख)			
वर्ष के लिए निवल आय (क-ख)			
जोड़ें : वर्ष के प्रारंभ में निधि राजस्व लेखा			
वर्ष के अंत में निधि राजस्व लेखा			

*निवेशों के मार्क टू मार्केट मूल्य में निवल परिवर्तन

निधि राजस्व लेखे की अनुसूचियाँ		
बीमाकर्ता का नाम		
पंजीकरण संख्या		
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख		
अनुसूची: एफ-1		
पालिसीधारकों का अंशदान		
		(लाख रु. में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष		
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन*		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ*		
अंतिम शेष		
*परिवर्धन यूनिटों के निर्माण को निरूपित करते हैं और कटौतियाँ यूनिटों के निरसनों को निरूपित करती हैं।		

निधि राजस्व लेखे की अनुसूचियाँ		
बीमाकर्ता का नाम		
पंजीकरण संख्या		
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख		
अनुसूची: एफ-2		
निवेश		
		(लाख रु. में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुमोदित निवेश		

सरकारी बांड		
कारपोरेट बांड		
बुनियादी संरचना बांड		
ईकिटी		
मुद्रा बाजार		
म्युचुअल फंड		
कुल		
अन्य निवेश		
कारपोरेट बांड		
बुनियादी संरचना बांड		
ईकिटी		
मुद्रा बाजार		
म्युचुअल फंड		
कुल		
कुल जोड़		
कुल में से अनुमोदित निवेशों का %		
कुल में से अन्य निवेशों का %		
अनुसूची: एफ-3		
चालू आस्तियाँ	(लाख रु. में)	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उपचित ब्याज		
नकदी और बैंक शेष		
प्राप्य लाभांश		
निवेशों की बिक्री के लिए प्राप्य राशि		
यूनिट संग्रहण खाता#		
अन्य चालू आस्तियाँ (निवेशों के लिए)		
कुल		
अनुसूची: एफ-4		
चालू देयताएँ	(लाख रु. में)	

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेशों की खरीद के लिए देय		
अन्य चालू देयताएँ		
यूनिट देय खाता#		
कुल		
यूलिप के अंतर्गत अन्य व्ययों का विश्लेषित विवरण		
अनुसूची: एफ-5		
अन्य व्यय*		
		(लाख रु. में)
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पालिसी प्रबंध प्रभार		
अभ्यर्पण प्रभार		
अंतरण (स्विचिंग) प्रभार		
मृत्यु-दर प्रभार		
राइडर प्रीमियम प्रभार		
आंशिक आहरण प्रभार		
विविध प्रभार		
कुल		

*कोई भी व्यय जो कुल व्ययों के 1% से अधिक है, एक अलग पंक्ति की मद के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए।

#अंतर निधि प्राप्त राशियों या देय राशियों, यदि कोई हों, को निरूपित करता है।

अनुबंध XII – अनुमान

क्रम सं.	खंड	(लाख रु. में)							
		अनुमान							
		वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.
1	अग्नि (फायर)								
2	मरीन								
3	मोटर								
4	स्वास्थ्य								
5	वैयक्तिक दुर्घटना								
6	इंजीनियरिंग								
7	विमानन								

8	कर्मकार प्रतिकर/नियोक्ता का दायित्व							
9	सार्वजनिक/उत्पाद संबंधी दायित्व							
10	अन्य							
11	जीवन बीमा							

क्रम सं.	खंड	वास्तविक							
		वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.
		प्रीमियम	दावे			व्यय			
1	अग्नि (फायर)								
2	मरीन								
3	मोटर								
4	स्वास्थ्य								
5	वैयक्तिक दुर्घटना								
6	इंजीनियरिंग								
7	विमानन								
8	कर्मकार प्रतिकर / नियोक्ता का दायित्व								
9	सार्वजनिक / उत्पाद संबंधी दायित्व								
10	अन्य								
11	जीवन बीमा								

क्रम सं.	खंड	विभिन्नता (%)							
		वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.	वि.व.
		प्रीमियम	दावे			व्यय			
1	अग्नि (फायर)								
2	मरीन								
3	मोटर								
4	स्वास्थ्य								
5	वैयक्तिक दुर्घटना								
6	इंजीनियरिंग								
7	विमानन								
8	कर्मकार प्रतिकर/नियोक्ता का दायित्व								
9	सार्वजनिक/उत्पाद संबंधी दायित्व								

10	अन्य							
11	जीवन बीमा							

टिप्पणी:

- तीन वर्ष का डेटा प्रस्तुत किया जाएगा, चालू वर्ष के लिए और पिछले दो वर्षों के लिए।
- प्रीमियम 'स्वीकृत पुनर्बीमा' पर प्रीमियम' को निरूपित करता है।
- व्यय 'कमीशन' और 'परिचालन व्यय' को निरूपित करता है।
- कुल प्रीमियम के 10% से अधिक अंशदान करनेवाले किसी भी अन्य उप-खंड को अलग से दर्शाया जाएगा।
- यदि आवश्यक हो तो खंड 'अन्य' के अंतर्गत अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ी जाएँ।

अनुबंध XIII – जीवन बीमाकर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू परिभाषाएँ

- सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम** – सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वह प्रीमियम है जो लेखांकन वर्ष से संबंधित बीमाकृत व्यक्तियों/पालिसीधारकों से प्रत्यक्ष रूप से दर्ज किया जाता है, जिसमें उस पर लागू माल और सेवा कर का तत्व तथा अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम शामिल नहीं है।
- अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम** – अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम वह प्रीमियम है जहाँ जोखिम के प्रारंभ की अवधि लेखांकन अवधि के बाहर है तथा जिसे चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
- सकल अंकित प्रीमियम** – सकल अंकित प्रीमियम लेखांकन अवधि के दौरान स्वीकृत सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और आवक पुनर्बीमा प्रीमियम (स्वीकृत पुनर्बीमाओं पर प्रीमियम) है।
- निवल प्रीमियम (निवल अंकित प्रीमियम/ निवल प्रतिधारित प्रीमियम के रूप में भी उल्लिखित)** – यह शब्द लेखांकन अवधि के दौरान अध्यर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम (सभी प्रकार के पुनर्बीमाओं पर विचार करने के बाद बीमाकर्ता का प्रतिधारण) को घटाकर सकल अंकित प्रीमियम को निरूपित करता है।
- निवल अर्जित प्रीमियम** – किसी निश्चित लेखांकन अवधि में अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) में उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन के बाद निवल प्रीमियम।
- असमाप्त जोखिमों (यूआरआर) के लिए आरक्षित निधियाँ** – असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधियों से असमाप्त जोखिमों के लिए देयताओं के संबंध में तथा अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) और प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) के कुल जोड़ के रूप में निर्धारित आरक्षित निधियाँ अभिप्रेत हैं।
- सकल उपगत दावे** – प्रदत्त सकल दावों एवं सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर (उपगत परंतु सूचित न किये गये/उपगत परंतु पर्याप्त सूचित न किये गये) सहित बकाया दावों में सकल उतार-चढ़ाव का जोड़। इसमें दोनों प्रत्यक्ष और स्वीकृत पुनर्बीमा से संबंधित दावे शामिल हैं।
सकल उपगत दावे = प्रदत्त सकल दावे (दोनों प्रत्यक्ष और स्वीकृत पुनर्बीमा) + उक्त अवधि के अंत में बकाया सकल दावे (दोनों प्रत्यक्ष और स्वीकृत पुनर्बीमा) – उक्त अवधि के प्रारंभ में बकाया सकल दावे (दोनों प्रत्यक्ष और स्वीकृत पुनर्बीमा)। बकाया सकल दावों में सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर शामिल हैं।
- निवल उपगत दावे** – पुनर्बीमाकर्ताओं से दावों की वसूली के लिए लेखांकन के बाद निवल दावे। इनमें दोनों प्रत्यक्ष और स्वीकृत पुनर्बीमा से संबंधित निवल दावे भी शामिल हैं।

निवल उपगत दावे = प्रदत्त निवल दावे + उक्त अवधि के अंत में बकाया निवल दावे – उक्त अवधि के प्रारंभ में बकाया निवल दावे। निवल बकाया दावों में निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर शामिल हैं।

निवल दावे = दावों की पुनर्बीमा वसूलियों को घटाकर सकल दावे

अध्याय 3 – निवेश कार्य

सामान्य दिशानिर्देश

बीमाकर्ता अपने निवेश कार्य आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची III, बीमा अधिनियम, 1938 तथा उनके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों/परिपत्रों के उपबंधों के अनुरूप संचालित करेंगे।

इस परिपत्र में शब्द “खंड” से आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (इसमें इसके बाद “विनियम” के रूप में उल्लिखित) की अनुसूची III के अंतर्गत उल्लिखित खंड अभिप्रेत हैं, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता।

- i. बीमाकर्ता विनियमों के खंड 12(2) के अनुरूप निवेश नीति लागू करेंगे।
- ii. निवेश के संबंध में उचित जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ विद्यमान होंगी।
- iii. बीमाकर्ता अपने परिचालनों के मान के अनुरूप एक समर्पित ईकिटी अनुसंधान विभाग स्थापित करने के द्वारा ईकिटी अनुसंधान में पर्याप्त विशेषज्ञता निर्मित करेंगे।
- iv. बीमाकर्ता सुदृढ़ आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणालियाँ सुनिश्चित करेंगे जिनमें जारीकर्ताओं/निर्गमों के रेटिंग अंतरण (माइग्रेशन) की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति का नियमित रूप से (तिमाही या छमाही) पता लगाने की एक प्रणाली का निर्माण भी शामिल होगा।
- v. बीमाकर्ता प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में लेनदेनों का निपटान संबंधित विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे।
- vi. जब किसी प्रतिभूति की रेटिंग दो रेटिंग एजेंसियों के द्वारा निर्धारित की जाती है, तब उक्त प्रतिभूति को “अनुमोदित” या “अन्य निवेश” के रूप में निर्धारित करने के लिए दोनों में से निम्नतम रेटिंग को मानना होगा। जब किसी प्रतिभूति की रेटिंग तीन रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दी जाती है तब उक्त प्रतिभूति को “अनुमोदित” या “अन्य निवेश” के रूप में निर्धारित करने के लिए दूसरी निम्नतम रेटिंग को मानना होगा।
- vii. विवरणियाँ फाइल करने के लिए प्रधान अधिकारी बीमाकर्ता का सीईओ होगा।
- viii. निवेश श्रेणी कूट और मूल्यांकन कार्यपद्धति
 - i. श्रेणी कूटों की व्यापक सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।
 - ii. निवेश श्रेणियों के लिए मूल्यांकन कार्यपद्धति **अनुबंध-2** में दी गई है।

खंड - I: निवेशों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू शर्तें

1.1 ईकिटी

क. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से ईकिटी शेयरों में निवेश

विक्रय के लिए प्रस्ताव सहित, आईपीओ के माध्यम से प्रस्तावित ईकिटी शेयर, जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, “अनुमोदित निवेश” का भाग होंगे।

1. ईकिटी शेयर आईपीओ के माध्यम से “सूचीबद्ध” किये जा रहे हैं।
2. आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करनेवाली कंपनी अच्छे कार्यनिष्ठादन के रिकार्ड से युक्त वित्तीय रूप से सुदृढ़ समूह की होगी जिसके लिए बीमाकर्ता का बोर्ड मानदंड निर्धारित करेगा।
3. आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करनेवाली मूल कंपनी के ‘विलगाव’ (डी-मर्जर) से बनी हुई निवेशिती कंपनियों के मामले में, उपर्युक्त और लाभांश रिकार्ड सहित, कंपनी के कार्यनिष्ठादन का पिछला रिकार्ड, विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में लाभांश मानदंडों को “असूचीबद्ध” कंपनी के रूप में पूरा करता है, कार्यनिष्ठादन का उक्त पिछला रिकार्ड मूल कंपनी के संदर्भ में लागू होगा।
4. ईकिटी शेयरों में निवेश के लिए, विनियमों में निर्धारित रूप में विवेकपूर्ण और एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए तथा “सक्रिय रूप से व्यापारित” और “तरल लिखत” शर्तें सूचीबद्धता की तारीख से 3 महीने के अंदर पूरी की जानी चाहिए। (सक्रिय रूप से व्यापारित प्रतिभूतियाँ वे प्रतिभूतियाँ हैं जो सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में अत्यल्प मात्रा में व्यापारित रूप में वर्गीकृत नहीं हैं)
5. आईपीओएस में किया गया कोई भी निवेश, जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करता, “अन्य निवेश” के अंतर्गत आता है।

ख. आईपीओ में निवेश के लिए सीमा

बोली की अधिकतम राशि (न कि मार्जिन राशि) जो आईपीओ में निवेश की जाएगी, निम्नलिखित में से न्यूनतम होगी:

1. निवेशिती कंपनी की अभिदृत पूँजी (अंकित मूल्य) का 10% (आईपीओ के माध्यम से प्रस्तावित ईकिटी निर्गम सहित) अथवा
2. जीवन बीमाकर्ता की ‘निधि’ का 10% (निधि प्रबंधन के अंतर्गत सभी निवेशों को एकसाथ लेते हुए निरूपित करेगी) अथवा साधारण बीमाकर्ता की निवेश आस्तियों का 10%, जैसी स्थिति हो।

ग. विलगाव (डीमर्जर) से बनी हुई निवेशिती कंपनी के निवेशों का वर्गीकरण।

विलग हुई (डीमर्जर) कंपनी के लिए लागू विनियमों में निर्धारित रूप में लाभांश मानदंडों की गणना प्रारंभिक तीन वित्तीय वर्षों के लिए “अनुमोदित” या “अन्य निवेश” के रूप में “परिणामी निवेशिती कंपनी(कंपनियों) में ईकिटी शेयरों और अधिमानी शेयरों में निवेश के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

घ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने (एसएलबी) का ढाँचा

बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित के अधीन प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने (एसएलबी) की योजना में सहभागिता करने के लिए अनुमति दी जाती है:

1. उक्त एसएलबी का ढाँचा समय-समय पर यथासंशोधित सेबी परिपत्र सं. एमआरडी/डीओपी/एसई/डीईपी/सीआईआर-14/2007 दिनांक 20 दिसंबर 2007 द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। बीमाकर्ताओं को केवल ईकिटियों में एसएलबी ढाँचे के माध्यम से उधार देने की अनुमति है।
2. एसएलबी करते समय बीमाकर्ता को सेबी और शेयर बाजार द्वारा निर्धारित ग्राहक स्तरीय और सहभागी स्तरीय स्थिति सीमाओं का पालन करना चाहिए। बीमाकर्ता उस विशिष्ट निधि(यों) के “स्क्रिप्टों” की मात्रा के 10% से अधिक सीमा तक ही प्रतिभूतियाँ उधार दे सकता है। इन निर्धारित सीमाओं का पालन उधार देते समय किया जाएगा।
3. एसएलबी में उधार दी गई प्रतिभूतियों को ऐसी प्रतिभूतियों पर ऋण-भार, प्रभार, दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकार निर्मित करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

1.2 सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में रेपो, प्रतिवर्ती रेपो

बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन कर सकते हैं :

1. जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, किसी भी समय कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में **प्रतिवर्ती रेपो** लेनदेनों में एक्सपोज़र सभी निधियों को एकसाथ लेते हुए 10% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, वैयक्तिक वियोजित निधि स्तर [एसएफआईएन] पर, उक्त एक्सपोज़र ऐसी निधि के आकार [एसएफआईएन] के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में, दोनों सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांड प्रतिभूतियों (एकसाथ लेते हुए) में प्रतिवर्ती रेपो और रेपो लेनदेनों के प्रति एक्सपोज़र बीमाकर्ता की निवेश आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा।
3. सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन टीआरईपीएस लेनदेनों के समतुल्य माना जाएगा तथा ऊपर बिन्दु 1 और 2 में उल्लिखित 10% निवेश सीमा सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन के लिए लागू नहीं होगी।
4. प्रतिवर्ती रेपो लेनदेनों का परिपक्ता काल (टेनर) छह महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। ऐसा रेपो लेनदेन करते समय, निवेश समिति का **पूर्व अनुमोदन अधिदेशात्मक** (मैंडेटरी) है।
5. अंतर्निहित कारपोरेट कर्ज प्रतिभूति सूचीबद्ध की जाएगी और उसकी रेटिंग एए या उसके समकक्ष से कम नहीं होगी।
6. बीमाकर्ता और उसके प्रवर्तक समूह की संस्थाओं के बीच कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में कोई भी प्रतिवर्ती रेपो/रेपो लेनदेन **नहीं** किये जाएंगे।
7. प्रतिवर्ती रेपो में संपार्श्विक के रूप में धारित प्रतिभूतियाँ विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एक्सपोज़र परिकलनों का भाग नहीं बनेंगी। प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन में एक्सपोज़र प्रतिपक्षकार पर होगा।
8. किसी भी समय ये लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों में विनिर्दिष्ट स्वरूप का अनुपालन करेंगे तथा उनके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करेंगे।

१.३ म्युचुअल फंड (विनियम व्यापारित निधियों – ईटीएफएस सहित)

क. ईक्टिटी विनियम व्यापारित निधियों में निवेश

बीमाकर्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन म्युचुअल फंड एक्सपोज़र के भाग के रूप में ईक्टिटी ईटीएफएस में निवेश कर सकते हैं:

१. म्युचुअल फंडों की केवल निष्क्रिय रूप से प्रबंधित (पैसिवली मैनेज़) योजनाएँ ही पात्र हैं, जो सेबी के पास पंजीकृत हैं और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 द्वारा नियंत्रित हैं। इन योजनाओं के लिए न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) निर्धारित किये जाने चाहिए और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचकांक के आधार पर इनका पता लगाया जाना चाहिए।
२. कुल व्यय अनुपात ०.५०% से अधिक नहीं होगा।
३. “अनुमोदित निवेश” के भाग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए विनियमों के अनुसार लाभांश वितरण मानदंडों के संबंध में ईक्टिटी समुदाय में कम से कम ८५% प्रतिभूतियाँ अनुपालनकर्ता होंगी।
४. बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा २७ई के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा केवल उन्हीं ईटीएफएस में निवेश करें जो देशी ईक्टिटियों में निवेश करती हैं।
५. ये लिखत कम से कम एक ऐसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किये जाएँगे जिनके राष्ट्रव्यापी संबद्धता के टर्मिनल हों।
६. यदि बिन्दु सं. ३ के अंतर्गत उल्लिखित लाभांश मानदंड ईटीएफ द्वारा पूरे नहीं किये जाते, तो ऐसे निवेश को स्वयमेव “अन्य निवेश” श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।
७. ये निवेश बीमाकर्ताओं द्वारा म्युचुअल फंडों में निवेश के लिए लागू एक्सपोज़र मानदंडों के द्वारा नियंत्रित किये जाएँगे।
८. ईटीएफ के माध्यम से शेयरों में एक्सपोज़र की गणना समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों में विनिर्दिष्ट वैयक्तिक शेयरों के लिए निर्धारित समग्र एक्सपोज़र मानदंडों के लिए नहीं की जाएगी।

ख. श्रेष्ठ (गिल्ट) विनियम व्यापारित निधियों (जीआईएलटी-ईटीएफ) में निवेश

बीमाकर्ता “अनुमोदित निवेश” के भाग के रूप में गिल्ट-ईटीएफ का निवेश कर सकते हैं जो गिल्ट/जी.सेक/तरल श्रेणियों के अंतर्गत म्युचुअल फंडों में निवेश के लिए तथा म्युचुअल फंड एक्सपोज़र के भाग के रूप में निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हैं।

१. उक्त गिल्ट-ईटीएफएस समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 के अधीन पंजीकृत म्युचुअल फंडों के द्वारा जारी की जाएँगी और प्रबंधित की जाएँगी।
२. उक्त गिल्ट-ईटीएफएस का उद्देश्य बाजार में सक्रिय रूप से व्यापारित सरकारी प्रतिभूतियों के समुदाय में अथवा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचकांक के घटकों में निवेश करना है।
३. बीमाकर्ता के द्वारा न्यूनतम निवेश, निर्माण यूनिट आकार से कम नहीं होगा तथा किसी भी समय निर्माण यूनिट आकार और निर्माण यूनिट आकार मूल्य से नीचे घटाया नहीं जाएगा। निवेश के समय ऐसा निवेश रु. ५० लाख से अधिक नहीं होगा।
४. समग्र व्यय अनुपात ०.५०% से अधिक नहीं होगा।

5. बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा सुनिश्चित करें कि गिल्ट-ईटीएफएस केवल देशी सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश करें।
6. गिल्ट-ईटीएफएस को गिल्ट/जी-सेक म्युचुअल फंडों के समतुल्य माना जाएगा तथा “बीमाकर्ताओं के द्वारा म्युचुअल फंडों (एमएफएस) में निवेश“ के लिए लागू एक्सपोज़र मानदंडों का पालन किया जाएगा।

ग. म्युचुअल फंड में निवेश

1. गिल्ट, जी. सेक और तरल म्युचुअल फंड नीचे सूचीबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार ‘अनुमोदित निवेश’ का भाग बनेंगे। अतः उन म्युचुअल फंडों सहित जो सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखितों में अंशतः निवेश करती हैं, कर्ज और आय म्युचुअल फंडों में किया गया कोई भी निवेश ‘अन्य निवेश’ के अंतर्गत आता है, जो फिर नीचे उल्लिखित मानदंडों के साथ, समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा।
2. उक्त निवेश तरल निधियों, गिल्ट, जी सेक या कर्ज से युक्त म्युचुअल फंडों की योजनाओं तक सीमित होगा तथा यह निम्नलिखित मानदंडों के द्वारा नियंत्रित होगा:
 - क. म्युचुअल फंड सेबी के पास पंजीकृत होनी चाहिए और सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए।
 - ख. गिल्ट/ जी सेक/ तरल म्युचुअल फंडों का अर्थ वही होगा जैसा कि सेबी विनियमों के अंतर्गत है।
 - ग. बीमाकर्ता निवेश नीति के भाग के रूप में जोखिम को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न म्युचुअल फंडों के बीच अपेक्षित विविधीकरण को कवर करेगा।
3. जहाँ म्युचुअल फंडों की योजनाओं, जिनमें निवेश किया जाता है, का प्रबंध एक निवेश प्रबंधक के द्वारा किया जाता है जो बीमाकर्ता या उसके प्रवर्तक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रबंध अथवा नियंत्रण में है, वहाँ वह जीवन बीमाकर्ता के मामले में जीवन निधि, पेंशन, वार्षिकी और समूह निधियों के 3% और यूनिट सहबद्ध निधि के 5% से अधिक नहीं होगा तथा साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में निवेश आस्तियों के 5% से अधिक नहीं होंगा।
4. किसी भी समय गिल्ट / जी सेक / तरल / कर्ज / आय म्युचुअल फंडों (सबको एकसाथ लेते हुए) निवेश निम्नानुसार होगा:

विनियमों की अनुसूची III के खंड 8 के अनुसार निवेश आस्तियाँ	निवेश आस्तियों का प्रतिशत
रु. 50,000 करोड़ से कम	10%
रु. 50,000 करोड़ से अधिक और रु. 250000 करोड़ से कम	7%
रु. 250000 करोड़ से अधिक	5%

5. जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में उपर्युक्त सीमाएँ समग्र स्तर पर लागू होंगी तथा एसएफआईएन स्तर पर अधिकतम एक्सपोज़र 15% से अधिक नहीं होगा।
6. किसी भी समय पर, किसी एकल म्युचुअल फंड में निवेश म्युचुअल फंडों में (सबको एकसाथ लेते हुए) 20% से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक निधि के लिए 20% की प्रारंभिक सीमा में विनिमय व्यापारित निधियों (ईटीएफएस) में

निवेश शामिल हैं। किसी एकल म्युचुअल फंड में 20% की प्रारंभिक सीमा में निष्क्रिय (पैसिव) उल्लंघन, उल्लंघन के 30 दिन के अंदर सुधारे जाएँगे।

घ. अंतर्निहित के रूप में सीपीएसई बांडों के साथ कर्ज ईटीएफएस में निवेश

केन्द्र सरकारी क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस) [यहाँ इसमें इसके बाद कर्ज ईटीएफएस के रूप में उल्लिखित] की अंतर्निहित कर्ज प्रतिभूतियों से युक्त कर्ज ईटीएफएस निवेश की पात्र श्रेणी हैं, तथा “म्युचुअल फंड” एक्सपोज़र के भाग के रूप में हैं।

इस पैरा 1.3 के अंतर्गत कवर की गई म्युचुअल फंडों में निवेशों के लिए लागू सभी एक्सपोज़र और विवेकपूर्ण मानदंड निम्नलिखित शर्तों के अतिरिक्त, कर्ज ईटीएफएस में किये गये निवेश के लिए लागू होंगे:

1. उक्त कर्ज ईटीएफएस सेबी के पास पंजीकृत और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 द्वारा नियंत्रित म्युचुअल फंडों के द्वारा जारी की जाएँगी।
2. उक्त कर्ज ईटीएफ सीपीएसईएस द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के समुदाय में निवेश करेंगी जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचकांक के घटकों का भाग हैं।
3. बीमाकर्ता द्वारा न्यूनतम निवेश निर्माण यूनिट आकार से कम नहीं होगा तथा वह निर्माण यूनिट आकार से नीचे कम नहीं किया जाएगा।
4. सूचकांक में “सभी” प्रतिभूतियाँ विनियमों की अनुसूची III के खंड 2 के अनुसार रेटिंग मानदंड का अनुपालन करेंगी जिससे वह “अनुमोदित निवेश” के भाग के रूप में माना जाएगा। यदि कोई भी अंतर्निहित प्रतिभूति “एए” से नीचे की रेटिंग में डाउनग्रेड की जाती है, तो कर्ज ईटीएफ स्वयमेव “अन्य निवेश” के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत की जाएगी।

1.4 आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों, प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्रों (पीटीसीएस) और प्रतिभूति रसीदों (एसआरएस) में निवेश

1. बीमाकर्ताओं को आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्रों (पीटीसीएस) में अंतर्निहित आवास और / या बुनियादी संरचना आस्तियों [विनियमों में यथापरिभाषित] में निवेश करने के लिए अनुमति है।
2. आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) / प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्रों (पीटीसीएस) / अंतर्निहित आवास और/या बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त प्रतिभूति रसीदों (एसआरएस) में निवेश निम्नलिखित एक्सपोज़र और विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन “अनुमोदित निवेश” का भाग बनेंगे:
 - क. एबीएस/ पीटीसी/ एसआर को अवश्य सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए से अन्यून या समकक्ष रेटिंग दी जानी चाहिए।
 - ख. अंतर्निहित आवास और/या बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त एबीएस/पीटीसी/ एसआर में निवेश ‘हर समय’ जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में संबंधित निधि(यों) के 10% से अधिक नहीं होगा तथा साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में निवेश आस्तियों के 5% से अधिक नहीं होगा।
3. यदि अंतर्निहित आवास और/या बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त एबीएस/ पीटीसी/एसआर को एए से नीचे डाउनग्रेड किया जाता है तो ऐसे निवेश को स्वयमेव “अन्य निवेश” के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।

4. यदि ऐसे लिखत से नकदी-प्रवाह नियत तारीखों पर प्राप्त नहीं किये जाते, तो ऐसी आस्तियों में निवेश विनियमों के फार्म 3क (भाग क) / फार्म 3(ख) में रिपोर्टिंग के लिए ऐसी तारीख से स्वयमेव “अन्य निवेश” के रूप में पुनः वर्गीकृत किये जाएँगे।
5. दोनों अनुमोदित और अन्य निवेशों के अंतर्गत एकसाथ लेते हुए प्रतिभूतीकृत आस्तियों में निवेश जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में संबंधित निधि आकार के 10% से अधिक नहीं होंगे तथा साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में निवेश आस्तियों के 5% से अधिक नहीं होंगे।
6. बीमाकर्ता जोखिम प्रबंध के भाग के रूप में एबीएस, पीटीसीएस और एसआरएस में निवेश को विभिन्न निर्गमकर्ताओं और समयावधियों के बीच विभाजित करेगा।
7. प्राधिकरण द्वारा वर्गीकरण, आय निर्धारण, और आस्तियों के मूल्यांकन के सभी दिशानिर्देश इन निवेशों के लिए लागू होंगे।

1.5 वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश

1. श्रेणी I और II एआईएफ में निवेश (सेबी विनियमों के अंदर) को “अन्य निवेश” के भाग के रूप में अनुमति है। बीमाकर्ताओं को श्रेणी I एआईएफएस में निवेश करने के लिए अनुमति है जो सेबी एआईफ विनियमों में परिभाषित किये रूप में एक बुनियादी संरचना निधि, एसएमई निधि, उद्यम निधि और सामाजिक उद्यम निधि है। बीमाकर्ताओं को एक श्रेणी II एआईएफएस में निवेश करने के लिए अनुमति दी गई है जो समग्र रूप में न्यूनतम 51% का निवेश बुनियादी संरचना संस्थाओं या एसएमई संस्थाओं या उद्यम पूँजी उपक्रमों या सामाजिक उद्यम संस्थाओं में करते हैं।
2. भारत के बाहर निधियों के निवेश, प्रवर्तक समूह, उद्यम पूँजी निधियों में संयुक्त एक्सपोज़र सीमाएँ और अन्य निवेशों की श्रेणी के अंतर्गत एआईएफएस के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 और विनियमों के अंतर्गत सभी प्रतिबंधों का लागू होना जारी रहेगा।
3. बीमाकर्ताओं को एआईएफएस की ऐसी किसी योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो प्राथमिकता वितरण माडल से युक्त हो जिसमें ऐसी एआईएफएस ने एक वितरण के प्रपात को इस प्रकार से अपनाया हो जो इसी से संबंधित अन्य निवेशकों की तुलना में उनकी धारिता के समानुपातिक तौर पर से अधिक, हानियों की साझेदारी के लिए मार्ग प्रशस्त करे।
4. (क) ऐसे एआईएफएस में किसी निवेश की अनुमति नहीं है जो दैनंदिन परिचालन आवश्यकताएँ पूरी करने तथा सेबी (वैकल्पिक निवेश निधियाँ) विनियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत रूप में कार्य करने के बजाय अन्य प्रकार से उन्नयन या उधार लेते हैं।
 - (ख) बीमाकर्ता केवल निधियों की निधि (एफओएफ) में निवेश करेगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई की अपेक्षा का अनुपालन करेगा।
 - (ग) बीमाकर्ता एफओएफ द्वारा निष्पादित निधि प्रस्ताव दस्तावेजों में समुद्रपार कंपनियों/निधियों में निवेश करनेवाली एआईएफएस में निवेश करने से ऐसी एफओएफ को प्रतिबंधित करनेवाले खंड के द्वारा धारा 27ई का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
 - (घ) कोई भी बीमाकर्ता ऐसी एआईएफ में निवेश नहीं करेगा, जिसका फिर किसी ऐसी एफओएफ में एक्सपोज़र हो जिसमें बीमाकर्ता ने एक्सपोज़र लिया हो।

- (ङ) बीमाकर्ता तिमाही आधार पर उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में समवर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा तथा उसे तिमाही आवधिक विवरणियों के साथ फाइल करेगा।
5. बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ई के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए भारत के बाहर संस्थापित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश न करें।
 6. ऐसी वैकल्पिक निवेश निधि का प्रायोजक बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह से नहीं होना चाहिए। उक्त निधि का प्रबंध ऐसे निवेश प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमाकर्ता या उसके प्रवर्तकों के द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किया जाता हो।
 7. एआईएफ में निवेश और उद्यम निधियों में निवेश निम्नलिखित एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होगा:

बीमाकर्ता का प्रकार	वीएफएस और एआईएफएस में समग्र एक्सपोज़र (सभी को एकसाथ लेने पर)	एकल एआईएफ/उद्यम निधि में एक्सपोज़र
(क)	(ख)	(ग)
जीवन बीमाकर्ता	संबंधित निधि का 3%	एआईएफ / वीएफ आकार का 10% अथवा (ख)के अनुसार समग्र एक्सपोज़र का 20%, जो भी कम हो उपर्युक्त 10% सीमा को बुनियादी संरचना निधि के मामले में 20% के रूप में पढ़ा जाएगा
साधारण बीमाकर्ता	निवेश आस्तियों का 5%	एआईएफ / वीएफ आकार का 10% अथवा (ख)के अनुसार समग्र एक्सपोज़र का 20%, जो भी कम हो उपर्युक्त 10% सीमा को बुनियादी संरचना निधि के मामले में 20% के रूप में पढ़ा जाएगा

1.6 बैंकों के द्वारा जारी की गई कर्ज प्रतिभूतियाँ

क. बैंकों की टियर-1 पूँजी के स्थायी कर्ज लिखतों और उच्चतर टियर-II पूँजी के कर्ज लिखतों में निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने [मास्टर परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.57/21.01.002/2005- 2006 दिनांक 25 जनवरी 2006 के अनुसार] पूँजी पर्याप्तता मानदंडों में वृद्धि करने के लिए निम्नानुसार संकर लिखतों के निर्गम के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए बैंकों को अनुमति दी है:

- i. टियर 1 पूँजी के रूप में समावेश के लिए नवोन्मेष स्थायी कर्ज लिखत
- ii. उच्चतर टियर 2 पूँजी के रूप में समावेश के लिए पात्र कर्ज पूँजी लिखत
- iii. टियर 1 पूँजी के रूप में समावेश के लिए स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर; तथा
- iv. टियर 2 पूँजी के रूप में समावेश के लिए पात्र प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर

उपर्युक्त लिखत निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'अनुमोदित निवेश' का भाग होंगे:

1. निजी क्षेत्र में बैंकों द्वारा जारी किया गया कर्ज लिखत 'एए' से अन्यून रेटिंग से यूक्त होगा तथा सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा जारी किये गये कर्ज लिखत सेबी के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी द्वारा 'ए' से अन्यून रेटिंग से यूक्त होंगे।

2. बैंकों द्वारा जारी किये गये अधिमानी शेयर विनियमों के खंड 2(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेंगे।
3. विनियमों के खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट सभी एक्सपोज़र मानदंड बैंकों के द्वारा जारी किये गये इन संकर कर्ज लिखतों / अधिमानी शेयरों के लिए लागू होंगे।
4. जहाँ संकर कर्ज लिखत निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 'एएए' से नीचे (तथा सरकारी क्षेत्र बैंकों के मामले में ए से नीचे) डाउनग्रेड किया जाता है, वहाँ ऐसे निवेशों को 'अन्य निवेश' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा और विनियमों के फार्म 2 में सूचित किया जाएगा।
5. यदि लिखत पर ब्याज नियत तारीखों पर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो ऐसे संकर लिखतों में निवेश को ऐसी तारीख से स्वयमेव 'अन्य निवेश' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा तथा जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के संबंध में क्रमशः फार्म 3क (भाग क) या फार्म 3ख (भाग क) में सूचित किया जाएगा।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किये गये वर्गीकरण, आय निर्धारण और आस्तियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश इन लिखतों के लिए लागू होंगे।

ख. बासेल III के अंतर्गत बैंक के पूँजी लिखत - बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश

बीमाकर्ता नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन, विनियमों के अंतर्गत 'अनुमोदित निवेश' के भाग के रूप में बासेल III ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित टियर ॥ पूँजी के रूप में देशी बैंकों के द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित लिखतों में निवेश कर सकते हैं :

- i. कर्ज पूँजी लिखत (डीसीआई)
- ii. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)
- iii. प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)
1. बैंकों के द्वारा जारी किये गये कर्ज लिखत सेबी के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई 'एए' से अन्यून रेटिंग से युक्त होंगे।
2. जहाँ उक्त लिखत 'एए' से नीचे डाउनग्रेड किये जाते हैं, वहाँ ऐसे निवेश स्वयमेव 'अन्य निवेश' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किये जाएँगे।
3. बैंकों के द्वारा जारी किये गये अधिमानी शेयर विनियमों के खंड 2(1) में निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे।
4. यदि उक्त लिखत पर ब्याज नियत तारीख पर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो ऐसे लिखतों में निवेश स्वयमेव प्राधिकरण को सूचित करने की तारीख से 'अन्य निवेश' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
5. विनियमों के खंड 8 में निर्धारित सभी एक्सपोज़र मानदंड इन लिखतों/बैंकों के द्वारा जारी किये गये अधिमानी शेयरों के लिए लागू होंगे।
6. इन लिखतों में निवेश 'वित्तीय और बीमा कार्यकलाप' क्षेत्र (बीएफएसआई) के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाएँगे।

ग. बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड - बुनियादी संरचना और वहनीय आवास का वित्तपोषण

'बुनियादी संरचना और वहनीय आवास' का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों के द्वारा जारी किये गये दीर्घावधि बांडों में निवेशों की गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'बुनियादी संरचना और आवास क्षेत्र' में बीमाकर्ताओं के अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) निवेश के लिए की जाएगी:

- विनियमों के खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट सभी एक्सपोज़र मानदंडों अर्थात् एकल निवेशिती, समूह और उद्योग एक्सपोजरों आदि का लागू होना जारी रहेगा।
- ‘अनुमोदित निवेश’ के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम रेटिंग की अपेक्षाएँ वर्तमान निवेश विनियमों के अनुसार होंगे।

घ. “अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड” [एटी1 बांड] में निवेश

बीमाकर्ता अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड (एटी1 बांड) में निवेश कर सकते हैं जो निम्नलिखित के अनुरूप होंगे:

- एटी1 बांडों की रेटिंग निवेश के समय ‘एए’ से कम नहीं होगी।
- एटी1 बांडों के आईपीओएस के मामले में प्रस्ताव दस्तावेज कम से कम एक शेयर बाजार में सूचीबद्धता के लिए प्रावधान से युक्त होगा।
- एटी1 बांड “ईक्विटी” का भाग बनेंगे। किसी एक विशिष्ट बैंक में धारित एटी1 बांडों का कुल मूल्य किसी भी समय उस विशिष्ट बैंक के कुल बकाया एटी1 बांडों के 10% से अधिक नहीं होगा।
- निर्गमकर्ता बैंक के पूँजी संरक्षण बफ़र सहित, सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी) ऐसे बैंक के एटी1 बांडों में निवेश के समय 9.0% से अधिक होगी।
- क. निर्गमकर्ता बैंक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एटी1 बांडों सहित अपने कर्ज लिखतों पर किसी कूपन भुगतान को निरस्त/आस्थगित नहीं किया होना चाहिए।
- ख. निर्गमकर्ता बैंक पिछले दो वर्षों के लिए कर के बाद निवल लाभ सूचित किया होना चाहिए तथा नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार एक सकारात्मक संचित लाभ से युक्त होना चाहिए।
- ग. निर्गमकर्ता बैंक के लिए अपने नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में भारतीय रिझर्व बैंक (आरबीआई) रा अभिनिर्धारित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में कोई विचलन सूचित नहीं किया होना चाहिए।
- उस स्थिति में एटी1 बांडों में कोई निवेश नहीं किया जाएगा, जहाँ निर्गमकर्ता बैंक बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह में है या बीमाकर्ता का कारपोरेट एजेंट है।

1.7 सावरिन ग्रीन बांड (एजीआरबीएस) – श्रेणीकरण

बीमाकर्ताओं के बुनियादी संरचना निवेश संविभाग के वि-केन्द्रीकरण और विविधीकरण के उद्देश्य के साथ तथा परिवेशगत, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) पहलों में सहभागिता के परिप्रेक्ष्य से एवं धारणीय विकास में और परिवेश के अवक्रमण को रोकने में सक्रिय सहभागिता के लिए बीमाकर्ताओं को सावरिन ग्रीन बांडों में निवेश करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सावरिन ग्रीन बांडों में निवेश को “बुनियादी संरचना में निवेश” के रूप में माना जाएगा।

1.8 व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्स)

क. ब्याज दर व्युत्पन्नियों में एक्सपोज़र

वित्तीय व्युत्पन्नियों को विनियमों के खंड 13 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वानुमानित लेनदेनों के ब्याज दर जोखिम का “बचाव” (हेज़) करने के लिए अनुमति दी गई है। तदनुसार, बीमाकर्ता जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय हेतु पूर्वानुमानित लेनदेनों पर “बचाव” (हेज़) करने के लिए वायदा दर करार (एफआरएस), ब्याज-दर अदला-बदली (आईआरएस), विनिमय व्यापारित ब्याज-दर प्यूचर्स (आईआरएफ) कर सकते हैं।

यूलिप व्यवसाय के लिए ब्याज-दर व्युत्पन्नियों की अनुमति नहीं है

(क) बीमाकर्ताओं को अनुमति सीमा तक और इन दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नप्रकार के रूपये ब्याज-दर व्युत्पन्नियों के साथ उपयोगकर्ता के रूप में अनुमति दी गई है।

- i. वायदा दर करार (एफआरएस);
- ii. ब्याज-दर अदला-बदली (आईआरएस); और
- iii. विनिमय व्यापारित ब्याज-दर प्यूचर्स (आईआरएफ)

सहभागी विभिन्न प्रकार के बिलकुल सादा एफआरएस/आईआरएस कर सकते हैं। सुनिश्चित/ अंतर्निहित **आप्षान्स** की विशेषताओं से युक्त आईआरएस **निषिद्ध** है। यह ध्यान रखा जाए कि एफआरएस और आईआरएस काउंटर पर (ओटीसी) संविदाएँ हैं।

(ख) रुपया ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र और दिशानिर्देश

बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे रुपया ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निम्नलिखित परिपत्रों/दिशानिर्देशों का पालन करें :

- iv. आईडीएमसी: एमएसआरडी. 4801/06.01.03/2002-03 दिनांक 3 जून 2003
- v. आरबीआई/एफएमआरडी/2021-22/84 एफएमआरडी.एफएमडी.07/02.03.247/ 2021-22 दिनांक 16 सितंबर 2021

साथ ही, बीमाकर्ता रुपया ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये और समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्रों का अनुपालन करें।

(ग) ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में एक्सपोज़र के लिए अनुमति प्रयोजन

पूर्वानुमानित लेनदेनों के लिए बचाव (हेजिंग)

- i. वर्तमान नियत आय निवेशों की परिपक्तता आगम राशि का पुनर्निवेश
- ii. प्राप्य ब्याज आय का निवेश
- iii. उन बीमा संविदाओं पर प्राप्य प्रत्याशित पालिसी प्रीमियम आय जो जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में जीवन और पेंशन तथा वार्षिकी व्यवसाय में एवं साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में साधारण बीमा व्यवसाय में पहले ही जोखिम-अंकित हैं।

ऊपर सूचीबद्ध व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के किसी भी उपयोग का अभिभावी सिद्धांत यह है कि उनका उपयोग अवश्य केवल ब्याज-दर जोखिम को कम करने के लिए बचाव (हेज़िंग) के लिए ही किया जाना चाहिए। बीमाकर्ता के पास ब्याज-दर जोखिम का स्पष्ट रूप से पता करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

बचाव (हेज़िंग) के लिए प्रत्याशित पालिसी प्रीमियम आय पर विचार करने के लिए, बीमाकर्ता बचाव कार्यक्रम विकास प्रक्रिया के भाग के रूप में **निरंतरता पूर्वानुमानों** का प्रलेखीकरण और औचित्य-स्थापन करें। पूर्वानुमान का प्रलेखीकरण और औचित्य-स्थापन बीमाकर्ता के बोर्ड की निगरानी के अंतर्गत दोनों नियुक्त बीमांकक और सीआरओ की संयुक्त समीक्षा और अनुमोदन को निर्दिष्ट करेंगे (उदाहरण के लिए, जोखिम प्रबंध समिति/आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) समिति के माध्यम से)।

(घ) विनियामक एक्सपोज़र और विवेकपूर्ण सीमाएँ

- प्रतिपक्षकार आवश्यक रूप से वाणिज्य बैंक और प्राथमिक व्यापारी (पीडी) होंगे जैसा कि एफआरएस और आईआरएस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमति दी गई है।
- एफआरएस और आईआरएस में व्यापार करनेवाले बीमाकर्ताओं को चाहिए कि वे प्रतिपक्षकार को एक्सपोज़र की गणना करने के लिए प्रयोजनों के लिए जमा की समतुल्य राशि प्राप्त करें।

एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए, बीमाकर्ता ब्याज-दर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) लेनदेनों के कारण उत्पन्न होनेवाले अपने क्रेडिट एक्सपोज़रों की गणना, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति (सीईएम) का उपयोग करते हुए करेंगे।

- वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित बाजार संबंधी तुलन-पत्र बाह्य लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र और इन संविदाओं के संभावित भावी क्रेडिट एक्सपोज़र का जोड़ है।
- वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकल धनात्मक बाजार भाव पर (मार्क टू मार्केट) मूल्य के रूप में परिभाषित है। वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के लिए इन संविदाओं को बाजार भाव पर अंकित करने के द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र का आवधिक परिकलन (सहमति-प्राप्त आवधिकता पर), इस प्रकार वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र को प्राप्त करते हुए करने की आवश्यकता है।
- संभावित भावी क्रेडिट एक्सपोज़र का निर्धारण इस बात का विचार किये बिना कि संविदा एक शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक बाजार (मार्क टू मार्केट) भाव से युक्त है, इनमें से प्रत्येक संविदा की आनुमानिक मूल राशि को लिखत के स्वरूप और अवशिष्ट परिपक्तता के अनुसार नीचे निर्दिष्ट संबंधित ऐड-आन कारक द्वारा गुना करने के द्वारा किया जाता है।

ऋण रूपांतरण कारक

प्रत्येक एफआरए/आईआरएस की आनुमानिक मूलधन राशि को निम्नलिखित रूपांतरण कारक द्वारा गुना किया जाएगा:

अवशिष्ट परिपक्तता	रूपांतरण कारक प्रति वर्ष
एक वर्ष या उससे कम	0.5 प्रतिशत
एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष तक	1.0 प्रतिशत
पाँच वर्ष से अधिक	3.0 प्रतिशत

[उदा.: यदि बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपक्षकार ए के साथ 4 वर्ष की परिपक्तता से युक्त रु.10 करोड़ की आईआरएस की जाती है, तो संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र = $10 \times 3.5\% = \text{रु.}0.35$ करोड़ (अर्थात् $3.5\% = 0.5\%$ पहले वर्ष के लिए + 3 वर्ष के लिए अगले प्रत्येक वर्ष हेतु 1% क्योंकि अवधि 4 वर्ष है)]

- i. एफआरए/आईआरएस की ऋण समतुल्य राशि का उपयोग समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिपक्षकार के ऋण एक्सपोज़र की गणना करने के लिए किया जाएगा।
- ii. विनियम व्यापारित आईआरएफएस के लिए, उद्योग एक्सपोज़र सीमा का परिकलन केन्द्रीय प्रतिपक्षकार अर्थात् समाशोधन निगम के विरुद्ध ऊपर की ऋण समतुल्य राशि के आधार पर किया जाता है।
- iii. एकल जारीकर्ता, समूह, प्रवर्तक समूह, और उद्योग से संबंधित एक्सपोज़र सीमाएँ एफआरए और आईआरएस संविदाओं के माध्यम से एक्सपोज़र के लिए लागू होंगी। निवेशों के परिकलन स्वरूप के लिए प्रतिपक्षकार की रेटिंग पर विचार किया जाएगा। सीमाएँ संबंधित तिमाही विवरणियों की टिप्पणी वाले स्तंभ में सूचित की जाएँगी।
- iv. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ब्याज-दर व्युत्पन्नियों में सहभागी का लेनदेन कुल मिलाकर पालिसीधारकों की निधियों और शेयरधारकों की निधियों को एकसाथ लेते हुए उनके अंतर्गत सहभागी के नियत आय निवेशों के बही मूल्य के 100% की समतुल्य बकाया आनुमानिक मूलधन राशि से अधिक नहीं होगा। जीवन बीमाकर्ता सामान्य तौर पर संबंधित निधियों अर्थात् जीवन और पीएण्डए निधि के आधार पर 100% सीमाओं का पालन करेंगे। परंतु जहाँ निधियों के मामले में वर्तमान निवेशों का बही मूल्य जोखिम-अंकित बीमा संविदाओं पर प्रत्याशित प्रीमियमों से कम है, वहाँ बीमाकर्ता 100% की समग्र सीमा के अंदर अन्य निधियों में उपलब्ध एक्सपोज़र सीमा का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी व्युत्पन्नी संविदा करने से पहले बीमाकर्ता का बोर्ड विशिष्ट रूप से इसका अनुमोदन करता हो। प्रभावी बचाव (हेज़) से उत्पन्न होनेवाले अभिलाभ/हानि को केवल संबंधित निधि द्वारा वहन किया जाएगा।
- v. यदि वर्तमान निवेशों की परिपक्तता आगम राशि/निवेशों पर प्राप्य ब्याज आय के पुनर्निवेश का बचाव (हेजिंग) किया जाता है, तो ऐसे निवेश परिपक्तता तक धारित किये जाएँगे। यदि एएलएम की पूर्ति करने के लिए लिखत का परिसमापन करने की अपरिहार्य आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो ऐसे लिखत पर बचाव (हेज़) का मोचन (अनवाइंडिंग) निवेश समिति (आईसी) का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसी समय किया जाना चाहिए। आईसी इस प्रकार का अनुमोदन उचित रूप से कारणों को दर्ज करने के बाद प्रदान करेगा, बशर्ते कि व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संविदा के मोचन के लिए प्रभाव शेयरधारक द्वारा वहन किये जाएँ।

(ड) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पहलुओं में प्रलेखीकरण तथा आईएसडीए (अंतरराष्ट्रीय स्वैप्स और डेरिवेटिव संघ) द्वारा निर्धारित प्रलेखीकरण की सभी अपेक्षाएँ पूरी की जाएँ। इसके अलावा, बाजार भाव (मार्क टू मार्केट) पर अंकित लाभों/हानियों का निपटान और संपार्श्विक का अनुरक्षण करने के लिए, प्रतिपक्षी जोखिम का न्यूनीकरण करने हेतु दुतरफा सीएसए (ऋण समर्थन: अनुबंध – प्रतिपक्षकारों के बीच संपार्श्विक और व्यवस्था को दर्ज करने के प्रकारों संबंधी एक करार) करार अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) होंगे। सभी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संविदाएँ भारतीय विधियों और भारतीय न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में बताई गई शर्तों के अधीन होंगी तथा इस संबंध में जारी किये गये विनियमों / परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी। प्रयोज्य रूप में बीमा अधिनियम, 1938, विनियमों, सेबी विनियमों, आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए उपयुक्त खंड शामिल किये जाएँगे। जब भी वांछित हो तब संविदा को समाप्त करने के लिए बीमाकर्ताओं के पास आवश्यक रूप से शक्ति होगी।

(च) ब्याज-दर व्युत्पन्नियों का लेखांकन लागू समय-समय पर यथासंशोधित लेखांकन मानकों के अनुसार होगा। वित्तीय विवरणों और प्रकटीकरणों में प्रस्तुतीकरण लागू लेखांकन मानकों के द्वारा नियंत्रित होगा। इसके अलावा, बीमाकर्ता वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगा:

1. सहभागी के वित्तीय जोखिम प्रबंध के उद्देश्य और नीतियों का विवरण, विशेष रूप से पूर्वानुमानित लेनदेनों के बचाव (हेजिंग) के लिए उसकी नीति का वर्णन।
2. बचाव (हेजिंग) की रणनीति।

3. व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के लिए लेखांकन नीति।
4. बकाया ब्याज-दर व्युत्पन्नी संविदाओं का स्वरूप और शर्तें।
5. हानियों का परिमाण जिनका भारग्रहण यदि प्रतिपक्षकार बकाया ब्याज-दर व्युत्पन्नी संविदाओं के अंतर्गत अपना दायित्व पूरा नहीं करते, तो किया जाएगा।

(छ) आंतरिक जोखिम प्रबंध नीति और प्रक्रियाएँ, एक्सपोज़र और विवेकपूर्ण सीमाएँ

प्रत्येक सहभागी को चाहिए कि वह ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में एक्सपोज़र करने से पहले बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा पूर्व-अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति की विस्तृत रूपरेखा बनाये, जिसमें कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. जोखिम उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता की समग्र जोखिम-वहन क्षमता कि वह अपनी रणनीतिगत उद्देश्यों, पूँजीगत शक्ति आदि के विषय में अनुकूल व वृद्धसंकल्प है;
- ii. अनुमोदित व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) उत्पादों और प्राधिकृत व्युत्पन्नी कार्यकलापों को परिभाषित करें;
- iii. पर्याप्त स्टाफ संसाधनों और अन्य संसाधनों के लिए व्यवस्था करें जिससे अनुमोदित व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) कार्यकलाप एक विवेकपूर्ण ढंग से संचालित किये जा सकें;
- iv. मुख्य जोखिम नियंत्रण कार्यों के लिए उपयुक्त संरचना और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करें;
- v. प्रबंधकीय दायित्व स्थापित करें;
- vi. बीमाकर्ता द्वारा सामना किये जा रहे विभिन्न प्रकार के जोखिम की पहचान करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए सीमाओं का एक स्पष्ट और व्यापक सेट स्थापित करें;
- vii. जोखिम मापन कार्यपद्धतियाँ स्थापित करें जो व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) कार्यकलापों के स्वरूप और मान के लिए सुसंगत हों;
- viii. जोखिम की स्थितियों के दबाव परीक्षण की अपेक्षा करें;
- ix. रिपोर्टों के प्रकार और आवृत्ति का विवरण रखें जो बोर्ड (या बोर्ड की समितियों को प्रस्तुत की जाएँगी);
- x. लागू वीएआर सीमाएँ;
- xi. संविदा की समाप्ति और समापन के लिए परिस्थितियाँ;
- xii. कंपनी में प्रस्तावित व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) का लेखांकन व्यवहार; तथा
- xiii. व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के उपयोग के कारण शोधन-क्षमता / पूँजी पर प्रभाव।

उक्त नीति का कार्यान्वयन बीमाकर्ता के बोर्ड की निगरानी के अंतर्गत निवेश समिति (आईसी) का दायित्व होगा। जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता कोई भी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सपोज़र लेने से पहले प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(ज) उपयुक्तता और औचित्य नीति

बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि रूपया ब्याज-दर व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्स) बीमाकर्ता द्वारा संभाले जा रहे संविभाग की आवश्यकता का समाधान करेंगी तथा बीमाकर्ता के उत्पादों के लिए उनकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से की जाएंगी। बोर्ड उक्त उपयुक्तता और औचित्य का पुष्टीकरण करेगा जिसका मूल्यांकन समय-समय पर यथासंशोधित आरबीआई/एफएमआरडी/2021-22/84/ एफएमआरडी. 07/ 02.03.247/ 2021-22 दिनांक 16

सितंबर 2021 के खंड 5.1.3., मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में बाजार निर्माता) निदेश, 2021 की शर्तों के अनुसार किया गया हो।

(झ) कारपोरेट अभिशासन

संभावित रूप से जटिल उत्पादों में एक्सपोज़र लेते समय बीमाकर्ता के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को चाहिए कि लिये जा रहे जोखिम के स्वरूप, संबद्ध जटिलताओं, दबाव के स्तरों आदि का ध्यान रखें। बीमाकर्ता कम से कम तिमाही में एक बार, अपनी डेरिवेटिव्स स्थितियों/ लेनदेनों और नीति / सीमाओं के अनुपालन की सूचना बीमाकर्ता के बोर्ड के अधीन संविदाओं की समीक्षा करेगा और स्वयं संतुष्ट होगा कि इन दिशानिर्देशों में अनुमत रूप में पर्याप्त जोखिम प्रबंध, प्रबंधन नीति और नियत आय डेरिवेटिव संविदाओं से युक्त ब्याज-दर जोखिम के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की गई हैं और वे क्रियाशील हैं।

(ज) मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भूमिका और दायित्व

सीआरओ, “प्रत्येक” व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) कार्यक्रम के सभी पहलुओं की निगरानी / रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा तथा अनुपालन की सूचना बोर्ड की आस्ति-देयता प्रबंध समिति / जोखिम प्रबंध समिति को तथा बीमाकर्ता के बोर्ड को भी देगा। यदि कोई विशिष्ट हेजिंग कार्यक्रम इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं हैं, तो सीआरओ उसकी पहचान करेगा और उक्त कार्यक्रम का अनुपालन किये जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

ख. ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप्स) में एक्सपोज़र

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचना सं. आरबीआई/2021-22/88 एफआरएमडी. डीआईआरडी.10/14.03.004/2021-22 दिनांक 10 फरवरी 2022 के अनुसार “मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण डेरिवेटिव्स) निदेश, 2022” जारी किये हैं जो 10 फरवरी 2022 से प्रभावी हैं। उपर्युक्त दिशानिदेश अन्य बातों के साथ-साथ, ओटीसी बाजार में ऋण चूक स्वैपों के लिए संरक्षण क्रेता और विक्रेता के रूप में बीमाकर्ता की सहभागिता के लिए व्यवस्था करते हैं।
2. बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित के अधीन सीडीएस के केवल “प्रयोक्ताओं” (संरक्षण क्रेताओं) के रूप में ही अनुमति दी गई है:
 - क. उक्त सीडीएस को ऋण घटना को कवर करते हुए ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए एक “हेज़” के रूप में अनुमति है। ऐसी अंतर्निहित स्थिति पर सीडीएस की खरीद करने के अनुसरण में निवेश की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- ख. सीडीएस की अनुमति केवल दायित्वों के संदर्भ के रूप में सूचीबद्ध कारपोरेट बांडों पर ही होगी। सीडीएस की खरीद असूचीबद्ध परंतु बुनियादी संरचना कंपनियों के रेटिंग-प्राप्त बांडों पर भी की जा सकती है। इसके साथ ही, बुनियादी संरचना कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवीएस) द्वारा जारी किये गये असूचीबद्ध / रेटिंग-रहित बांड भी आरबीआई के मास्टर निदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 में अनुमत रूप में संदर्भ दायित्व के रूप में पात्र हैं।
- ग. संरक्षण की खरीद करने पर, संदर्भ संस्था के संबंध में एक्सपोज़र, विनियमों के खंड 8 के अंदर “खरीद गये संरक्षण” की सीमा तक “संरक्षण विक्रेता” को अंतरित होगा तथा इस प्रकार का एक्सपोज़र उद्योग क्षेत्र एक्सपोज़र के अंतर्गत बीएफएसआई क्षेत्र का भाग बनेगा।
- घ. सीडीएस की खरीद नहीं की जाएगी:

- i. संदर्भ आस्ति के प्रवर्तक समूह के होने पर तथा प्रवर्तक समूह से संबंधित संस्थाओं के बीच कोई भी सीडीएस लेनदेन **नहीं** किया जाएगा।
 - ii. ऐसे दायित्वों पर, जैसे आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियाँ/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ, परिवर्तनीय बांड तथा क्रय विकल्प (काल आप्षान)/विक्रय विकल्प (पुट आप्षान) से युक्त बांड, सीडीओएस या आस्तियों/ऋणों का कोई अन्य समूह।
3. बीमाकर्ता प्रयोक्ता के प्रति प्रतिपक्षकार के लिए पात्रता मानदंडों से संबंधित सभी अन्य मानदंडों, संदर्भ दायित्व, प्रयोक्ताओं के द्वारा सीडीएस लेनदेनों से बाहर निकलते समय अंतर्निहित शर्तों की अपेक्षा, ऋण घटनाएँ, निपटान कार्यपद्धतियाँ, प्रलेखीकरण, कीमत-निर्धारण कार्यपद्धतियाँ, अन्य अपेक्षाएँ और लेखांकन मानदंड आदि, का अनुपालन करेंगे जैसे कि आरबीआई के मास्टर निदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 के द्वारा निर्धारित हैं।

1.9 स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और बुनियादी संरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी):

(क) “स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) और बुनियादी संरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी)” के यूनिटों में निवेश

बीमाकर्तासू सूचीबद्ध आरईआईटीएस / सूचीबद्ध आईएनवीआईटीएस के यूनिटों में निवेश कर सकते हैं जो निम्नलिखित के अनुरूप हैं:

1. “एए” से अन्यून रेटिंग प्राप्त आरईआईटी / आईएनवीआईटी अनुमोदित निवेशों का भाग बनेंगे। एए से कम रेटिंग प्राप्त आरईआईटी / आईएनवीआईटी अन्य निवेशों का भाग बनेंगे।
2. आईएनवीआईटीएस और आरईआईटीएस के यूनिटों में निवेश किसी भी समय बीमाकर्ता के कुल निधि आकार के 3% से अधिक नहीं होंगे।
3. कोई भी बीमाकर्ता किसी एकल आरईआईटी / आईएनवीआईटी द्वारा जारी किये गये यूनिटों के (वर्तमान निर्गम सहित) 5% से अधिक निवेश नहीं करेगा।
4. आरईआईटी / आईएनवीआईटी में कोई भी निवेश नहीं किया जाएगा जहाँ प्रायोजक बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत हो।
5. विनियमों के अंतर्गत निवेशों के स्वरूप के प्रयोजन के लिए आईएनवीआईटी के यूनिटों में निवेश “बुनियादी संरचना निवेश” का भाग बनेंगे।
6. आरईआईटी के यूनिटों में निवेश विनियमों के खंड 8 के नोट VI के अनुसार निवेश संपत्ति का भाग बनेगा।
7. आरईआईटी / आईएनवीआईटी के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) किया जाएगा। जहाँ पिछले 30 दिन के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन न्यास द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) के अनुसार किया जाएगा।

(ख) “स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) और बुनियादी संरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी)” की कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश

बीमाकर्ता सूचीबद्ध आईएनवीआईटीएस / आरईआईटीएस द्वारा जारी की गई “कर्ज प्रतिभूतियों” में निवेश कर सकते हैं, जो निम्नलिखित के अनुरूप हों :

1. उक्त कर्ज लिखत निवेश के समय सूचीबद्ध और “एएए” रेटिंग से युक्त आईएनवीआईटीएस / आरईआईटीएस द्वारा जारी किये जाएँगे।
2. आईएनवीआईटी / आरईआईटी में सार्वजनिक धारिता निवेश के समय आईएनवीआईटी / आरईआईटी के कुल बकाया यूनिटों के 30% से कम नहीं होगी।
3. आईएनवीआईटी / आरईआईटी के कर्ज लिखत रेटिंग-प्राप्त होंगे तथा अनुमोदित निवेशों के भाग के रूप में “एए” से अन्यून रेटिंग से युक्त होंगे।
4. आईएनवीआईटी / आरईआईटीएस के कर्ज लिखत जो रेटिंग-प्राप्त और “एए” से नीचे के ग्रेड से युक्त होंगे, अन्य निवेशों का भाग बनेगा।
5. कोई भी बीमाकर्ता किसी एकल आईएनवीआईटी / आरईआईटी में बकाया कर्ज लिखतों के (वर्तमान निर्गम सहित) 20% से अधिक निवेश नहीं करेगा।
6. आरईआईटीएस के कर्ज लिखतों में निवेश किसी भी समय बीमाकर्ता के कुल निधि आकार के 3% से अधिक नहीं होगा।
7. किसी भी आईएनवीआईटी / आरईआईटी के कर्ज लिखतों में कोई निवेश नहीं किया जाएगा जहाँ प्रायोजक बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत हो।
8. समूह से विनियमों के खंड 1(4) के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्थ अभिप्रेत होगा।
9. आईएनवीआईटी के कर्ज लिखतों में निवेश “बुनियादी संरचना निवेश” का भाग बनेगा।
10. आरईआईटी के कर्ज लिखतों में निवेश एनआईसी उद्योग वर्गीकरण के अंतर्गत उद्योग समूह “स्थावर संपदा कार्यकलाप” का भाग बनेगा।
11. आईएनवीआईटीएस / आरईआईटीएस की कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन फिम्डा के अनुसार अथवा सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक संस्था/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाएगा।

1.10 क्रेडिट रेटिंग – बुनियादी संरचना निवेशों के लिए लागू

बीमाकर्ता “ए” से अन्यून रेटिंग-प्राप्त, “अनुमोदित निवेश” के भाग के रूप में “ईएल1” की अनुमानित हानि रेटिंग से युक्त बुनियादी संरचना कंपनियों द्वारा जारी किये गये बुनियादी संरचना निवेशों का वर्गीकरण करें और जो श्रेणी कूट “आईईएलबी” के अंतर्गत सूचीबद्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बुनियादी संरचना निवेश के ग्रेड में “ए” या “ईएल1” से किसी भी कमी का पुनर्वर्गीकरण “अन्य निवेश” के रूप में करने की ओर श्रेणी कूट “आईओईएल” के अंतर्गत सूचित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त निवेशों का मूल्यांकन फिम्डा के अनुसार अथवा सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक संस्था/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाएगा।

1.11 एचडीएफसी लिमिटेड में निवेश

एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड के विलय की घोषणा की तारीख अर्थात् 4 अप्रैल 2022 को एचडीएफसी लिमिटेड में बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी “आवास और बुनियादी संरचना” के अंतर्गत धारित बांड/डिबेंचर एचडीएफसी लिमिटेड के संबंधित बांडों की परिपक्तता तक उपर्युक्त श्रेणी में निवेशों के रूप में माने जाएँगे।

1.12 राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) में निवेश

चूँकि एनएबीएफआईडी की स्थापना दीर्घावधि बुनियादी संरचना वित्तपोषण के विकास को समर्थन देने के लिए विकास वित्तीय संस्था के रूप में की गई है, अतः इस संस्था में निवेशों के लिए एक्सपोज़र को सीमा विनियमों के खंड 8 के नोट ॥। के अंतर्गत सरकारी सीमित बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुरूप माना जाएगा।

खंड-II: जोखिम प्रबंध और समवर्ती लेखा-परीक्षा

2.1 निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और प्रक्रिया

क. सामान्य

1. प्रारंभिक, मध्यम और पश्च परिचालन

- i. रु. 500 करोड़ से अधिक प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) से युक्त बीमाकर्ता निधि प्रबंधक और व्यापारी के रूप में कार्य करनेवाले अलग कार्मिक को सुनिश्चित करेगा।
- ii. निवेश प्रणाली (अनुप्रयोग साफ्टवेयर) के पास अलग लाग-इन के साथ प्रारंभिक (फ्रंट), मध्यम (मिड) और बैक (पश्च) कार्यालय के लिए अलग माऊल होने चाहिए।
- iii. प्रारंभिक कार्यालय से पश्च कार्यालय में डेटा का अंतरण उक्त प्रणाली के माध्यम से तत्काल (रियल टाइम) आधार पर होना चाहिए।
- iv. बीमाकर्ता के पास अनेक डेटा प्रविष्टि प्रणालियाँ हो सकती हैं, परंतु ऐसी सभी प्रणालियाँ परस्पर हस्तक्षेप के बिना निर्बाध रूप से समन्वित होनी चाहिए।
- v. प्रारंभिक कार्यालय मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीआईओ) को सूचना देगा। 1 अक्टूबर 2024 से मध्यम कार्यालय प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (जो सीआईओ या सीएफओ नहीं होगा) को सूचित करेगा जो सीईओ को रिपोर्ट करेगा। पश्च कार्यालय सीएफओ को सूचित करेगा जो स्वतंत्र रूप से सीईओ को रिपोर्ट करेगा। सीआईओ और मध्यम कार्यालय का प्रमुख तथा सीएफओ स्वतंत्र कार्मिक होंगे जिनके पास स्वतंत्र लाग-इन होंगे।
- vi. सीआरओ जोखिम नीति बनाने के लिए जिम्मेदार होगा तथा सीईओ के माध्यम से बीमाकर्ता के बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति को रिपोर्ट करेगा।
- vii. निवेश आवेदन में प्रारंभिक, मध्यम और पश्च कार्यालय के बीच स्पष्ट वियोजन (डेटाबेस स्तर पर) होना चाहिए।

2. कर्मचारी लेनदेन संबंधी दिशानिर्देश

बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण की जानेवाली मानक परिचालन (एसओपी) में वैयक्तिक निवेशों के लिए प्रारंभिक, मध्यम और पश्च कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा पालन किये जाने के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किये जाएँगे। इस अपेक्षा के पालन/ अनुपालन के संबंध में आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षक रिपोर्ट करेगा।

3. निष्पादक जाँचकर्ता (मेकर चेकर) प्रक्रिया

बीमाकर्ता के पास उसकी मानक परिचालन प्रणाली / निवेश परिचालनों के परिचालन मैनुअल में सुनियोजित (मैप्ड) निष्पादक / जाँचकर्ता (मेकर/चेकर) की प्रक्रिया होनी चाहिए। अंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षक अपनी रिपोर्ट में ऐसे व्यवहार पर टिप्पणी करेगा।

4. डेटा प्रविष्टि बिन्दुओं पर लेखा-परीक्षा खोज

उक्त लेखा-परीक्षा खोज (ट्रैल) जाँचकर्ता / प्राधिकारदाता के स्तर सहित डेटा प्रविष्टि के सभी बिन्दुओं पर उपलब्ध होनी चाहिए।

5. व्यवसाय निरंतरता प्रक्रिया (बीसीपी)

व्यवसाय की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, बीमाकर्ता के पास अपना स्वयं का या किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से एक अलग भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले एक नगर में डेटा का परोक्ष (आफ़-साइट) बैक-अप होना चाहिए। इसके अलावा, बीमाकर्ता / सेवा प्रदाता (यदि बाह्यस्रोतीकरण किया गया हो) से अपेक्षित है कि उसके पास कम से कम निम्नलिखित का समाधान करने के लिए मिशन संकटकालीन प्रणालियों के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना हो:

1. दैनिक एनएवी (निधि वार)
2. प्रतिदान प्रसंस्करण

ख. प्रारंभिक (फ्रंट) कार्यालय

1. निधि प्रबंधक / व्यापारी का वियोजन

- i. निवेश विभाग को चाहिए कि वह अपनी “मानक परिचालन प्रक्रिया” के भाग के रूप में प्राधिकरण मैट्रिक्स के माध्यम से निधि प्रबंधकों और व्यापारियों के वियोजन को प्रलेखीकृत कर चुका हो।
- ii. बीमाकर्ता को चाहिए कि वह आदेशों और व्यापार निष्पादन के लिए प्रवेश नियंत्रणों और प्राधिकरण (आथराइजेशन) को प्रलेखीकृत कर चुका हो।
- iii. लेनदेन कक्ष में एक वाइस रिकार्डर तथा रिकार्ड किये गये वार्तालाप का अनुरक्षण करने के लिए क्रियाविधि होनी चाहिए तथा लेनदेन कक्षों में मोबाइल फोन न होने और अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं जैसी प्रक्रिया सहित उनके निपटान के लिए क्रियाविधि होनी चाहिए।

2. निवेशिती / समूह कंपनी / उद्योग क्षेत्र में निवेश

निवेशिती कंपनी, समूह, प्रवर्तक और उद्योग क्षेत्र में निवेशों के लिए प्रणाली आधारित जाँचें विद्यमान होनी चाहिए। इस प्रणाली को तब संकेत करना चाहिए जब ऐसा एक्सपोज़र लेने और वास्तविक निवेश करने से पूर्व अंतरिक / विनियामक सीमाओं तक लगभग पहुँचा जा रहा हो।

3. अंतर- निधि अंतरण

- i. प्रतिभूतियों का कोई अंतरण (ट्रांसफर) नहीं किया जाएगा
 - क. जीवन निधि, पेंशन निधि और यूलिप निधि(यों) के बीच
 - ख. जीवन निधि और पेंशन निधि के अंदर प्रणालियों को सममूल्य और सममूल्येतर निधियों के बीच किसी अंतरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- ग. पेशन निधियों के अंदर, प्रणाली को वैयक्तिक और सामूहिक निधियों के बीच किसी अंतरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- ii. ऐसओपी में अंतिम (कट आफ) समय स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा कट आफ समय समनुरूप होना चाहिए तथा इसे बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व-अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
 - iii. अंतर-निधि अंतरण किसी अन्य बाजार व्यापार की तरह होना चाहिए तथा इसे उक्त कट आफ समय पर बाजार दर पर संचालित करने की आवश्यकता है।

ग. मध्यम कार्यालय

1. बाजार जोखिम

- i. प्रणाली को विभिन्न संविभाग विवरणियों की गणना करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
- ii. एक्सपोज़र सीमाओं की निगरानी और अपवर्जन की रिपोर्टिंग मध्यम (मिड) कार्यालय द्वारा की जाएगी।

2. ऋण जोखिम

- i. निवेश प्रणाली को फार्म 2 (डाउनग्रेड किये गये निवेशों का विवरण) स्वतः उत्पन्न करने के लिए लिखत की रेटिंग्स प्राप्त करनी चाहिए।
- ii. प्रणाली को स्वयमेव लिखत स्तरीय, समूह स्तरीय, प्रवर्तक समूह स्तरीय और उद्योग क्षेत्र स्तरीय एक्सपोज़र की विभिन्न विनियामक सीमाओं की निगरानी करनी चाहिए।
- III. प्रणाली के पास अनुमोदित और अन्य निवेशों के बीच निवेश का वर्गीकरण करने की क्षमता के साथ, एक समयावधि में रेटिंगों में परिवर्तनों की खोज करने और उपयुक्त चेतावनियाँ उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए।
- IV. बीमाकर्ता को उक्त संविभाग में सभी कंपनियों के लिए आवधिक ऋण समीक्षाएँ संचालित करनी चाहिए। निवेश नीति में आवधिकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- V. बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह वैयक्तिक प्रतिभूति स्तर पर लेखा-परीक्षा खोज के भाग के रूप में अनुमोदित और अन्य निवेशों की स्थिति के बीच प्रतिभूतियों के संचलन पर खोज-खबर रखे।

3. विनियामक सीमाओं की खोज-खबर रखना

- i. प्रणाली के पास सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-निर्धारित प्रमुख सीमाएँ होनी चाहिए तथा प्रणाली के माध्यम से कार्य-प्रवाह के द्वारा ऐसे अनुमोदन के लिए इन्हें (तक्ताल आधार पर) समर्थित किया जाना चाहिए, यदि विनियामक सीमा उल्लंघन के निकट पहुँच जाती हो।
- ii. प्रणाली के पास आंतरिक / समर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा के लिए अपवर्जन रिपोर्ट उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए।

4. निपटान जोखिम

आदेश देते समय अल्प विक्रय (शार्ट सेल्स) को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली को विधिमान्य बनाया जाना चाहिए।

5. समीक्षा, निगरानी और रिपोर्टिंग

- i. प्रणाली को चाहिए कि वह सभी आंतरिक सीमाओं के उल्लंघनों की खोज-खबर रखे और उनकी सूचना दे। ऐसे सभी उल्लंघनों का संपरीक्षण आंतरिक/समर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।
- ii. देयता सुमेलन और अन्य निवेश नीति संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और समीक्षा।

घ. पश्च कार्यालय

1. डेटा निविष्टि त्रुटि

प्रणाली को इस प्रकार विशिष्ट रूप से विधिमान्य बनाया जाना चाहिए कि लेनदेन को केवल पश्च कार्यालय के द्वारा ही अस्वीकार किया जाना चाहिए और उसका **कभी संपादन नहीं किया जा सकता।** लेखा-परीक्षा की खोज-खबर के भाग के रूप में प्रणाली को ऐसे लेनदेनों की सूची उत्पन्न करनी चाहिए जिनका निपटान नहीं किया है / जिन्हें अस्वीकृत किया गया है।

2. चलनिधि जोखिम

- i. बीमाकर्ता के पास किसी उत्थित स्थिति अथवा चलनिधि जोखिम को रोकने के लिए निपटान दायित्वों तथा यूनिटों के अभिदान और मोचन आदि को ध्यान में रखते हुए निवेश के लिए उपलब्ध निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए एक नकदी प्रबंध प्रणाली होनी चाहिए।
- ii. निधियों की उपलब्धता से अधिक किसी वचनबद्धता को स्वीकार न करने के लिए प्रणाली को विधिमान्य किया जाना चाहिए।

3. 'एनएवी' की संगणना

- i. बीमाकर्ता को प्रारंभ से लेकर वर्तमान तारीख तक अपनी सार्वजनिक पहुँच में एनएवी वृत्त अनुरक्षित करना चाहिए। साथ ही, एनएवी को दैनंदिन आधार पर जीवन परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।
- ii. 'एनएवी' त्रुटि – संगणना और क्षतिपूर्ति
 1. मूल्यांकन की तारीख तक उपचित सभी व्यय और आय को एनएवी की संगणना के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, जबकि प्रबंधन व्ययों और अन्य आवधिक व्ययों जैसे बड़े व्ययों को दैनंदिन आधार पर उपचित किया जाना चाहिए, वहीं अन्य छोटे व्यय और आय को साप्ताहिक आधार पर उपचित किया जा सकता है, बशर्ते कि गैर-उपचय एनएवी संगणनाओं को 1% से अधिक प्रभावित न करे।
 2. प्रतिभूतियों और यूनिटों की संख्या में कोई भी परिवर्तन बहियों में लेनदेन की तारीख के बाद प्रथम मूल्यांकन की तारीख को या उसके पहले दर्ज किये जाने चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो अभिलेखन (रिकार्डिंग) लेनदेन की तारीख के बाद सात दिन की अवधि तक विलंब किया जा सकता है। परंतु शर्त यह है कि इस प्रकार दर्ज न करने का प्रभाव एनएवी परिकलनों पर 1% से अधिक न पड़े।
 3. यदि किसी योजना के एनएवी में लेनदेनों के अभिलेखन (रिकार्डिंग) न होने के कारण या किन्हीं अन्य त्रुटयों / गलतियों के कारण 1% से अधिक भिन्नता है, तो निवेशकों या निधि(यों) को, जैसी स्थिति हो, निम्नानुसार उक्त भिन्नता का नकद रूप में भुगतान किया जाएगा:-
 - (i) यदि निवेशकों को एनएवी से उच्चतर कीमत पर यूनिट आबंटित किये जाते हैं अथवा उन्हें उनके यूनिटों के विक्रय के समय एनएवी से निम्नतर कीमत दी गई है तो उन्हें योजना के द्वारा उस राशि में भिन्नता का भुगतान किया जाएगा।
 - (ii) यदि निवेशकों को उनके यूनिटों की खरीद के समय एनएवी से निम्नतर रूप में प्रभार लगाये गये हैं अथवा उनके यूनिटों के विक्रय के समय उन्हें उच्चतर एनएवी दिया गया है, तो बीमाकर्ता योजना से भिन्नता की राशि का भुगतान करेगा तथा शेयरधारकों के संविभाग से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो शोधन-क्षमता मार्जिन का समर्थन नहीं करती।

- (iii) आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षक उपर्युक्त विषयों की जाँच करेगा तथा बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को विशिष्ट रूप से इसके संबंध में सूचित करेगा और निरंतर आधार पर ऐसे विषयों का ध्यान रखने के लिए विद्यमान प्रणालियों पर टिप्पणी करेगा।
 - (iv) प्रणाली में एनएवी त्रुटियों का एक लाग अनुरक्षित किया जाएगा और आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षकों को अग्रेषित किया जाएगा।
- 4. ईकिटी लेनदेन एसटीपी प्रवेशद्वारा (गेटवे) के माध्यम से निष्पादित किये जाएँ**
- सभी ईकिटी सौदे सभी दलाल संबंधी लेनदेनों के लिए एसटीपी गेटवे के माध्यम से होंगे।
- 5. मूल्यांकन कीमत फाइलों का अपलोडिंग**
- प्रणाली में एनएवी की गणना / संविभाग के मूल्यांकन हेतु स्टाक स्प्लिट, लाभांश, अधिकार निर्गम, वापसी-खरीद, बोनस निर्गम आदि जैसे कारपोरेट कार्रवाइयों के अपलोड लेने के लिए प्रावधान होना चाहिए।
- 6. समाधान**
- i. निधि वार, जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, निवेश खातों, बैंक, और अभिरक्षक अभिलेख सभी प्रकार के उत्पादों के लिए दैनंदिन आधार पर किये जाने चाहिए। यूलिप उत्पादों के मामले में, पालिसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ यूनिटों का समाधान **दैनंदिन आधार पर सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
 - ii. साधारण बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले में निवेश खातों, बैंक और अभिरक्षक अभिलेखों के साथ समाधान **दैनंदिन आधार पर** किया जाना चाहिए।

7. दलाल सीमाओं संबंधी लेनदेन:

- i. समीक्षाधीन छमाही के दौरान बीमाकर्ता के द्वारा दलालों के माध्यम से किये गये (दोनों खरीद और बिक्री) कर्ज और ईकिटी के लिए कुल लेनदेन के पाँच प्रतिशत (5%) की सीमा को प्रत्येक पैनलबद्ध दलाल के लिए कुल उच्चतर संविदा की सीमा के रूप में माना जाएगा।
- ii. यदि किन्हीं अपवादात्मक कारणों से किसी पैनलबद्ध दलाल के लिए समग्र सीमा से अधिक लेनदेन करना पड़ता है, तो बीमाकर्ता ऐसे उल्लंघन के लिए विशिष्ट कारण लिखित में दर्ज करेंगे और बोर्ड को कार्योत्तर सूचना दी जाएगी।
- iii. बीमाकर्ता का समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षक भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे उल्लंघनों की सूचना देंगे।

2.2 निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की लेखा-परीक्षा, आंतरिक और समवर्ती लेखा-परीक्षा

1. विनियमों का खंड 12(4)(i) “निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों तथा बीमा कंपनियों की प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शी नोट” में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने के लिए सनदी लेखाकार (सीए) फर्म के प्रमाणीकरण को अधिदेशात्मक बनाता है। इसके अलावा, विनियमों का खंड 12(5)(ii) अपेक्षा करता है कि दोनों शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को कवर करते हुए सभी निवेश संबंधी लेनदेनों की लेखा-परीक्षा आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के द्वारा की जानी चाहिए।
2. रु. 1000 करोड़ से अधिक प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के अंतर्गत आस्तियाँ रखनेवाले बीमाकर्ता आंतरिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से (आंतरिक संसाधनों के द्वारा या सनदी लेखाकारों के फर्मों के द्वारा)

तिमाही आधार पर अपने निवेश कार्यों की लेखा-परीक्षा तिमाही आधार पर करवाएँ तथा रु. 1000 करोड़ से अधिक एयूएम (पहली बार) रखनेवाला बीमाकर्ता समवर्ती आधार पर अपने निवेश संबंधी लेनदेनों और संबंधित प्रणालियों की लेखा-परीक्षा करवाने के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में सनदी लेखाकारों के किसी फर्म को नियुक्त करेगा।

क. “निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और प्रक्रिया” की लेखा-परीक्षा

1. बीमाकर्ता एक सनदी लेखाकार फर्म के माध्यम से, जो संबंधित बीमाकर्ता का सांविधिक या आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक नहीं है, आईआरडीएआई के साथ परामर्श करने के बाद, भारतीय सनदी लेखाकार संघ (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये “बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शी नोट” के अनुसार निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रियाओं का प्रमाणीकरण करवाएगा।
2. उक्त निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा दो वित्तीय वर्षों में एक बार अथवा बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा निर्णीत रूप में इससे कम आवृत्ति के साथ (ऐसी दो लेखा-परीक्षाओं के बीच का अंतराल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए), एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की जाएगी तथा ऐसे सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास पहली तिमाही की विवरणियों के साथ फाइल किया जाएगा।

ख. लेनदेनों की आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा

1. रु. 1000 करोड़ से अनधिक प्रबंधनाधीन आस्तियों से युक्त (शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को एकसाथ लेते हुए) सभी बीमाकर्ता अपने लेनदेनों और संबंधित प्रणालियों की लेखा-परीक्षा एक सनदी लेखाकार (सीए) के नेतृत्व में अपने आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा कम से कम तिमाही आधार पर करवाएँगे तथा जहाँ एयूएम रु. 1000 करोड़ के समान या उससे अधिक (पहली बार) हों, वे नीचे सूचीबद्ध प्रक्रिया के अनुसार एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा उक्त निवेश लेनदेन की समवर्ती लेखा-परीक्षा करवाएँगे।
2. दोनों आंतरिक लेखा-परीक्षा और समवर्ती लेखा-परीक्षा के लिए ‘न्यूनतम’ विस्तार दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए आईसीएआई द्वारा (आईआरडीएआई से परामर्श करने के बाद) जारी किये गये ‘बीमा कंपनियों की निवेश कार्यों की आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट’ के अनुसार होगा। बीमाकर्ता अपनी नियंत्रण प्रणालियों के आधार पर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए अतिरिक्त विस्तार शामिल कर सकता है। उक्त आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा निर्धारित आवधिकता के अनुसार सभी निधि(यों) के लेनदेनों के 100% को कवर करेगी।

ग. “निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया” के लिए लेखा-परीक्षा फर्मों की नियुक्ति

1. सनदी लेखाकार फर्म भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पास पंजीकृत फर्म होगा।
2. लेखा-परीक्षा फर्म के पास बैंकों या म्युचुअल फंडों या बीमा कंपनियों की जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षाएँ संचालित करने में अथवा आईआरडीएआई की ओर से बीमा कंपनियों का निवेश निरीक्षण संचालित करने का कम से कम चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया का प्रमाणीकरण करने के लिए लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख को लेखा-परीक्षक के लिए सबको एकसाथ लेते हुए अनिवार्यतः आंतरिक, समवर्ती और जोखिम प्रबंध प्रणालियों की लेखा-परीक्षा की दो से अधिक लेखा-परीक्षाएँ धारित नहीं करनी चाहिए। अतः लेखा-परीक्षा फर्म किसी भी समय सांविधिक लेखा-परीक्षाओं के अतिरिक्त, अधिकतम तीन से अनधिक लेखा-परीक्षाओं को धारित कर सकता है (अर्थात् निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और प्रक्रिया लेखा-परीक्षा, आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा – सबको एकसाथ लेते हुए)। इस प्रयोजन के लिए, नियुक्ति के समय, बीमाकर्ता सनदी लेखाकारों के फर्म

से इस आशय की एक घोषणा प्राप्त करेगा। बीमाकर्ता ऐसी नियुक्ति से 7 दिन के अंदर सनदी लेखाकार फर्म से प्राप्त पुष्टीकरण आईआरडीएआई के पास फाइल करेगा।

4. लेखा-परीक्षक को आईआरडीएआई, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, एनएफआरए आदि सहित किसी भी विनियामक एजेंसी द्वारा निषिद्ध/विवर्जित नहीं किया होना चाहिए।
5. निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त लेखा-परीक्षक के लिए, प्रणाली लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्ताव करनेवाले उसी बीमाकर्ता के लिए अपनी नियुक्ति से तत्काल पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्य संचालित नहीं किये होने चाहिए।
 - क. सांविधिक लेखा-परीक्षा
 - ख. कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा
 - ग. कोई समवर्ती लेखा-परीक्षा
 - घ. कोई परामर्शी कार्य, चाहे लेखा-परीक्षा कार्यों से संबंधित हो या नहीं।

घ. लेनदेनों की आंतरिक/ समवर्ती लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षा फर्म की नियुक्ति

1. सनदी लेखाकार फर्म ऊपर के बिन्दु सी(1), (2), (3) और (4) का अनुपालन करता है।
2. आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षा की अवधि वित्तीय वर्ष के लिए होगी और जहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है वहाँ यह वित्तीय वर्ष के अंत तक रहेगी।
3. आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षक की नियुक्ति बीमाकर्ता के बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के द्वारा की जाएगी तथा लेखा-परीक्षक सीधे बीमाकर्ता के बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करेगा। अवधि के बीच में लेखा-परीक्षक में कोई भी परिवर्तन ऐसे परिवर्तन के लिए कारणों सहित आईआरडीएआई को सूचित किया जाएगा। नया लेखा-परीक्षक, केवल शेष अवधि के लिए, केवल आईआरडीएआई के पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।
4. आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षक तीन निरंतर वर्षों तक सेवा करने के बाद या पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन वर्ष सेवा करने के बाद उसी बीमाकर्ता के पास पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. पहली बार नियुक्त किये गये आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षक को चाहिए कि आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति से तत्काल पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान निवेश कार्यों के लिए आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्ताव करनेवाले उसी बीमाकर्ता के लिए उसने निम्नलिखित नियत कार्य नहीं किये हों।
 - क. सांविधिक लेखा-परीक्षा
 - ख. कोई भी आंतरिक लेखा-परीक्षा
 - ग. कोई भी समवर्ती लेखा-परीक्षा
 - घ. कोई परामर्शी कार्य, चाहे लेखा-परीक्षा कार्यों से संबंधित हो या नहीं
 - ड. निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षाएँ या प्रमाणीकरण

6. प्रत्येक बीमाकर्ता, आंतरिक या समवर्ती या जोखिम प्रबंध प्रणालियों के लेखा-परीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों के फर्म को नियुक्त करने के बाद निम्नानुसार विवरण के साथ ऐसी नियुक्ति का पुष्टीकरण करते हुए ऐसी नियुक्ति से सात दिन के अंदर, आईआरडीएआई को एक सूचना भेजेगा:

ड. आईआरडीएआई के पास फाइल करने के लिए आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षा फर्म संबंधी सूचना

1. सनदी लेखाकार फर्म का नाम:
2. फर्म की स्थापना करने का वर्ष, भागीदार, संपर्क के ब्योरे के साथ:
3. लेखा-परीक्षा फर्म के प्रधान कार्यालय का पता:
4. अनुभव का विवरण, (बीमाकर्ता की जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ लेखा-परीक्षा / सांविधिक लेखा-परीक्षा / आंतरिक लेखा-परीक्षा / समर्त्त लेखा-परीक्षा के लिए संगत) जैसा कि फर्म के द्वारा प्रस्तुत कराया गया हो
5. जोखिम प्रबंध लेखा-परीक्षा रिपोर्ट / आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट / समर्त्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी भागीदार का नाम, संपर्क के ब्योरे के साथ
6. उपर्युक्त समस्त सूचना आईआरडीएआई के पास, नियुक्ति की तारीख से 7 दिन के अंदर फाइल की जाएगी।

2.3 सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो, प्रतिवर्ती रेपो और कारपोरेट बांड

सभी बीमाकर्ता विशिष्ट रूप से रेपो/प्रतिवर्ती रेपो लेनदेनों (उधार) के संबंध में समर्त्त लेखा-परीक्षक द्वारा जारी किया गया तिमाही प्रमाणपत्र फाइल करेंगे और वह आईसीएआई द्वारा जारी की गई बीमा कंपनियों की आंतरिक/समर्त्त लेखा-परीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार जारी किये गये प्रमाणपत्र का भाग बनेगा।

2.4 ईक्सिटी विनिमय व्यापारित निधियों में निवेश

समर्त्त लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान ईटीएफएस में निवेशों के लिए निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में टिप्पणी करेगा।

2.5 ऋण चूक अदला-बदलियों (स्वैपों) में एक्सपोज़र

1. कोई भी एक्सपोज़र सीडीएस में करने से पहले समर्त्त लेखा-परीक्षक पुष्टि करेगा कि सीडीएस लेनदेन करने के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ निवेश नीति में शामिल की गई हैं। इस प्रकार का समर्त्त लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा।
2. समर्त्त लेखा-परीक्षक अपने तिमाही प्रमाणीकरण में पुष्टि करेगा कि सभी सीडीएस लेनदेन आरबीआई और आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

2.6 ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में एक्सपोज़र

1. कोई भी एक्सपोज़र ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में करने से पहले बीमाकर्ता समर्त्त लेखा-परीक्षक के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र फाइल करेगा तथा समर्त्त लेखा-परीक्षक प्रमाणित करेगा कि बीमाकर्ता ने ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में न्यूनतम समन्वित स्वचालित प्रणालियों और प्रक्रिया को लागू किया है।
2. प्रणालियों की लेखा-परीक्षा

कोई भी बीमाकर्ता संविभाग का बचाव (हेज़) करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंदर, ऐसा एक्सपोज़र करने से पहले, बीमा कंपनियों के निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शी नोट में डेरिवेटिव्स के लिए विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध रूप में, विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रिया के लिए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के “बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और प्रक्रिया” संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार नियुक्त लेखा-परीक्षक के माध्यम से प्रणालियों की लेखा-परीक्षा संचालित करेगा। सभी बीमाकर्ता जिन्होंने डेरिवेटिव स्थितियाँ ली हैं, उक्त स्थितियों का मोचन करेंगे, जहाँ अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) की गई प्रणालियों और प्रक्रिया का कार्यान्वयन करना अभी बाकी है।

2.7 “अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III) अनुपालनकर्ता स्थायी बांडों” [एटी1 बांड] में निवेश

समवर्ती लेखा-परीक्षक बीमाकर्ता की लेखा-परीक्षा समिति/बोर्ड को प्रस्तुत की जानेवाली अपनी तिमाही रिपोर्ट में पुष्ट करेगा कि ऊपर के पैरा 1.6 के अनुसार सभी मानदंडों का अनुपालन बीमाकर्ता के द्वारा किया गया है।

2.8 “स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) और बुनियादी संरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी)” के यूनिटों और कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश

समवर्ती लेखा-परीक्षक बीमाकर्ता की लेखा-परीक्षा समिति/बोर्ड को प्रस्तुत की जानेवाली अपनी तिमाही रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से आरईआईटीएस/आईएनवीआईटीएस के यूनिटों और कर्ज प्रतिभूतियों के लिए लागू इस परिपत्र के उपबंधों के अनुपालन की पुष्ट करेगा।

2.9 निवेश परिचालनों का नियंत्रण और निगरानी – दूरस्थ स्थान से कार्य

1. बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि समवर्ती लेखा-परीक्षक दूरस्थ स्थान से कार्य करने और रिपोर्ट करने के समय प्रविष्ट किये गये सौदाँ/किये गये निवेशों की जाँच करेंगे तथा पाई गई कोई भी कमियाँ सूचित करेंगे।
2. समवर्ती लेखा-परीक्षक आईसीएआई के वर्तमान दिशानिर्देशों और साथ ही, बीमाकर्ता के आंतरिक/बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियंत्रणों/ दिशानिर्देशों के अनुसार भी प्रणालियों और नियंत्रणों पर टिप्पणी करेगा। बीमाकर्ता तिमाही समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के भाग के रूप में प्राधिकरण को समवर्ती लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेंगे।

खंड – III – मूल्यांकन दिशानिर्देश

3.1 ईकिटी विनिमय व्यापारित निधियों में निवेश

ईटीएफएस का मूल्यांकन अनुबंध 2 के अनुरूप होगा।

3.2 प्रतिभूतियाँ उधार देने और उधार लेने (एसएलबी) का ढाँचा

1. एसएलबी में उधार दी गई प्रतिभूतियों को इस रूप में माना जाएगा मानो बीमाकर्ता ऐसी प्रतिभूतियों का स्वामी हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर उत्पन्न होनेवाले सभी लाभ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध होंगे अर्थात् बीमाकर्ता के लाभकारी अधिकार एसएलबी ढाँचे के अनुसार जारी रहेंगे।
2. उधार शुल्क का लेखांकन, प्रतिभूतियों की समयपूर्व चुकौती/वापस माँगने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए उपचय आधार पर किया जाएगा।

3.3 म्युचुअल फंड में निवेश

1. म्युचुअल फंड यूनिटों की खरीद और बिक्री का परिकलन भारित औसत मूल्य पर किया जाएगा। साथ ही, बीमाकर्ता विनियमों के फार्म 5 में ऐसे म्युचुअल फंडों का समग्र बाजार मूल्य सूचित करेगा।
2. म्युचुअल फंड निवेशों के लिए एक अलग उचित मूल्य परिवर्तन खाता रखा जाएगा।
3. म्युचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले अप्राप्त अभिलाभों/ हानियों को ‘उचित मूल्य परिवर्तन – म्युचुअल फंड’ खाते में लिया जाएगा। म्युचुअल फंड यूनिटों के विक्रय पर लाभ/हानि में उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल होंगे जो किसी विशिष्ट म्युचुअल फंड के संबंध में शीर्ष “उचित मूल्य परिवर्तन – म्युचुअल फंड” के अंतर्गत म्युचुअल फंडों में पूर्व में स्वीकृत किये गये हों तथा म्युचुअल फंड यूनिटों के वास्तविक विक्रय पर राजस्व / लाभ और हानि लेखे में पुनः लाये जा रहे हों।

- बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आकलन करेगा कि क्या निवेश के लिए मूल्य में कोई हास तो नहीं हुआ है। निवेशों के मूल्य में हास को निवेश के पुनःमापित उचित मूल्य तथा राजस्व / लाभ और हानि लेखे में व्ययों के रूप में स्वीकृत किये गये निवेशों के मूल्य में पूर्व के किसी हास के द्वारा घटाये गये तौर पर उसकी लागत के बीच के अंतर की सीमा तक राजस्व / लाभ और हानि लेखे में व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। राजस्व / लाभ और हानि लेखे में पूर्व में स्वीकृत निवेशों के मूल्य में हास का कोई भी प्रतिवर्तन राजस्व / लाभ और हानि लेखे में स्वीकृत किया जाएगा।
 - यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के मामले में, म्युचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर किया जाएगा।
- 3.4 बैंकों की टियर-1 पूँजी के स्थायी कर्ज लिखतों तथा उच्चतर टियर-II पूँजी के कर्ज पूँजी लिखतों में निवेश**
- एठी1 बांडों और टियर II बांडों का मूल्यांकन समय-समय पर म्युचुअल फंडों के लिए सेबी द्वारा जारी किये गये निवेशों के अनुसार होगा।
- 3.5 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांडों में निवेश**
- तटीय (आनशोर) रूपया बांडों का मूल्यांकन कारपोरेट बांडों और डिबेंचरों के अनुरूप होगा।
- 3.6 ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में एक्सपोज़र**
- ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का लेखांकन समय-समय पर संशोधित लागू लेखांकन मानक के अनुसार होगा। प्रारंभिक मार्जिन और बाजार मूल्य पर अंकित मार्जिन का लेखांकन चालू आस्तियों के भाग के रूप में किया जाएगा।

3.7 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित विषय

क. आस्ति वर्गीकरण:

- प्रत्येक बीमाकर्ता तुलन-पत्र की तारीख को बकाया ऋणों और अग्रिमों (बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई बीमा पालिसियों की जमानत पर प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर अन्य) की कम वसूली के कारण उत्पन्न होनेवाली अनुमानित हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा। ये दिशानिर्देश ऋणों और अग्रिमों के कारण हानि के न्यूनतम प्रावधानों के निर्धारण के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए उद्दिष्ट हैं।
- बीमाकर्ता अपने ऋणों/अग्रिमों का वर्गीकरण चार श्रेणियों में करेंगे, अर्थात् (i) मानक आस्तियाँ, (ii) अवमानक आस्तियाँ, (iii) संदिग्ध आस्तियाँ तथा (iv) हानि आस्तियाँ। इन श्रेणियों में आस्तियों का वर्गीकरण चुकौती करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता तथा प्रतिभूति के मूल्य और वसूलीयोग्यता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- मानक आस्तियाँ:** मानक आस्ति ऐसी आस्ति है जो किसी समस्या को प्रकट नहीं करती और जो व्यवसाय के साथ संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम को वहन नहीं करती। ऐसी आस्ति कोई एनपीए नहीं है। बीमाकर्ता को मानक आस्तियों पर आस्ति के मूल्य के न्यूनतम 0.40 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करना चाहिए। “मानक” वर्गीकरण के अंतर्गत आनेवाले उधारकर्ताओं के द्वारा अधिग्रहण की गई बीमार इकाइयों को बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे दिये गये ऋणों के संबंध में, अंतरिती और विलयित यूनिटों की सुविधाओं का अलग से वर्गीकृत होना बीमार यूनिट के अधिग्रहण की तारीख से 24 महीने से अनधिक अवधि के लिए जारी रह सकता है, जिसके बाद समग्र रूप में उधारकर्ता को स्वीकृत ऋणों का निष्पादन उनके वर्गीकरण को निर्धारित करेगा। प्रतिवर्ती विलय (अर्थात् किसी बीमार इकाई के द्वारा किसी स्वस्थ इकाई का अधिग्रहण) के मामलों में भी, दोनों इकाइयों की सुविधाओं का अलग से वर्गीकृत होना 24 महीने के लिए जारी रह सकता है जिसके बाद आस्ति वर्गीकरण के लिए संयुक्त निष्पादन को लिया जा सकता है।

4. **अवमानक आस्तियाँ**: अवमानक आस्ति ऐसी आस्ति है जिसे 12 महीने से अनधिक अवधि के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उदा. एक आस्ति जिसे 1 अप्रैल 2021 को एनपीए के रूप में माना गया है, को केवल 31 मार्च 2022 तक ही अवमानक आस्ति के रूप में माना जाएगा। बीमाकर्ताओं के द्वारा सीधे वित्तपोषण की गई परियोजना के समापन के लिए निर्धारित समय व्यतीत होने (टाइम ओवररन) के मामले में बीमाकर्ताओं के बोर्ड विधिमान्य कारणों के आधार पर यह निर्णय करें कि क्या उक्त अग्रिम को मानक आस्ति के रूप में मानना चाहिए। ऐसी आस्ति जहाँ मूलधन और ब्याज के संबंध में ऋण करार की शर्तों के विषय में उत्पादन के प्रारंभ के बाद पुनः समझौता किया गया है अथवा पुनर्निर्धारण किया गया है, को अवमानक के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए तथा वह संशोधित शर्तों के अंतर्गत लगातार कम से कम दो वर्ष के संतोषजनक निष्पादन के लिए इस श्रेणी में रहेगी। आस्ति के वर्गीकरण का ग्रेड मात्र पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जब तक उपर्युक्त शर्त का संतोषजनक अनुपालन न हो।
5. **संदिग्ध आस्तियाँ**: संदिग्ध आस्ति ऐसी आस्ति है जो 12 महीने से अधिक अवधि के लिए एनपीए के रूप में रह गई है, उदा. उधारकर्ता को दी गई एक ऋण सुविधा जो 1 अप्रैल 2021 को एनपीए के रूप में मानी गई है, 1 अप्रैल 2022 से “संदिग्ध” के रूप में मानी जाएगी। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण के पास अवमानक के रूप में वर्गीकृत रूप में अंतर्निहित दुर्बलता है, जिसकी निरंतर बनी हुई चूक उसकी पूर्णतः वसूली को असंभव बनाती है। यहाँ भी, जैसा कि अवमानक आस्तियों के मामले में है, पुनर्निर्धारण इस आस्ति की श्रेणी का ग्रेड स्वतः बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करता। इसी प्रकार, एक संदिग्ध आस्ति जो पुनर्वास के अधीन है और जहाँ उक्त आस्ति बाद में लगातार एक वर्ष के लिए संतोषजनक रूप से सर्विस प्राप्त करती है, क्रमिक रूप से आगे चलकर एक मानक आस्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी।
6. **हानि आस्तियाँ**: हानि आस्ति वह आस्ति है जहाँ हानि को बीमाकर्ता या उसके आंतरिक या सांविधिक लेखापरीक्षकों या आईआरडीएआई द्वारा पहचाना गया है, परंतु उक्त राशि को पूर्णतः अपलिखित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति को वसूल करने योग्य नहीं माना जाता है और इस स्थिति के होते हुए एक बैंकयोग्य आस्ति के रूप में उसकी निरंतरता आवश्यक नहीं मानी जाती, यद्यपि उसके कुछ बचाव या वसूली का मूल्य हो सकता है।
7. **अतिदेय राशियाँ ब्याज/मूलधन**: कोई भी राशि, चाहे ब्याज हो या मूलधन, अतिदेय तब कही जाती है जब उसका भुगतान बीमाकर्ता को विनिर्दिष्ट तारीख को नहीं किया जाता। एक आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिन (अर्थात् एक तिमाही) से अधिक अतिदेय रह जाती है।

ख. ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण:

किसी खाते की वसूली के संदिग्ध बनने, इस रूप में उसे मानने, प्रतिभूति की वसूली तथा बीमाकर्ताओं को प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में हास के बीच की समयावधि को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि बीमाकर्ता अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानि आस्तियों के लिए नीचे दी गई क्रियाविधि के अनुसार पर्याप्त प्रावधान करें:

- i. **हानि आस्तियाँ**: संपूर्ण आस्ति को अपलिखित किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से उक्त आस्तियाँ बहियों में रहनी चाहिए, तो बकाया राशि के 100 प्रतिशत के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- ii. **संदिग्ध आस्तियाँ**: क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान जहाँ तक आस्ति प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं की जाती जिसके लिए बीमाकर्ता के पास एक विधिमान्य अवलंब है तथा वसूलीयोग्य मूल्य का अनुमान यथार्थपरक आधार पर किया गया है। ख) उपर्युक्त मद क) से अधिक उस अवधि के आधार पर जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है, रक्षित अंश के 20% से 100% तक प्रावधान (अर्थात् बकाया राशि का अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए:

अवधि जिसके लिए आस्ति संदिग्ध के रूप में मानी गई है	प्रावधान का %
एक वर्ष तक	20%
एक से तीन वर्ष तक	30%
तीन वर्ष से अधिक	100%

- iii. **अवमानक आस्तियाँ :** केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये ऋणों सहित, अवमानक रह गये कुल बकाया मूल्य के 10% का सामान्य प्रावधान करना अपेक्षित है। बीमाकर्ता द्वारा प्रदान किये गये पोषण (नर्सिंग) वित्त के मामले में, पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ एक अलग खाते के रूप में मानी जा सकती हैं तथा कार्यनिष्ठादान का निर्धारण अलग से किया जा सकता है। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी ऋण सुविधाओं के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तभी किया जाए यदि ब्याज/मूलधन के भुगतान 90 दिन से अधिक देय रहते हैं।
- iv. **मूलधन की चुकौती में चूक:** विभिन्न कारणों से, जैसे परियोजना कार्यान्वयन में विलंब, पर्याप्त कार्यशील पूँजी सुविधाएँ प्राप्त करने में विलंब आदि, मूलधन की चुकौती में निर्धारित एक तिमाही से अधिक विलंब हो सकता है। उक्त आस्ति को लगातार मानक के रूप में माना जा सकता है यदि मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण संबंधित बीमाकर्ता के बोर्ड के अनुमोदन से किया जाता है। यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त पुनर्निर्धारण केवल एक बार ही किया जा सकता है जबकि ब्याज का भुगतान नियमित रूप से लगातार किया जाता है।
- v. **निर्धारित समय का व्यतीत होना (टाइम ओवररन):** बीमाकर्ताओं के द्वारा सीधे वित्तपोषित परियोजना के समापन के लिए निर्धारित समय के व्यतीत होने (टाइम ओवररन) की स्थिति में, बीमाकर्ता के बोर्ड को विधिमान्य कारणों के आधार पर यह निर्णय करना चाहिए कि क्या उक्त अग्रिम को मानक आस्ति के रूप में मानना चाहिए या नहीं।
- vi. **एकबारगी निपटान:** कभी-कभी बीमाकर्ता किसी नये स्वामी के साथ अपनी प्राप्य राशियों का एकबारगी निपटान (ओटीएस) करते हैं। उन स्थितियों में जहाँ एक बीमार इकाई को एक स्वस्थ और मजबूत इकाई के साथ विलय किया गया है तथा जहाँ भुगतान उक्त ओटीएस योजना के अनुसार किये जा रहे हैं, वहाँ विलयित इकाई के संबंध में आस्ति को अवमानक से मानक आस्ति के रूप में ग्रेड बढ़ाने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतीक्षा किये बिना मानक के रूप में माना जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों का अनुमोदन संबंधित बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त छूट की अनुमति केवल ओटीएस मामलों में ही दी जाती है।
- 8. “मानक” वर्गीकरण के अंतर्गत आनेवाले उधारकर्ताओं के द्वारा अधिग्रहण की गई बीमार इकाइयों को (पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत या अन्य प्रकार से) दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में, अंतरिती और विलयित इकाइयों की सुविधाओं का अलग से वर्गीकृत किया जाना बीमार इकाई के अधिग्रहण की तारीख से 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी रह सकता है, जिसके बाद समग्र रूप में उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण सुविधा के निष्पादन के आधार पर उनके वर्गीकरण को निर्धारित करना चाहिए।
- 9. **एक से अधिक ऋण सुविधाएँ प्राप्त करनेवाली इकाइयाँ :** उन उधारकर्ताओं के मामले में जिन्हें बीमाकर्ता द्वारा एक से अधिक ऋण सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, उनसे प्राप्य सभी राशियों को एनपीए के रूप में मानना होगा, यदि उन्हें दिये गये सभी ऋणों से प्राप्य उनके कुल ब्याज और/या मूलधन का 50 प्रतिशत एक तिमाही से अधिक समय के लिए अतिदेय रहता है।

- 10. सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण:** केन्द्र/राज्य सरकार की गारंटियों के द्वारा समर्थित ऋणों या अन्य ऋण सुविधाओं को आय निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए अन्य आस्तियों के सम्मूल्य पर माना जाना चाहिए। तथापि, केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋणों के संबंध में, ऐसे ऋणों को एनपीए के रूप में केवल तभी मानना चाहिए जब लागू करने पर सरकार अपनी गारंटी का निराकरण करता है।
- 11. आय निर्धारण:** एनपीए के रूप में वर्गीकृत किसी भी आस्ति के संबंध में आय को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि उसकी वसूली नहीं की जाती। तथापि, किसी नये/अतिरिक्त ऋण के आधार पर अतिदेय ब्याज के लिए किसी समायोजन को वसूलीकृत रूप में नहीं माना जाएगा।
- 12. बीमाकर्ताओं को ऐसे ऋण खातों के लिए जो संभावित एनपीए बन सकते हैं, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत बनाये गये संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) में सहभागिता करने के लिए अनुमति दी गई है। इसके अनुसार वे आवश्यकता पर आधारित एक्सपोज़र बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कर सकते हैं जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत एक्सपोज़र से अधिक हो सकता है।**
- 13. बीमाकर्ता उपर्युक्त बिन्दुओं पर जारी किये गये नवीनतम आरबीआई परिपत्र / दिशानिर्देशों का अनुसरण करेगा, जहाँ मास्टर परिपत्र के उपबंध 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित विषय' पर इस मास्टर परिपत्र के बिन्दु 3.7 के संबंध में असंगत हैं।**

खंड – IV: परिचालन प्रक्रिया

4.1 सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में रेपो, प्रतिवर्ती रेपो

1. सभी रेपो परिचालन भी कम से कम तिमाही आवधिकता पर निवेश समिति और बोर्ड को सूचित किये जाएँगे।
2. बीमाकर्ता फिर्मा द्वारा अंतिम रूप दिये गये प्रलेखीकरण के अनुसार द्विपक्षीय प्रतिवर्ती रेपो / रेपो करार करेगा। उक्त मानक करार में ऐसे अतिरिक्त खंड भी निविष्ट किये जा सकते हैं जो बीमा विनायमक ढाँचे की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो सकें, बशर्ते कि ऐसे खंड फिर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक खंडों से अधिक सख्त हों।
3. सभी अन्य विषयों में, जैसे इस प्रकार के रेपो और प्रतिवर्ती रेपो लेनदेनों से संबंधित लेखांकन कार्यपद्धति, लेनदेनों की रिपोर्टिंग, लेनदेनों का निपटान, रेपो प्रतिभूति के विक्रय संबंधी निषेध, हेयरकट मूल्यांकन आदि के संबंध में बीमाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी की गई तथा समय-समय पर अद्यतन की गई अधिसूचना आईडीएमडी. डीओडी. 05/11.08.38/2009-10 दिनांक 8 जनवरी 2010 में दिये गये निदेशों का पालन करेंगे।
4. बीमाकर्ता का बोर्ड निम्नलिखित को शामिल करते हुए निवेश नीति में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा:
 - i. प्रतिपक्षकार की श्रेणी
 - ii. प्रतिपक्षकार द्वारा जारी किये गये लिखतों की क्रेडिट रेटिंग
 - iii. इस परिपत्र में निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अधीन प्रतिपक्षकार पर एक्सपोज़र
 - iv. विशिष्ट कारपोरेट कर्ज लिखत पर अधिकतम एक्सपोज़र और ऐसे कर्ज लिखत का
 - v. संपार्श्विक की अवधि

vi. लागू हेयरकट

vii. रेपो लेनदेन की अवधि के दौरान 'रेटिंग के डाउनग्रेडिंग' का व्यवहार

4.2 प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने का ढाँचा

1. निधियों में एसएलबी के माध्यम से प्रतिभूतियाँ उधार देना केवल निवेश समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। अनुमोदन देने पर विचार करते समय, निवेश समिति इस बात से संतुष्ट होगी कि एसएलबी के माध्यम से प्रतिभूतियाँ उधार देना पालिसीधारकों के हित में होगा।
2. बीमाकर्ता का बोर्ड अपनी निवेश नीति का संशोधन करेगा तथा समय से पहले वापस बुलाने, विस्तारण करने (रोल ओवर), लाभांश, बोनस, अधिकार, विलय, विलगाव आदि जैसी कारपोरेट कार्रवाइयों के लिए परिस्थितियों को कवर करते हुए एसएलबीएस पर पर्याप्त जोखिम प्रबंध ढाँचा लागू करेगा।

4.3 आईपीओ के माध्यम से ईकिटी शेयरों में निवेश

1. बीमाकर्ताओं का बोर्ड लाभांश मानदंडों को पूरा करते हुए, आईपीओएस के माध्यम से ईकिटियों में निवेश का अनुमोदन करने के लिए निवेश समिति को सशक्त बनायेगा।
2. बीमाकर्ता की निवेश नीति के पास आईपीओएस में निवेश के संबंध में एक विस्तृत नीति होगी तथा निवेश टीम उक्त नीति के अनुपालन के अधीन दैनंदिन आधार पर निर्णय ले सकती है।
3. ऐसे निवेश विशेष रूप से 'अनुमोदित' स्थिति के बारे में आवधिक समीक्षा के अधीन होंगे।

4.4 म्युचुअल फंड में निवेश

बीमाकर्ता की निवेश समिति म्युचुअल फंडों का चयन करने हेतु और अनुमतियोग्य योजनाओं के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश निर्धारित करेगी, जिनमें किसी एकल म्युचुअल फंड में तथा म्युचुअल फंड की प्रत्येक योजना में एक्सपोज़र के मानदंड शामिल हैं जिससे संकेन्द्रण से बचा जा सके।

4.5 वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश

बीमाकर्ता की निवेश नीति उद्यम निधियों अथवा वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश करने के लिए नीति निर्धारित करेगी तथा ऐसे निवेशों के लिए आंतरिक मानदंडों का निर्णय बीमाकर्ता की निवेश समिति (आईसी) द्वारा लिया जाएगा।

4.6 ऋण चूक अदला-बदलियों (स्वैप्स) में एक्सपोज़र

1. बीमाकर्ता का बोर्ड अपनी निवेश नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल करते हुए, आवश्यक जोखिम प्रबंध ढाँचा लागू करेगा:
 - i. आस्तियों के प्रकार जिनपर संरक्षण खरीदा जा सकता है
 - ii. प्रतिपक्षकार जिनसे सीडीएस खरीदा जा सकता है तथा प्रतिपक्षकारों संबंधी सीमाएँ
 - iii. मूल्यांकन मानदंड
 - iv. रिपोर्टिंग और निगरानी मानदंड
 - v. आवधिक अंतरालों पर दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षकार की सक्षमता के संबंध में दबाव परीक्षण

- vi. लागू मार्जिन (मार्जिन नकदी में अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में होने चाहिए)। ऐसे प्राप्त मार्जिन निवेश आस्तियों का भाग नहीं होने चाहिए तथा बीमाकर्ता को ऐसे मार्जिनों के 'न्यासी' के रूप में कार्य करना चाहिए।
 - vii. एमटीएम दायित्वों का निपटान
 - viii. एमआईएस, अपवर्जन की रिपोर्टिंग
 - ix. पूर्वोक्त आरबीआई परिपत्र में दी गई जोखिम प्रबंध संचना के अनुरूप प्रयोक्ता के लिए निर्धारित आवश्यक प्रणालियाँ और नियंत्रण
 - x. निवेश नीति के अनुरूप आवधिक अंतरालों पर नीति की समीक्षा
2. बीमाकर्ता फिम्डा द्वारा जारी किये गये रूप में प्रतिपक्षकारों के साथ सीडीएस के लिए मास्टर करार करेंगे। ऐसे करारों में बीमाकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिए अतिरिक्त खंड हो सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे खंड फिम्डा द्वारा निर्धारित खंडों से अधिक सख्त हों। निवेश समिति को निरंतर आधार पर ऐसे अतिरिक्त खंडों की समीक्षा करनी चाहिए।
 3. सभी सीडीएस लेनदेन तिमाही आवधिकता पर निवेश समिति, लेखा-परीक्षा समिति को सूचित किये जाएँगे।

4.7 निवेश कार्य का बाह्यस्रोतीकरण

1. विनियमों का खंड 12(3)(ii) यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाता है कि निवेश कार्य के किसी भी भाग का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) **नहीं** किया जा सकता, क्योंकि यह बीमा व्यवसाय का एक मुख्य कार्य है।
2. किसी भी श्रेणी के निवेश या किसी विशिष्ट निवेश के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशुद्ध रूप से परामर्शी क्षमता में निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति करना बीमाकर्ता के बाह्यस्रोतीकरण के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता, बशर्ते कि बीमाकर्ता की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (दोनों शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को एकसाथ लेते हुए) रु. 500 करोड़ से अधिक न हों अथवा आर3 के निर्गम के द्वारा पंजीकरण की तारीख से परिचालनों का एक वर्ष पूरा नहीं किया हो, जो भी पहले हो:
 - i. निवेश संबंधी निर्णय निवेश नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के अंदर उचित प्रलेखीकरण के साथ कंपनी के अंदर किये जाएँ
 - ii. सौदे का स्थानन और निष्पादन प्रारंभिक (फ्रंट) कार्यालय कार्मिकों के द्वारा किया जाए
 - iii. प्रबंधन और प्राधिकरण को आवधिक रिपोर्ट कंपनी (आंतरिक) द्वारा निकाली जाएँ
 - iv. सेवा प्रदाता को अदा किया जानेवाला परामर्शी शुल्क मामला-दर-मामला आधार पर हो, न कि निवेश आस्ति मूल्य पर
3. उक्त परामर्शी शुल्क:
 - i. यूलिप व्यवसाय के मामले में एनएवी परिकलनों का भाग नहीं बनेगा
 - ii. शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक शेयरधारकों की निधि में से अदा किया जाएगा

तथापि, ऐसी कोई भी व्यवस्था इस संबंध में किये गये किसी करार सहित, इसका पूरा विवरण देते हुए, केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही की जाए।

4.8 निवेश का अंतरण

1. **शेयरधारकों के खाते से पालिसीधारकों के खाते में अंतरण:** किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में पालिसीधारकों के खाते में कमी को पूरा करने के लिए शेयरधारकों के खाते से पालिसीधारकों के खाते में निधियों का अंतरण, जब भी किया जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, अर्थात् लागत कीमत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, पर होना चाहिए। कर्ज प्रतिभूतियों के मामले में सभी अंतरण बाजार कीमत और निवल परिशोधित लागत, दोनों में से जो भी कम हो, पर करने होंगे।
2. **पालिसीधारकों की निधियों के बीच अंतरण:** विभिन्न पालिसीधारकों की निधियों (सहभागी और लाभरहित निधियों के बीच) आस्तियों (निवेशों) का कोई भी अंतरण करने की अनुमति नहीं है। साथ ही, (1) शेयरधारकों की निधियों को छोड़कर जीवन निधि (2) पेंशन और सामान्य वार्षिकी निधि और (3) यूनिट सहबद्ध निधियों के बीच किसी भी निधि का अंतरण नहीं किया जा सकता।
3. **यूनिट सहबद्ध निधियों के बीच खरीद/बिक्री लेनदेन:** बीमाकर्ता लेनदेन लागत सीमित करने के लिए तथा विभिन्न यूनिट सहबद्ध निधियों के बीच अंतरण करने के लिए पालिसीधारकों के द्वारा प्रयुक्त विकल्पों से उत्पन्न होनेवाले लेनदेनों की लागत को सीमित करने के लिए निवेश प्रबंध कार्यनीति के भाग के रूप में यूनिट सहबद्ध निधियों के बीच बिक्री/खरीद लेनदेनों पर विचार करना चाहेंगे। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत निवेशों की बिक्री/खरीद निवेशों की बाजार कीमत पर आधारित होगी, जिनका अंतरण यूनिट-सहबद्ध योजनाओं के बीच किया जा रहा हो। ऐसे सभी लेनदेन ऐसी कीमत पर किये जाने चाहिए, जैसी कि नीचे विनिर्दिष्ट की गई है।
 - क. ईक्टी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफएस और सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में नवीनतम व्यापार की बाजार कीमत। सौदा ऐसे भाव या कीमत प्राप्त करने के एक घंटे के अंदर प्रणाली में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।
 - ख. (क) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के मामले में, यदि सौदा अंतरण के दिन घटित नहीं हुआ है और सभी अन्य प्रतिभूतियों के लिए जो (क) का भाग नहीं हैं, पिछले दिन की मूल्यांकन कीमत।
4. समवर्ती लेखा-परीक्षक पुष्टि करेगा कि ऊपर बिन्दु 3 में बताये गये रूप में सभी लेनदेन ऊपर बिन्दु 3 में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अनुसार किये गये हैं।
5. असंबद्ध व्यवसाय की निधियाँ : यह दोहराया जाता है कि असंबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न पालिसीधारकों की निधियों के बीच किसी बिक्री/खरीद की अनुमति नहीं है।
6. **छोटे आकार की निधि:**

नये बीमाकर्ताओं के प्रारंभिक स्तरों में, निधियाँ संभवतः क्रमिक रूप से निर्मित होती हैं, तथा बीमाकर्ता न्यूनतम बाजार लाट की शर्तों के कारण प्रतिभूतियों की खरीद के संबंध में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसी कठिनाइयों से पार पाने के लिए, प्रारंभिक वर्षों में बाजार कीमत पर प्रतिभूतियों का विक्रय शेयरधारकों की आस्तियों से करने की अनुमति है, वह भी केवल 'अनुमोदित श्रेणी' से ही करने की अनुमति है जिससे पालिसीधारकों की निधियों के निवेशों की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

ऐसे लेनदेनों की अनुमति केवल वहीं दी जाएगी, जहाँ पालिसीधारकों की निधि का आकार छोटा, अर्थात् रु. 50 करोड़ तक है।

जीवन बीमाकर्ता की निधियों का श्रेणीकरण निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा:

- क. जीवन निधि
- ख. पेंशन, वार्षिकी और समूह निधि
- ग. यूनिट सहबद्ध निधियाँ

तथा ऊपर उल्लेख किये गये अनुसार रु. 50 करोड़ की उच्चतम सीमा उपर्युक्तानुसार सूचीबद्ध प्रत्येक निधि के लिए लागू होगी, न कि उपर्युक्त निधियों में से प्रत्येक निधि के अंदर वैयक्तिक निधियों के लिए।

ऐसे लेनदेन के संबंध में लेखा-परीक्षा द्वारा खोज-खबर सुनिश्चित करने के लिए, यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) है कि ऐसे लेनदेन निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन होंगे:

- क. पालिसीधारकों की निधियों में ऐसे विक्रय लेनदेन के लिए कारण देते हुए निवेश समिति का प्राधिकरण
- ख. वित्तीय विवरणों/विवरणियों में प्रकटीकरण
- ग. सांविधिक लेखा-परीक्षकों के द्वारा लेखा-परीक्षा
- घ. रु. 50 करोड़ की सीमा प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

4.9 पेंशन और समूह निधि में अन्य निवेश

जहाँ कोई प्रतिभूति, अधिग्रहण के समय 'अनुमोदित निवेश' का भाग होते हुए, बाद में अनुमोदित निवेशों के लिए विनियामक मानदंडों को पूरा न करने के कारण 'अन्य निवेश' का भाग बनती है, वहाँ बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि ऐसी प्रतिभूति 180 दिन की अवधि के अंदर पेंशन और समूह निधि का भाग बनकर जारी न रहे। यदि प्रतिभूति लगातार 'अन्य निवेश' रहती है, तो 180 दिन समाप्त होने के बाद, ऐसी प्रतिभूति का मूल्य परिशोधित लागत पर शेयरधारकों की निधियों में अंतरण के द्वारा पूरा किया जाएगा।

4.10 शेयर बाजारों में लेनदेन नकदी आधार पर होना

1. प्राधिकरण निर्धारित करता है कि बीमाकर्ताओं के द्वारा शेयर बाजारों में किये जानेवाले सभी लेनदेन वितरण में परिणत होंगे।
2. इसके अलावा, सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे तिमाही आधार पर इस आशय का एक अनुपालन प्रमाणपत्र फाइल करें। इस प्रमाणपत्र से अपेक्षित है कि वह विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल की जानेवाली 'निवेश समाधान के विवरण' संबंधी विवरणी के फार्म 5 का भाग बने। उपर्युक्त विवरणी के साथ फाइल किया जानेवाला उक्त अनुपालन प्रमाणपत्र का पाठ निम्नानुसार होगा:

"प्रमाणित किया जाता है कि शेयर बाजारों में निष्पादित किये गये सभी नकदी बाजार लेनदेन केवल वितरण के आधार पर हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ इसमें दी गई समस्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा दबाई नहीं गई है।"

4.11 तयशुदा लेनदेन प्रणाली – आदेश सुमेलन (एनडीएस – ओएम)

1. बीमा अधिनियम, 1938 जीवन बीमाकर्ता से अपेक्षा करता है कि वह अपनी नियंत्रित निधियों का निवेश धारा 27ए के अनुसार करे तथा साधारण बीमाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह धारा 27बी के अनुसार अपनी कुल आस्तियों का निवेश 'अनुमोदित निवेश' में करे। उक्त अधिनियम जीवन बीमाकर्ता से आगे और भी अपेक्षा करता है कि 50% से अन्यून को धारित करे और साधारण बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह अनुमोदित प्रतिभूतियों में 30% के चूनतम को धारित करे, जिसमें भारत सरकार प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित स्थूल विशेषताओं के साथ अगस्त 2005 से तयशुदा लेनदेन प्रणाली – आदेश सुमेलन (एनडीएस – ओएम) को परिचालित किया है:
 - i. उक्त प्रणाली विशुद्धतः आदेश नियंत्रित है जहाँ सभी आदेशों का सुमेलन सख्त कीमत / समय की प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

- ii. उक्त प्रणाली एक अनाम आदेश सुमेलन प्रणाली है जिसमें पक्षकारों की पहचान प्रकट नहीं की जाती। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) इस प्रणाली पर किये गये प्रत्येक सौदे के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार बनेगा।
 - iii. यह प्रणाली सीधे-सीधे (स्ट्रेट-थ्रू) प्रसंस्करण (एसटीपी) की सुविधा देती है तथा निष्पादित सौदे सीसीआईएल के पास सीधे निपटान के लिए तैयार स्थिति में प्रवाहित होते हैं।
 - iv. यह प्रणाली आदेश प्रबंध (आदेशों का स्थानन, आशोधन या निरसन), व्यापार संबंधी पूछताछ, सक्रियता लाग, बाजार सूचना और वैश्लेषिकी (एनालिटिक्स) (वाईटीएम कंप्युटेशन आदि) के लिए कार्यात्मकताएँ उपलब्ध कराती है।
 - v. यह प्रणाली वर्तमान में, टी+1 निपटान के लिए सभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में लेनदेन को समर्थन देती है।
3. सरकारी प्रतिभूतियों में समस्त द्वितीयक बाजार व्यापार एनडीएस-ओएम में रखा जाएगा या एनडीएस-ओएम में सूचित किया जाएगा।

4.12 जमा प्रमाणपत्रों (सीडीएस) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपीएस) में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग

1. द्वितीयक बाजार लेनदेनों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने तथा सीडीएस और सीपीएस में वास्तविक सौदों संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए, जो मुद्रा बाजार लिखत हैं, सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे सीडीएस और सीपीएस में अपने ओटीसी सौदों की सूचना फिर्डा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर दें।
2. तदनुसार, सभी आईआरडीएआई विनियमित संस्थाएँ सीडीएस और सीपीएस में अपने ओटीसी लेनदेनों की सूचना फिर्डा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर सौदे के बाद 15 मिनट पहले बाजार सूचना के आनलाइन प्रसार के लिए दें। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया फिर्डा द्वारा सूचित की जाएगी।

4.13 बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांडों का निर्गम – बुनियादी संरचना और वहनीय आवास का वित्तपोषण

निवेश समिति प्रस्ताव के प्रधान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी संरचना अथवा आवास क्षेत्र एक्सपोज़र के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे निवेश के वर्गीकरण के संबंध में एक सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

4.14 कारपोरेट बांडों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों और प्रतिभूतीकृत कर्ज में लेनदेनों की रिपोर्टिंग

1. सभी बीमाकर्ता किसी भी शेयर बाजार (एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स-एसएक्स) में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार कारपोरेट बांडों और प्रतिभूतीकृत कर्ज लिखतों में अपने द्वितीयक बाजार ओटीसी सौदों की सूचना दें। इन सौदों का समाशोधन और निपटान किसी भी समाशोधन निगम (एनएससीसीएल, आईसीसीएल और एमसीएक्स-एक्स सीसीएल) के माध्यम से किया जाना चाहिए।
2. सभी बीमाकर्ता फिर्डा (सीबीआरआईसीएस) में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों में अपने द्वितीयक बाजार ओटीसी सौदों की सूचना दें।

4.15 वियोजित निधि निर्माण और एनएवी प्रक्रिया

क. वियोजित निधि निर्माण

बीमाकर्ता वियोजित निधि निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें।

- i. नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एसएफआईएन व्युत्पन्न किया जा सकता है।

सं.	निधि की श्रेणी	'एसएफआईएन' के लिए प्रक्रिया
1	यूनिट सहबद्ध वैयक्तिक निधियाँ	<यूलिफ>+<001>+<दिनमाहवर्ष>+<निधि का नाम>+<पंजी. संख्या>
2	यूनिट सहबद्ध समूह निधियाँ	<यूएलजीएफ>+<001>+<दिनमाहवर्ष>+<निधि का नाम>+<पंजी. संख्या>

टिप्पणी: 'एसएफआईएन के लिए प्रक्रिया' के लिए स्पष्टीकरण

- क. एसएफआईएन के प्रथम चार अक्षर उस श्रेणी को व्यक्त करते हैं जिनसे निधि संबंधित है।
- ख. 001 विशिष्ट श्रेणी में प्रथम निधि को व्यक्त करता है
- ग. दिनमाहवर्ष निधि के प्रारंभ की तारीख को निरूपित करता है
- घ. निधि का नाम निधि के नाम को व्यक्त करता है जिसे 10 अक्षरों में संक्षिप्त किया जाएगा।
- ii. बीमाकर्ता यह पुष्टि करेगा कि एसएफआईएन विशिष्ट है और किसी अन्य वियोजित निधि को आबंटित नहीं की गई है।
- iii. पंजी. सं. पंजीकरण संख्या है।
- iv. 'वियोजित निधि' चाहे किसी भी नाम से कहलाए, केवल अनुबंध 1 में विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत निवेशों की 'व्यापक' (इंजास्टिव) श्रेणियों में निवेश करेगी।
- v. निवेश नीति के अनुसार किये जानेवाले निधि के प्रारंभ से पहले निवेश बीमाकर्ता की निवेश समिति द्वारा अनुमोदित और बीमाकर्ता के निवेश विभाग द्वारा अनुसरण की जानेवाली मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कवर किये जाएँगे, यदि वर्तमान एसओपी नये आस्ति वर्ग, यदि कोई हो, को कवर नहीं करती। उक्त 'वियोजित निधि' के पहचानयोग्य, वैयक्तिक 'स्क्रिप' होंगे जो आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार समूहित होंगे तथा ऐसी 'वियोजित निधि' के लिए वे एक अलग उप-कूट के द्वारा अभिरक्षक स्तर पर पहचानयोग्य होंगे।
- vi. **अन्य शर्तें:**
- क. दो या उससे अधिक 'वियोजित निधि' के बीच किसी वैयक्तिक प्रतिभूति को निश्चित नहीं किया गया है।
- ख. बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित नई निधि उसकी किसी भी वर्तमान निधि का छोटा आशोधन नहीं होगा।
- ग. निधि का नाम भ्रामक नहीं होगा तथा उसमें ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे जो निधि के उद्देश्य के लिए असंगत प्रभाव को व्यक्त करता हो।
- घ. प्रत्येक 'वियोजित निधि' का 'दैनंदिन आधार पर' घोषित एक 'एकल' एनएवी होगा जो बीमाकर्ता की सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेन) और जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा।
- ঠ. बीमाकर्ता एक पोर्टल के माध्यम से एक सुरक्षित लाग-इन के द्वारा पालिसीधारक को (i) फार्म डी02 के अनुसार उसके द्वारा धारित पालिसी-वार यूनिटों का मूल्य तथा (ii) निधि-वार एनएवी (एसएफआईएन वार) दोनों बीमाकर्ता की वेबसाइट और जीवन परिषद की वेबसाइट पर उसी दिन जानने के लिए समर्थ बनाएगा।

- च. बीमाकर्ता, उत्पाद के ब्रोशर के भाग के रूप में, फार्म डी02 के अंतर्गत अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये प्रकटीकरण को शामिल किया था तथा पालिसी दस्तावेज के साथ उक्त सुरक्षित विवरण पालिसीधारकों को उपलब्ध कराएगा।
- छ. 'यूनिट' 'दैनंदिन आधार पर' निर्मित किये जाएँगे तथा उक्त 'वियोजित निधि' के लिए निवेश आस्तियों के द्वारा समर्थित किये जाएँगे।
- ज. प्रत्येक 'वियोजित निधि' के संबंध में निवेश परीक्षण शेष (ट्रायल बैलेंस) [एसएफआईएन के साथ स्पष्ट लिंक के साथ] प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा।
- झ. समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के खंड 8 के अनुसार सभी विवेकपूर्ण और एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन प्रत्येक 'वियोजित निधि' के लिए एवं यूलिप के प्रबंधनाधीन आस्तियों के लिए किया जाएगा।
- ज. निधि प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) की पहचान प्रत्येक वियोजित निधि के संबंध में की जाती है, और किसी अन्य प्रकार से **नहीं**।
- ठ. यूलिप निधियों के बीच निधियों का अंतरण ऊपर बिन्दु 4.8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। समवर्ती लेखा-परीक्षक प्रमाणित करेगा कि इस अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता के पास आवश्यक स्वचालित प्रणाली विद्यमान है।
- ठ. उक्त एसएफआईएन को समस्त निधि संबंधी फाइलिंग / प्रकटीकरण में उद्धृत किया जाएगा। साथ ही, एसएफआईएन का उल्लेख पालिसीधारकों, अन्य प्रयोक्ताओं (जनसाधारण, वितरण माध्यम और अन्य) को उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों में और समस्त निधि-वार सूचना में तथा प्राधिकरण के पास प्रस्तुत की जानेवाली सभी विवरणियों में अथवा निधि आधारित पत्र-व्यवहार में किया जाएगा।

बीमाकर्ता नई एसएफआईएन के निर्माण संबंधी उपर्युक्त वियोजन निधि निर्माण प्रक्रिया के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षक के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र फाइल करेगा। इस संबंध में सभी अभिलेख किसी भी समय आईआरडीएआई द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराये जाएँगे।

ख. एनएवी प्रक्रिया

1. प्रत्येक वियोजित निधि के लिए एनएवी के परिकलन हेतु नई और वर्तमान निधियों और प्रणालियों और प्रक्रिया के लिए अनुसरण की जानेवाली एनएवी प्रक्रिया विद्यमान होनी चाहिए।
2. यूलिप निधियों के लिए 'निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) प्रक्रिया' को परिभाषित करने का उद्देश्य प्रति यूनिट एनएवी को प्राप्त करने के लिए सभी जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया का मानकीकरण करना है। एनएवी की गणना और घोषणा करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण सुसंगत रूप में करेगा। इस संबंध में, बीमाकर्ता की निवेश समिति बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण की जानेवाली मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा स्पष्ट आंतरिक दिशानिर्देशों, प्रक्रिया प्रवाह चार्टों, क्रियाविधियों और दायित्वों को शामिल करना सुनिश्चित करेगी।
 - क. 'वियोजित निधि' के परिचालन की कार्यपद्धति
 - ख. 'यूनिटों' का निर्माण / मोर्चन
 - ग. दैनिक नकदी प्रवाह विवरण तैयार करना
 - घ. प्रतिभूति मास्टर निर्माण
 - ङ. प्राथमिक बाजार सौदे / आईपीओ

- च. द्वितीयक बाजार कर्ज / ईक्षिटी सौदा प्राधिकरण
- छ. निपटान प्रक्रिया
- ज. बैंकिंग लेनदेन
- झ. कारपोरेट कार्वाइयाँ
- ञ. मूल्यांकन प्रक्रिया
- ट. प्रभार
- ठ. एनएवी गणना

क. 'वियोजित निधि' के परिचालन की कार्यपद्धति

1. 'वियोजित निधियों' को 'संबद्ध व्यवसाय के संबंध में निश्चित की गई निधियों' के रूप में परिभाषित करती है।
2. 'वियोजित निधि' की उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, बीमाकर्ता निधियों के कड़े वियोजन को सुनिश्चित करने और एनएवी की गणना करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनायेगा:
 - क. प्रत्येक "वियोजित निधि" के लिए अलग बैंक खाता और अभिरक्षक के पास खाता खोलेगा।
 - ख. विशिष्ट "वियोजित निधि" के संदर्भ में एक खाता संख्या / खाता नाम आबंटित करने के लिए बैंक को निदेश दिया जाएगा जिससे **एसएफआईएन** के 10 अंकीय निधि नाम के साथ मेल खा सके।
 - ग. प्रत्येक खरीद, निवेश की बिक्री, निवेश पर आय (कारपोरेट कार्वाई सहित) की पहचान विशिष्ट 'वियोजित निधि' के संदर्भ में की जाएगी और उसका हिसाब रखा जाएगा।
 - घ. प्रत्येक 'सौदा पर्ची' की पहचान ऐसी वियोजित निधि(यों) के लिए 'वियोजित निधि' पहचान संख्या 'एसएफआईएन' के साथ 'वियोजित निधि' और **संबंधित** अभिरक्षक के 'उप-कूट' और संबंधित बैंक खाते के संदर्भ में की जाएगी।
3. किसी भी दिन, किसी भी निधि [एसएफआईएन] के अंतर्गत विनियामक सीमाओं का निष्क्रिय उल्लंघन (पैसिव ब्रीच), यदि तीन व्यवसाय दिनों के अंदर ठीक कर लिया जाता है, तो इस प्रकार की गई **सभी** कार्वाइयाँ समर्वती लेखा-परीक्षक/आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा समिति को सूचित की जाएँगी।

ख. यूनिटों का निर्माण / मोचन

यूनिट पूँजी संचलन निधियों में पूँजी संचलन (अभिदान और मोचन) की खोज-खबर रखता है तथा नीति प्रबंध प्रणाली (पीएएस) के साथ समाधान की अपेक्षा करता है, जो निम्नलिखित की अपेक्षा करता है

- क. नीति प्रबंध प्रणाली (पीएएस) से प्राप्त 'अभिदान और मोचन' की दैनिक रिपोर्ट को निवेश लेखांकन प्रणाली के साथ अपलोड किया जाएगा [किसी अयांत्रिक हस्तक्षेप के बिना प्रक्रिया समन्वयन के माध्यम से]
- ख. यूनिट पूँजी प्रविष्टियों को दर्ज करने के बाद, यूनिट रिपोर्ट का समाधान निवेश लेखांकन प्रणाली के निर्माण / मोचन की रिपोर्ट के साथ किया जाएगा।
- ग. 'दैनंदिन आधार' पर निर्मित यूनिट (स्विचों सहित) 'वियोजित निधि वार' निवेश आस्तियों के द्वारा समर्थित किये जाएँगे। दूसरे शब्दों में, **मूल्य/राशि** जिसके लिए यूनिट किसी विशिष्ट दिन के लिए निर्मित किये गये हैं (उक्त दिन के लिए संबंधित निधि के प्रचलित एनएवी पर), लागू प्रभारों और अन्य बहिर्गमनों, जैसे प्रदत्त लाभों, अभ्यर्पणों और 'संबंधित वियोजित निधि' के लागू प्रभारों का अपवर्जन करने में पुरोबंधों (फोरक्लोज़र्स) को घटाकर प्रीमियम प्राप्ति (स्विचों को घटाकर) के समतुल्य होनी चाहिए।

ग. दैनिक नकदी प्रवाह विवरण तैयार करना

बीमाकर्ता 'निवेशयोग्य निधियों' का पता लगाने के लिए दैनंदिन आधार पर प्रत्येक 'वियोजित निधि' के लिए एक नकदी प्रवाह विवरण तैयार करेगा। उक्त नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा:

- क. दिन के प्रारंभ में प्रारंभिक बैंक शेष (पिछले दिन का अंतिम शेष)
- ख. निवेशों के विक्रय के कारण प्राप्ति
- ग. निवेश के मोचन या निवेशों की परिपक्ता के कारण प्राप्ति (सकल)
- घ. ब्याज या लाभांश आदि की प्राप्ति
- ड. प्रतिभूति की खरीद के कारण भुगतान
- च. आवेदन राशि के कारण भुगतान
- छ. प्रभारों और मोचनों को घटाकर प्राप्त प्रीमियम
- ज. निवेशों से संबंधित कोई अन्य प्राप्तियाँ या भुगतान

घ. प्रतिभूति मास्टर निर्माण

1. ईक्टी निवेश

खजाने से निविष्टियों के आधार पर, निवेश पश्च कार्यालय, प्रणाली में प्रतिभूति मास्टरों का निर्माण करेगा (एनएसई/बीएसई कूटों के द्वारा संबद्ध) तथा इन्हें मध्यम कार्यालय द्वारा विधिमान्य बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया में समर्थक और पर्यवेक्षी समापन (साइन आफ) का प्रलेखीकरण शामिल है।

2. कर्ज निवेश

कर्ज लिखतों के लिए प्रतिभूति मास्टर पश्च कार्यालय द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक बाजार सौदों के मामले में सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में समर्थक और पर्यवेक्षी समापन (साइन आफ) का प्रलेखीकरण शामिल है।

ड. प्राथमिक बाजार सौदे / आईपीओ

1. प्राथमिक बाजार सौदों को दर्ज करना – कर्ज

प्राथमिक बाजार सौदे आवेदन की तारीख को दर्ज किये जाएँगे तथा प्रतिभूतियों के आबंटन की तारीख को ये निवेश खातों में प्रतिबिंबित होंगे।

2. ईक्टी आईपीओ को दर्ज करना

ईक्टी निवेश 'आवेदन राशि' के रूप में आईपीओ निर्गम के लिए आवेदन की तारीख को वियोजित निधि स्तर पर लेखांकित किये जाएँगे तथा आबंटन की तारीख को आबंटित शेयर आवेदन राशि के अनुपात में ही निवेश खातों में प्रतिबिंबित होंगे।

च. द्वितीयक बाजार कर्ज / ईक्टी सौदा प्राधिकरण

1. कर्ज सौदे

समय-समय पर यथासंशोधित, निवेशों की श्रेणियों संबंधी दिशानिर्देशों में श्रेणीकृत रूप में सभी कर्ज प्रतिभूतियाँ प्रतिपक्षकारों के साथ निष्पादित की जाएँगी तथा एनएसई / बीएसई / फिम्डा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर सूचित की

जाएँगी और प्रतिपक्षकारों के साथ इनका पुष्टीकरण किया जाएगा। उक्त सौदों को निवेश प्रणाली में प्राधिकृत किया जाएगा तथा उक्त सौदा फाइलें / सूचना निपटान के लिए किसी वित्तीय विनियमनकर्ता द्वारा मान्यताप्राप्त रूप में अभिरक्षक / अन्य आनलाइन निपटान प्रणालियों को भेजी जाएँगी।

2. ईकिटी सौदे

क. एसटीपी (सीधे सीधे प्रसंस्करण) समाधान

सभी द्वितीयक बाजार ईकिटी सौदे निवेश प्रणाली में एसटीपी माझूल के माध्यम से निष्पादित किये जाते हैं। व्यापारी लेनदेन को पूरा करने के बाद निवेश प्रणाली में सौदे का निष्पादन करेगा। सौदा तब पश्च कार्यालय के पास प्रवाहित होगा जिसकी तुलना निविष्टि के विवरण के साथ की जाएगी तथा एसटीपी फाइल दलाल से प्राप्त की जाएगी। यदि सभी ब्योरे मेल खाते हैं, तो लेनदेन को निपटान के लिए प्रणाली में प्राधिकृत किया जाएगा।

ख. अभिरक्षक/दलाल निपटान

एसटीपी समाधान के बाद ईकिटी सौदा फाइलें/आईएसओ फाइलें एसटीपी के माध्यम से अभिरक्षक और दलाल गृहों को भेजी जाएँगी।

सभी सौदों को व्यापार दिनांक लेखांकन आधार पर दर्ज किया जाएगा।

छ. निपटान प्रक्रिया

जैसा कि सेबी / समाशोधन गृहों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

ज. बैंकिंग लेनदेन

1. कर्ज निवेशों के लिए कूपन भुगतान

ब्याज प्राप्ति प्रविष्टियाँ बैंक में पारित की जाएँगी (किसी वित्तीय विनियमनकर्ता के द्वारा मान्यताप्राप्त रूप में अभिरक्षक कारपोरेट कार्य रिपोर्ट / अन्य आनलाइन निपटान प्रणालियों के साथ समाधान की गई)

2. कर्ज निवेशों के लिए मोचन / परिपक्षताएँ

मोचन / परिपक्षता प्राप्ति प्रविष्टियाँ बैंक खाते में पारित की जाएँगी (अभिरक्षा कारपोरेट कार्य रिपोर्ट के साथ समाधान की गई)

3. ईकिटी निवेशों के लिए लाभांश प्राप्तियाँ

लाभांश प्राप्ति प्रविष्टियाँ की तारीख को बैंक में प्राप्त की जाएँगी (अभिरक्षक या किसी वित्तीय विनियमनकर्ता द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य आनलाइन निपटान प्रणालियों से प्राप्त कारपोरेट कार्य रिपोर्ट के साथ समाधान की गई)

4. प्रबंधन शुल्क

असंबद्ध निधियों में प्रबंधन शुल्क अंतरण से संबंधित भुगतान प्रविष्टियाँ संबंधित भुगतान तारीखों पर बैंक खातों में पारित की जाएँगी।

5. आवेदन राशि को दर्ज करना

आवेदन राशि संभावित निवेशों के प्रति आवेदन राशि के भुगतान की तारीख को चालू आस्ति खाते में दर्ज की जाएगी।

झ. कारपोरेट कार्य

1. ईकिटी

बीमाकर्ता कारपोरेट कार्य का ब्योरा उन शेयर बाजार(रों) से जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा अभिरक्षक या किसी सेवा प्रदाता से प्राप्त करेगा जो ऐसी सूचना का प्रसार करता है। जबकि कारपोरेट कार्यों से संबंधित सूचना किसी सेवा प्रदाता से प्राप्त की जा सकती है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह बीमाकर्ता का कर्तव्य है कि सभी कारपोरेट कार्य विधिवत् संपन्न किये जाएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विद्यमान हों।

2. कर्ज

बीमाकर्ता प्राप्त ब्याज और मोचन की तारीखों के विवरण के लिए अपनी निवेश प्रणाली का संरूपण (कान्फिगरेशन) करेगा। इसके अलावा, प्राप्त ब्याज और मोचन के ब्योरे अभिरक्षक / किसी वित्तीय विनियमनकर्ता द्वारा मान्यताप्राप्त रूप में अन्य आनलाइन निपटान प्रणालियों से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. कूपन भुगतानों, कर्ज निवेशों के लिए मोचन / परिपक्ताओं का लेखांकन 'प्रत्येक' प्रतिभूति के लिए निर्मित प्रतिभूति मास्टरों में निश्चित ब्याज भुगतान की तारीखों और परिपक्ता तारीखों के आधार पर, प्रणाली द्वारा स्वतः प्रेरित किया जाएगा।

ज. मूल्यांकन प्रक्रिया

1. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मास्टर परिपत्र – निवेश के अनुबंध 2 के अनुरूप होगा।
2. बीमाकर्ता लेनदेनों के लिए निवेश प्रारंभिक कार्यालय प्रणाली को अपराह्न 6.00 बजे बंद करेगा। समवर्ती लेखा-परीक्षक निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की जानेवाली अपनी तिमाही रिपोर्ट में इस अपेक्षा के अनुपालन की पुष्टि करेगा।

ट. प्रभार

1. निधि प्रबंधन प्रभार

जीएसटी सहित निधि प्रबंधन प्रभारों (एफएमसी) का 'लेखांकन' निवेश लेखांकन प्रणाली में दैनंदिन आधार पर किया जाएगा। संचित एफएमसी के 'यूएल-गैर यूनिट रिझर्व या असंबद्ध निधियाँ' खाते में वास्तविक अंतरण कम से कम मासिक या उससे कम आवृत्ति पर किया जाएगा।

2. वियोजित निधि [एसएफआईएन] पर प्रभारित एफएमसी, जहाँ निवेश म्युचुअल फंडों और आईआरडीएआई द्वारा अनुमत विनियम व्यापारित निधि में किया गया है, निम्नलिखित के अधीन होगा:
 - क. लगाया गया एफएमसी म्युचुअल फंड / विनियम व्यापारित निधि द्वारा प्रभारित एफएमसी से घटाई गई वियोजित निधि (एसएफआईएन) के एफएण्डयू के अनुसार एफएमसी होगा।
 - ख. उपर्युक्त बिन्दु (क) की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि बीमाकर्ता के पास ऊपर बिन्दु (क) में वर्णित रूप में विभेदक एफएमसी की गणना करने के लिए पूर्णतः स्वचालित प्रणाली उपलब्ध हो।
 - ग. बीमाकर्ता इस प्रावधान का उपयोग कर सके, इसके पहले समवर्ती लेखा-परीक्षक इस प्रावधान की अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए, विद्यमान प्रणालियों को प्रमाणित करेगा।
3. सौदा लागतें
सौदा लागत प्रतिभूति लेनदेन कर और सेवा कर का समायोजन निवेशों की लागत में किया जाएगा।

ठ. एनएवी संगणना

1. एनएवी: वियोजित निधि [एसएफआईएन] के एनएवी की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

निधि के द्वारा धारित निवेश का बाजार मूल्य + चालू आस्तियों का मूल्य –

चालू देयताओं और अन्य व्यवस्थाओं, यदि कोई हों, का मूल्य

मूल्यांकन की तारीख को विद्यमान यूनिटों की संख्या (यूनिटों के निर्माण/मोर्चन से पहले)

2. 'प्रत्येक' वियोजित निधि के संबंध में उपर्युक्तानुसार संगणित एनएवी की लेखा-परीक्षा समवर्ती लेखा-परीक्षक के द्वारा दैनंदिन आधार पर की जाएगी।
3. 'प्रत्येक' वियोजित निधि के संबंध में उपर्युक्तानुसार संगणित एनएवी बीमाकर्ता की वेबसाइट पर और **जीवन बीमाकर्ता परिषद** की वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा, जब भी वह तैयार हो। एनएवी की गणना के लिए निम्नलिखित टिप्पणियों का ध्यान रखा जाएगा।
- क. निधि के द्वारा धारित, निवेश का बाजार मूल्य ऊपर निवेशों के मूल्यांकन खंड में स्पष्ट किये गये रूप में होगा तथा इसे एफएमसी के लिए समायोजित किया जाएगा।
- ख. चालू आस्तियों का मूल्य उपचित ब्याज, प्राप्त लाभांश, बैंक शेष, निवेशों के विक्रय के लिए प्राप्त राशि तथा अन्य चालू आस्तियों को निरूपित करता है (निवेशों के लिए)।
- ग. चालू देयताओं का मूल्य निवेशों के लिए देय राशि को निरूपित करता है।
- घ. निवेश लेखांकन प्रणाली से व्युत्पन्न यूनिटों की संख्या का समाधान नीति प्रबंध प्रणाली के साथ दैनंदिन आधार पर किया जाएगा।
- ड. प्रावधानों के अंतर्गत दलाली और लेनदेन लागत के लिए व्यय, एनपीए, निधि प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार शामिल होंगे।
4. एसएफआईएन को संक्षिप्त संदेश सेवाओं (एसएमएस), टेली-कालिंगों, रेडियो संदेशों और एटीएम प्रदर्शन में विनिर्दिष्ट करना

यह स्पष्ट किया जाता है कि, एसएफआईएन को प्रौद्योगिकीगत सीमाओं के कारण एसएसएस, टेली-कालिंग, रेडियो संदेशों और एटीएम प्रदर्शन के माध्यम से निधि संबंधी संचार में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आईआरडीएआई के निदेश का पूर्ण अनुपालन होगा, यदि बीमाकर्ता पालिसीधारकों और अन्य प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों और निधि-वार सूचना में एसएफआईएन को विनिर्दिष्ट करेंगे।

5. स्वयं से संबद्ध विभिन्न एफएमसीएस सहित बहुविध योजनाओं से युक्त या चल 'निधियों की निधि' संरचना से युक्त वियोजित निधियाँ

चूँकि प्रत्येक 'वियोजित निधि' के लिए 'दैनंदिन' आधार पर घोषित एक 'एकल' एनएवी रखना अपेक्षित है तथा एफएमसी को प्रत्येक वियोजित निधि के साथ पहचाने जाने की आवश्यकता है, अतः सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे निधियों की संरचना को ऐसी वियोजित निधियों के निवेशों को निरूपित करनेवाले अभिनिर्धारित 'स्क्रिप्टों' के साथ एसएफआईएन से युक्त वैयक्तिक वियोजित निधि के रूप में किसी निधि या निधियों से कम प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को परिवर्तित करें। आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षक प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार का पृथक्करण एनएवी के यूनिटों में परिवर्तन के कारण पालिसीधारकों के एक समूह को दूसरों की तुलना में समृद्ध बनाने में परिणत नहीं हुआ है। ऐसे परिवर्तन, यदि कोई हो, का निहितार्थ पालिसीधारक के लिए ऐसा परिवर्तन

करने के लिए तर्काधार के साथ बीमाकर्ता की वेबसाइट में रखा जाना चाहिए। समवर्ती लेखा-परीक्षक बीमाकर्ता द्वारा इन अपेक्षाओं के पालन की पुष्टि करेगा।

6. सीएसजीएल / टीआरईपीएस खाते का परिचालन

चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एकल संस्था के लिए बहुविध सीएसजीएल / एसजीएल खाते खोलने के लिए बैंकों को अनुमति नहीं देता, अतः बीमाकर्ताओं को एक एकल सीएसजीएल / एसजीएल खाते का परिचालन करने और प्रत्येक वियोजित निधि [एसएफआईएन] को अपनी बहियों में धारिताओं का आबंटन करने की अनुमति दी गई है। सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे दैनंदिन आधार पर सभी वियोजित निधियों में अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता का समाधान करें।

इसी प्रकार, चूँकि सीसीआईएल प्रत्येक कंपनी के लिए केवल एक त्रिपक्षीय रेपो खाता खोलने की अनुमति देता है, अतः बीमाकर्ताओं को इसके द्वारा कंपनी स्तर पर एक सामान्य त्रिपक्षीय रेपो खाता खोलने तथा दैनंदिन आधार पर वियोजित निधि वार, उक्त त्रिपक्षीय रेपो खाते में अपनी धारिताओं का समाधान करने की अनुमति दी जाती है।

आंतरिक/ समवर्ती लेखा-परीक्षक बीमाकर्ता के बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जानेवाली अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पुष्टि करेगा कि बीमाकर्ता ने दैनंदिन आधार पर वियोजित निधि [एसएफआईएन] वार जी-सेक और त्रिपक्षीय रेपो धारिता का समाधान किया है।

7. फिम्डा द्वारा प्रकाशित मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग

मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि सभी लिखतों के लिए फिम्डा द्वारा प्रकाशित दैनंदिन मूल्यांकन मैट्रिक्स का अनुसरण करना होगा, तथा जहाँ भी फिम्डा दैनंदिन आधार पर इस प्रकार का मूल्यांकन मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं कराता, वहाँ बीमाकर्ता ऐसे समय तक सेबी द्वारा पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक संस्था/धारक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन मैट्रिक्स को अपना सकता है, जब तक अयांत्रिक हस्तक्षेप को दूर करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिदेशात्मक (मैडेटरी) किये गये अनुसार फिम्डा ऐसा मूल्यांकन मैट्रिक्स प्रकट नहीं करता और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर उसे उपलब्ध नहीं कराता। समवर्ती लेखा-परीक्षक बोर्ड को प्रस्तुत की जानेवाली अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में प्रमाणित करेगा कि बीमाकर्ता ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान ऊपर निर्धारित कार्यपद्धति को सुसंगत रूप में अपनाया है।

4.16 कारपोरेट बांडों / वाणिज्यिक पत्रों में निवेशों के लिए आरएफक्यू प्लेटफार्म का कार्यान्वयन करना

1. कारपोरेट बांडों में विभाजित चलनिधि का संवर्धन और सम्मिलन करने के उद्देश्य से सेबी ने बंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के माध्यम से भाव बताने के अनुरोध (आरएफक्यू) का प्लेटफार्म लागू किया है। उक्त आरएफक्यू प्लेटफार्म ओटीसी बाजार की अनुकृति तैयार करने (रेप्लिकेट) की अपेक्षा करता है, यद्यपि यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर है जो द्वितीयक बाजार में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, निवेशक के हित का संरक्षण करने में अधिक पारदर्शिता, केन्द्रीकरण लाने के लिए एक प्रयास है।
2. उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए, सेबी ने परिपत्र: सेबी/एचओ/आईएमडी/डीएफ3/ सीआईआर/पी/2020/130 दिनांक 22 जुलाई 2020 द्वारा सभी म्युचुअल फंडों (एमएफ) के लिए प्रारंभ में आरएफक्यू के माध्यम से कारपोरेट बांडों के कुल द्वितीयक बाजार सौदों के 10% को करना अधिदेशात्मक (मैडेटरी) कर दिया है। चूँकि इससे कारपोरेट बांड खंड में पारदर्शिता और चलनिधि लाने की संभावना है, अतः प्राधिकरण सभी बीमाकर्ताओं को निम्नानुसार करने का निदेश देता है:

- क. मासिक आधार पर, बीमाकर्ता बीएसई/एनएसई पर उपलब्ध आरएफक्यू प्लेटफार्म पर एक से अनेक तक (वन-टू-मेनी) की पद्धति के माध्यम से मूल्य स्थान (वैल्यू प्लेस)/ भावों की अपेक्षा (सीक कोट्स) में कारपोरेट बांडों में अपने कुल द्वितीयक बाजार सौदों का कम से कम 10% करेंगे। उक्त 10% की गणना चल (रोलिंग) आधार पर तल्काल पूर्ववर्ती 3 महीने में, मूल्य द्वारा द्वितीयक बाजार सौदों के औसत पर की जाएगी।
- ख. बीमाकर्ता का समवर्ती लेखा-परीक्षक अपनी तिमाही लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पुष्ट करेगा कि बीमाकर्ता ने इन नियंत्रणों का अनुपालन किया है।

4.17 निवेश परिचालनों के नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था – दूरस्थ स्थान से कार्य

- क. बीमाकर्ता दूरस्थ स्थान से निवेश परिचालनों के संचालन की अनुमति देने/ जारी रखने के साथ ही, विवेकपूर्ण साइबर सुरक्षा मानदंड, उचित प्रणालियाँ और नियंत्रण लागू करेंगे।
- ख. इन प्रणालियों और नियत्रणों को डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और गुप्तता, साइबर आक्रमणों की संभावना, सूचना तस्करी (हैकिंग), मालवेयर संदूषण, विघटन जोखिम, सौदों के अभिलेखन और लेनदेन कार्यकलापों के पर्यवेक्षी नियंत्रणों का ध्यान रखना चाहिए।

खंड – V: प्रकटीकरण मानदंड

5.1 सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो, प्रतिवर्ती रेपो और कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ

बीमाकर्ताओं द्वारा तुलन-पत्र के वार्षिक खातों संबंधी टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाने चाहिए:

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च को बकाया
रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियाँ 1. सरकारी प्रतिभूतियाँ 2. कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ				
प्रतिवर्ती रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ 1. सरकारी प्रतिभूतियाँ 2. कारपोरेट कर्ज प्रतिभूतियाँ				

5.2 प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने का ढाँचा

- उधार दी गई प्रतिभूतियों को फार्म 5 में दर्शाना जारी रहेगा, जैसा कि उन्हें एसएलबी लेनदेन से पहले दर्शाया गया था। उधार दी गई प्रतिभूतियों पर अर्जित आय सीएटी कूट में दिखाई जाएगी जो लागू है जैसी कि वह फार्म 1 में प्रतीत होती है। प्रतिभूतियाँ जो एसएलबी के माध्यम से उधार दी गई हैं और अभिरक्षा में नहीं रखी गई हैं,

निम्नलिखित विवरण (जो फार्म 6 का भाग होगा और आवधिक विवरणियों के भाग के रूप में फाइल किया जाएगा) के साथ एक समाधान विवरण सहित स्तंभ 'अन्य' के अंतर्गत फार्म 6 में दर्शाई जाएँगी:

1. स्क्रिप का नाम
2. उधार दी गई प्रतिभूतियों की संख्या
3. निधि का नाम
4. धारित कुल परिमाण के आधार पर ऐसी निधि में अनुमतियोग्य अधिकतम सीमा
5. शेयर बाजार
6. संविदा की समाप्ति की तारीख
7. अद्यतन स्थिति के अनुसार उधार दी गई प्रतिभूतियों का मूल्य

5.3 ब्याज-दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में एक्सपोज़र

वित्तीय विवरणों और प्रकटीकरणों में प्रस्तुतीकरण एएस 31 और 32 द्वारा नियंत्रित हैं। विशिष्ट रूप से बीमाकर्ता को वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे:

- i. सहभागी का वित्तीय जोखिम प्रबंध के उद्देश्य का विवरण तथा विशेष रूप से पूर्वानुमानित लेनदेनों के बचाव (हेजिंग) के लिए उसकी नीति।
- ii. बचाव (हेजिंग) रणनीति।
- iii. व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के लिए लेखांकन नीति।
- iv. बकाया ब्याज-दर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संविदाओं का स्वरूप और शर्तें।
- v. हानियों का परिमाण जो बकाया ब्याज-दर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संविदाओं के अंतर्गत प्रतिपक्षकार यदि अपने दायित्व पूरे नहीं करते तो उपगत होंगे।

5.4 बैंकों के द्वारा दीर्घावधि बांडों का निर्गम – बुनियादी संरचना और वहनीय आवास का वित्तपोषण

उद्योग क्षेत्र में एक्सपोज़र अर्थात् फार्म 4क- भाग घ तैयार करते समय आईएलबीआई और आईओएलबी के अंतर्गत निवेशों का वर्गीकरण 'बुनियादी संरचना – दीर्घावधि बांड - बीएफएसआई' के अंतर्गत किया जाएगा तथा एचएलबीएच और एचओएलबी का वर्गीकरण 'आवास – दीर्घावधि बांड - बीएफएसआई' के अंतर्गत किया जाएगा।

5.5 यूलिप आवधिक प्रकटीकरण

1. प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता कम से कम **मासिक आवधिकता** पर अनुवर्ती महीने की 5 तारीख को या उससे पहले निम्नलिखित संविभाग प्रकटीकरण [एसएफआईएन वार] बीमाकर्ता की वेबसाइट में करेगा:
 - क. निधि का नाम
 - ख. एसएफआईएन संख्या
 - ग. निधि के निवेश का उद्देश्य
 - घ. महीने के अंतिम कारोबार दिवस को एनएवी

- ड. सभी एनएवी 4 दशमलव तक
 - च. महीने के अंतिम कारोबार दिवस को ईक्विटी और कर्ज का एयूएम
 - छ. निवेश समिति द्वारा अनुमोदित रूप में न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क)
 - ज. निधि प्रबंधक का नाम
 - झ. निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधित निधियों की संख्या (ऊपर बिन्दु 'छ' में), ईक्विटी, कर्ज और संतुलित निधियों के विवरण के साथ
 - ज. उत्पाद दस्तावेज में दिया गया आस्ति आबंटन (फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया के अनुसार) तथा संबंधित महीने के अंत में वास्तविक आस्ति आबंटन का प्रतिशत
 - ट. कर्ज लिखतों का रेटिंग प्रोफाइल
 - ठ. कर्ज और मुद्रा बाजार लिखतों की आशोधित अवधि
 - ड. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 के अंतर्गत निश्चित रूप में शीर्षस्थ 10 औद्योगिक क्षेत्रों को एसएफआईएन (कर्ज और ईक्विटी) का एक्सपोज़र तथा 'अन्य' के अंतर्गत दर्शाया जानेवाला शेष एक्सपोज़र
 - ढ. तदनुरूपी अवधि के लिए बेंचमार्क सूचकांक की तुलना में कार्यनिष्ठादन के साथ 1 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और प्रारंभ से भिन्न-भिन्न अवधियों में निधि का कार्यनिष्ठादन। 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष तक की विवरणियाँ संपूर्ण विवरणियों पर आधारित होंगी
 - ण. जी.सेक, कारपोरेट कर्ज और ईक्विटी की प्रत्येक आस्ति श्रेणी के अंतर्गत शीर्षस्थ 10 धारिताओं का प्रकटीकरण किया जाएगा। मुद्रा बाजार लिखतों के प्रति एक्सपोज़र एक समेकित राशि के रूप में और एसएफआईएन के एयूएम की तुलना में प्रतिशत के रूप में होगा। धारिताओं का कुल प्रतिशत एयूएम और एसएफआईएन के 100% तक कुल जोड़ के रूप में होगा।
 - त. कर्ज और ईक्विटी धारिताओं का प्रकटीकरण संविभाग के विवरण में एसएफआईएन के एयूएम की तुलना में प्रतिशत के रूप में होगा। धारिताओं का कुल प्रतिशत एयूएम और एसएफआईएन के 100% तक कुल जोड़ के रूप में होगा।
2. समवर्ती लेखा-परीक्षक अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुपालन की पुष्टि करेगा।

खंड – VI: रिपोर्टिंग के मानदंड और प्रमाणपत्र

बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले निवेश संबंधी विषयों पर विभिन्न आवधिक विवरणियाँ और प्रमाणीकरण, विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेटों और आवधिकता के अनुसार होंगे।

खंड – VII: निरस्त परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	दिनांक	परिपत्र संदर्भ	संक्षिप्त विवरण
1	27-10-2022	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/226/ 10/2022	मास्टर परिपत्र वर्शन 03
2	01-12-2022	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/233/ 12/2022	एनडीएस-ओएम के संबंध में स्पष्टीकरण
3	26-12-2022	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/248/12 /2022	तिमाही के अंतिम दिन पर एनएवी की घोषणा
4	13-01-2023	आईआरडीएआई/आईएनवी/सीआईआर/16/01/2023	सावरिन ग्रीन बांड - वर्गीकरण
5	19-01-2023	आईआरडीएआई/आईएनवी/सीआईआर/20/01/2023	विलगाव के तौर पर जारी किये गये शेयरों का वर्गीकरण
6	31-01-2023	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/027/01 /2023	एआईएफ और म्युचुअल फंडों के संबंध में स्पष्टीकरण
7	05-06-2023	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/121/6/ 2023	एनएबीएफआईडी में निवेश
8	28-06-2023	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/139/06 /2023	एआईएफ में निवेश की निगरानी
9	04-08-2023	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/155/08 /2023	एचडीएफसी लि. में निवेशों के लिए छूट
10	05-01-2024	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/003/01 /2024	बुनियादी संरचना कर्ज निधियों में निवेश - एनबीएफसी

खंड VIII: निवेश श्रेणी और मूल्यांकन कार्यपद्धति

अनुबंध – 1

निवेशों की श्रेणी (सीओआई)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार, निवेशों की व्यापक श्रेणियाँ (सीओआई) हैं जो जीवन, पेशन और सामान्य वार्षिकी, संबद्ध बीमा व्यवसाय, साधारण बीमा (पुनर्बीमा सहित) और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अनुमतियोग्य हैं।

सं.	निवेश श्रेणी शीर्ष	सीएटी कूट
क	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	
क01	केन्द्र सरकार बांड	सीजीएसबी
क02	खजाना बिल	सीटीआरबी
क03	सावरिन ग्रीन बांड	सीएसजीबी
ख	केन्द्र सरकार सेक, राज्य सरकार या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	
ख01	केन्द्र सरकार गारंटीकृत ऋण / बांड	सीजीएसएल
ख02	राज्य सरकार बांड	एसजीजीबी
ख03	राज्य सरकार गारंटीकृत बांड	एसजीजीएल
ख04	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (बुनियादी संरचना निवेशों को छोड़कर)	एसजीओए
ख05	गारंटीकृत ईकिटी	एसजीजीई
ग	(1) आवास/अग्रिशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण	
ग01	आवास के लिए राज्य सरकार को ऋण	एचएलएसएच
ग02	अग्रिशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को ऋण	एचएलएसएफ
ग03	सावधि ऋण – हुडको/एनएचबी/एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाएँ	एचटीएलएच
ग04	वाणिज्यिक पत्र – एनएचबी/एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाएँ	एचटीएलएन
ग05	आवास – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	एचएमबीएस
ग06	डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – प्रवर्तक समूह	एचडीपीजी
ग07	दीघर्विधि बैंक बांड अनुमोदित निवेश – वहनीय आवास	एचएलबीएच
ग07क	आवास वित्त कंपनियों में ईकिटी शेयर	एचएइक्यू
	करयोग्य बांड	
ग08	हुडको द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचर	एचटीएचडी
ग09	एनएचबी/एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचर	एचटीडीएन
ग10	केन्द्र/राज्य अधिनियम द्वारा गठित किसी प्राधिकरण या निकाय/केन्द्र/राज्य द्वारा अनुमोदित किसी आवास/भवन योजना के अंतर्गत गठित प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचर	एचटीडीए

सं.	निवेश श्रेणी शीर्ष	सीएटी कूट
	<u>कर-मुक्त बांड</u>	
ग11	हुडको द्वारा जारी किये गये बांड / डिबेंचर	एचएफएचडी
ग12	एनएचबी/एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी किये गये बांड / डिबेंचर	एचएफडीएन
ग13	केन्द्र/राज्य अधिनियम द्वारा गठित किसी प्राधिकरण या निकाय /केन्द्र/राज्य द्वारा अनुमोदित किसी आवास/भवन योजना के अंतर्गत गठित प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचर	एचएफडीए
	(2) अन्य निवेश (आवास)	
ग14	डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण	एचओडीएस
ग15	आवास – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	एचओएमबी
ग16	डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – (प्रवर्तक समूह)	एचओपीजी
ग17	दीघर्विधि बैंक बांड अन्य निवेश – वहनीय आवास	एचओएलबी
ग18	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – कर्ज (विनियम 36 से 41 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु 6)	एचओआरडी
ग18क	आवास वित्त कंपनियों में ईकिटी शेयर	एचओइक्यू
	(3) बुनियादी संरचना निवेश	
ग19	बुनियादी संरचना – अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	आईएसएएस
ग20	बुनियादी संरचना – पीएसयू – ईकिटी शेयर - उद्धृत	आईटीपीई
ग21	बुनियादी संरचना – कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – ईकिटी शेयर - उद्धृत	आईटीसीई
ग22	बुनियादी संरचना – ईकिटी (प्रवर्तक समूह)	आईईपीजी
ग23	बुनियादी संरचना – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	आईईएसए
ग24	बुनियादी संरचना – डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – (प्रवर्तक समूह)	आईडीपीजी
ग25	बुनियादी संरचना – बुनियादी संरचना विकास निधि (आईडीएफ)	आईडीडीएफ
ग26	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तरीय रूपया बांड (बुनियादी संरचना – अनुमोदित)	आईओआरबी
ग27	दीघर्विधि बैंक बांड अनुमोदित निवेश – बुनियादी संरचना	आईएलबीआई
ग28	बुनियादी संरचना निवेश “ईएल1” की रेटिंग सहित “ए” से अन्यून रेटिंग प्राप्त	आईईएलबी
ग29	आईएनवीटीएस के कर्ज लिखत – अनुमोदित निवेश	आईडीआईटी
ग30	बुनियादी संरचना निवेश न्यास के यूनिट	ईआईआईटी
	<u>करयोग्य बांड</u>	
ग31	बुनियादी संरचना – पीएसयू – डिबेंचर / बांड	आईपीटीडी
ग32	बुनियादी संरचना – पीएसयू – वाणिज्यिक पत्र	आईपीसीपी
ग33	बुनियादी संरचना – अन्य कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – डिबेंचर/बांड	आईसीटीडी
ग34	बुनियादी संरचना – अन्य कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – वाणिज्यिक पत्र	आईसीसीपी
ग35	बुनियादी संरचना – सावधि ऋण (प्रभार सहित)	आईएलडब्ल्यूसी

सं.	निवेश श्रेणी शीर्ष	सीएटी कूट
	करमुक्त बांड	
ग36	बुनियादी संरचना – पीएसयू – डिबेंटर / बांड	आईपीएफडी
ग37	बुनियादी संरचना – अन्य कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – डिबेंचर/बांड	आईसीएफडी
	(4) बुनियादी संरचना – अन्य निवेश	
ग38	बुनियादी संरचना – ईकिटी (असूचीबद्ध सहित)	आईओईक्यू
ग39	बुनियादी संरचना – डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण	आईओडीएस
ग40	बुनियादी संरचना – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	आईओएसए
ग41	बुनियादी संरचना – ईकिटी (प्रवर्तक समूह)	आईओपीई
ग42	बुनियादी संरचना – डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – (प्रवर्तक समूह)	आईओपीडी
ग43	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड (बुनियादी संरचना - अन्यः)	आईओओबी
ग44	दीघाविधि बैंक बांड अन्य निवेश – बुनियादी संरचना	आईओएलबी
ग45	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – कर्ज (विनियम 36 से 41 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु 6)	आईओआरडी
ग46	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – ईकिटी (विनियम 36 से 41 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु 6)	आईओआरई
ग47	“ए” से नीचे या “ईएल1” बुनियादी संरचना निवेश	आईओईएल
ग48	आईएवीआईटीएस के कर्ज लिखत – अन्य निवेश	आईओआईटी
ग49	बुनियादी संरचना निवेश न्यास के यूनिट	ओआईआईटी
घ	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन अनुमोदित निवेश	
घ01	पीएसयू – ईकिटी शेयर - उद्धृत	ईएईक्यू
घ02	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – ईकिटी शेयर (साधारण) - उद्धृत	ईएसीई
घ03	ईकिटी शेयर – भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ (आईआरडीए विनियमों से पहले निवेशित)	ईएफईएस
घ04	ईकिटी शेयर – प्रवर्तक समूह	ईईपीजी
घ05	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – बांड – (करयोग्य)	ईपीबीटी
घ06	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – बांड – (करमुक्त)	ईपीबीएफ
घ07	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – अधिमानी शेयर	ईपीएनक्यू
घ08	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – सहायक संस्थाओं में निवेश	ईसीआईएस
घ09	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ - डिबेंचर	ईसीओएस
घ10	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – (प्रवर्तक समूह)	ईडीपीजी
घ11	नगरपालिका बांड – रेटिंग युक्त	ईएमयूएन
घ12	निवेश संपत्तियाँ - अचल	ईआईएनपी
घ13	ऋण – पालिसी ऋण	ईएलपीएल
घ14	ऋण – जमानती ऋण – भारत में संपत्ति का बंधक (सावधि ऋण)	ईएलएमआई

सं.	निवेश श्रेणी शीर्ष	सीएटी कूट
घ15	ऋण – जमानती ऋण – भारत के बाहर संपत्ति का बंधक (सावधि ऋण)	ईएलएमओ
घ16	जमाराशियाँ – अनुसूचित बैंकों, एफआईएस (निवेश के लिए प्रतीक्षारत बैंक शेष सहित), सीसीआईएल, आरबीआई के पास जमा	ईसीडीबी
घ17	जमाराशियाँ – अनुसूचित बैंकों के पास सीडीएस	ईडीसीडी
घ18	जमाराशियाँ – रेपो / प्रतिवर्ती रेपो – सरकारी प्रतिभूतियाँ	ईसीएमआर
घ19	जमाराशियाँ – रेपो / प्रतिवर्ती रेपो – कारपोरेट प्रतिभूतियाँ	ईसीसीआर
घ20	भारतीय रिझर्व बैंक द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यापारियों के पास जमा	ईडीपीडी
घ21	सीसीआईएल - सीबीएलओ	ईसीबीओ
घ22	वाणिज्यिक पत्र	ईसीसीपी
घ23	आवेदन राशि	ईसीएएम
घ24	पीएसयू बैंकों के द्वारा जारी किये गये टियर। और॥ पूँजी के स्थायी कर्ज लिखत	ईयूपीडी
घ25	गैर-पीएसयू बैंकों के द्वारा जारी किये गये टियर। और॥ पूँजी के स्थायी कर्ज लिखत	ईपीपीडी
घ26	पीएसयू बैंकों द्वारा जारी किये गये टियर 1 और 2 पूँजी के स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर और मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर	ईयूपीएस
घ27	गैर-पीएसयू बैंकों द्वारा जारी किये गये टियर 1 और 2 पूँजी के स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर और मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर	ईपीपीएस
घ28	विदेशी कर्ज प्रतिभूतियाँ (आईआरडीए विनियमों से पहले निवेशित)	ईएफडीएस
घ29	म्युचुअल फंड – गिल्ट/जी.सेक/चलनिधि योजनाएँ/एक दिन की (ओवरनाइट)/अल्ट्रा-अल्पावधि	ईजीएमएफ
घ30	म्युचुअल फंड – (बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत)	ईएमपीजी
घ31	निवल चालू आस्तियाँ (केवल यूलिप निधि व्यवसाय के संबंध में)	ईएनसीए
घ32	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (गैर प्रवर्तक समूह)	ईईटीएफ
घ33	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (प्रवर्तक समूह)	ईईटीपी
घ34	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड	ईओआरबी
घ35	कर्ज पूँजी लिखत (डीसीआई-बासेल III)	ईडीसीआई
घ36	मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस-बासेल III)	ईआरएनपी
घ37	मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस – बासेल III)	ईआरसीपी
घ38	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III) अनुपालनकर्ता स्थायी बांड – [पीएसयू बांड]	ईएपीएस
घ39	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III) अनुपालनकर्ता स्थायी बांड – [निजी बैंक]	ईएपीबी
घ40	स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटीएस) के यूनिट	ईआरआईटी
घ41	कर्ज ईटीएफएस – “अनुमोदित निवेश”	ईडीटीएफ
घ42	आरईआईटीएस के कर्ज लिखत – अनुमोदित निवेश	ईडीआरटी

सं.	निवेश श्रेणी शीर्ष	सीएटी कूट
ड-	अन्य निवेश	
ड01	बांड – पीएसयू - करयोग्य	ओबीपीटी
ड02	बांड – पीएसयू – करमुक्त	ओबीपीएफ
ड03	ईकिटी शेयर (सहकारी सोसाइटियों सहित)	ओईएसएच
ड04	ईकिटी शेयर (पीएसयूएस और असूचीबद्ध)	ओईपीयू
ड05	ईकिटी शेयर – प्रवर्तक समूह	ओईपीजी
ड06	डिबेंचर	ओएलडीबी
ड07	डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण आदि – (प्रवर्तक समूह)	ओडीपीजी
ड08	नगरपालिका बांड	ओएमयूएन
ड09	वाणिज्यिक पत्र	ओएसीपी
ड10	अधिमानी शेयर	ओपीएसएच
ड11	सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश निधि (श्रेणी I)	ओएएफए
ड12	सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश निधि (श्रेणी II)	ओएएफबी
ड13	अल्पावधि ऋण (अरक्षित जमाराशियाँ)	ओएसएलयू
ड14	सावधि ऋण (प्रभार के बिना)	ओटीएलडब्ल्यू
ड15	स्युचुअल फंड – कर्ज/आया/क्रमिक योजनाएँ/चलनिधि योजनाएँ	ओएमजीएस
ड16	स्युचुअल फंड – (बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत)	ओएमपीजी
ड17	प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	ओपीएसए
ड18	निवेश संपत्तियाँ - अचल	ओआईपीआई
ड19	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (गैर प्रवर्तक समूह)	ओईटीएफ
ड20	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (प्रवर्तक समूह)	ओईटीपी
ड21	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड	ओओआरबी
ड22	कर्ज पूँजी लिखत (डीसीआई – बासेल III)	ओडीसीआई
ड23	मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस – बासेल III)	ओआरएनपी
ड24	मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस – बासेल III)	ओआरसीपी
ड25	पुनर्गीर्कृत अनुमोदित निवेश – कर्ज (विनियम 36 से 41 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु 6)	ओआरएडी
ड26	पुनर्गीर्कृत अनुमोदित निवेश – ईकिटी (विनियम 36 से 41 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु 6)	ओआरएई
ड27	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड – [पीएसयू बैंक]	ओएपीएस
ड28	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड – [निजी बैंक]	ओएपीबी
ड29	स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटीएस) के यूनिट	ओआरआईटी
ड31	कर्ज ईटीएफएस – “अन्य निवेश”	ओडीटीएफ
ड32	आरईआईटीएस के कर्ज लिखत – अन्य निवेश	ओडीआरटी

निवेश श्रेणियों के लिए मूल्यांकन कार्यपद्धति

अनुबंध-2

बाजार मूल्य – फार्म-3ए / फार्म-3बी के लिए आधार

निवेश विवरणियों के फार्म 3ए, फार्म 3बी में सूचना देने के लिए निवेशों का बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु पद्धति

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
क	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
क01	केन्द्र सरकार बांड	सीजीएसबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत अन्य रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों के अनुसार किया जाता है।
क02	खजाना बिल	सीटीआरबी	छूट के परिशोधन के अधीन छूट पर
क03	सावरिन ग्रीन बांड	सीएसजीबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों के अनुसार किया जाता है।
ख	सरकारी प्रतिभूतियाँ / अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
ख01	केन्द्र सरकार गारंटीकृत ऋण / बांड	सीजीएसएल	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों/प्रतिफल मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है।
ख02	राज्य सरकार बांड	एसजीजीबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत किसी अन्य रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों के अनुसार किया जाता है।
ख03	राज्य सरकार गारंटीकृत ऋण	एसजीजीएल	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत किसी अन्य रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों के अनुसार किया जाता है।
ख04	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (बुनियादी संरचना निवेशों को छोड़कर)	एसजीओए	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत किसी अन्य रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों/प्रतिफल मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है।
ख05	गारंटीकृत ईकिटी	एसजीजीई	बही मूल्य
ग	(क)आवास और अग्रिशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण		
ग01	आवास के लिए राज्य सरकार को ऋण	एचएलएसएच	प्रावधानों को घटाकर लागत पर
ग02	अग्रिशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को ऋण	एचएलएसएफ	प्रावधानों को घटाकर लागत पर
ग03	सावधि ऋण – हुडको / एनएचबी/ एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाएँ	एचटीएलएच	प्रावधानों को घटाकर लागत पर
ग04	वाणिज्यिक पत्र – एनएचबी/	एचटीएलएन	मूल्यांकन लिखत की शेष परिपक्ता अवधि में परिशोधन की

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य - फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाएँ		सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित लागत पर या परिशोधन के आईआरआर/ वाईटीएम आधार का प्रयोग करते हुए किया जाता है।
ग05	आवास – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	एचएमबीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग06	बांड/डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – प्रवर्तक समूह	एचडीपीजी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर तथा ऋणों का लागत पर, वाणिज्यिक पत्र का परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ग07	दीर्घविधि बैंक बांड अनुमोदित निवेश -वहनीय आवास	एचएलबीएच	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग07 क	आवास वित्त कंपनियों में ईकिटी शेयर	एचएईक्यू	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन से अधिक बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा)
	<u>निम्नलिखित के करयोग्य बांड</u>		
ग08	हुडको द्वारा जारी किये गये बांड / डिबेंचर	एचटीएचडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी अनुमोदित रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग09	एनएचबी/एनएचबी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी किये गये बांड / डिबेंचर	एचटीडीएन	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग10	केन्द्र/राज्य द्वारा अनुमोदित किसी आवास /भवन योजना के अंतर्गत गठित प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये या केन्द्र/ राज्य अधिनियम द्वारा गठित किसी प्राधिकरण या निकाय द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचर	एचटीडीए	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
	<u>करमुक्त बांड</u>		
ग11	हुडको द्वारा जारी किये गये बांड/डिबेंचर	एचएफएचडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग12	एनएचबी/एनएचबी द्वारा	एचएफडीएन	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी अनुमोदित

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा जारी किये गये बांड/ डिबेंचर		किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग13	केन्द्र/राज्य द्वारा अनुमोदित किसी आवास/भवन योजना के अंतर्गत गठित प्राधिकरण द्वारा/ केन्द्र/राज्य अधिनियम द्वारा गठित किसी प्राधिकरण या निकाय के द्वारा जारी किये गये बांड/ डिबेंचर	एचएफडीएन	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
(ख) अन्य निवेश (आवास)			
ग14	डिबेंचर/ बांड/ वाणिज्यिक पत्र/ ऋण	एचओडीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ग15	आवास – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	एचओएमबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग16	डिबेंचर / बांड / वाणिज्यिक पत्र / ऋण – (प्रवर्तक समूह)	एचओपीजी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है। तथा ऋणों का लागत पर किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ग17	दीर्घावधि बैंक बांड अन्य निवेश – वहनीय आवास	एचओएलबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग18	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – कर्ज (विनियमों की अनुसूची III के खंड 3 से 7 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु VI)	एचओआरडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग18 क	आवास वित्त कंपनियों में ईकिटी शेयर	एचओईक्यू	यदि उद्धृत हैं, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन से अधिक बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं हैं, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है। (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाता है)।
(ग) बुनियादी संरचना निवेश			
ग19	बुनियादी संरचना – अन्य	आईएसएएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा द्वारा या सेबी के पास पंजीकृत

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा दी गई कीमतों के अनुसार किया जाता है।
ग20	बुनियादी संरचना – पीएसयू – ईकिटी शेयर - उद्धृत	आईटीपीई	यदि उद्धृत हैं, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (अतिम उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ग21	बुनियादी संरचना – कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – ईकिटी शेयर - उद्धृत	आईटीसीई	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन से बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं हैं, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ग22	बुनियादी संरचना – ईकिटी (प्रवर्तक समूह)	आईईपीजी	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन से बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ग23	बुनियादी संरचना – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	आईईएसए	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग24	बुनियादी संरचना – डिबेंचर / बांड / वाणिज्यिक पत्र / ऋण – प्रवर्तक समूह	आईडीपीजी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर तथा ऋणों का लागत पर किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ग25	बुनियादी संरचना – बुनियादी संरचना विकास निधि (आईडीएफ)	आईडीडीएफ	एनएवी पर (यदि उपलब्ध हो) या हास के लिए प्रावधान को घटाकर लागत पर।
ग26	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड (बुनियादी संरचना – अनुमोदित)	आईओआरबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग27	दीर्घावधि बैंक बांड अनुमोदित निवेश – बुनियादी संरचना	आईएलबीआई	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग28	“ईएल1” की रेटिंग के साथ “ए” से अन्यून रेटिंग प्राप्त बुनियादी	आईईएलबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	संरचना निवेश		प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग29	आईएनवीआईटीएस के कर्ज लिखत – अनुमोदित निवेश	आईडीआईटी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग30	बुनियादी संरचना निवेश न्यास के यूनिट	ईआईआईटी	बाजार मूल्य (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। जहाँ पिछले 30 दिन के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन न्यास द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना न हो) के अनुसार किया जाएगा।
<u>करयोग्य बांड</u>			
ग31	बुनियादी संरचना – पीएसयू – डिबेंचर/बांड	आईपीटीडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाएगा।
ग32	बुनियादी संरचना – पीएसयू – वाणिज्यिक पत्र (सीपीएस)	आईपीसीपी	मूल्यांकन लिखत की शेष परिपक्ता अवधि में परिशोधन की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित लागत पर या परिशोधन के आईआरआर/ वाईटीएम के आधार का उपयोग करते हुए किया जाता है।
ग33	बुनियादी संरचना – अन्य कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – डिबेंचर/बांड	आईसीटीडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग34	बुनियादी संरचना – अन्य कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – वाणिज्यिक पत्र (सीपीएस)	आईसीसीपी	मूल्यांकन लिखत की शेष परिपक्ता अवधि में परिशोधन की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित लागत पर या परिशोधन के आईआरआर/ वाईटीएम आधार का उपयोग करते हुए किया जाता है।
ग35	बुनियादी संरचना – मीयादी ऋण (प्रभार सहित)	आईएलडब्ल्यू-सी	प्रारंभिक प्रावधानों को घटाकर लागत पर
<u>करमुक्त बांड</u>			
ग36	बुनियादी संरचना – पीएसयू – डिबेंचर/बांड	आईपीएफडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग37	बुनियादी संरचना – अन्य कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – डिबेंचर/बांड	आईसीएफडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
<u>(घ)बुनियादी संरचना – अन्य निवेश</u>			
ग38	बुनियादी संरचना – ईकिटी (असूचीबद्ध सहित)	आईओईक्यू	यदि उद्धृत हैं, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
			ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ग39	बुनियादी संरचना – डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र (सीपीएस)/ऋण	आईओडीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर तथा ऋणों का लागत पर किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ग40	बुनियादी संरचना – प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	आईओएसए	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग41	बुनियादी संरचना – ईकिटी (प्रवर्तक समूह)	आईओपीई	यदि उद्धृत हैं, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ग42	बुनियादी संरचना – डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र (सीपीएस)/ऋण – (प्रवर्तक समूह)	आईओपीडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर तथा ऋणों का लागत पर किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ग43	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड (बुनियादी – अन्य)	आईओओबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग44	दीर्घावधि बैंक बांड – अन्य निवेश – बुनियादी संरचना	आईओएलबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग45	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – कर्ज (विनियमों की अनुसूची III के खंड 3 से 7 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु VI)	आईओआरडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग46	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – ईकिटी (विनियमों की अनुसूची III के खंड 3 से 7 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु VI)	आईओआरई	यदि उद्धृत है, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ग47	“ए” या “ईएल1” से नीचे बुनियादी	आईओईएल	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	संरचना निवेश		पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग48	आईएनवीआईटीएस के कर्ज लिखत – अन्य निवेश	आईओआईटी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ग49	बुनियादी संरचना न्यास के यूनिट	ओआईआईटी	बाजार मूल्य (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। जहाँ पिछले 30 दिन के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन न्यास द्वारा प्रकाशित यूनिटों के एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना न हो) के अनुसार किया जाएगा।
घ	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन अनुमोदित निवेश		
घ01	पीएसयू – ईक्टी शेयर - उद्धृत	ईएस्क्यू	बाजार मूल्य
घ02	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – ईक्टी शेयर (साधारण) - उद्धृत	ईएसीई	बाजार मूल्य
घ03	ईक्टी शेयर – भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ (आईआरडीए विनियमों से पहले निवेशित)	ईएफईएस	यदि उद्धृत है, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईक्टी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा)।
घ04	ईक्टी शेयर – प्रवर्तक समूह	ईईपीजी	यदि उद्धृत है, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को बही मूल्य से घटाकर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईक्टी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा)
घ05	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – बांड – (करयोग्य)	ईपीबीटी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ06	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – बांड – (करमुक्त)	ईपीबीएफ	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ07	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – अधिमानी शेयर	ईपीएनक्यू	यदि उद्धृत हैं, तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य पर (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
			ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
घ08	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – सहायक संस्थाओं में निवेश	ईसीआईएस	हास के लिए प्रावधान को घटाकर लागत पर
घ09	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ - डिबंचर	ईसीओएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाएगा।
घ10	कारपोरेट प्रतिभूतियाँ – डिबंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र/ऋण – प्रवर्तक समूह	ईडीपीजी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर तथा ऋणों का लागत पर किया जाएगा। वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाएगा।
घ11	नगरपालिका बांड – रेटिंग युक्त	ईएमयूएन	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ12	निवेश संपत्तियाँ - अचल	ईआईएनपी	तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर
घ13	ऋण – पालिसी ऋण	ईएलपीएल	लागत पर
घ14	ऋण – जमानती ऋण – भारत में संपत्ति का बंधक (मीयादी ऋण)	ईएलएमआई	प्रावधानों को घटाकर लागत पर
घ15	ऋण – जमानती ऋण – भारत के बाहर संपत्ति का बंधक (मीयादी ऋण)	ईएलएमओ	प्रावधानों को घटाकर लागत पर
घ16	जमाराशियाँ – अनुसूचित बैंकों और एफआईएस (निवेश के लिए प्रतीक्षारत बैंक शेष सहित), सीसीआईएल, आरबीआई के पास जमा	ईसीडीबी	रखाव लागत (कैरीइंग कास्ट) पर
घ17	जमाराशियाँ – अनुसूचित बैंकों के पास जमा प्रमाणपत्र (सीडीएस)	ईडीसीडी	रखाव लागत पर
घ18	जमाराशियाँ – रेपो / प्रतिवर्ती रेपो – सरकारी प्रतिभूतियाँ	ईसीएमआर	लागत पर
घ19	जमाराशियाँ – रेपो/ प्रतिवर्ती रेपो – कारपोरेट प्रतिभूतियाँ	ईसीसीआर	लागत पर
घ20	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यापारियों के पास जमा	ईडीपीडी	लागत पर
घ21	सीसीआईएल - सीबीएलओ	ईसीबीओ	रखाव लागत पर

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
घ22	वाणिज्यिक पत्र (सीपीएस)	ईसीसीपी	मूल्यांकन लिखत की शेष परिपक्ता अवधि में परिशोधन की सीधी लाइन पद्धति के आधार पर परिशोधित लागत पर या परिशोधन के आईआरआर/ वाईटीएम आधार का उपयोग करते हुए किया जाता है।
घ23	आवेदन राशि	ईसीएएम	लागत पर
घ24	पीएसयू बैंकों के द्वारा जारी किये गये टियर 1 और 2 पूँजी के स्थायी कर्ज लिखत	ईयूपीडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/ धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ25	गैर-पीएसयू बैंकों द्वारा जारी किये गये टियर 1 और 2 पूँजी के स्थायी कर्ज लिखत	ईपीपीडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ26	पीएसयू बैंकों द्वारा जारी किये गये टियर 1 और 2 पूँजी के स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर तथा मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर	ईयूपीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ27	गैर-पीएसयू बैंकों के द्वारा जारी किये गये टियर 1 और 2 पूँजी के स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर तथा मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर	ईपीपीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ28	विदेशी कर्ज प्रतिभूतियाँ (आईआरडीए विनियमों से पहले निवेशित)	ईएफडीएस	रखाव लागत पर
घ29	म्युचुअल फंड – गिल्ट/जी सेक/ चलनिधि योजनाएँ	ईजीएमएफ	रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
घ30	म्युचुअल फंड – (बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत)	ईएमपीजी	रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
घ31	निवल चालू आस्तियाँ (केवल यूलिप निधि व्यवसाय के मामले में)	ईएमसीए	बही मूल्य पर
घ32	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (गैर प्रवर्तक समूह)	ईईटीएफ	व्यापारित कीमत या रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
घ33	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (प्रवर्तक समूह)	ईईटीपी	व्यापारित कीमत या रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
घ34	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड	ईओआरबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्डा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
			प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ35	कर्ज पूँजी लिखत (डीसीआई – बासेल III)	ईडीसीआई	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ36	मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस – बासेल III)	ईआरएनपी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ37	मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस – बासेल III)	ईआरसीपी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ38	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड – [पीएसयू बैंक]	ईएपीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ39	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड – [निजी बैंक]	ईएपीबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
घ40	स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटीएस) के यूनिट	ईआरआईटी	बाजार मूल्य (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। जहाँ बाजार भाव पिछले 30 दिन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन न्यास द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी के अनुसार (6 महीने से अधिक पुराना न हो) किया जाएगा।
घ42	कर्ज ईटीएफएस – “अनुमोदित निवेश”	ईडीटीएफ	व्यापारित कीमत या रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
घ43	आरईआईटीएस के कर्ज लिखत – अनुमोदित निवेश	ईडीआरटी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-	अन्य निवेश		
ड-01	बांड – पीएसयू - करयोग्य	ओबीपीटी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-02	बांड – पीएसयू - करमुक्त	ओबीपीएफ	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-03	ईकिटी शेयर – (सहकारी समितियों सहित)	ओईएसएच	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
ड-04	ईकिटी शेयर (पीएसयूएस और असूचीबद्ध)	ओईपीयू	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधान बही मूल्य से घटाये जाएँगे। (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा)।
ड-05	ईकिटी शेयर – प्रवर्तक समूह	ओईपीजी	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाएगा (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाएँगे)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा)।
ड-06	डिबेंचर	ओएलडीबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-07	डिबेंचर/ बांड / वाणिज्यिक पत्र/ ऋण आदि – प्रवर्तक समूह	ओडीपीजी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है तथा ऋणों का लागत पर। वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।
ड-08	नगरपालिका बांड	ओएमयूएन	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-09	वाणिज्यिक पत्र	ओएसीपी	मूल्यांकन शेष परिपक्ता अवधि में परिशोधन की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित लागत पर या परिशोधन के आईआरआर/वाईटीएम का उपयोग करते हुए किया जाता है।
ड-10	अधिमानी शेयर	ओपीएसएच	यदि उद्धृत हैं, तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को बही मूल्य से घटाया जाएगा (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाते हैं)। तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा)।
ड-11	सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश निधि (श्रेणी I)	ओएएफए	एनएवी (यदि उपलब्ध हो) पर या हास के लिए प्रावधान को घटाकर लागत पर
ड-12	सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश निधि (श्रेणी II)	ओएएफबी	एनएवी (यदि उपलब्ध हो) पर या हास के लिए प्रावधान को घटाकर लागत पर
ड-13	अल्पावधि ऋण (अरक्षित)	ओएसएलयू	प्रावधानों को घटाकर लागत पर

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	जमाराशियाँ)		
ड-14	मीयादी ऋण (प्रभार के बिना)	ओटीएलडब्ल्यू	प्रावधानों को घटाकर लागत पर
ड-15	म्युचुअल फंड – कर्ज/आय/ क्रमिक योजनाएँ	ओएमजीएस	रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
ड-16	म्युचुअल फंड (बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत)	ओएमपीजी	रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
ड-17	प्रतिभूतीकृत आस्तियाँ	ओपीएसए	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-18	निवेश संपत्तियाँ - अचल	ओआईपीआई	लागत पर
ड-19	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (गैर प्रवर्तक समूह)	ओईटीएफ	व्यापारित कीमत या रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
ड-20	निष्क्रिय रूप से (पैसिवली) प्रबंधित ईकिटी ईटीएफ (प्रवर्तक समूह)	ओईटीपी	व्यापारित कीमत या रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
ड-21	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी किये गये तटीय रूपया बांड	ओओआरबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-22	कर्ज पूँजी लिखत (डीसीआई- बासेल III)	ओडीसीआई	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-23	मोर्चनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएन- सीपीएस – बासेल III)	ओआरएनपी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-24	मोर्चनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस – बासेल III)	ओआरसीपी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-25	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – कर्ज (विनियम 36 से 41 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु 6)	ओआरएडी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-26	पुनर्वर्गीकृत अनुमोदित निवेश – ईकिटी (विनियमों की अनुसूची III के खंड 3 से 7 तक के लिए टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु VI)	ओआरई	यदि उद्धृत किया जाता है, तो बाजार मूल्य (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि उद्धृत नहीं है, तो प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य (प्रावधान वर्ष के अंत में किये जाते हैं) तिमाही विवरणियों के प्रयोजन के लिए, यदि वर्ष के प्रारंभ में किसी ईकिटी शेयर के लिए कोई प्रावधान विद्यमान है, तो वह बही मूल्य से घटाया जाएगा।
ड-27	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III का अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड –	ओएपीएस	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा

सं.	विवरण	सीएटी कूट	बाजार मूल्य – फार्म 3ए, फार्म 3बी के लिए आधार
	[पीएसयू बैंक]		प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-28	अतिरिक्त टियर 1 (बासेल III) का अनुपालनकर्ता) स्थायी बांड – [निजी बैंक]	ओएपीबी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
ड-29	स्थावर संपदा निवेश न्यास के यूनिट (आरई- आईटीएस)	ओआरआईटी	बाजार मूल्य (पिछली उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए) जहाँ बाजार भाव पिछले 30 दिन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन न्यास द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से पुराना न हो) के अनुसार किया जाएगा।
ड-31	कर्ज ईटीएफएस – “अन्य निवेश”	ओडीटीएफ	व्यापारित कीमत या रिपोर्टिंग तारीख को विद्यमान एनएवी पर
ड-32	आरईआईटीएस के कर्ज लिखत – अन्य निवेश	ओडीआरटी	निवेशों का मूल्यांकन फिर्मा के अनुसार या सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी की सहायक/धारक कंपनी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाता है।

Chapter 1 – Actuarial Function

Section - I: Appointed Actuary(AA)/Mentor Actuary/Consulting Actuary/Certifying Actuary

1. Insurers other than FRBs

- (1) **Application for appointment of an Appointed Actuary:** As required under the clause 2(3) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024, the insurer shall submit an application for appointment of Appointed Actuary in the format provided in Annexure-ACTL-AA-1 to this Master Circular along with extract of Board Resolution recommending appointment of the applicant as Appointed Actuary and a copy of Appointment/Offer letter issued by insurer.
- (2) The insurer seeking relaxation under clause 2(5) of Part II of Schedule – I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024, shall make a separate application in writing for relaxation of eligibility conditions along with application for appointment of Appointed Actuary.
- (3) Provisions applicable for relaxation of conditions specified under clause 2(1)(iii), 2(1)(iv), 2(1)(v) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024:
- (i) In case the applicant Actuary is falling short of experience requirement under clause 2(1)(iii) or (iv) or (v) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024 by not more than one year, the insurer shall apply for relaxation of criteria with the support of a Mentor Actuary.
 - (ii) Mentor Actuary is an actuary who satisfies the eligibility criteria as mentioned in Clause 1(3)(v) of Section-I of Chapter I of this Master Circular and approved by the Competent Authority for position of the Mentor Actuary.
 - (iii) The AA will be supported by the Mentor Actuary till the AA gets the required experience.
 - (iv) Responsibility of a Mentor Actuary:
 - (a) The Mentor Actuary shall carryout his/her responsibilities in individual capacity.
 - (b) The Mentor Actuary along with the Appointed Actuary shall be jointly responsible for all the actuarial activities of the insurer.
 - (c) The duties and responsibilities as specified in the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and other regulations, circulars, guidelines issued by the Authority as well as Actuarial Practice Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India shall also be applicable to the Mentor Actuary. The activities include but not limited to:
 - i. New product filing
 - ii. Submission of all actuarial returns/reports as required by the Authority

- iii. Maintaining solvency and ensuring adequacy of reserves as stipulated in the various norms from time to time

(v) Eligibility Criteria for Mentor Actuary:

- (a) The applicant for the position of Mentor Actuary, in Individual capacity, in a life insurer or general insurer or health insurer shall satisfy all the eligibility criteria applicable for Appointed Actuary for respective insurer as stipulated under clause 2(1) of Part II of Schedule – I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024 with the following conditions:
 - i. the eligibility criterion as mentioned under clause 2(1)(vi) viz. “an employee of the insurer on full time basis” is not applicable for the applicant Mentor Actuary.
 - ii. Experience criteria for the applicant Mentor Actuary:

Type of business	Clause reference as per Part II of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024	No. of years of Experience required in addition to that specified in the clause under column (2)
(1)	(2)	(3)
Life Insurance/ Reinsurance	2(1)(iii)(a)	5
	2(1)(iii)(b)	3
	2(1)(iii)(c)	2
General Insurance/ Reinsurance	2(1)(iv)(a)	3
	2(1)(iv)(b)	2
	2(1)(iv)(c)	2
Health Insurance/ Reinsurance	2(1)(v)(a)	3
	2(1)(v)(b)	2
	2(1)(v)(c)	2

- (vi) All the eligibility criteria for appointment of the Mentor Actuary shall continue to be satisfied during entire tenure of the Mentor Actuary.
- (vii) The provisions under clause 5(1) of Part-II of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 shall be applicable for the Mentor Actuary.
- (viii) The Mentor Actuary shall not simultaneously work as a Mentor Actuary for AA of any other insurer/ reinsurer or as a consulting actuary in the role of AA of any other insurer/reinsurer and shall not hold any other role within the insurer/reinsurer.
- (ix) There should not be any conflict of interest with respect to the duties of Mentor and duties of any other position held by him / her.

- (x) An insurer shall seek the approval of the Competent Authority for the appointment of Mentor, submitting the application in the format provided in Annexure-ACTL-AA-1 of this Master circular.

(4) Carrying on business without an Appointed Actuary (AA):

- (i) In reference to the clause 4(1) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, an insurer can engage an Actuary to perform the role of AA in individual capacity on consultancy basis up to 180 days with prior approval of the Competent Authority on submission of an application in Annexure-ACTL-AA-1 of this Master Circular.
- (ii) The consulting actuary shall fulfil all the criteria specified for the respective Appointed Actuary except the clause 2(1)(vi) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.
- (iii) The consulting actuary shall be responsible for all the actuarial activities of the insurer. The duties and responsibilities as specified in the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and other regulations, circulars, guidelines issued by the Authority as well as Actuarial Practice Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India shall also be applicable to the consulting actuary.
- (iv) The consulting Actuary shall not simultaneously work in the same capacity or as a Mentor Actuary or as AA for any other insurers/ reinsurers. There shall not be any conflict of interest with respect to the duties of consulting actuary and duties of any other position held by him / her either within the same insurer or with any other insurer.

(5) Obligations of the insurer for providing adequate resources:

- (i) For the purpose of the clause 9(2) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024, Life Insurers shall have at least two actuaries, in addition to Appointed Actuary, for pricing and valuation purposes.
- (ii) Similarly, every General, Stand-alone Health Insurer and Reinsurer shall have at least one actuary, in addition to Appointed Actuary, for pricing and valuation purposes on or before 31st December, 2024.
- (iii) New insurers/reinsurers are exempted from the conditions under Provision 5(i) and (ii) above for a period of two years from the date of issuance of certificate of registration by the Authority.

2. Provisions applicable in respect of Foreign Reinsurance Branches (FRBs):

In reference to clause 10 of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the following provisions shall be applicable:

- (1) The solvency statement and other regulatory actuarial reports for general and life reinsurance business shall be certified separately by an Actuary known as 'Certifying Actuary' along with other signatories as specified in the referred Regulations.
- (2) The Actuary(s) certifying the reports, shall comply with the following conditions:
- (i) Fellow member of the Institute of Actuaries of India;
 - (ii) shall have valid COP in General Insurance and life insurance business in order to certify the General and Life reinsurance businesses respectively. COP shall mean 'Certificate of Practice' issued by the Institute of Actuaries of India to work as Appointed Actuary;
 - (iii) age not more than 70 years as at the date of certification of such reports;
 - (iv) at least 5 years post qualification relevant experience in respective field;
 - (v) not an employee of any other insurer/reinsurer of India;
 - (vi) no disciplinary action has been taken or initiated by any professional body or any insurance regulator against the applicant actuary; and
 - (vii) not adjudicated bankrupt during the last ten years

3. Other provisions:

- (1) The Competent Authority may, if considered necessary and expedient, ask the Appointed Actuary/Mentor Actuary/Consulting Actuary to make a personal visit to the office of the Authority to get any information in relation to the insurer/reinsurer.
- (2) In reference to the clause 5(3) and 5(4) of Part II of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024, the Appointed Actuary/ Mentor Actuary shall give a notice period of three months to the insurer to cease to be an Appointed Actuary/Mentor Actuary. Further, the date of cessation shall not fall between 1st January to 30th June in any year to avoid delay in finalisation of annual accounts and submission of annual statutory actuarial valuation reports.

Section – II: Valuation of life insurance business:

1. The following additional principles shall be followed while making aggregate provisions as per the clause 9 of Part III (A) of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024:

(1) Reserve for lapsed/reduced paid-up policies as referred under clause 9(2) and clause 9(3):

- (i) Reserve for a non-linked insurance policy discontinued during inter-valuation period may raise to a very high value in case of revival in future, which could be a concern for the policyholders' fund. AA shall consider this situation and adopt an appropriate method of reserving for revival under non-linked business.
- (ii) In case of linked policies discontinued during the lock-in period, the AA shall consider the strain that may arise on likely revival of discontinued policies and shall provide for the same under Form LB-1 explicitly. The discontinuance charge deducted from the remaining discontinued policies, shall be held as a separate item under the head "Funds for Future Appropriations" in Balance Sheet until the exit of the policy from books due to expiry of revival period or due to death of the life assured or expiry of the lock-in period as applicable. This amount will also be shown as a footnote in Form LB-1.
- (iii) In case of reduced paid-up linked policies, the AA shall make a provision for the strain that may arise on revival of such policies.

(2) Provision for Policy Options and Guarantees as per clause 9(4) and 9(5):

The AA shall arrive the cost of options and guarantees based on various methods. However, it shall be ensured that such cost provided shall be a non-zero positive percentage of premium.

(3) Additional provision in respect of policies issued in foreign currencies as per clause 9(6):

As per clause 2(4)(vi)(f) of Part III (B) of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions) Regulations, 2024 the AA shall describe the method of arriving at possible increase of mathematical reserves arising from future variations in the rates of exchange. In this connection, AA is advised to state the details like exchange rate as on the valuation date, the highest/lowest rate during the inter-valuation period, etc.

(4) The general fund reserve as specified under clause 6(4) and 8(4) of Part III (A) of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 shall be subject to a floor of mortality charge to cover 15 days of coverage applicable as on the date of valuation.

(5) Treatment of Additional provisions/Global Reserves in the computation of Required Solvency Margin (RSM):

The insurer need to provide additional provisions as required under clause 9 of Part III (A) of Schedule –I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024. The RSM factors to be applied in respect of these additional provisions/global provisions shall correspond to their respective categorisations made in NLB1/LB1 forms.

(6) RSM Factors for Investment Guarantee:

If investment/capital guarantee is available under any fund offered under a linked product, then RSM factors for "with guarantees" should be made applicable for those funds only. This difference in treatment for various funds under a single product should be reflected by way of a note in respective LB-1 (with product wise break-up) and by way of separate adjustment shown in Form KT-1.

- (7) In reference to clause 1(9) of Part III (A) of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the outstanding period in respect of Reinsurer's balances shall be reckoned from the earlier of {date of rising invoice with the Reinsurer by the ceding insurer, 46th day after receipt of intimation of claim from the claimant to the ceding insurer}. The outstanding balances due from the reinsurer shall be before netting off with the premiums payable by the cedant.

Example for measuring the outstanding period of Reinsurance balances:

Scenario-1: When the gap between **date of direct claim** and **date of raising invoice with the reinsurer** is not exceeding 45 days

Date of intimation of claim **to the direct insurer from the policyholder/claimant**: 01.01.2023

Date of intimation of the claim by the direct insurer **to the reinsurer**: 10.01.2023

As the date of intimation by **the direct insurer to the reinsurer** falls within 45 days of direct claim date i.e. 01.01.2023, the outstanding period of reinsurer's balances will be measured from **the actual date of raise of invoice to the reinsurer i.e. 10.01.2023**

Scenario-2: When the gap between **date of direct claim** and **date of raising invoice with the reinsurer** is exceeding 45 days

Date of intimation of claim **to the direct insurer from the policyholder/claimant**: 01.01.2023

If the date of intimation of claim by the direct insurer to the reinsurer is 20.02.2023 (i.e. after 50 days from the direct claim intimation (01.01.2023):

The outstanding period shall be measured from 16.02.2023 (i.e. 46th day after direct intimation date i.e. 01.01.2023 + 45 days = 16.02.2023)

- (8) In reference to the clause 1 (Valuation of Assets) of Part III(A) of Section-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the debt securities shall be valued in accordance with Schedule- II of the referred regulations.

2. Other Returns and Reports to be Submitted:

- (1) As per clause 2(3)(i) of Part III (B) of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024 the insurer shall submit the "With Profit Committee (WPC) Report". The details of constitution of "With profit committee" and the contents to be covered under the WPC are provided in Annexure ACTL-LI-1.

- (2) As per clause 2(3)(ii) and 2(3)(iii) of Part III (B) of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024 life insurers shall submit additional Returns/Reports as specified from Sr. No. 1 to Sr. No. 13 of Table-LI of this circular as per the applicability given:

Table-LI

Sr. No .	Report/Return	Reference in 'Master Circular on Submission of Returns'	Form/ Mode of submission	Frequency	Due date for submission
1	Actuarial Report and Abstract (ARA) for Life Insurance Business as per Part III (B) of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions insurers) Regulations, 2024	-	Digitally signed (including the forms) Tables, Forms of the ARA shall be both in digitally signed and in MS Excel	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.
2	(i) Form DD (ii) Form DDD (iii) Form NLB- 1 (iv) Form VIPNLB -1 (v) Form VIPLB -1 (vi) Form VIPLB -2 (vii) Form LB -1 (viii) Form LB -2 (ix) Form- ST (x) Form-NBEB (xi) Table – ‘Changes in valuation method / model/assumptions from previous year’ (xii) Table - IRR in respect of Par policies (xiii) Statement for Annual Report (a) Business in-force (Number of Policies) (b) Business in-force (Sum Assured)	Return-ACTL-1	MS-Excel (in addition to the digitally signed)	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.

	(c) Details of Forfeiture/Lapsed policies in respect of Individual Non-Linked business (d) Persistency of life insurance policies (based on number of policies)				
3	Appointed Actuary's Annual Report (AAAR)	Annexure ACTL-LI-2	Digitally signed (including the forms) Tables, Forms of the AAAR shall be both in digitally signed and in MS Excel	Annual	Along with ARA
4	Reconciliation & Checklist (Life Insurance)	Return- ACTL-2	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
5	With Profit Committee (WPC) Report	Annexure ACTL-LI-1 of this Master Circular	Digitally signed	Annual	Along with ARA
6	Asset Liability Management (ALM)	Annexure ACTL-LI-3 and Return- ACTL-3	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
7	Economic Capital	Annexure ACTL-LI-4 & Return- ACTL-4	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
8	Persistency Report	Annexure ACTL-LI-5	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	30th June every year
9	Financial Condition Report (FCR)	As set out in Actuarial Practice Standards	Digitally signed	Annual	Within one week's time from the date of presentation to Board of the insurer
10	Peer reviewer's report (Applicable only for Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs))	As set out in Actuarial Practice Standards	Digitally signed	Annual	Along with ARA

11	Audited Financial Statements	-	MS-Excel	Annual	Along with ARA
12	Solvency statements in the format of Form KT-3 as specified in the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024	-	Digitally signed	Quarterly	Within 45 days from the end of the quarter except for the last quarter which is to be submitted as part of annual submissions
13	ALM-Table-Quarterly (Applicable only for Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs))	Annexure ACTL-LI-3	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Quarterly	Within 45 days from the end of each quarter

- (3) Insurers are not required to submit hard copies of any reports, returns or other documents related to actuarial valuation or reinsurance. PDF and MS-Word/Excel copies of the documents shall be sent to the email ID: actuarial-valuation-l@irdai.gov.in with a copy to Nodal Officer in the Actuarial department of IRDAI.
- (i) The PDF copies of all such documents shall be digitally signed by the required signatories. Each page need not be digitally signed.
 - (ii) The submission of returns through BAP shall, however, continue as per the current practice until further advice.

Section III-Valuation of General and Standalone Health Insurance Business

1. Preparation of Solvency Statements:

- (1) As per the clause 2(1) of Part IV of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the norms for treatment of assets, IT/Computer Software, Hypothecated / Encumbered Assets, intangible assets like Trademark / Trade Logo, Co-Insurance Balances for the purpose of solvency computation are as specified below. These shall be applicable for both the quarterly and annual submissions.
- (i) IT/Computer Software: The IT/Computer software shall be depreciated at the rate of not less than 1/12 in each quarter on straight line basis, starting from the quarter in which the IT/ Computer software were added to the Gross Block. The written Down Value shall be considered for the purpose of computation of Available Solvency Margin.

An illustration of the same is as follows:

If an IT/Computer software worth Rs. 120 has been added in the gross block in Q2 of FY 2015-16, the admissible value of IT/Computer software for the purpose of computation of Available Solvency Margin at the end of each quarter, shall be the written down value at the end of each quarter, as per the below table:

Computation of Solvency at the end of	Opening Down Value	Depreciation	Written Down Value at the end of the quarter
Q2 of FY 2015-16	120	10	110
Q3 of FY 2015-16	110	10	100
Q4 of FY 2015-16	100	10	90
Q1 of FY 2016-17	90	10	80
Q2 of FY 2016-17	80	10	70
Q3 of FY 2016-17	70	10	60
Q4 of FY 2016-17	60	10	50
Q1 of FY 2017-18	50	10	40
Q2 of FY 2017-18	40	10	30
Q3 of FY 2017-18	30	10	20
Q4 of FY 2017-18	20	10	10
Q1 of FY 2018-19	10	10	Nil

(ii) Hypothecated / Encumbered Assets:

- (a) Where the obligation(s)/contingency(ies), for which the assets have been hypothecated /encumbered, have been recognized as liability in the books of accounts, the entire book value of the assets and liabilities shall be considered for the purpose of computation of solvency margin;
 - (b) Where the obligation(s)/contingency(ies), for which the assets have been hypothecated /encumbered, have not been recognized as liability in the books of accounts, the entire book value of such hypothecated /encumbered assets shall not be considered for the purpose of computation of solvency margin.
- (iii) Trademark / Trade Logo: Intangible assets, such as trademark or trade logo, shall be considered as inadmissible for the purpose of computation of available solvency margin.
- (2) Co-Insurance Balances: The unreconciled and uncertified coinsurance receivable balance shall not be considered as admissible assets for the purpose of computation of solvency margin
 - (3) For the purpose of computation of Required Solvency Margin, it is hereby clarified that Personal Accident and Travel (including domestic as well as overseas) shall be clubbed with Health segment and RSM-1 and RSM-2 shall be considered accordingly;
 - (4) The reserve for Incurred but not reported (IBNR) claims shall be estimated on the basis of sound actuarial principles and shall be treated as part of Claims Liability.
 - (5) In reference to clause 2(1)(x), 2(1)(xi), 2(1)(xii) of Part IV of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the outstanding period in respect of Reinsurer's balances/ Co-insurer's balances shall be reckoned from the earlier of

{date of rising invoice with the reinsurer/co-insurer by the ceding insurer/lead insurer, 46th day after receipt of intimation of claim from the claimant to the ceding insurer/follower}. The outstanding balances due from the reinsurer/co-insurer shall be before netting off with the premiums payable by the cedant/lead insurer.

Example for measuring the outstanding period of Reinsurance balances:

Scenario-1: When the gap between **date of direct claim** and **date of raising invoice with the reinsurer** is not exceeding 45 days

Date of intimation of claim **to the direct insurer from the policyholder/claimant**: 01.01.2023

Date of intimation of the claim by the direct insurer **to the reinsurer**: 10.01.2023

As the date of intimation **by the direct insurer to the reinsurer** falls within 45 days of direct claim date i.e. 01.01.2023, the outstanding period of reinsurer's balances will be measured from **the actual date of raise of invoice to the reinsurer i.e. 10.01.2023**

Scenario-2: When the gap between **date of direct claim** and **date of raising invoice with the reinsurer** is exceeding 45 days

Date of intimation of claim **to the direct insurer from the policyholder/claimant**: 01.01.2023

If the date of intimation of claim by the direct insurer to the reinsurer is 20.02.2023 (i.e. after 50 days from the direct claim intimation (01.01.2023)):

The outstanding period shall be measured from 16.02.2023 (i.e. 46th day after direct intimation date i.e. 01.01.2023 + 45 days = 16.02.2023)

- (6) In reference to the clause 2(1) (Valuation of Assets) of Part IV of Section-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the debt securities shall be valued in accordance with Schedule- II of the referred regulations.

2. Other Returns and Reports to be submitted:

- (1) The statements as specified under clause 2(4) and 2(5) of Part IV of Schedule-I of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024 shall be submitted on annual basis for each financial year within one month from the date of adoption of accounts by the Board or 30th June, whichever is earlier.
- (2) As per clause 2(5)(iv) of Part IV of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024, insurers shall submit additional Returns/Reports as specified from Sr. No 1 to Sr. No 10 of Table-GI of this circular as per the applicability given:

Table – GI

Sr. No.	Report/Return	Reference in 'Master Circular on Submission of Returns'	Form/ Mode of submission	Frequency	Due date for submission
1	IBNR Report	Annexure ACTL-GI-1	Digitally signed	Annual	Within one month from the date of adoption of accounts by the Board or 30th June, whichever is earlier.
2	IBNR Forms and Tables	Return-ACTL-5	Digitally signed and MS Excel	Annual	Along with IBNR Report
3	Financial Condition Report (FCR)	Annexure ACTL-GI-2	Digitally signed	Annual	Along with IBNR Report
4	FCR Tables	Return-ACTL-6	Digitally signed and MS-Excel	Annual	Along with IBNR Report
5	Asset – Liability Management and Stress Testing report	Annexure ACTL – GI – 3 and Return- ACTL-7	Digitally signed and MS-Excel of the ALM tables	Annual	Along with IBNR Report
6	Economic Capital Report	Annexure ACTL-GI- 4 and Return- ACTL-8	Digitally signed MS-Excel of the EC Tables	Annual	Along with IBNR Report
7	Peer reviewer's report (Applicable only for Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs))	As set out in Actuarial Practice Standards	Digitally signed.	Annual	Along with IBNR Report

8	Reporting of Maintenance of Solvency Margin Ratio (Quarterly Solvency Report in the formats as specified under clause 2(4) and 2(5) of Part IV of Schedule-I of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations,2024)	Clause 2(4) and 2(5) of Part IV of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and Provisions 1 of Section – III of this Master Circular	Digitally signed and MS-Excel of the forms	Quarterly	For the Quarters ending on 30 th June, 30 th September and 31 st December: Within 45 days from the end of each quarter For the Quarter ending on 31 st March: Within one month from the date of adoption of accounts by the Board or 30th June, whichever is earlier.
9	Asset Liability Management Returns (Applicable only for Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs))	Annexure ACTL-GI-3, and Return-ACTL-7 of 'Master Circular on Submission of Returns'	Digitally signed and MS-Excel of the ALM tables	Quarterly	Within 45 days from the end of each quarter
10	Audited Annual Financial statements (MS-Excel Format)	-	MS-Excel	Annual	Along with IBNR report

(3) Submission of Reports:

- (i) Insurers are not required to submit hard copies of any reports, returns or other documents related to actuarial valuation or reinsurance. PDF and MS-Word/Excel copies of the above listed documents are to be sent to the following email ID: actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in with a copy to the Nodal Officer of Actuarial Department of IRDAI.
- (ii) The PDF copies of all such documents shall be digitally signed by the required signatories. Each page of the above mentioned documents need not be digitally signed.

3. Uploading Motor Third Party data in IIBI's portal:

The Appointed Actuary and Chief Compliance Officer shall ensure completeness, reasonableness and correctness of the Motor Third party data before submission to IIBI while the Chief Compliance Officer shall ensure adherence to the applicable timelines.

Section IV-Valuation of Reinsurance Business:

1. In reference to the clause 3(1) (Valuation of Assets) of Part V of Section-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the debt securities shall be valued in accordance with Schedule- II of the referred regulations.

2. Other Reports and Reports to be submitted:

- (1) The forms specified in the clause 5(1) to 5(3) of Part V of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations shall be submitted on annual basis for each financial year within one month from the date of adoption of accounts by the Board/Executive Committee of Management or by 30th June, whichever is earlier.
- (2) The periodicity and due dates of applicable submissions for Indian Reinsurers are as mentioned below under 'Table-RI-Indian Reinsurers'.

Table-RI-Indian Reinsurers

Sr. No .	Life Reinsurance / General Reinsurance/Entity Level	Report/Return	Reference in 'Master Circular on Submission of Returns'	Form/ Mode of submission	Frequency	Due date for submission
1	Life Reinsurance / General Reinsurance/Entity Level as per the Regulations	The forms specified in the clause 5(1) to 5(3) of Part V of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations,2024	-	Digitally signed (including the forms) Tables, Forms shall be both in digitally signed and in MS Excel	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.

2	Life Reinsurance	Actuarial Report and Abstract (ARA) for Life Insurance Business as per Part III (B) of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions insurers) Regulations, 2024	-	Digitally signed (including the forms) Tables, Forms of the ARA shall be both in digitally signed and in MS Excel	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.
3	Life Reinsurance	Form DDD Form NLB- 1	Return- ACTL-1	MS-Excel (in addition to the digitally signed)	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.
4	Life Reinsurance	Reconciliation & Checklist (Life Insurance)	Return- ACTL-2	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
5	At entity level	Asset Liability Management (ALM)	Annexure ACTL-GI-3 and Return- ACTL-7	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
6	At entity level	Economic Capital	Annexure ACTL-GI-4	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
7	At entity level	Peer reviewer's report (Only by Domestic Systemically Important insurers)	As set out in Actuarial Practice Standards	Digitally signed	Annual	Along with ARA
8	At entity level	Audited Financial Statements	-	MS-Excel	Annual	Along with ARA

9	At entity level	Reporting of Maintenance of Solvency Margin Ratio	5(3) of Part V of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations	Digitally signed and MS-Excel of the forms	Quarterly	For the Quarters ending on 30 th June, 30 th September and 31 st December: Within 45 days from the end of each quarter For the Quarter ending on 31 st March: Within one month from the date of adoption of accounts by the Board or 30th June, whichever is earlier.
10	General Reinsurance	IBNR Report	Annexure ACTL-GI-1	Digitally signed	Annual	Within one month from the date of adoption of accounts by the Board or 30th June, whichever is earlier.
11	General Reinsurance	IBNR Forms and Tables	Return-ACTL-5	Digitally signed and MS Excel	Annual	Along with IBNR Report
12	At entity level	Financial Condition Report (FCR)	Annexure ACTL-GI-2	Digitally signed	Annual	Along with IBNR Report
13	At entity level	FCR Tables	Return-ACTL-6	Digitally signed and MS-Excel	Annual	Along with IBNR Report
14	At entity level	Asset Liability Management (ALM) (Only by Domestic Systemically Important insurers)	Annexure ACTL-GI-3 and Return-ACTL-7	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Quarterly	Within 45 days from the end of each quarter

(3) The periodicity and due dates of applicable submissions for Foreign Reinsurer's Branches (FRBs) are as mentioned below under 'Table-RI-FRBs'.

Table-RI-FRBs:

Sr. No .	Life Reinsuranc e / General Reinsuranc e/Entity Level	Report/Retur n	Reference in 'Master Circular on Submissio n of Returns'	Form/ Mode of submissi on	Frequ ency	Due date for submission
1	Life Reinsuranc e / General Reinsuranc e/Entity Level as per the Regulations	The forms specified in the clause 5(1) to 5(3) of Part V of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations	-	Digitally signed (includin g the forms) Tables, Forms shall be both in digitally signed and in MS Excel	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board/Executive Committee of Management or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.
2	Life Reinsuranc e	Actuarial Report and Abstract (ARA) for Life Insurance Business as per Part III (B) of Schedule I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions insurers) Regulations, 2024	-	Digitally signed (includin g the forms) Tables, Forms of the ARA shall be both in digitally signed and in MS Excel	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board/Executive Committee of Management or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.
3	Life Reinsuranc e	Form DDD Form NLB- 1	Return- ACTL-1	MS-Excel (in addition to the digitally signed)	Annual	Within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board/Executive Committee of Management or within three months from the end of the financial year whichever is earlier.

4	Life Reinsurance	Reconciliation & Checklist (Life Insurance)	Return- ACTL-2	Digitally signed and in addition, tables in MS-Excel	Annual	Along with ARA
5	General Reinsurance	IBNR Report	Annexure ACTL- GI-1	Digitally signed	Annual	Within one month from the date of adoption of accounts by the Board/ Executive Committee of Management or 30th June, whichever is earlier.
6	General Reinsurance	IBNR Forms and Tables	Return- ACTL-5	Digitally signed and MS Excel	Annual	Along with IBNR Report
7	At entity level	Audited Financial Statements	-	MS-Excel	Annual	Along with ARA
8	At entity level	Reporting of Maintenance of Solvency Margin Ratio	5(3) of Part V of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations	Digitally signed and MS-Excel of the forms	Quarterly	For the Quarters ending on 30 th June, 30 th September and 31 st December: Within 45 days from the end of each quarter For the Quarter ending on 31 st March: Within one month from the date of adoption of accounts by the Board/ Executive Committee of Management or 30th June, whichever is earlier.

- (4) Every FRB shall submit an additional actuarial certification from the parent reinsurance company on solvency and financial soundness of the foreign reinsurance company as a whole along with the regulatory returns filed with the Authority. The certification shall be based on the extant solvency norms as applicable to the parent foreign reinsurance company.
- (5) The combined asset and solvency statement at the entity level in case of Indian Reinsurers as per FORM IRDAI-RI-TA and FORM IRDAI-RI-SM as specified under Part V of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 shall be certified by both the Appointed Actuaries of life reinsurance business and general reinsurance businesses along with other signatories as mandated by the Regulations.
- (6) The combined asset and solvency statement at the overall branch level in case of FRBs as per FORM IRDAI-RI-TA and FORM IRDAI-RI-SM as specified under Part V of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 shall be certified by both the

Actuaries certifying life reinsurance business and general reinsurance business along with other signatories as mandated by the Regulations.

3. Submission of Reports:

- (1) Insurers are not required to submit hard copies of any reports, returns or other documents related to actuarial valuation or reinsurance. PDF and MS-Word/Excel copies of the above listed documents are to be sent to the following email ID: actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in with a copy to the Nodal Officer of Actuarial Department of IRDAI.
- (2) The PDF copies of all such documents shall be digitally signed by the required signatories. Each page of the above mentioned documents need not be digitally signed.

Section V-Repeal of Circulars:

This Master Circular supersedes the following circulars:

S. No.	Circular/Guidelines Reference	Date of issue	Subject
1	IRDA/ACT/CIR/MIS/111/05 /2011	25/May/2011	Economic Capital for Non-life industry
2	IRDA/ACTL/CIR/ALM/006/ 01/2012	3/Jan/2012	Asset-Liability Management and Stress Testing
3	IRDAl/ACT/CIR/GEN/075/0 3/2017	31/Mar/2017	Financial Condition Report for General Insurance
4	IRDAl/ACT/CIR/GEN/070/0 3/2017	31/Mar/2017	Information to be submitted as a part of the Annual Actuarial Valuation
5	IRDA/Actl/BAP/Cir/066/201 5-16	24/Apr/2015	Submission of ARA, AAAR and Reinsurance Returns through BAP
6	IRDA/ACT/CIR/MISC/035/0 1/2014	23/Jan/2014	Persistency of Life Insurance policies(based on number of policies) Annexure III (e)
7	IRDA/ACTL/CIR/ALM/005/ 01/2012 dated 04.01.2012	4/Jan/2022	Asset-Liability Management & Stress testing of Life Insurance Business
8	IRDA/M(A)/ACTL/EC/12/20 10-11	27/Dec/2010	Economic Capital in Life insurance companies
9	11/IRDA/ACTL/IBNR/2005- 06	8/Jun/2005	Guidelines on estimation of IBNR Claims provision under General Insurance Business
10	IRDAl/ACT/CIR/GEN/075/0 3/2017	31/Mar/2017	Information to be submitted as part of Annual Actuarial valuation and related submissions
11	IRDA/ACT/CIR/GEN/88/5/2 022	11/May/2022	Actuarial & reinsurance returns – Dispensing with hard copy submission

12	IRDAI/ACTL/CIR/MISC/4/1/2023	10/Jan/2023	Circular on IRDAI(Appointed Actuary)Reg. 2022
13	IRDA/ACT/CIR/MISC/001/01/2020	1/Jan/2021	Clarification on the IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurers) Reg, 2016
14	IRDA/ACT/CIR/MISC/147/06/2017 and Related email dated 19.01.2021	21/Jun/2017 19/Jan/2021	Submission of Actuarial reports by Branch Offices of foreign reinsurers other than Lloyds
15	IRDA/ACTL/CIR/GEN/045	7/Mar/2011	Note for the use of Appointed Actuaries for the preparation of "actuarial report and abstract" for the year ended march 31, 2011
16	056/IRDA/ACTL/Solvency Margin/February-07	23/Feb/2007	Reporting of Maintenance of Solvency Ratio-Quarterly basis
17	041/IRDA/ACTL/Mar-2006	29/Mar/2006	A note on method of determination and provisions of reserves for lapsed policies under Linked business
18	Cir No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/234 /12/2022	5/Dec/2022	Upload of Motor Third Party data in IIBI's portal
19	IRDA/ACTL/GDL/MISC/194 /08/2017	17/Aug/2017	Guidelines on Transitional provisions Under IRDAI(Appointed Actuary)Reg. 2017
20	IRDAI/ACT/CIR/ARA/073/03/2016-17	31/Mar/2017	Circular No. IRDA/ACT/CIR/MISC/035/01/2014 dated 23.01.2014 - Report on Persistency rate and Renewal rate
21	IRDA/ACT/CIR/MISC/229/08/2020	01/Sep/2020	Panel of Actuaries-List
22	IRDA/ACT/CIR/MISC/228/08/2020	01/Sep/2020	Panel of Actuaries
23	IRDA/ACT/CIR/MISC/283/11/2020	18/Nov/2020	Panel of Actuaries
24	IRDA/ACT/CIR/MISC/300/12/2020	28/Dec/2020	Panel of Actuaries
25	IRDA/ACT/CIR/SLM/066/03/2017	28/Mar/2017	Solvency margin
26	IRDA/ACT/CIR/SLM/090/05/2018	30/May/2018	Solvency margin for Crop business
27	IRDA/ACT/CIR/SLM/119/07/2019	25/Jul/2019	Solvency margin for Crop business
28	IRDA/ACT/CIR/SLM/220/08/2020	26/Aug/2020	Solvency margin for Crop business

29	IRDA/ACT/CIR/SLM/217/08/2021	03/Aug/2021	Solvency margin for Crop business
30	IRDA/ACT/CIR/SLM/122/06/2022	13/Jun/2022	Solvency margin for Crop business
31	IRDA/F&A/CIR/MISC/082/05/2019	20/May/2019	Preparation of Solvency statement
32	045/IRDA/F&A/Mar-06	31/Mar/2006	IRDA(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000 - Clarification
33	008/IRDA/F&A/May-06	17/May/2006	IRDA(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000
34	002/IRDA/F&A/Apr-06	21/Apr/2006	IRDA(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000
35	051/IRDA/F&A/Feb/07	08/Feb/2007	IRDA(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000
36	IRDA/F&A/060/Mar-08	11/Mar/2008	IRDA(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000
37	009/IRDA/F&A/Aug-08	13/Aug/2008	Valuation of assets under IRDA(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000

Note: All the provisions of the circulars mentioned under **S. No. 1 to S.No.10** of the above listed repealed circulars/guidelines shall continue to be applicable till the 'Master Circular on Submission of Returns' is notified.

Annexure-ACTL-AA-1

Form IRDAI-Appointed Actuary / Mentor Actuary/ Consulting Actuary

(Please Refer Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024)

Particulars of applicant Actuary:

1. Name of the Insurer:
 2. Name of the Actuary:
 3. Residential Address with telephone number: [Residential addresses during the last five years have to be furnished]
- 3.1.Whether ordinarily resident in India?
 (Refer clauses 1(3) of Part I and 2(1)(i) of Part II of the referred Regulations)

4. Official Address with telephone number:
5. Please confirm the Appointed Actuary will be on full time employment:
(Refer clause 2(1)(vi) of Part II of the Regulations)
6. Date of Birth (DD/MM/YYYY):
(Refer clause 2(1)(x) of Part II of the Regulations)
7. Mobile No.:
8. E-mail address:
9. Annual Remuneration & Fringe Benefits:
10. Percentage of Shareholding in the Insurer (for which the applicant is proposed as Appointed Actuary) and also in the promoters' companies, if any: (Refer clause 8 of Part II of the Regulations)
11. Professional Qualifications:
(Refer clause 2(1)(ii) and 2(1)(iii) or 2(1)(iv) or 2(1)(v) of Part II of the Regulations, as applicable)
12. Working Experience:
 - 12.1. Demonstration of relevant experience as per clause 2(1)(iii) or 2(1)(iv) or 2(1)(v) of Part II of the Regulations, as applicable):

(a)Total Relevant Experience

Sl. No.	Details of the Organization	Designation	From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	Duration (in months)	Details of Experience*
1						
...						
Total						

(*Clearly indicate the experience in the respective area of Life/Health/General/ Indian Re-insurer/ Foreign Reinsurer's Branch)

(b) Post Fellowship Experience (out of (a) above)

Sl. No.	Details of the Organization	Designation	From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	Duration (in months)	Details of Experience*
1						
...						
Total						

(*For the purpose of sub clause 2(1)(iii)(b) or 2(1)(iv)(b) or 2(1)(v)(b) of Part II of the Regulations, as applicable: clearly indicate the experience: Annual statutory valuation/Product pricing / Peer Reviewer/Independent Actuary / Panel Actuary /Certifying Actuary /Actuarial consultancy/relevant experience with the Authority in the respective area of Life/Health/General/ Indian Re-insurer/ Foreign Reinsurer's Branch)

(c) Middle/Senior level Management Experience

Sl. No.	Details of the Organization	Designation	From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	Duration (in months)	Details of Experience
1						
...						
Total						

13. Achievements and special positions held presently or previously:

14. Names, countries of incorporation, addresses and principal activities of any other firms or companies in which the applicant currently is or previously was a Director, Partner, Proprietor, Employee, Consultant, Peer Reviewer, Independent Actuary on with profit committee, Mentor to Appointed Actuary, Panel Actuary or Certifying Actuary of Reinsurance returns

Sl. No.	Details of the Organization (Name, country of incorporation etc...)	Designation	From	To	Duration (in months)	Work Profile
1						
...						
Total						

15. CoP details and Period of Validity (Refer clause 2(1)(ix) of Part II of the Regulations):

16. Particulars of any criminal conviction for offences in India or elsewhere:

17. Has the applicant been adjudicated bankrupt during the last ten years? If so, give details:

18. Has any disciplinary action been taken or initiated by any professional body or any insurance regulator or any other entity? If so give details (Refer clause 2(1)(vii) of Part II of the Regulations):

19. Declaration regarding conflict of interest as per clause 8 and 9(4) of Part II of the Regulations:

I shall function in accordance with Part II of Schedule I of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and I shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing my role as Appointed Actuary in accordance with these Regulations.

Certification by the Applicant Actuary:

I (Name of the Actuary), hereby certify that the information & declaration given in this form is complete, true and correct. I am also enclosing self-attested copies of the following documents:

1. Fellowship certificate issued by the Institute of Actuaries of India;
2. Latest Certificate of Practice issued by the Institute of Actuaries of India;
3. Documentary evidence for pass in subject specialization, if applicable.
4. Any other relevant document (list the documents)

Place:

Date:

Signature of Actuary

Certification by the Principal Officer/CEO of the insurer:

Based on the information provided by the proposed applicant Actuary, I.....(Name), the Principal Officer/CEO of the (Name of the Insurer), hereby certify that *

1. the proposed Actuary(Name) complies with all the requirements of Part II of Schedule I of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.
2. The proposed Actuary(Name) does not comply with the following requirements of Part II of Schedule-I of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. (Please mention

the requirements not being complied along with appropriate reference of the regulatory provisions for which a separate request is made under clause 2(5) of the above mentioned Regulations)
(*Please strike off whichever is not applicable)

Place:

Date:

Signature of the Principal Officer/CEO

Certification by the applicant Actuary for Mentorship: (Please Strike whichever is not applicable)

I, ... (Name of the Actuary) hereby certify that

1. I shall function in accordance with provision 1(3) of Section-I of Chapter-1-Actuarial Function of Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers and I shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing my role as Mentor Actuary.
2. The information given in this form is complete, true and correct.

I am also enclosing self-attested copies of following documents:

1. Fellowship certificate issued by the Institute of Actuaries of India or any other institute or body (Name of the institute or body) with which IAI has mutual recognition agreement.
2. Latest Certificate of Practice (COP) issued by the Institute of Actuaries of India

Place:

Date:

Signature of the Actuary

Undertaking by the applicant Actuary for Mentorship (Please Strike if not applicable):

I do hereby undertake that in the case of any additional work is accepted by me from any entity other than the Mentorship of the Appointed Actuary of the above insurer, the same will be informed to the Authority within 7 days from the date of such acceptance.

Place:

Date:

Signature of the Actuary.

Certification by the Principal Officer/CEO of the insurer: (Applicable in case of Mentor Actuary)

Based on the information provided by the proposed Mentor Actuary, I ... (Name)....., the Principal Officer/CEO of the (Name of the insurer) hereby certify that the proposed Mentor Actuary ----- (Name of the Actuary) ----- complies with all the requirements of provision 1(3) of Section-I of Chapter-1-Actuarial Function of Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers.

Place:

Date: Signature of the Principal Officer/CEO/Office Seal

Note: All the provisions/particulars of the form as applicable shall be submitted with sufficient details with striking off those not applicable.

Annexure-ACTL-LI-1

Provisions related to “With Profit Fund Management”

1. A life insurer is required to submit “With Profit Committee Report” as per clause 2(3)(i) of Part III (B)-Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024. The details on constitution of “With Profits Committee (WPC)” and the minimum required content of the report are provided below.
2. Constitution of “With Profit Committee”:
 - (1) The With-Profits committee shall be constituted with at least the following members:
One Independent Director of the Board, the CEO, the CFO, the Appointed Actuary and an Independent Actuary.
 - (2) The Independent Actuary on the “With Profit Committee”:
 - (i) shall be a Fellow member of Institute of Actuaries of India
 - (ii) shall possess a valid Certificate of Practice in the area of Life insurance issued by the Institute of Actuaries of India
 - (iii) shall have relevant post qualification experience of at least ten years in life insurance business and
 - (iv) shall not exceed 75 years of age
 - (v) The Independent Actuary shall not continue in the WPC of the same insurer for more than three consecutive years.
 - (vi) For any financial year, the independent actuary shall not be part of more than three with profit committees.
 - (3) The insurer may add more experts in the WPC in the areas of Actuarial, Finance, Investment or any other domain. Such additional experts need not satisfy the criteria stipulated for Independent Actuary.
3. Asset Share:

- (1) The insurer shall ensure maintenance of the Assets Share.
- (2) The detailed working of the asset share, the expenses allowed for in the asset share, the investment income earned on the fund and other associated elements which are represented in the asset share shall be determined by the Appointed Actuary.

4. With-Profit Committee Report

- (i) The With-Profit committee report shall cover at least the following:
 - (a) Appropriateness of the Methodology and basis used in calculation of asset shares as mentioned under Para – 3 of this Annexure and justification for any change
 - (b) Bonus earning capacity including its calculation
 - (c) Sensitivity analysis of bonus rates and basis as appropriate
 - (d) A brief note on how Policyholders' reasonable expectations (PRE) is met
 - (e) Any change in special surrender value with justification
 - (f) Treatment of Fund for Future Appropriation (FFA) along with details on reconciliation of opening FFA to closing FFA.
 - (g) The expenses debited to the with-profit fund and its appropriateness
- (ii) The report of the With-Profit committee should be shared with the Board of the insurer before finalization of year-end financial statements. The With-Profit committee report shall also be shared with the regulator along with Actuarial Report and Abstract. The With-Profit committee may be called upon by the regulator to explain the rationale of the With-Profit committee report. It is expected that differences if any, between the view-point of the Appointed Actuary and other members of the With-Profits committee should be resolved before the Appointed Actuary makes his or her final recommendation on with profit business. However, to the extent that any material difference remains unresolved, the same should be mentioned in the With-Profit committee report.
- (iii) The Appointed Actuary retains entire responsibility for his or her work in compliance with the Part-II of Schedule-I of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment functions of insurers) Regulations, 2024 and in conformity with the provisions of the Actuarial Practice Standards/ Guidance Notes and Professional Conduct Standards of the IAI. The Appointed Actuary must therefore retain the final say on whether or not any element of his or her work needs to be changed as a result of the With-Profit committee report. The Appointed Actuary is therefore advised to use his or her discretion in this area with care.

Chapter 2- Finance Function

Section I: Introduction

An insurer carrying on life insurance business shall comply with requirement of Schedule II (Part I) of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. An insurer carrying on the business of general insurance, health insurance, reinsurance shall comply with the requirements of Schedule II (Part II) of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 requires all insurers to prepare at the expiration of each financial year, with reference to that year, a balance sheet, a profit and loss account, a separate account of receipts and payments, a revenue account in accordance with the regulations made by the Authority.

1. Furnishing of Annual Financial Statements and other filings and publishing of the annual report on website:

All insurers shall furnish to IRDAI its audited accounts and statements referred to in section 11 or sub-section (5) of the section 13 with the Authority within three months from end of the financial year or within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board, whichever is earlier.

All insurers are required to publish their Annual Report, as required under Section 15 of the Insurance Act, 1938 on their respective website.

2. The following disclosures, at the minimum, shall also form part of Financial Statements as specified: -

a. Disclosures Forming Part of Financial Statements

- i) An insurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method specified in AS 3 - "Cash Flow Statement" as per Annexure-I
- ii) A summary of financial statements for the last five years, as per Annexure-II(a) / Annexure-II(b);
- iii) Accounting Ratios as per Annexure-III(a) / Annexure-III(b)
- iv) Information on penalties imposed on the Insurer by various government/regulatory bodies as per Annexure-IV.
- v) Disclosure of expenses related to outsourcing activities as per Annexure-V
- vi) Details of regrouping or reclassification of previous year's figures as per Annexure-VI

b. Disclosures Forming Part of Management Report

- (i) Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years as per Annexure-VII(a) / Annexure-VII(b) ;
- (ii) A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and organizations in which Directors of the insurer are interested as per Annexure-VIII.

Section II: Accounting and Disclosure Requirements

1. Corporate Social Responsibility (CSR) Expenditure:

The expenses incurred on CSR activities should not be charged to the Policyholders' Account. In order to bring consistency, uniformity and fair presentation, expenditure towards Corporate Social Responsibility shall be shown in Profit and Loss Account. The insurer shall make disclosures as required under Companies Act 2013 read with rules / notification/circulars issued thereunder.

Section III: Accounting and Disclosures specific to Life Insurers

1. Accounting of policies 'in force':

As per the terms under which life insurance policies are issued, the policyholder has a grace period within which the premium is to be deposited as per the terms of the policy. This policy is followed throughout the accounting period, as also at the year end. Thus, premium on any policy which is in force as on 31st March, would be accrued if due and also within the specified grace period. For linked business, the due date for payment may be taken as the date when the associated units are created.

Further, Section 13 of the Insurance Act, 1938 lays down the requirement for preparation of Actuarial Report and Abstract. The Regulations further provide for valuation of liabilities as on the valuation date, i.e., 31st March, every year.

In view of the above, and as matter of regulatory prudence, it is reiterated that all insurers should finalize the financial statements for the year to which they pertain, taking into account the policies which are in force as on 31st March to ensure compliance with the requirements of the Act and the Regulations framed there under.

2. Recognition of Surplus arising in non-participating funds as profit in the Profit & Loss Account:

It is clarified that the surplus arising in non-participating funds may be recognized as profit in the Profit and Loss account on quarterly basis provided that:

- a. Financial statements are audited/ limited review by statutory auditor on quarterly basis, as applicable.
- b. The surplus to be transferred to Profit and Loss account must be certified and recommended by the Appointed Actuary of the company.
- c. A disclosure to this effect should be made in the financial statements.
- d. In any case, the amount transferred must not exceed the yearly profit. The difference, if any must be adjusted in the 4th quarter. In case the variation in the surplus is in excess of 10% or Rs.5 crores, whichever is higher, then the life Insurer shall submit to the Authority an explanation stating reasons for variation along with the annual financial statements. The explanation of variations so submitted shall be approved by the Board of Directors of life Insurers.

3. Declaration of Bonus:

Section 49 of the Insurance Act, 1938 inter alia, provides that no life insurer shall declare bonus to the policyholders except out of a surplus shown in the valuation Balance Sheet which may arise as a result of actuarial valuation of the assets and liabilities of the insurer; nor shall he increase such surplus by contributions out of any reserve fund or otherwise unless such contributions have been brought in as revenue through the Revenue account on or before the valuation date.

3.1. Conditions to be met for declaration of bonus to the policyholders:

An insurer intending to declare bonus, where the Participating Life Fund is in deficit, or when there is inadequate surplus, should strictly satisfy the conditions, as laid down by the Authority, hereunder:

- i) The Insurer shall make good the accumulated deficit in the Policyholders' A/c and also transfer adequate assets to cover the cost of bonus, prior to declaration of bonus to the participating policyholders. Such transfer from the Shareholders' A/c can be out of the Profit & Loss A/c balance or reserves in the Shareholders A/c, and/or by drawing upon the paid-up capital of the Insurer. By implication, there shall be no deficit in the Policyholders' A/c in case of the insurer opting for declaration of bonus under these circumstances.
- ii) Any transfer as aforesaid, shall be by a debit to the Profit & Loss (Shareholders') Account and a credit to the Revenue (Policyholders') Account.
- iii) The funds so transferred to the Policyholders' A/c shall be irreversible in nature, i.e., at no point of time can they be recouped to the Shareholders' Account/ Fund.
- iv) The transfer to the Policyholders' A/c must be fully backed by transfer of assets/investments to the Policyholder' Funds, and should be adequate to meet the policyholders' liabilities, including the cost of bonus.
- v) The proposed rates of bonus should be capable of being sustained over the future.

- vi) The transfer of funds to the Policyholders' A/c shall be supported by a special resolution of the shareholders at the general meeting of the insurer. Further, the Insurer shall appropriately increase the paid-up equity capital, within a period of six months from the date of transfer of funds, or such longer period as may be approved by the Authority, with a view to aligning the paid-up equity capital, such as to make up the deficiency (including the cost of bonus) in the life fund as aforesaid, and is backed up and represented by Policyholders' assets/investments.

The above provisions, for the purposes of meeting the requirement of declaration of bonus, are available to the insurers only during the first twelve financial years commencing from the year in which the life insurance business operations were started. Thereafter, it is expected that declaration of bonus will be supported by surplus within the life fund without recourse to contribution from the shareholders.

4. Disclosures relating to Discontinued Policies:

- 4.1.** The Funds relating to the discontinued policies shall be shown under a separate head in the Balance Sheet under "Policyholder's Fund", alongside Policy Liabilities in the following manner:

Funds for discontinued Policies:

- (i) Discontinued on account of non-payment of premiums
- (ii) Others

- 4.2.** The Amount refunded to the policyholders and amount transferred to the "Funds for Discontinued Policies" during the financial year shall be shown in the specified format.

- 4.3.** The following disclosures shall be made in the notes to accounts:

- (i) Number of policies discontinued during the financial year;
- (ii) Percentage of discontinued policies to total policies (product-wise) during the year;
- (iii) Number and Percentage of policies revived during the year (w.r.t. discontinued policies)
- (iv) Charges imposed on account of discontinued policies.
- (v) Charges readjusted on account of revival of discontinued policies

The disclosures shall be made in the format as specified in Annexure – IX.

5. Additional Disclosures in financial statements:

5.1. Controlled Fund:

The details of the Controlled Fund shall be furnished as part of the annual financial statements of life insurers in the enclosed format (Annexure X).

5.2. Disclosures for ULIP business:

- (i) To ensure transparency and consistency in the disclosures across the industry, the format of reporting under the Regulations, has been modified to include the following - Segregation of the Unit Linked Revenue A/c into two components, viz., (a) Non –Unit Funds and (b) Unit Fund;
- (ii) Format of reporting of the Segregated funds – Revenue A/c, Balance Sheet and the underlying Schedules including additional disclosures (**Annexure XI**) to form part ULIP disclosures on website of the Insurer.

5.3.Clarifications on the ULIP disclosures:

- i. The Investment portion of premium shall be disclosed in the Unit segment and the non-investment portion in the non-unit segment;
- ii. Income on investment shall be disclosed under unit and non-unit portion in consonance with (i) above;
- iii. Fees and charges shall be shown as “Income” in the non-unit segment and as “Expenses” in the unit segment.
- iv. All operating expenses and Commission shall be disclosed in non-unit segment.
- v. Claims arising from cancellation of units alone shall be shown against linked segment and other items like mortality, morbidity and value of guaranteed benefits shall be disclosed under non-unit segment

5.4.Disclosure of amount representing the unclaimed amount of Policyholders:

All the insurers are advised to ensure compliance with stipulations on Unclaimed Amounts of Policyholders as specified from time to time. It is also advised that the unclaimed amounts will not be appropriated / written back, in any circumstances, by the insurers.

5.5.Guidelines for recognition of claims:

The date for recognition of claims shall be the date of intimation of death or date of intimation of surrender by the policyholder. The date of recognition of claims in case of maturity, survival benefits, annuity, etc. shall be as per the terms and conditions of the policies.

Section IV: Accounting and Disclosures specific to General Insurance, Health insurance and Reinsurance companies (including branches of foreign reinsurers)

1. Actuarial valuation of claims where claims period exceeds four years

The Regulations require all insurers to furnish the particulars of the claims made in respect of contracts where the claims payment period exceeds four years. Such claims are required to be recognized on actuarial basis, for example payment arising out of long-term disability. In such cases, a certificate from an Appointed Actuary as to fairness of liability assessment must be obtained and the actuarial assumptions are required to be disclosed by way of Notes to the Accounts. It is further

clarified that the provisioning under this regulation has no relation to the time lag between the occurrence and settlement of a claim.

2. Alternate Risk Transfer Agreements (ART)

Some of the non-life insurers are entering into Alternate Risk Transfer (ART) agreements as a substitute to/form of re-insurance. A broad assessment of the types of agreements being entered into by the insurers indicates that while at best these arrangements may be a combination of reinsurance and financing arrangements, in other instances ART may be purely in the nature of a financing agreement.

Any ART arrangement has to be accounted for based on the principle of "Substance over Form". If the agreement is in the nature of re-insurance coupled with financing arrangement, and the components are capable of separation, each element should be accounted for as per the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). However, in cases where the aforesaid components are not separable, the entire arrangement should be treated as a financial transaction and should be accounted for accordingly. All non-life insurers are required to account for the ART arrangements by looking into the "Substance over Form", and account for the same as per the GAAP.

3. Segregation of Policyholders' and Shareholders' Funds:

3.1 Section 11(2) of the Insurance Act, 1938 mandates that every Insurer shall keep separate funds of shareholders and policyholders. In view of the said provision, general insurers including reinsurers, branch offices of foreign reinsurers, standalone health insurers and specialized insurers are advised as under:

i.Bifurcate the policyholders' and shareholders' fund at the end of each quarter at the minimum at the "fund level" on notional basis.

ii.Policyholders' funds shall be the sum of:

- a) Estimated Liability for Outstanding claims including incurred but not reported (IBNR) and incurred but not enough reported (IBNER);
- b) Reserve for unearned premium reserve;
- c) Premium Deficiency, if any;
- d) Catastrophe Reserve, if any; and
- e) Other Liabilities net of Other Assets.

Other Liabilities above, comprise of premium received in advance, unallocated premium, Balance due to other insurance companies, Due to other Members of a Pool such as Terrorism Pool, Sundry creditors (due to policyholders), etc.

Other assets above, comprise of outstanding premium, due from other entities carrying on insurance business including Reinsurers, Balance with terrorism pool, if applicable, etc.

- iii. Investments made out of the policyholders' funds and shareholders' funds shall be shown separately in the formats as specified.
- iv. As a result of the above, the Fair Value Change Account as it appears in the Balance Sheet shall accordingly stand bifurcated under the Shareholders' fund and Policyholders' fund.
- v. There shall not be any transfer from Policyholders' Account to Shareholders' Account on account of income/losses on investments
- vi. The income/ losses accrued / capital gains/losses on the investments are to be credited / debited to the respective Revenue Account and Profit & Loss Account, as the case may be.
- vii. All insurers shall ensure that the investments allocated to policyholders shall not be less than value of the policyholders' fund.

3.2 Recoulement of the Deficit - Every Insurer shall ensure that the policyholders' fund as defined above, are fully supported by the policyholders' investments shown in Schedule-8A. Therefore, any deficit / shortfall in policyholders' investments arising out of the loss in the Revenue Account or otherwise shall be recouped by transfer of securities from the shareholders' investments to the policyholders' investments on a half yearly basis. The valuation of such securities shall be in accordance with the valuation norms as specified in the regulations.

4. Transfer of securities to Policyholders' Account from the Shareholder's account or other wise

Where securities are transferred to the policy holders Account, this should be at market price or amortized cost, whichever is lower.

5. Accounting treatment for Long Term products:

A. Premium Recognition:

Premium for a Long-Term policy if collected at the time of sale of the policy, for the entire Policy Duration or for any duration exceeding 12 months, shall be recognized on a yearly basis. In other words, the Gross Written Premium reported for any Financial Year shall be the total Gross Written Premium due for the Long-Term Policy multiplied by ' $1/n$ ', where ' n ' is the Policy Duration. Any excess amount collected shall be treated as "Premium Deposit" or "Advance Premium".

B. Payment of Commission:

Payment of commission in a year shall be only on the gross written premium recognised for the year.

Section V: Accounting and Disclosures specific to Reinsurers, FRBs & Lloyds

1. Applicable to the branch office of foreign reinsurers and Lloyd's India

- a. In case of a foreign reinsurer carrying on the business of reinsurance, through a branch office established in India, a Head Office account shall be maintained;
- b. The Head Office Account shall be maintained in two parts as under:
 - i. The irreversible fixed amount of assigned capital provided to the branch by the foreign reinsurer to carry on the business of reinsurance in India as mandated by the Authority from time to time;
 - ii. The Current account representing the transactions between the branch office and its head office including transfer of branch profit or loss with the prior approval of the Authority from time to time:

Provided that, at any time, the net balance of (i) and ii) shall not be less than the Assigned Capital specified by the Authority.
 - iii. Accordingly, the schedule 5 i.e. Share Capital shall not be applicable to foreign reinsurer carrying on the business of reinsurance, through a branch office established in India.
 - iv. The irreversible fixed amount representing the Assigned Capital shall be shown as a separate line item in the Balance Sheet after "Reserve & Surplus". The details of the same shall be furnished in Schedule 6A - "Head Office Account".
 - v. The Current Account of Head Office shall be shown as a separate line item to be presented in the Schedule 12- Advance and Other Assets or Schedule-13 Current Liabilities as the case may be.
 - vi. It is to be noted that all other provisions of Schedule II (Part II) of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, to the extent applicable to Indian reinsurers shall be applicable mutatis mutandis to the branch of foreign reinsurers.

2. Applicable to reinsurers and the branch office of foreign reinsurers and Lloyd's India Accounting of Premium, claims and related expenses on estimation basis:

The Authority has carried out an analysis of the premium recognized by the FRBs and GIC Re and observed that while some of the FRBs are accounting for the premium on "actual" basis, some others are doing so on "estimation" basis.

It is further observed that no uniform method / procedure has been followed by the reinsurers on accounting of the premium on estimation basis. The premium is accounted on estimation basis by the Reinsurer due to the following reasons: (i) lag or delay in receiving the statement of accounts from the Insurer(s); and/or (ii) alignment of accounting practices with parent organization.

Given that a significant part of the premium is being accounted on estimation basis, a need is felt to lay down guidelines to govern the accounting and disclosures of premium recognized on estimation basis in the annual report. Accordingly, the Authority lays down the following framework whereunder the FRBs/Reinsurers shall ensure that in annual financial statements no premium is accrued / accounted on estimate basis at least upto 3rd quarter of each financial year. However, for the fourth quarter ending on 31st March, where the statement of accounts has not been received in time, the premium, losses and related expenses may be accounted on estimation basis. However, in estimation of the said income and expenses, the reinsurers shall ensure that:

- a) a consistent methodology is followed across the entire portfolio;
- b) the estimates shall be trued up as actual values emerge;
- c) a statement shall be included in the annual report stating total premium, claims and expenses accounted for during the financial year and premium, claims and expenses accounted on estimation basis;
- d) complete disclosure shall be made for three years (including the current Financial Year) giving the segment wise break up of premium, claims and expenses accounted on estimation basis and its actual experience as per the attached formats – **Annexure XII** and Management's comments on variation, if any, beyond 10% on a yearly basis under Notes to Accounts if the actual figures are available at the time of closing of books of accounts for the said financial year. In case of the information not being available, the above referred submissions shall be made in the annual report for the next financial year; and
- e) If the actual figures are not available at the time of closure of books of accounts for the financial year, any deviation beyond $\pm 10\%$ shall be reported to the Authority in the format referred in above para 4 within 15 days from the end of first quarter of the next financial year.

Section VI: General

- 1) All insurers are advised to furnish the returns to the Authority as per the Regulations notified in this regard. In case there is no information applicable for a particular point the insurer should indicate 'Not Applicable' or 'Nil', as the case may be, rather than deleting the said point from the Returns filed with the Authority.
- 2) The Regulations specify that certain points are required to be certified by a specified professional. The Insurer shall ensure that the Regulations are followed both in letter and spirit in the said context. It should be ensured that exceptions, if any, are brought out in the relevant certificate.

Section VII: Deviation from specified Formats

All insurers are hereby advised to strictly adhere to the formats (including schedules) specified by the Regulations and the directions issued thereunder by the Authority. Any new line item, if so warranted to be disclosed separately, may be shown under "Others" in Revenue Account, P&L Account and/or the relevant schedule of the financial statements, by giving the details of particulars of each item.

Schedule– I : List of Repealed Circulars of Life Insurers

Sl. No.	Circular Reference	Subject
1	IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dt. 11.12.2013	Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing Returns of Life Insurance Business
2	IRDA/F&A/Cir/ACTS /118/ 04 /2014 dt. 28.04.2014	Premium Recognition for Variable Insurance Products
3	IRDA/F&A/CIR/MISC/184/10/2019 dt. 04/10/2019	Preparation of Financial Statements by Life Insurers

Schedule-II- List of Repealed Circulars of Non- Life Insurers, Reinsurer & FRB

No	Circular Reference	Subject
1	Master Circular dated October, 2012	Preparation of Financial statements
2	IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 dated 03.07.2013	Corrigendum on Master Circular dated October, 2012
3	IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 dated 04.04.2016	Preparation of financial statements
4	IRDA/F&A/CIR/CPM/010/01/2017 dated 12.01.2017	Preparation of financial statements
5	IRDAI/F&A/CIR/MISC/081/05/2019 dated 20.05.2019	Preparation of Financial statements
6	IRDA/F&A/CIR/MISC/123/6/2022 dated 15.06.2022	Accounting of Premium, claims and related expenses on estimation basis-FRBs and Indian Reinsurers

Annexure I- Cash Flow Statement (For all insurers)

To be prepared in accordance with Accounting Standard 3 (AS 3)- Cash Flow Statements

Cash Flow Statement shall be prepared only under the Direct Method.

(Amount in Rs. Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
<u>Cash Flows from the operating activities:</u>		
Premium received from policyholders, including advance receipts		
Other receipts (give Break-up)		
Payments to the re-insurers, net of commissions and claims		
Payments to co-insurers, net of claims recovery		
Payments of claims		
Payments of commission and brokerage		
Payments of other operating expenses		
Preliminary and pre-operative expenses		
Deposits, advances and staff loans		
Income taxes paid (Net)		
Good & Service tax paid		
Other payments		
Cash flows before extraordinary items		
Cash flow from extraordinary operations		
Net cash flow from operating activities		
<u>Cash flows from investing activities:</u>		
Purchase of fixed assets		
Proceeds from sale of fixed assets		
Purchases of investments		
Loans disbursed		
Sales of investments		
Repayments received		
Rents/Interests/ Dividends received		
Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (Net) ^(a)		
Expenses related to investments		
Net cash flow from investing activities		
<u>Cash flows from financing activities:</u>		
Proceeds from issuance of share capital		
Proceeds from borrowing		
Repayments of borrowing		
Interest/dividends paid		

Net cash flow from financing activities		
Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net		
Net increase in cash and cash equivalents:		
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		
Cash and cash equivalents at the end of the year		

Notes: -

- a) Investments in mutual funds where these are used as parking vehicles pending investment are to be indicated (net).
- b) The above items are minimum which are to be reported. Insurers may include any other items which they deem fit.
- c) Loans granted against policies should be disclosed as part of "investing activities"

Annexure II(a) - Summary of the financial statements (For life insurers)

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Particulars	1st year*	2nd year	3rd year	4th year	5th year
	<u>Policyholders' Account</u>					
1	Gross premium income					
2	Net premium income ¹					
3	Income from investments (net) ²					
4	Other income					
5	Contribution from the Shareholders a/c					
	-Towards excess EOM					
	-Towards meeting deficit in Policyholders' Account					
6	Income on unclaimed amount of policyholders					
7	Total income					
8	Commissions (net) ³					
9	Operating expenses related to insurance business ⁴					
10	Provisions for tax					
11	Total Expenses					
12	Payment to policy holders ⁵					
13	Increase in actuarial liability					
14	Provision for Linked Liabilities					
15	Surplus/(Deficit) from operations					
	<u>Shareholders' Account</u>					
16	Total income under Shareholders Account ⁶					
17	Total expenses under Shareholder's Account					
18	Profit /(loss) before tax					
19	Provisions for tax					
20	Profit/ (loss) after tax					
21	Profit /(loss) carried to Balance sheet					
22	<u>MISCELLANEOUS</u>					
	(A) Policyholders account:					
	Total funds					

	Total Investments					
	Yield on investments (%) ⁷					
	<u>(B) Shareholders account :</u>					
	Total funds					
	Total Investments					
	Yield on investments (%) ⁷					
23	Yield on total investments					
24	Paid up equity capital					
25	Net worth					
26	Total Assets					
27	Earnings per share					
28	Basic earnings per share					
29	Diluted earnings per share					
30	Book value per share					
31	Total Dividend declared / Paid					
32	Dividend per Share					
33	Solvency Ratio					

*1st year means the most recent concluded financial year.

Notes:

1. Net of reinsurance
2. Net of losses (includes diminution in the value of investments)
3. Includes any compensation paid by an insurer to Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary
4. Includes unit fund expenses
5. Inclusive of interim bonuses, if any
6. Includes other income of profit and loss account
7. Investment income/((Opening investments + Closing investments)/2)

Annexure II(b)- Summary of the financial statements (For insurers other than Life insurers) (Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	1st year*	2nd year	3rd year	4th year	5th year
	OPERATING RESULTS					
1	Gross direct premium					
2	Gross Written Premium					
3	Net Premium Income ⁽¹⁾					
4	Income from Investments (net) ⁽²⁾					
5	Other Income (to be specified)					
6	<u>Contribution from the Shareholders a/c</u>					
	-Towards excess EOM					
	-Others to be specified					
	Total Income					
7	Commission (net) ⁽³⁾					
8	Operating Expenses					
9	Premium Deficiency					
10	Net Incurred Claims					
11	Change in Unearned premium reserve					
12	Operating Profit / (Loss)					
	NON-OPERATING RESULTS					
13	Total Income under shareholder's account					
14	Total expenses under Shareholder's Account					
15	Profit / (Loss) before tax					
16	Provision for tax					
19	Profit / (Loss) after tax					
	MISCELLANEOUS					
20	Policyholders' Account :					
	Total Funds					
	Total Investments					
	Yield on Investments					
21	Shareholders' Account :					
	Total Funds					
	Total Investments					

	Yield on Investments				
22	Paid up equity capital				
23	Net worth				
24	Total Assets				
25	Yield on Total Investments				
26	Earnings per Share (Basic)				
27	Book Value per Share				
28	Total Dividend declared/paid for the year				
29	Dividend per Share				
30	Solvency Ratio				

*1st year means the most recent concluded financial year.

Notes

1. Net of reinsurance
2. Net of losses (includes diminution in the value of investments)
3. includes any compensation paid by an insurer to Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary

Annexure III(a)- Analytical Ratios* (For life insurers)

SN	Particular	Current Year	Previous Year
1	New Business Premium Growth Rate (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life		
	b) Pension		
	c) Health		
	d) Others		
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life		
	b) Annuity		
	c) Pension		
	d) Health		
	e) Others		
	Non Participating:		
	a) Life		
	b) Annuity		
	c) Pension		
	d) Health		
	e) Others		
2	Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)		
3	Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)		
4	Net Retention Ratio		
5	Conservation Ratio (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life		
	b) Pension		
	c) Health		
	d) Others		
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life		
	b) Annuity		
	c) Pension		
	d) Health		
	e) Others		

	Non Participating:		
	a) Life		
	b) Annuity		
	c) Pension		
	d) Health		
	e) Others		
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio		
7	Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)		
8	Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium		
9	Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium		
10	Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds		
11	Change in net worth (Amount in Rs. Lakh)		
12	Growth in Net worth		
13	Ratio of Surplus to Policyholders' Fund		
14	Profit after tax / Total Income		
15	(Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets)		
16	Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)		
17	Total Affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus)		
18	Investment Yield - (Gross and Net) -Fund wise and With/Without realised gain		
19	Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13th month		
	For 25th month		
	For 37th month		
	For 49th Month		
	For 61st month		
	Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)		
	For 13th month		
	For 25th month		
	For 37th month		
	For 49th Month		
	For 61st month		
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13th month		

		For 25th month		
		For 37th month		
		For 49th Month		
		For 61st month		
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)			
		For 13th month		
		For 25th month		
		For 37th month		
		For 49th Month		
		For 61st month		
20	NPA Ratio			
	Policyholders' Funds			
		Gross NPA Ratio		
		Net NPA Ratio		
	Shareholders' Funds			
		Gross NPA Ratio		
		Net NPA Ratio		
21	Solvency Ratio			
22	Debt Equity Ratio			
23	Debt Service Coverage Ratio			
24	Interest Service Coverage Ratio			
25	Average ticket size in Rs. - Individual premium (Non-Single)			
26	Equity Holding Pattern for Life Insurers and information on earnings:			
	No. of shares			
	Percentage of shareholding			
	Indian			
	Foreign			
	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)			
	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)			
	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)			
	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)			
	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)			
	Book value per share (Rs)			

Annexure III(b)- Analytical ratios(For insurers other than Life insurers) *

S.No.	Particular	CY	PY
1	Gross Direct Premium Growth Rate**		
2	Gross Direct Premium to Net worth Ratio		
3	Growth rate of Net Worth		
4	Net Retention Ratio**		
5	Net Commission Ratio**		
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio**		
7	Expense of Management to Net Written Premium Ratio**		
8	Net Incurred Claims to Net Earned Premium**		
9	Claims paid to claims provisions**		
10	Combined Ratio**		
11	Investment income ratio		
12	Technical Reserves to net premium ratio **		
13	Underwriting balance ratio		
14	Operating Profit Ratio		
15	Liquid Assets to liabilities ratio		
16	Net earning ratio		
17	Return on net worth ratio		
18	Solvency Margin Ratio		
19	NPA Ratio		
	<u>Policyholders' Funds</u>		
	Gross NPA Ratio		
	Net NPA Ratio		
	<u>Shareholders' Funds</u>		
	Gross NPA Ratio		
	Net NPA Ratio		
20	Debt Equity Ratio		
21	Debt Service Coverage Ratio		
22	Interest Service Coverage Ratio		
23	Equity Holding Pattern for other than life Insurers and information on earnings:		
	No. of shares		
	Percentage of shareholding		
	Indian		
	Foreign		
	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)		

	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)		
	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)		
	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)		
	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)		
	Book value per share (Rs)		

Net worth definition to include Head office capital for Reinsurance branch

** Segmental reporting has to be done for CY and PY

*The ratios must be calculated in accordance with instructions provided by the Authority under circular on public disclosures by the insurers as specified from time to time

Annexure IV- Penalty imposed by various government authorities (For all Insurers)

Sr No	Authority	Non-Compliance / Violation	(Amount in Rs. Lakh)		
			Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)				
2	Income Tax Authorities				
3	GST Authorities				
4	Any other Tax Authorities				
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA				
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013				
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation				
8	Securities and Exchange Board of India				
9	Competition Commission of India				
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority (give break-up)				

*Penalty includes compounding charges levied by any Government Authority(ies).

Annexure V- Disclosure of expenses related to outsourcing activities (For all insurers) (Rs. in Lakh)

Particulars	Current year	Previous Year
Total Outsourcing Expenses		
Break up of Outsourcing Expenses (Please specify the expenses head under which the expenses booked/reported/charged)		
1._____		
2._____		

Annexure VI- Regrouping Statement (For all insurers)

Sr No.	Particulars (schedule and head of account)		Regrouped / Restated Amount (Rs. In lakh)	Amount as per financials of previous year (Rs. In lakh)	Difference (Rs. In lakh)	Reason for regrouping / restatement
	Regrouped From	Regrouped To				

Annexure VII(a) – Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding 5 years

Average claims settlement time (For Life insurers)

Year	Average time taken for claim settlement (in days)
1st year*	
2nd year	
3rd year	
4th year	
5th year	

I. CLAIMS REGISTERED AND SETTLED:

Linked Business

(Amount in Rs. Lakh)

Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years	
	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled
1st year*										
2nd year										
3rd year										
4th year										
5th year										

Non-Linked Business										(Amount in Rs. Lakh)	
Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years		
	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	No of claims	Amount settled	
1st year*											
2nd year											
3rd year											
4th year											
5th year											

II. CLAIMS REGISTERED AND NOT SETTLED:

Linked Business										(Amount in Rs. Lakh)	
Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years		
	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	
1st year*											
2nd year											
3rd year											
4th year											
5th year											

Non-Linked Business										(Amount in Rs. Lakh)
Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years	
	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved	No of claims	Amount involved
1st year*										
2nd year										
3rd year										
4th year										
5th year										

*1st year means the most recent concluded financial year.

Annexure VII(b) – Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding 5 years (For insurers other than Life insurers)

I. Ageing analysis of Gross Claims outstanding

Period	Product/Segment ⁽¹⁾	
	No of Claims	Amount involved
0-30 days		
31 days to 6 months		
6 months to 1 year		
1 year to 5 years		
5 years and above		

II. Details of Average Claim settlement time for the preceding five years

(Amount in Rs. Lakh)

Product/Segment ⁽¹⁾	1st year*			2nd year			3rd year		
	Average Settlement time (Days)	No of claims settled	Amount settled	Average Settlement time (Days)	No of claims settled	Amount settled	Average Settlement time (Days)	No of claims settled	Amount settled

*1st year means the most recent concluded financial year.

Notes: -(1) Product/ Segments : - As prescribed under Regulations

Product/Segment ⁽¹⁾	4th year			5th year			
	Average Settlement time (Days)	No of claims settled	Amount settled	Average Settlement time (Days)	No of claims settled	Amount settled	Average Settlement time (Days)

Annexure VIII – Schedule of payments which have been made to individuals, firms, companies and organisations in which directors of the insurers are interested
(For all insurers)

(Amount in Rs. Lakh)

Sr.No	Name of the director with Designation	Entity in which Director is interested	Interested as	Description of Transaction s / Payment made for	During the Year	During the previous Year

Annexure – IX Disclosures relating to Fund for discontinued policies (Applicable to Life insurers)

(Amount in Rs.
Lakh)

Particulars		Current Year		Previous Year	
		Sub-total	Total	Sub-total	Total
Fund for Discontinues Policies					
	Opening Balance of Funds for Discontinued Policies				
Add:	Fund of policies discontinued during the year				
Less:	Fund of policies revived during the year				
Add:	Net Income/ Gains on investment of the Fund				
Less:	Fund Management Charges levied				
Less:	Amount refunded to policyholders during the year				
	Closing Balance of Fund for Discontinued Policies				
Other disclosures					
	No. of policies discontinued during the year				
	Percentage of discontinued policies to total policies (product-wise) during the year				
	No. of policies revived during the year				
	Percentage of policies revived (to discontinued policies) during the year				
	Charges imposed on account of discontinued policies				
	Charges readjusted on account of revival of policies				

Annexure X -Statement showing the Controlled Fund of (Insurer) (Applicable to Life insurers)
(Amount in Rs. Lakh)

		C.Y.	P. Y.
1	Computation of Controlled fund as per the Balance Sheet		
	Policyholders' Fund (Life Fund)		
	Participating		
	Individual Assurance		
	Individual Pension		
	Any other (Pl. Specify)		
	Non-participating		
	Individual Assurance		
	Group Assurance		
	Individual Annuity		
	Any other (Pl. Specify)		
	Linked		
	Individual Assurance		
	Group Assurance		
	Individual Pension		
	Group Superannuation		
	Group Gratuity		
	Any other (Pl. Specify)		
	Funds for Future Appropriations		
	Total (A)		
	Shareholders' Fund		
	Paid up Capital		
	Reserves & Surpluses		
	Fair Value Change		
	Total (B)		
	Misc. expenses not written off		
	Credit / (Debit) from P&L A/c.		
	Total (C)		
	Total shareholders' funds (B+C)		
	Borrowings (D)		
	Controlled Fund (Total (A+B+C+D))		
2	Reconciliation of the Controlled Fund from Revenue and Profit & Loss Account		

	Opening Balance of Controlled Fund		
	Add: Inflow		
	Income		
	Premium Income		
	Less: Reinsurance ceded		
	Net Premium		
	Investment Income		
	Other Income		
	Funds transferred from Shareholders' Accounts		
	Total Income		
	Less: Outgo		
	(i) Benefits paid (Net)		
	(ii) Interim Bonus Paid		
	(iii) Change in Valuation of Liability		
	(iv) Commission		
	(v) Operating Expenses		
	(vi) Provision for Taxation		
	Total Outgo		
	Surplus of the Policyholders' Fund		
	Less: transferred to Shareholders' Account		
	<u>Net Flow in Policyholders' account</u>		
	Add: Net income in Shareholders' Fund		
	Net In Flow / Outflow		
	Add: change in valuation Liabilities		
	Add: Increase in Paid up Capital		
	Add/Less:- Increase/Decrease in Borrowings		
	Add/Less:- Increase /Decrease in Reserves & Surplus (Other than P&L movement)		
	Closing Balance of Controlled Fund as per cash flow		
	Add/Less: Credit/[Debit] Fair Value Change Account & revaluation reserve account		
	Closing Balance of Controlled Fund		
	As Per Balance Sheet		
	Difference, if any		
3	Reconciliation with Shareholders' and Policyholders' Fund		
	Policyholders' Funds		
3.1	Policyholders' Funds - Traditional-PAR and NON-PAR		
	Opening Balance of the Policyholders' Fund		

	Add: Surplus of the Revenue Account		
	Add/Less: Amount transferred from/ (to) Shareholders' account		
	Add: change in valuation Liabilities		
	Total		
	Add/Less: Credit/[Debit] Fair Value Change Account & revaluation reserve account		
	Total		
	As per Balance Sheet		
	Difference, if any		
3.2	Policyholders' Funds – Linked		
	Opening Balance of the Policyholders' Fund		
	Add: Surplus of the Revenue Account		
	Add/Less: Amount transferred from/ (to) Shareholders' account		
	Add: change in valuation Liabilities		
	Total		
	As per Balance Sheet		
	Difference, if any		
3.3	Borrowings		
	Opening Balance of Borrowings		
	Add/Less:- Increase/Decrease in Borrowings		
	Total		
	As per Balance Sheet		
	Difference, if any		
3.4	Shareholders' Funds		
	Opening Balance of Shareholders' Fund		
	Add: net income of Shareholders' account (P&L)		
	Add: Infusion of Capital		
	Add: Increase in Reserves & Surplus (Other than P&L movement)		
	Add/Less: Amount transferred from/ (to) Policyholders' account		
	Closing Balance of the Shareholders" fund		
	Add/Less: Credit/[Debit] Fair Value Change Account & revaluation reserve account		
	Closing Balance of the Shareholders" fund		
	As per Balance Sheet		
	Difference, if any		

Annexure XI Disclosures for ULIP business (Applicable to Life insurers)

Performance of the Fund (Absolute Growth %)

Fund Name	Year of Inception	Year			Since inception
		Current Year (X)	(X - 1)	(X - 2)	

Notes:

1. Investment Management
 - a) Activities outsourced
 - b) Fee paid for various activities charged to Policyholders Account
 - c) Basis of payment of fees
2. Related party transactions – Details to be furnished Fund-wise
 - a) Brokerage, custodial fee or any other payments and receipts made to/from related parties (as defined in AS 18)
 - b) Company-wise details of investments held in the Promoter Group along with its percentage to funds under management. This information is required to be given fund-wise and also for total funds under ULIPs.
3. Industry wise disclosure of investments (with exposure of 10 % and above) segregated at scrip level. Investments in Industries where exposure is below 10 %, should be grouped under the head "Others". Such disclosures are required to be made in (i) Amount in Rs. lakh and (ii) Percentage of respective Funds.
4. Unclaimed redemptions of units
5. NAV: Highest, Lowest and Closing at the end of the year
6. Expenses charged to Fund (%)
 - a) Annualized expense ratio to average daily assets of the Fund
7. Ratio of gross income (including unrealized gains) to average daily net assets
8. Provision for doubtful debts on assets of the respective Fund
9. Fund-wise disclosure of appreciation and/or depreciation in value of investments segregated class-wise

Instructions on Preparation of Accounts:

1. Treatment of both Investment and risk premium in financials

- a) Risk premium and Investment premium shall form part of income and should be disclosed in revenue account
- 2. Treatment of Benefits paid in financials
 - a) All the benefits paid should be shown under the head "Benefits Paid" in Revenue account. No part of benefits shall be reduced from the fund directly
- 3. Treatment of Unrealized Gains: Both in Revenue A/c. and Balance Sheet
 - a) Unrealized gains in respect of unit linked business shall be credited in revenue account
 - b) In the Balance Sheet the disclosure should be as under

Linked liabilities	XXX
Fair value change	XXX

Total Linked Liability	XXX

Current Assets and Liabilities in respect of unit linked business shall form part of Schedule 8B, i.e., Assets held to cover linked liabilities

Form A-BS(UL)			
Name of the Insurer			
Registration No.			
Date of Registration with IRDAI			
Fund Balance Sheet as at 31st March _____			
(Rs. In Lakh)			
Particulars	Schedule	Current year	Previous Year
Sources of Funds			
Policyholders' Funds:			
Policyholder contribution	F-1		
Revenue Account			
Total			
Application of Funds			
Investments	F-2		
Current Assets	F-3		
Less: Current Liabilities and Provisions	F-4		
Net current assets			
Total			

Net Asset Value (NAV) per Unit:

- (a) Net Asset as per Balance Sheet (Total Assets less Current Liabilities and Provisions)
- (b) Number of Units outstanding
- (c) NAV per Unit (a)/(b) (Rs.)

Form A-RA(UL)

Name of the Insurer
Registration No.
Date of Registration with IRDAI

Fund Revenue Account for the year ended 31st March

(Rs. In Lakh)

Particulars	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from investments			
Interest income			
Dividend income			
Profit/loss on sale of investment			
Profit/loss on inter fund transfer/ sale of investment			
Miscellaneous Income			
Unrealised Gain/loss*			
Total (A)			
Fund management expenses			
Fund administration expenses			
Other charges:	F-5		
Total (B)			
Net Income for the year (A-B)			
Add: Fund revenue account at the beginning of the year			
Fund revenue account at the end of the year			

* Net change in mark to market value of investments

Schedules to Fund Revenue Account		
Name of the Insurer		
Registration No.		
Date of Registration with IRDAI		
Schedule: F-1		
POLICYHOLDERS' CONTRIBUTION		
(Rs. In Lakh)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance		
Add: Additions during the year*		
Less: Deductions during the year*		
Closing balance		

* Additions represents units creation and deductions represent unit cancellations

Schedules to Fund Revenue Account		
Name of the Insurer		
Registration No.		
Date of Registration with IRDAI		
Schedule: F-2		
INVESTMENTS		
(Rs. In Lakh)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Approved Investments		
Government Bonds		
Corporate Bonds		
Infrastructure Bonds		
Equity		
Money Market		
Mutual Funds		
Total		
Other Investments		
Corporate Bonds		
Infrastructure Bonds		
Equity		
Money Market		
Mutual Funds		
Total		
GRAND TOTAL		
% of Approved Investments to Total		
% of Other Investments to Total		

Schedule: F - 3		
CURRENT ASSETS		
(Rs. In Lakh)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Accrued Interest		
Cash & Bank Balance		
Dividend Receivable		
Receivable for Sale of Investments		
Unit Collection A/c#		
Other Current Assets (for Investments)		
Total		

Schedule: F - 4		
CURRENT LIABILITIES		
(Rs. In Lakh)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Payable for Purchase of Investments		
Other Current Liabilities		
Unit Payable a/c#		
Total		

BREAK UP OF OTHER EXPENSES UNDER ULIP		
Schedule: F- 5		
OTHER EXPENSES*		
(Rs. In Lakh)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Policy Administration charge		
Surrender charge		
Switching charge		
Mortality charge		
Rider Premium charge		
Partial withdrawal charge		
Miscellaneous charge		
Total		

*Any expense which is 1% of the total expenses incurred should be disclosed as a separate line item.

Represents inter fund receivables or payables, if any

Annexure XII-Estimation

S. No.	Segment	(Rs. In lakh)								
		Estimation								
		Premium			Claims			Expenses		
1	Fire									
2	Marine									
3	Motor									
4	Health									
5	Personal Accident									
6	Engineering									
7	Aviation									
8	Workmen's Compensation/ Employer's liability									
9	Public/ Product Liability									
10	Others									
11	Life Insurance									

S. No.	Segment	Actuals								
		FY								
		Premium			Claims			Expenses		
1	Fire									
2	Marine									
3	Motor									
4	Health									
5	Personal Accident									
6	Engineering									
7	Aviation									
8	Workmen's Compensation/ Employer's liability									
9	Public/ Product Liability									
10	Others									
11	Life Insurance									

S. No.	Segment	Variation(%)								
		FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY
		Premium			Claims			Expenses		
1	Fire									
2	Marine									
3	Motor									
4	Health									
5	Personal Accident									
6	Engineering									
7	Aviation									
8	Workmen's Compensation/ Employer's liability									
9	Public/ Product Liability									
10	Others									
11	Life Insurance									

Note:

- 1 Three years data will be provided, for current year and preceding two years
- 2 Premium refers to 'Premium on reinsurance accepted'
- 3 Expenses refers to 'Commission' and 'Operating Expenses'
- 4 Any other sub-segment contributing more than 10% of the total premium shall be shown separately.
- 5 Additional lines may be added under the segment 'Others', if required.

Annexure XIII- Definitions applicable to all Insurers other than Life insurers

1. **Gross Direct Premium** - Gross Direct Premium is the premium booked directly from the insured /policyholders pertaining to the accounting year *excluding* the goods and service tax element thereon and premium received in advance.
2. **Premium received in advance** – Premium received in advance is the premium where the period of inception of the risk is outside the accounting period and is to be shown under current liabilities.
3. **Gross Written Premium** - Gross written premium is the Gross Direct Premium and inward reinsurance premium accepted during the accounting period (Premium on reinsurances accepted).
4. **Net Premium (Also referred to as Net Written Premium/Net Retained Premium)** – This term refers to the Gross written premium less Premium on Reinsurance Ceded during the accounting period (Retention of the Insurer after considering all types of reinsurances).
5. **Net Earned Premium** - Net premium after adjustment for movement in Unearned premium reserve (UPR) in any given accounting period.
6. **Reserves for Unexpired Risks (URR)**- Reserves for Unexpired Risks means the reserves in respect of the liabilities for unexpired risks and determined as the aggregate of Unearned Premium Reserve (UPR) and Premium Deficiency Reserve (PDR).
7. **Gross Incurred Claims** - Gross Claims Paid plus Gross movement in claims outstanding including gross IBNR/IBNER (Incurred but not reported/Incurred but not enough reported). This includes claims relating to both direct and reinsurance accepted.

Gross Incurred Claims = Gross claims paid (both direct and reinsurance accepted) + Gross claims outstanding at the end of the period (both direct and reinsurance accepted) – Gross claims outstanding at the beginning of the period (both direct and reinsurance accepted). Gross claims outstanding include gross IBNR/IBNER.

8. **Net Incurred Claims** - Net claims after accounting for recovery of claims from reinsurers. This also includes both net claims relating to both direct and reinsurance accepted.

Net Incurred Claims = Net claims paid+ Net claims outstanding at the end of the period - Net claims outstanding at the beginning of the period. Net outstanding claims include Net IBNR/IBNER.

Net claims = Gross claims less reinsurance recoveries of claims.

Chapter 3 – Investment Function

General Guidelines

Insurers shall carry out their investment functions in line with the Schedule III of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations,2024, provisions of Insurance Act,1938, and the Guidelines/Circulars issued thereon.

Reference to the word “Clause” in this circular means clauses mentioned under Schedule III of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations,2024, (hereinafter called “Regulations”) unless otherwise specified.

- i. Insurers shall have in place investment policy in line with clause 12(2) of Regulations.
- ii. There shall be proper risk management systems with respect to investment.
- iii. Insurers shall build an adequate expertise in equity research by establishing a dedicated equity research department, commensurate with the scale of their operations.
- iv. Insurers shall ensure robust internal credit rating systems which shall also include building up of a system of regular (quarterly or half-yearly) tracking of the financial position of the issuer to ensure continuous monitoring of the rating migration of the issuers/issues.
- v. Insurers shall settle the transactions in securities and derivatives as per procedure prescribed by the concerned regulator.
- vi. When a security is rated by two rating agencies, lowest rating of the two is to be considered for treating security as “approved” or “other investment”. When a security is rated by three rating agencies the second least rating is to be considered for treating security as “approved” “other investment”.
- vii. Principal Officer for filing the returns shall be CEO of the insurer.
- viii. Investment Category Codes and Valuation Methodology
 - i. Exhaustive list of Category Codes are provided in **Annexure – 1**
 - ii. Valuation methodology for Investment Categories are provided in **Annexure - 2**

Section - I: Conditions applicable for Specific Categories of Investments

1.1 Equity

a. Investment in Equity Shares through Initial Public Offering (IPO)

Equity shares offered through IPO, including Offer for Sale, which satisfy **ALL** of the following criteria shall be part of “*Approved Investments*”

1. Equity Shares are being “listed” through IPO
2. The company issuing shares through IPO shall belong to a financially sound Group with good performance record, for which the Insurer’s Board shall lay down the criteria.
3. Performance track record of the company including Earnings and Dividend record, Dividend Criteria as specified in the Regulations is satisfied as “unlisted” company, in the case of Investee Companies, formed out of ‘de-merger’ of a parent company, issuing shares through IPO, the performance track record would apply with reference to the parent company.
4. The Investment in Equity Shares should comply with prudential and exposure norms as prescribed in Regulations and, “actively traded” and “liquid instrument” conditions should be satisfied within 3 months from the date of listing. (Actively traded securities are those securities which are not classified as thinly traded as specified by SEBI)
5. Any investment made in IPOs, which do not satisfy the above conditions, shall fall under ‘Other Investments’

b. Limit for Investment in IPO

The maximum bid amount (and not Margin Money) to be invested in IPO shall be the least of the following:

1. 10% of Subscribed Capital (Face Value) of the Investee Company (including the proposed Equity issue through IPO) or
2. 10% of the ‘Fund’ (Fund shall refer to all Investments under management taken together) of a Life Insurer or 10% of the Investment Assets of a General Insurer as the case may be.

c. Classification of Investments of Investee Company formed out of Demerger.

Dividend criteria as stipulated in the Regulations applicable to the Demerged Company shall be reckoned for the purpose of classification of investment, in equity shares and preference shares in “Resulting Investee Company(s) as “Approved” or “Other Investment” for initial three financial years.

d. Securities Lending and Borrowing (SLB) framework

Insurers are permitted to participate in Securities Lending and Borrowing (SLB) scheme subject to the following:

1. The SLB Framework should be governed by the SEBI cir no. MRD/DoP/SE/Dep/Cir – 14/2007 Dt. 20th Dec, 2007 as amended from time to time. Insurers are permitted to lend through SLB Framework in Equities **ONLY**.
2. The Insurer has to adhere to the Client level and Participant level position limits prescribed by SEBI and stock exchange while undertaking SLB. Insurer can only lend securities to the extent of not more than 10% quantity of those “scrips” of that particular fund(s). These prescribed limits shall be adhered at the time of lending.
3. Securities lent in SLB would not be treated as creating encumbrance, charge, hypothecation or lien on such securities.

1.2 Repo, Reverse Repo in Government Securities and Corporate Debt Securities

Insurers can undertake Repo transactions in Government Securities and Corporate Debt Securities subject to the provisions of Insurance Act, 1938 and the following conditions:

1. In case of Life Insurers, the exposure to **reverse repo** transactions in Corporate Debt Securities at any point of time shall not exceed 10% of all funds taken together. Further, at individual Segregated Fund level [SFIN], the exposure should not exceed 10% of such fund size [SFIN]. Life Insurers **cannot** participate in repo transactions.
2. In case of General Insurers, the exposure to Reverse Repo and Repo transactions in both Government Securities as well as Corporate Bond Securities (taken together) shall not exceed 10% of Investment Assets of the Insurer.
3. Reverse Repo transaction in Govt. Securities will be treated at par with TREPS transactions and the 10% Investment limit, mentioned in points 1 and 2 above, shall not apply to Reverse Repo transaction in Govt. Securities.
4. The tenor of Repo transactions shall not exceed a period of six months. While entering into such repo transaction, **prior** approval of the Investment Committee is mandatory.
5. The underlying corporate debt security shall be listed and have a rating of not less than AA or equivalent.
6. **NO** Reverse Repo/Repo transactions in Corporate Debt Securities shall be made between the Insurer and entities belonging to its promoter group.
7. The Securities held as collateral in a Reverse Repo, shall not form part of exposure calculations specified under Regulations. In Reverse Repo transaction, the exposure shall be on the counterparty.
8. At any point of time these transactions shall be in compliance with pattern specified in the Regulations, as amended from time to time and comply with other Guidelines, Circulars issued there under.

1.3 Mutual funds (incl. Exchange Traded Funds - ETFs)

a. Investment in Equity Exchange traded funds

Insurers can invest in Equity ETFs, as a part of Mutual Fund exposure, subject to the following conditions:

1. Only passively managed schemes of the Mutual Funds which are registered with SEBI and governed by SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended from time to time are eligible. These schemes should be benchmarked and be tracked based on a publicly available Index.
2. The total expense ratio shall not exceed 0.50%.
3. At least 85% securities in the equity basket shall be compliant with respect to dividend distribution norms as per Regulations to qualify as a part of "Approved Investment".
4. Insurers are required to ensure compliance with the provisions of Sec. 27E of the Insurance Act, 1938 and shall invest only in ETFs which invest in domestic equities.
5. These instruments shall be listed on at least one Stock Exchange which has nationwide connectivity terminals.
6. In case, the dividend criteria mentioned under point no. 3 is not met by the ETF, such investment shall be automatically re-classified as 'Other Investment' category.
7. These Investments shall be governed by the exposure norms applicable for Investment in Mutual Funds by Insurers.
8. Exposure to stocks through ETF shall not be reckoned for the overall exposure norms prescribed for Individual stocks specified in the Regulations as amended from time to time.

b. Investment in GILT exchange traded funds (GILT-ETF)

Insurers can invest GILT-ETFs as part of "Approved Investments" which fulfil all the conditions prescribed for investment in Mutual Funds under Gilt/G Sec./Liquid categories and as a part of Mutual Fund exposure.

1. The GILT-ETFs shall be issued and managed by the Mutual Funds registered under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended from time to time.
2. The object of the GILT-ETFs shall be to invest in a **basket of Govt. Securities Actively Traded** in the market or constituents of a publicly available index.
3. The minimum investment by the Insurer shall not be less than Creation Unit Size and shall not be reduced, at any time below Creation Unit Size and value of Creation Unit Size. Such investment at the time of investment, shall not be more than Rs.50 lakh.
4. The Overall Expense Ratio shall not exceed 0.50%.
5. Insurers are required to ensure compliance with the provisions of Sec. 27E of the Insurance Act, 1938 and shall ensure that the GILT-ETFs invest only in Domestic Govt. Securities.

- The GILT-ETFs shall be treated at par with GILT/G-SEC Mutual funds and shall adhere to exposure norms applicable to "Investment in Mutual Funds (MFs) by Insurers".

c. Investment in Mutual fund

- Investment in Gilt, G Sec and Liquid Mutual Funds would form part of 'Approved Investments' as per guidelines listed below. Hence any Investment made in Debt and Income Mutual Funds, including those which partly invest in Government Securities and Money Market instruments, will fall under 'Other Investments', which in turn shall be subject to the limits prescribed in the guidelines issued under Regulations as amended from time to time, along with the norms mentioned below.
- The investment shall be restricted to schemes of Mutual Funds comprising of Liquid Funds, Gilt, G Sec or Debt and the same shall be governed by the following norms:
 - The Mutual Fund should be registered with SEBI and be governed by SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
 - Gilt / G Sec / Liquid MFs shall have the same meaning as under SEBI Regulations.
 - The insurer shall, as a part of Investment Policy, cover the required diversification among various Mutual Funds to minimize risk.
- Where, the schemes of mutual funds in which investment is made, is managed by an Investment Manager who is under the direct or indirect management or control of the Insurer or its promoter, the same shall not exceed, in the case of Life Insurer, 3% of Life Fund, Pension, Annuity & Group Funds and 5% of Unit Linked Fund and in the case of General Insurers, not more than 5% of Investment Assets.
- The investment in Gilt / G Sec / Liquid /Debt/ Income Mutual Funds (all taken together) **at any point of time**, shall be as under:

Investment Assets as per clause 8 of the Schedule III of Regulations	Percentage to Investment Assets
Less than Rs.50,000 Cr	10%
More than Rs. 50000 Crores and Less than Rs.250000 Crores	7%
More than Rs. 250000 Crores	5%

- The above limits in the case of Life Insures will apply to the overall level and at SFIN Level the maximum exposure shall not exceed 15%.
- At any point of time, investment in any single Mutual Fund shall not exceed 20% of the total investments in Mutual Funds (all taken together). The threshold limit of 20% for each fund shall include investments in Exchange Traded Funds(ETFs) also. Passive breaches in the threshold limit of 20% in any single Mutual Fund shall be corrected within 30 days of breach.

d. Investment in Debt ETFs with CPSE Bonds as underlying

Debt ETFs with underlying Debt Securities of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) [herein after referred to as Debt ETFs] are eligible class of Investment, and as a part of “Mutual Fund” exposure.

All Exposure and Prudential Norms applicable for investments in Mutual Funds covered under this Para 1.3 shall apply for investment made in Debt ETFs, in addition to the following conditions:

1. The Debt ETFs shall be issued by Mutual Funds registered with SEBI and governed by SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended from time to time.
2. The Debt ETF shall invest in a basket of Securities issued by CPSEs which are part of constituents’ of a publicly available index.
3. The minimum investment by the Insurer shall not be less than Creation Unit size and it shall not be reduced to below Creation Unit Size.
4. “All” Securities in the Index shall be complied with rating criteria as per clause 2 of Schedule III of Regulations, for it to be treated as part of “Approved Investment”. If any of the underlying securities gets downgraded below “AA”, the Debt ETF shall be automatically reclassified under “Other Investment”.

1.4 Investment in Asset backed securities, Pass Through Certificates (PTCs) and Security Receipts (SRs)

1. Insurers are permitted to invest in Asset Backed Securities (**ABS**) / Pass Through Certificates (**PTCs**) with underlying Housing and / or Infrastructure assets [as defined under Regulations].
2. Investment in Asset Backed Securities (ABS) / Pass Through Certificates (PTCs) / Security Receipts (SRs) with underlying Housing and / or Infrastructure Assets, shall form part of “Approved Investments”, subject to following exposure and prudential norms:
 - a) ABS / PTC / SR must be rated not less than AAA or equivalent by a Credit Rating Agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999
 - b) The investment in ABS / PTC / SR with underlying Housing and / or Infrastructure assets shall at ‘all times’ not exceed 10% of respective fund(s) in the case of Life Insurers and not more than 5% of Investment Assets in the case of General Insurers
3. If the ABS / PTC / SR with underlying Housing and / or Infrastructure assets are downgraded below AAA such investment shall be automatically be re-classified as “Other Investments”.
4. In case the cash-flows from such instrument are not received on due dates, the investment in such assets shall be automatically be re-classified as “Other Investments” from such date for reporting in FORM 3A (Part A) / FORM 3B of Regulations.

5. The investments in securitized assets, both under Approved and Other Investments, taken together shall not exceed 10% of respective fund size in the case of Life Insurers and not more than 5% of Investment Assets in the case of General Insurers.
6. The Insurer, as a part of risk management, shall split the investment in ABS, PTCs and SRs over different issuers and tenures.
7. All guidelines of Classification, Income Recognition and Valuation of Assets issued by the Authority shall be applicable to these investments.

1.5 Investment in Alternative Investment Fund (AIF)

1. Investments in Category I and II AIF (within SEBI Regulations) are permitted as a part of “Other Investments”. Insurers are permitted to invest in Category I AIFs which is an Infrastructure Fund, SME Fund, Venture Capital Fund and Social Venture Fund as defined in SEBI AIF Regulations. Insurers are permitted to invest in a Category II AIFs which invests a minimum of 51% of the funds in the Infrastructure entities or SME entities or Venture Capital undertakings or Social Venture entities in aggregate.
2. All restrictions under Insurance Act, 1938 and Regulations regarding investing of funds outside India, promoter group, combined exposure limits in venture capital funds and AIFs under the Other Investments category will continue to apply.
3. Insurers are not permitted to invest in any scheme of AIFs that have a priority distribution model wherein such AIFs have adopted a distribution waterfall in such a way that may lead to share of losses more than pro-rata to their holding, compared to other investors belonging to the same.
4. (a) No investment is permitted into AIFs which undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operational requirements and as permitted under SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
 (b) Insurer shall invest only into Fund of Funds (FoF) which comply requirement of Section 27E of the Insurance Act, 1938.
 (c) Insurer shall ensure compliance with Section 27E by a clause in the Fund Offer Documents executed by FoF to restrain such FoF investing into AIFs which invest in overseas companies/funds.
 (d) No Insurer shall invest in an AIF, which in turn has exposure to a FoF, in which the Insurer has taken an exposure.
 (e) The Insurer on a quarterly basis, obtain a certificate issued by the Concurrent Auditor on the compliance of the above conditions and file the same along with quarterly periodical returns.

5. Insurers should ensure that AIFs do not invest in securities of companies incorporated outside India to comply with the provisions of Section 27E of the Insurance Act, 1938.
6. The sponsor of such Alternative Investment Fund should not be from the promoter group of the Insurer. The Fund shall not be managed by an Investment Manager who is either directly or indirectly controlled or managed by the Insurer or its promoters.
7. Investment in the AIF and investments in Venture Funds shall be subject to the following exposure norms:

Type of Insurer	Overall Exposure to VFs &AIFs (all taken together)	Exposure to single AIF/Venture Fund
(a)	(b)	(c)
Life Insurer	3% of respective Fund	<p>10% of AIF /VF size or 20% of Overall Exposure as per (b), whichever is lower.</p> <p>The above '10%' Limit shall be read as '20%' in case of Infrastructure Fund</p>
General Insurer	5% of Investment Assets	<p>10% of AIF /VF size or 20% of Overall Exposure as per (b), whichever is lower.</p> <p>The above '10%' Limit shall be read as '20%' in case of Infrastructure Fund</p>

1.6 Debt Securities issued by Banks

a. Investment in Perpetual Debt Instruments of Bank's Tier-I Capital and Debt instruments of Upper Tier-II capital

The Reserve Bank of India [vide Master Circular DBOD.No.BP.BC.57/21.01.002/2005-2006 Dt. 25th Jan, 2006] has allowed banks to raise Capital through issue of Hybrid Instruments as under for augmenting Capital Adequacy Norms:

- i. Innovative Perpetual Debt Instruments for inclusion as Tier 1 Capital
- ii. Debt Capital Instruments eligible for inclusion as Upper Tier 2 Capital
- iii. Perpetual Non-Cumulative Preference Shares for inclusion as Tier 1 Capital; and
- iv. Redeemable Cumulative Preference Shares eligible for inclusion as Tier 2 Capital

The above Instruments shall be part of 'Approved Investments', subject to the following conditions:

1. The Debt Instrument issued by Banks in Private Sector shall be rated not less than 'AAA' and those issued by Banks in Public Sector shall have rating not less than 'AA' by an independent Rating Agency, registered under SEBI.
2. Preference shares issued by the Banks shall satisfy the conditions specified under clause 2(1) of Regulations.
3. All Exposure norms as specified in Clause 8 Regulations shall apply to these Hybrid Debt Instruments / Preference Shares Issued by the Banks.
4. Where the Hybrid Debt Instrument is downgraded below 'AAA', in the case of Private Sector banks and (below AA in the case of Public Sector Banks) such investments shall be re-classified as 'Other Investments' and reported in FORM 2 of Regulations.
5. In case the Interest on the Instrument is not serviced on due dates, the Investment in such Hybrid instruments shall be automatically re-classified as 'Other Investments' from such date and reported in FORM 3A (Part A) or FORM 3B (Part A) of Regulations in respect of Life and General Insurers respectively.
6. All guidelines for Classification, Income Recognition and Valuation of Assets issued by RBI shall be applicable for these Investments.

b. Bank's Capital Instruments under Basel III – Investment by Insurers

Insurers can invest in the following instruments, issued by Domestic Banks as Tier II Capital, prescribed under Basel III framework, as part of 'Approved Investments' under Regulations, subject to conditions mentioned below:

- i. Debt Capital Instruments (DCI)
 - ii. Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)
 - iii. Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)
1. The Debt Instruments issued by Banks shall be rated not less than 'AA' by an independent Rating Agency, registered under SEBI.
 2. Where the Instruments are downgraded below 'AA', such investments shall be automatically re-classified as 'Other Investments'
 3. Preference shares issued by the Banks shall satisfy the conditions prescribed in Clause 2(1) of Regulations.
 4. In case the Interest on the Instrument is not serviced on due date, the Investment in such instruments shall be automatically re-classified as 'Other Investments' from such date of reporting to the Authority.
 5. All Exposure norms prescribed in Clause 8 of Regulations shall apply to these Instruments/Preference Shares Issued by Banks.
 6. Investments in these instruments shall be classified under 'Financial and Insurance Activities' sector (BFSI).

c. Long term Bonds by Banks – Financing of Infrastructure and Affordable Housing

Investment in Long Term Bonds issued by Banks, for financing “Infrastructure and Affordable Housing” shall be reckoned for Insurers mandatory investment in ‘Infrastructure & Housing sector’ subject to the following conditions:

1. All Exposure norms i.e. Single Investee, Group and Industry exposures etc. as specified in Clause 8 of Regulations shall continue to apply.
2. Minimum rating requirements to qualify as ‘Approved Investment’ shall be as per extant Investment Regulations.

d. Investment in “Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds” [AT1 Bonds]

Insurers can invest in Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds [AT1 Bonds], which conform to the following:

1. The rating of AT1 Bonds shall be not less than “AA”, at the time of investment.
2. The Offer document, in the case of IPOs of AT1 Bonds, shall have a provision for listing in at least one of the Exchanges.
3. The AT1 Bonds shall be forming part of “Equity”. The aggregate value of AT1 Bonds held in a particular Bank, at any point of time, shall not exceed 10% of the total outstanding AT1 Bonds, of that particular Bank.
4. The Common Equity Tier I Capital (CET) including Capital Conservation Buffer, of the issuer Bank shall be more than 9.0% at the time of investment in AT1 Bonds of such Bank.
5. a. The issuer bank should not have cancelled/deferred any coupon payment on its debt instruments including AT1 bonds in the preceding three financial years.
b. The issuer bank shall have reported net profit after tax for the preceding two years and having a positive accumulated profit as per the latest audited balance sheet.
c. The issuer bank has not reported any divergence in the asset classification and provisioning, identified by RBI, in its latest audited balance sheet.
6. No investment shall be done in AT1 Bonds, where the issuer Bank is either under the Promoter Group of Insurer or Corporate Agent of the Insurer.

1.7 Sovereign Green Bonds (SGrBs) — Categorisation

With the objective of de-concentration and diversification of the infrastructure investment portfolio of the insurers and from the perspective of participation in Environmental, Social and Governance (ESG) initiatives and for proactive participation in sustainable development and in preventing environment degradation, insurers are encouraged to consider investing in

Sovereign Green Bonds. Investment in Sovereign Green Bonds shall be treated as “Investment in Infrastructure”.

1.8 Derivatives

a. Exposure to Interest Rate Derivatives

Financial Derivatives are permitted to “hedge” Interest Rate Risk of Forecasted Transactions; in accordance with the guidelines issued by the Authority under Clause 13 of Regulations. Accordingly, Insurers can enter Forward Rate Agreements (FRAs), Interest Rate Swaps (IRS), Exchange Traded Interest Rate Futures (IRF) to “hedge” Interest Rate risk on forecasted transactions, for Life, Pension & General Annuity Business and General Insurance Business.

Interest Rate Derivatives are not permitted for ULIP Business

A. Insurers are allowed as user with following types of Rupee Interest Rate Derivatives to the extent permitted, and in accordance with these guidelines.

- i. Forward Rate Agreements (FRAs);
- ii. Interest Rate Swaps (IRS); and
- iii. Exchange Traded Interest Rate Futures (IRF)

Participants can undertake different types of plain vanilla FRAs/IRS. IRS having explicit/implicit **options** features are **prohibited**. It is to be noted that FRAs and IRS are Over-the-counter (OTC) contracts.

B. RBI Circulars & Guidelines on Rupee Interest Rate Derivatives

Insurers are required to adhere to the following RBI Circular / Guidelines, as amended from time to time, on Rupee Interest Rate Derivatives:

- iv. IDMC:MSRD.4801/06.01.03/2002-03 Dt 3rdJun, 2003
- v. RBI/FMRD/2021-22/84 FMRD.FMD.07/02.03.247/2021-22 September 16, 2021

Also, Insurers shall comply with circulars issued and amended from time to time, by Securities and Exchange Board of India (SEBI) on Rupee Interest Rate Derivatives

C. Permitted Purpose for Exposure to Interest Rate Derivatives

Hedging for forecasted transactions

- i. Reinvestment of maturity proceeds of existing fixed income investments;
- ii. Investment of interest income receivable;
- iii. Expected policy premium income receivable on the Insurance Contracts which are already underwritten in Life and Pension & Annuity business in case of Life Insurers and General Insurance business in case of General Insurers.

The overriding principle of any use of the above listed derivatives is that they must be used only for **hedging** to reduce interest rate risk. The Insurer should have a system to clearly track the Interest rate risk.

To consider expected policy premium income for hedging, Insurers shall document and justify **persistency assumptions** as part of the hedge program development process. Assumption documentation and justification shall indicate the joint review and approval of both Appointed Actuary and CRO under the oversight of the Insurer's Board (for example, via the Risk Management Committee/Asset Liability Management (ALM)Committee).

D. Regulatory Exposure and Prudential Limits

- i. Counter parties shall necessarily be Commercial Banks and Primary Dealers (PDs) as permitted by RBI for FRAs and IRS.
- ii. Insurers dealing in FRAs and IRS have to arrive at the credit equivalent amount for the purposes of reckoning exposure to counter-party.

For the purpose of exposure norms, Insurers shall compute their credit exposures, arising on account of Interest rate derivative transactions using the Current Exposure Method (CEM) as detailed below:

- The Credit Equivalent Amount of a market related off-balance sheet transaction calculated using the current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future credit exposure of these contracts.
- Current credit exposure is defined as the sum of the gross positive mark-to-market value of these contracts. The Current Exposure Method requires periodical (at agreed periodicity) calculation of the current credit exposure by marking these contracts to market, thus capturing the current credit exposure.
- Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of each of these contracts irrespective of whether the contract has a zero, positive or negative mark-to-market value by the relevant add-on factor indicated below according to the nature and residual maturity of the instrument.

Credit Conversion Factors

Notional principal amount of each FRA/IRS shall be multiplied with the following conversion factor:

Residual Maturity	Conversion Factor per year
One year or less	0.5 per cent
Over One year to five year	1.0 per cent
Over five years	3.0 per cent

[Eg: If IRS of Rs. 10 crores with maturity of 4 years is entered into by the Insurance company with the counter party A, then the potential future credit exposure = $10 \times 3.5\% = \text{Rs. } 0.35\text{crore}$ (i.e. $3.5\% = 0.5\% \text{ for First year} + 1\% \text{ for next each year for 3 years as the duration is 4 years}$)]

- i. The Credit Equivalent Amount of the FRA/IRS shall be used for reckoning counter party credit exposure for the purposes of the Regulations as amended from time to time.
 - ii. For exchange traded IRFs, the industry exposure limit is calculated against the Central Counter Party i.e. Clearing Corporation on the basis of above Credit Equivalent Amount.
 - iii. Exposure limits pertaining to single Issuer, Group, Promoter Group and Industry will be applicable for the exposure through FRA and IRS contracts. Counter party rating shall be considered for calculating pattern of investments. The limits shall be reported in the remarks column of the respective quarterly returns.
 - iv. A Participant's dealing in Interest Rate derivatives under these guidelines shall in aggregate not exceed an outstanding notional principal amount equivalent to 100% of the book value of the fixed income investments of the Participant under the Policyholders' Fund and the Shareholders' Funds taken together. Life Insurers shall normally adhere to the 100% limits based on respective funds i.e. Life and P&A Fund. But where, in the case of Funds, the book value of the existing investments is lower than the expected premiums on the underwritten insurance contracts, the Insurer can utilize the exposure limit available in other funds within the overall 100% limit, provided the Board of the Insurer specifically approves, prior to entering into such derivative contract. The MTM gain/loss arising out of the effective hedge shall be borne by the respective fund only.
 - v. If reinvestment of maturity proceeds of the existing investments/ interest income receivable on investments is hedged, such investments shall be held till maturity. If unavoidable need arises to liquidate instrument to meet the ALM, the hedge on such instrument has to be unwound simultaneously after obtaining specific approval from Investment Committee (IC). IC shall grant such approval after due recording of the reasons, provided the charges for unwinding the derivative contract is borne by the Shareholder.
- E.** Insurers shall ensure all documentation requirements are completed in all aspects as per RBI guidelines and documentation prescribed by ISDA (International Swaps and Derivative Association). Further, to settle the mark to market profits/losses and maintenance of collateral, two-way CSA (Credit Support Annex - an agreement between counterparties on the types of collateral and posting mechanism) agreements shall be **mandatory** to mitigate counterparty risk. **All derivative contracts shall be subject to conditions mentioned in Indian laws & Jurisdiction of Indian courts and shall be consistent with Regulations / Circulars / Guidelines issued in this regard.** Suitable clauses shall be incorporated to comply with the Insurance Act, 1938, Regulations, SEBI Regulations, RBI Guidelines applicable. Insurers shall necessarily have power to terminate the contract as and when desired.

F. Accounting of Interest Rate Derivatives shall be as per applicable Accounting Standards as amended from time to time. The presentation in the financial statements and disclosures shall be governed by applicable Accounting Standards. Further, the Insurer shall disclose the following in the Financial statements:

1. Description of Participant's financial risk management objective and policies, in particular its policy for hedging forecasted transactions.
2. Hedging strategy.
3. Accounting Policy for Derivatives.
4. Nature and terms of outstanding Interest Rate derivative contracts.
5. Quantification of the losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate derivative contracts.

G. Internal Risk Management Policy & Processes, Exposure & Prudential Limits

Each participant should, before taking exposure to Interest Rate derivatives, frame detailed pre-approved risk management policy by the Board of Insurer, which shall cover the following minimum:

- i. Insurer's overall appetite for taking risk and ensure that it is consistent with its strategic objectives, capital strength etc.
- ii. Define the approved derivatives products and the authorized derivatives activities.
- iii. provide for sufficient staff resources and other resources to enable the approved derivatives activities to be conducted in a prudent manner;
- iv. ensure appropriate structure and staffing for the key risk control functions;
- v. establish management responsibilities;
- vi. identify the various types of risk faced by the Insurer and establish a clear and comprehensive set of limits to control these;
- vii. establish risk measurement methodologies which are consistent with the nature and scale of the derivatives activities;
- viii. require stress testing of risk positions;
- ix. detail the type and frequency of reports which are to be made to the board (or committees of the board);
- x. Applicable VAR limits.
- xi. Circumstances for termination and closure of the contract.
- xii. accounting treatment of the proposed derivatives in the company, and
- xiii. Solvency / capital impact due to the use of derivatives.

The implementation of the policy shall be the responsibility of the Investment committee (IC) under the oversight of Insurer's Board. The Insurer shall intimate the Authority, prior to taking any derivative exposure, as per the Guidelines issued.

H. Suitability and Appropriateness Policy

The Board shall ensure that the Rupee Interest Rate Derivatives address the need of the portfolio handled by the Insurer and are clearly mapped to Products of the Insurer. The Board shall confirm the suitability and appropriateness as evaluated in terms of clause 5.1.3 of RBI/FMRD/2021-22/84 FMRD.FMD.07/02.03.247/2021-22 Dt.16th September, 2021 Master Direction- Reserve Bank of India (Market-makers in OTC Derivatives) Directions, 2021 as amended from time to time.

I. Corporate Governance

In taking exposure to potentially complex products the Board and the senior management of insurer should take note of the nature of the risk undertaken, complexities involved, stress levels etc. Insurers shall at least once in a Quarter, report their Derivative Positions / Transactions and Policy / Limits compliance to Risk Management Committees under the Board of the Insurer. At periodical intervals (at least once in a year), the Board of Directors shall review the contracts undertaken and satisfy themselves that adequate risk measurement, management policy and procedures for interest rate risk with fixed income derivative contracts permitted in these guidelines, have been established and are functional.

J. Chief Risk Officer (CRO) Role & Responsibilities

The CRO, shall be responsible for monitoring / reporting of all aspects of "each" derivative program and shall report compliance to the Asset Liability Management Committee / Risk Management Committee of the Board and also to the Board of the Insurer. Where any particular hedging program is not in compliance with the Circular / Guidelines issued in this regard, the CRO shall identify the same and shall be responsible to bring the program to compliance.

b. Exposure to Credit Default Swaps

1. The Reserve Bank of India, vide notification No. RBI/2021-22/88 FMRD.DIRD. 10/14.03.004/2021-22 dated February 10, 2022 has issued the '**Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Derivatives) Directions, 2022**' effective from 10th February, 2022. The said guidelines inter alia, provide for insurer's participation as protection buyer and seller for Credit Default Swaps in OTC market.
2. Insurers are allowed only as "Users" (protection buyers) of CDS subject to the following:
 - a. The CDS are permitted as a "hedge" to manage the Credit Risk covering the credit event. The category of the investment will not change pursuant to buying CDS on such underlying.
 - b. CDS will be allowed only on listed corporate bonds as reference obligations. CDS can also be bought on unlisted but rated bonds of Infrastructure companies. Besides, unlisted / unrated bonds issued by the SPVs set up by the infrastructure companies are also eligible as reference obligation as permitted in the RBI Master Direction Dt. 10th February, 2022.

- c. On purchase of protection, the exposure with respect to reference entity shall shift to “Protection Seller” to the extent of “Protection Purchased” within Clause 8 of the Regulations, and such exposure shall form part of BFSI Sector, under Industry Sector Exposure.
 - d. CDS shall not be purchased:
 - i. On Reference Asset belonging to the promoter group and **NO** CDS transaction shall be made between entities belonging to Promoter Group.
 - ii. On The obligations such as asset-backed securities/mortgage-backed securities, convertible bonds and bonds with call/put options, CLOs, CDOs or any other pool of assets/loans.
3. Insurers shall comply with all other norms pertaining to the eligibility norms for the counter party to the User, reference obligation, requirement of underlying, conditions while exiting the CDS transactions by Users, Credit events, settlement methodologies, documentation, pricing/valuation methodologies, other requirements and accounting norms etc. as prescribed by RBI vide Master Direction Dt. 10th February,2022.

1.9 Real Estate Investment Trusts (REIT) and Infrastructure Investment Trusts (InvIT):

a) Investment in Units of “Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)”

Insurers can invest in Units of Listed REITs / Listed InvITs which conform to the following:

1. The REIT / InvIT rated not less than “AA” shall form part of Approved Investments. REIT / InvIT rated less than AA shall form part of Other Investments.
2. The Investments in units of InvITs and REITs shall not exceed 3% of total fund size of the Insurer at any point of time.
3. No Insurer shall invest more than 5% of the Units issued by a single REIT / InvIT (including the current issue).
4. No investment shall be made in REIT /InvIT where the Sponsor is under the Promoter Group of the Insurer.
5. Investment in Units of InvIT will form part of “Infrastructure Investments”, for the purpose of Pattern of Investments under Regulations
6. Investment in Units of REIT will form part of Investment Property as per Note VI to the Clause 8 of Regulations.
7. The Investment in Units of REIT / InvITs shall be valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). Where Market Quote is not available for the

last 30 days, the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust.

b) Investments in Debt Securities of “Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)

Insurers can invest in “Debt Securities” issued by listed InvITs / REITs which conform to the following:

1. The debt Instruments shall be issued by listed InvITs / REITs and rated “AAA” at the time of Investment.
2. The public holding in the InvIT / REIT shall not be less 30% of the total outstanding units of the InvIT / REIT at the time of Investment.
3. The Debt Instruments of InvIT / REIT shall be rated and not less than “AA” as a part of Approved Investments.
4. Debt Instruments of InvIT / REITs rated and downgraded below “AA” shall form part of Other Investments.
5. No Insurer shall invest more than 20% of the outstanding debt instruments (including the current issue) in a single InvIT / REIT.
6. The investment in Debt Instruments of REITs shall not exceed 3% of total fund size of the insurer at any point of time.
7. No investment shall be made in Debt instruments of an InvIT / REIT where the Sponsor is under the Promoter Group of the Insurer.
8. Group shall have the meaning as defined under Clause 1(4) of Regulations.
9. Investment in Debt Instruments of InvIT will form part “Infrastructure Investments”.
10. Investment in Debt Instruments of REIT will form part of industry group “Real Estate Activities” under NIC Industry Classification.
11. The Investment in Debt Securities of InvITs / REITs shall be valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding Company of any Rating Agency registered with SEBI.

1.10 Credit Rating- Applicable for Infrastructure Investments

Insurers to classify Infrastructure investments, issued by Infrastructure Companies, rated not less than “A” along with an Expected Loss Rating of “EL1” as part of “Approved Investment” and should be listed under Category Code “IELB”. Further, any downgrade of Infrastructure Investment, below “A” or “EL1”, needs to be re-classified as part of “Other Investments” and reported under Category Code “IOEL”. The valuation of the above investments, shall be valued “either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding Company of any Rating Agency registered with SEBI.

1.11 Investments in HDFC Ltd.

The bonds/debentures held by the insurers in the HDFC Ltd on the date of announcement of the merger of HDFC Ltd. with HDFC Bank i.e.4th April,2022 under the category “Housing and Infrastructure” shall be treated as investments in the said category till the maturity of respective bonds of HDFC Ltd.

1.12 Investments in National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID).

As the NaBFID is established as Development Financial Institution to support the development of long-term infrastructure financing, the exposure limit for the investments in this entity will be considered in line with the limits prescribed for Public Limited Infrastructure Investee Company under note III of clause 8 of the Regulations.

Section-II: Risk Management and Concurrent Audit

b.1 Investment Risk Management Systems and Process

a. General

1. Front, Mid & Back Office Operations

- i. Insurer with Assets under Management (AUM) in excess of Rs.500 Crore shall ensure separate personnel acting as fund manager and dealer.
- ii. The Investment System (Application Software) should have separate modules for Front, Mid and Back Office with separate login.
- iii. Data transfer from Front Office to Back Office should be through the System, on Real time basis.
- iv. The Insurer may have multiple Data Entry Systems, but all such Systems should be seamlessly integrated without manual intervention.
- v. The Front Office shall report through the Chief Investment Officer (CIO) to the Chief Executive Officer (CEO). With effect from 1st October,2024, the Mid Office shall report to a Key Management Person (who shall not be CIO or CFO) who reports to CEO. Back Office shall report to CFO who shall independently report to the CEO. CIO and Head of Mid Office and CFO shall be independent personnel with separate login.
- vi. CRO shall be responsible for framing the Risk policy and through CEO shall report to the Risk Management Committee of the Insurer's Board.
- vii. The Investment Application should have clear segregation (at database level) between Front, Mid and Back Office.

2. Employee Dealing Guidelines

The Standard Operating Procedure (SOP) followed by the Insurer shall clearly specify the Guidelines to be adhered by employees in the Front, Mid and Back Office for personal investments. The Internal / Concurrent Auditor shall report on compliance to adherence to this requirement.

3. Maker Checker Process

Insurer should have the procedure of Maker / Checker mapped in their Standard Operating Procedure / Operations Manual of Investment Operations. The Internal / Concurrent Auditor shall comment on such practice in his report.

4. Audit Trail at Data Entry Points

The Audit trail should be available at all data entry points including the Checker / Authorizer level.

5. Business Continuity Process (BCP)

To ensure Business continuity, the Insurer should have an Off-site Back-up of Data in a City falling under a different Seismic Zone, either on his own or through a Service Provider. Further, the Insurer / service provider (if outsourced) is required to have the necessary infrastructure for Mission Critical Systems to address at least the following:

1. Calculation of daily NAV (Fund wise)
2. Redemption processing.

b. Front Office

1. Segregation of Fund Manager / Dealer

- i. Investment Department should have documented the segregation of Fund Managers and Dealers through Authority Matrix as a part of its 'Standard Operating Procedure'.
- ii. The Insurer should have documented the Access Controls and Authorization process for Orders and Deal execution.
- iii. The Dealing Room should have a Voice Recorder and procedure for maintaining the recorded conversation and their disposal including procedure like no mobile phone usage in dealing rooms and other best practices.

2. Investment in Investee / Group Company / Industry Sector

System based checks should be in place for investments in an Investee Company, Group, Promoter Group and Industry Sector. The system should signal when the Internal / Regulatory limits are nearly reached **PRIOR** to taking such exposure and making actual investment.

3. Intra Fund Transfer

- i. There can be no transfer of securities:
 - a. **Between** Life fund, Pension Fund and ULIP fund(s).
 - b. **Within** Life Fund and Pension fund, systems should not allow any transfer between Par and Non-Par funds.
 - c. **Within** Pension funds, the system should not permit any transfer between Individual and Group funds.
- ii. The Cut Off time shall be clearly specified in the SOP. Such cut off time shall remain consistent and cannot be changed without the prior approval of the Board of the Insurer.
- iii. The intra fund transfer should be like any other Market deal and the same needs to be carried out at the Market rate at the cut off time.

c. Mid Office

1. Market Risk

- i. The system should be capable of computing various portfolio returns.
- ii. Exposure limits monitoring and Exception Reporting shall be done by the Mid Office

2. Credit Risk

- i. The Investment System should capture Instrument Ratings to auto generate FORM 2 (Statement of Downgraded Investments)
- ii. System should automatically monitor various Regulatory limits of Instrument level, Group level, Promoter Group level and Industry Sector level exposure.
- iii. The System should have the ability to track changes in ratings over a period & generate appropriate alerts, along with ability to classify investment between Approved and Other Investments.
- iv. The Insurer should conduct periodic credit reviews for all companies in the portfolio. The periodicity should be clearly mentioned in the Investment Policy which shall not be more than a year.
- v. The Insurer is required to keep a track of movement of Securities between Approved and Other Investments Status, as a part of Audit trail, at individual security level.

3. Tracking of Regulatory Limits

- i. The System should have key limits pre-set to ensure compliance for all Regulatory requirements and should be supported by workflow through the System, (Real time basis) for such approval, if Regulatory limit is close to be breached.

- ii. The System should have capability of generating Exception reports for Audit by Internal / Concurrent Auditor.

4. Settlement Risk

The System should be validated to restrict Short Sales at the time of placing the order.

5. Review, Monitoring and Reporting

- i. System should automatically track and report all internal limits breaches. All such breaches should be audited by Internal / Concurrent Auditor.
- ii. Implementation and Review of & Liability Matching and other Investment Policy Guidelines.

d. Back Office

1. Data Input Error

The system should be specifically validated such that, Deal can be REJECTED ONLY by Back Office and can NEVER BE EDITED. The System should generate a list of Deals that have not been settled / rejected as a part of Audit trail.

2. Liquidity Risk

- i. The Insurer should have a Cash Management System to provide the funds available for Investment considering the settlement obligations and subscription and redemption of units etc., to prevent any leveraged position or liquidity risk.
- ii. The System should be validated not to accept any commitment beyond availability of funds.

3. Computation of 'NAV'

- i. The Insurer should maintain NAV history (Fund wise) in his Public Domain from the Start of the Fund to Current Date. Also, the NAV should be uploaded in the Life Council Website on a day to day basis.

- ii. 'NAV' error – Computation & Compensation

1. All expenses and incomes accrued up to the Valuation date shall be considered for computation of NAV. For this purpose, while major expenses like management fees and other periodic expenses should be accrued on a day to day basis, other minor expenses and income can be accrued on a weekly basis, **provided the non-accrual does not affect the NAV calculations by more than 1%.**
2. Any changes in Securities and in the number of Units should be recorded in the books not later than the first valuation date following the date of transaction. If this is not possible, the recording may be delayed up to a period of seven days following the date of the transaction. Provided, **the non-recording does not affect the NAV calculations by more than 1%.**

3. In case the NAV of a Plan differs by more than 1% due to non - recording of the transactions or any other errors / mistakes, the investors or fund(s) as the case may be, shall be paid the difference in amount as follows: -
 - (i) If the investors are allotted units at a price higher than NAV or are given a price lower than NAV at the time of sale of their Units, they shall be paid the difference in amount by the plan.
 - (ii) If the investors are charged lower NAV at the time of purchase of their units or are given higher NAV at the time of sale of their units, the Insurer shall pay the difference in amount to the Plan and shall be compensated from Shareholders portfolio that does not support Solvency Margin.
 - (iii) The Internal / Concurrent Auditor shall look into the above issues and specifically report to the Board's Audit Committee on it and comment on the Systems in place to take care of such issues on an ongoing basis.
 - (iv) A log of NAV errors shall be maintained in the System and be forwarded to Internal / Concurrent Auditors.

4. Equity Deals to be put through STP gateway

All Equity deals shall be through STP gateway for all broker transactions.

5. Uploading of Valuation Price Files

The System shall have the provision to take uploads of Corporate Actions such as Stock Splits, Dividend, Rights Issue, Buy Back, Bonus issues etc., for computing NAV / Portfolio valuation.

6. Reconciliation

- i. Fund wise, in the case of Life Insurers, reconciliation with Investment Accounts, Bank, and Custodian records should be done on day-to-day basis for all types of products. In the case of ULIP products, Units reconciliation with Policy Admin Systems should be ensured on a **day to day** basis.
- ii. In the case of General Insurer / Re-insurer reconciliation with Investment Accounts, Bank and Custodian records should be done on a **day-to-day** basis.

7. Broker Limits Transactions:

- i. A limit of five per cent (5%) of total transactions for debt and equity through brokers (both purchase and sales) entered into by an insurer during Half-Year under review shall be treated as the aggregate upper contract limit for each of the empanelled brokers.

- ii. If for any exceptional reasons it becomes necessary to exceed the aggregate limit for any empanelled broker, insurers shall record in writing the specific reasons for such breach and the Board shall be informed, post-facto.
- iii. Concurrent/Internal Auditor of the insurer shall also report such breaches in their report.

2.2 Audit of Investment Risk Management Systems & Process, Internal / Concurrent Audit

1. Clause 12 (4)(i) of Regulations mandates certification by a Chartered Accountant firm, for implementing Investment Risk Management Systems and Process, as per the procedure laid down in the "Guidance note on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies". Further, Clause 12 (5)(ii) of Regulations requires all investment transactions covering both Shareholders and Policyholders funds be audited through Internal or Concurrent Auditor.
2. Insurers having Assets under Management (AUM) not more than Rs.1000 Crores shall have its Investment functions audited on a Quarterly basis through Internal Audit (either through internal resources or through firms of Chartered Accountants) and Insurer with AUM of over Rs.1000 Crores (for the first time) shall appoint a firm of Chartered Accountants as Concurrent Auditor to have its Investment transactions and related Systems audited on a concurrent basis.

a. Audit of "Investment Risk Management Systems and Process"

1. The Insurer, shall through a Chartered Accountants firm, who is not the Statutory or Internal or Concurrent Auditor of the concerned Insurer shall get certified the Investment Risk Management Systems and Processes as per the 'Guidance Note on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), in consultation with IRDAI.
2. The Investment Risk Management Systems and Process shall be reviewed once in two financial years or such shorter frequency as decided by the Board of the Insurer (the gap between two such audits should not be more than two years), by a Chartered Accountant firm and file the certificate issued by such Chartered Accountant, with the Authority along with the first quarter returns.

b. Internal / Concurrent Audit of Transactions

1. All Insurers, having Assets under Management (Shareholders and Policyholders funds taken together) of not more than Rs.1000 Crores shall have its transactions and related systems audited through its internal Audit Department, headed by a Chartered Accountant, at least on a Quarterly basis and where the AUM is equal or over Rs. 1000 Crores (for the first time)

shall have the Investment transaction concurrently audited, by a Chartered Accountant firm, appointed as per the procedure listed below.

2. The ‘minimum’ Scope for both Internal Audit and Concurrent Audit shall be as per the “Guidance Note on Internal / Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies” issued by ICAI (in consultation with IRDAI) for both Life and Non-Life Insurers. The Insurer could include additional scope to suit their specific needs based on their control systems. The Internal / Concurrent Audit shall cover 100% of transactions of all fund(s) as per the periodicity prescribed.

c. Appointment of Audit Firms for “Investment Risk Management Systems & Process”

1. The Chartered Accountant firm shall be a firm, registered with the Institute of Chartered Accountants of India.
2. The Audit firm should have experience, for at least four years, in conducting reviews of Risk Management Systems and Process of either Banks or Mutual Funds or Insurance Companies or have, on behalf of IRDAI conducted Investment Inspection of Insurance Companies.
3. On the date of appointment as an Auditor for certifying Investment Risk Management Systems and Process, the Auditor must not hold more than two audits of Internal, Concurrent and Risk Management Systems Audit, all taken together. Hence, the Audit firm, can at the maximum hold not more than three Audits (i.e., Investment Risk Management Systems and Process Audit, Internal Audit, Concurrent Audit – all taken together), apart from Statutory Audits at any point of time. For this purpose, at the time of appointment, the insurer shall obtain a declaration to this effect from the firm of Chartered Accountants. The Insurer shall, file with IRDAI, the confirmation obtained from the Chartered Accountant firm, within 7 days of such appointment.
4. The Auditor should not have been prohibited/debarred by any regulating agency including IRDAI, RBI, SEBI, ICAI, NFRA etc.,
5. The Auditor appointed for certifying the Investment Risk Management Systems and Process, should not have conducted the following assignments for the same Insurer proposing to be appointed as Systems Auditor, for a period of two years immediately preceding his appointment.
 - a. Statutory Audit
 - b. Any Internal Audit
 - c. Any Concurrent Audit
 - d. Any consulting assignment, whether or not related to Audit functions

d. Appointment of Audit Firm for Internal / Concurrent Audit of Transactions

1. The Chartered Accountant firm complies with points c (1), (2), (3) and (4) above.

2. The Internal/Concurrent audit term shall be for the financial year and where the appointment is made during the course of the financial year, it shall be up to the end of that financial year.
3. The Internal / Concurrent Auditor shall be appointed by the Audit Committee of the Insurer's Board and the Auditor shall directly report to the Audit Committee of the Insurer's Board. Any change in Auditor during the middle of the term, shall be communicated to IRDAI with the reasons for such change. The new Auditor, only for the remaining term, shall be appointed only with the prior approval of IRDAI.
4. The Internal / Concurrent Auditor shall not be eligible for re-appointment, with the same Insurer after serving three consecutive years or three years during the preceding five years.
5. The Internal / Concurrent Auditor appointed for the first time should NOT have conducted the following assignments for the same Insurer proposing to be appointed as Internal or Concurrent Auditor for Investment functions during a period of two years immediately preceding his appointment as Internal or Concurrent auditor.
 - a. Statutory Audit
 - b. Any Internal Audit
 - c. Any Concurrent Audit
 - d. Any consulting assignment, whether or not related to Audit functions
 - e. Reviews or Certification of Investment Risk Management Systems and Process
6. Every Insurer, upon appointing the firm of Chartered Accountants as Internal or Concurrent or Risk Management Systems Auditor shall send a communication to IRDAI, within seven days of such appointment, confirming such appointment with the details as under:
 - e. **Information of Audit Firm for Internal / Concurrent Audit to be filed with IRDAI**
 1. Name of the Chartered Accountant firm
 2. Year of establishing the firm, Partners with contact details
 3. Address of Head Office of the Audit Firm
 4. Experience Details, (relevant for Insurer's Risk Management Systems Audit / Statutory Audit / Internal Audit / Concurrent Audit) as provided by the Firm
 5. Name of the Partner along with contact details, responsible for signing Risk Management Audit Report / Internal Audit Report/ Concurrent Audit Report
 6. All the above information shall be filed with IRDAI, within 7 days from the date of appointment.

2.3 Repo, Reverse Repo in Government securities and Corporate bonds

All Insurers shall file a quarterly certificate issued by the Concurrent Auditor specifically on Repo/Reverse transactions (borrowing) and the same shall form part of the certificate issued

as per the Technical Guide on Internal / Concurrent Audit of Insurance Companies issued by ICAI.

2.4 Investment in Equity Exchange traded funds

Concurrent Auditor shall comment on the compliance of the requirements prescribed for investments in ETFs during the audit period.

2.5 Exposure to Credit Default Swaps

1. The concurrent Auditor shall confirm that the requirements prescribed for undertaking CDS transaction have been incorporated in the investment policy, before taking any exposure to CDS. Such Certificate of the Concurrent Auditor, shall be filed with the Authority.
2. The Concurrent Auditor shall in his Quarterly certification confirm that all CDS transactions, complies with the norms prescribed by RBI and IRDAI.

2.6 Exposure to Interest Rate Derivatives

1. Before taking any exposure to Interest Rate Derivatives, the Insurer shall file a Certificate issued by the Concurrent Auditor, and the Concurrent Auditor shall certify that the Insurer had implemented the minimum integrated automated Systems and Process, as required under the guidelines on Interest Rate Derivatives.
2. Systems Audit

Any Insurer to hedge the portfolio, within the Circulars / Guidelines issued by the Authority, shall carryout the Systems Audit, through the Auditor engaged as per the Guidance Note on "Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies" of the Institute of Chartered Accountant of India, for Systems and Process to be in place, as specifically listed for Derivatives in the Guidance Note on Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies, before taking such exposure. **All insurers who have taken derivative positions, shall unwind the positions, where the Systems and Process mandated are yet to be implemented.**

2.7 Investment in “Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds” [AT1 Bonds]

The Concurrent Auditor in his Quarterly Report to the Audit Committee / Board of the Insurer shall confirm that all norms as per para 1.6 above are complied with by the insurer.

2.8 Investment in Units and Debt Securities of “Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)

The Concurrent Auditor in his Quarterly Report to the Audit Committee/Board of the Insurer shall specifically confirm compliance to the provisions of this circular applicable to Investment in Units and Debt Securities of REITs / InvITs.

2.9 Control & Monitoring Mechanism of Investment Operations – Work from Remote Location

1. Insurers shall ensure that Concurrent Auditors shall check the deals entered/investments done while working from remote location and report any deficiencies observed.
2. The Concurrent Auditor shall comment on the systems and controls as per the extant guidelines of ICAI and also as per the internal/Board Approved controls/guidelines of the Insurer. The Insurers shall ensure to submit the comments of Concurrent Auditors to the Authority as a part of Quarterly Concurrent Audit Report.

Section – III- Valuation Guidelines

3.1 Investment in Equity Exchange Traded Funds

The valuation of ETFs shall be in line with Annexure 2.

3.2 Securities Lending and Borrowing (SLB) Framework

1. Securities lent in SLB would be treated as if the Insurer owns such securities and all benefits arising on such securities shall be available to the Insurer i.e. the beneficial rights of the Insurer shall continue as per the SLB Frame work.
2. The lending fee shall be accounted for on accrual basis in view of the risk of early repay/recall of securities.

3.3 Investment in Mutual fund

1. The purchase and sale of Mutual Fund Units shall be calculated at Weighted Average Cost. Also, the insurer shall report the aggregate Market Value of such Mutual Funds in FORM 5 of Regulations.
2. A separate Fair Value Change Account for Mutual Fund Investments shall be maintained.
3. The unrealized gains / losses arising due to changes in fair value of the Mutual Funds shall be taken to 'Fair Value Change – Mutual Fund' account. The Profit / Loss on sale of Mutual Fund units, shall include accumulated changes in the Fair value previously recognized in Mutual Funds under the heading "Fair Value Change – Mutual Fund" in respect of a particular Mutual Fund and being recycled to Revenue / Profit and Loss Account on actual sale of Mutual Fund units.
4. The Insurer shall assess, on each Balance Sheet date, whether any diminution in the value has occurred to the Investment. A diminution in the value of investments shall be recognized as an expense in Revenue / Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the Investment and its Cost as reduced by any previous diminution in value of investments is recognized as expenses in Revenue / Profit and Loss

Account. Any reversal of diminution in value of investments earlier recognized in Revenue / Profit and Loss Account shall be recognized in Revenue / Profit and Loss Account.

5. In the case of Unit Linked Business, Mutual Fund units shall be valued at NAV.

3.4 Investment in Perpetual debt instruments of Bank's Tier-I Capital and Debt Capital Instruments of upper Tier-II Capital

The valuation of AT1 Bonds and Tier II Bonds shall be as per the directions issued by SEBI for Mutual Funds from time to time.

3.5 Investment in Onshore Rupee Bonds issued by Asian Development Bank (ADB) and International Finance Corporation (IFC)

The valuation of onshore rupee bonds shall be in line with the Corporate Bonds and Debentures.

3.6 Exposure to Interest Rate Derivatives

Accounting of Interest Rate Derivatives shall be as per applicable Accounting Standard and amended from time to time. Initial Margin and Mark to Market Margin shall be accounted as part of Current Assets.

3.7 Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other related matters

a. Assets classifications:

1. Every insurer shall make adequate provision for estimated loss arising on account of under recovery of loans and advances (other than loans and advances granted against insurance policies issued by the insurer) outstanding at the balance sheet date. These guidelines are intended to provide the basis for determination of minimum provisions of loss on account of loans and advances.
2. Insurers shall classify their loans/advances into four categories, viz., (i) Standard Assets, (ii) Sub-Standard Assets, (iii) Doubtful Assets and (iv) Loss Assets. Classification of assets into these categories shall be done taking into account ability of the borrower to repay and the extent of value and realizability of security.
3. **Standard Assets:** Standard Asset is one which does not disclose any problem and which does not carry more than normal risk attached to the Business. Such an asset is not an NPA. The insurer should make a general provision on Standard Assets of a minimum of 0.40 per cent of the value of the asset. In respect of loans extended directly by insurers to sick units taken over by borrowers falling under the "Standard" classification, the facilities of the transferee and merged units may continue to be classified separately, for a period not exceeding 24 months from the date of the takeover of the sick unit, after which the performance of the loans

sanctioned to the borrower as a whole should determine their classification. In cases of reverse merger (i.e., take-over of a healthy unit by a sick unit) as well, the facilities of both the units may continue to be classified separately for a period of 24 months after which the combined performance may be taken for asset classification.

4. **Sub-Standard Asset:** Sub-standard asset is one which has been classified as NPA for a period not exceeding 12 months, e.g., an asset which has been treated as a NPA on 1st April, 2021, would be treated as a sub-standard asset only up to 31st March 2022. In case of time overrun for completion of project directly financed by insurers, the Boards of Insurers should decide based on valid grounds, whether the advance should be treated as standard asset. An asset where the terms of the loan agreement regarding interest and principal have been renegotiated or rescheduled after commencement of production, should be classified as sub-standard and should remain in this category for at least two years of continually satisfactory performance under the revised terms. The classification of an asset should not be upgraded merely as a result of rescheduling, unless there is satisfactory compliance of the above condition.
5. **Doubtful Assets:** A doubtful asset is one which has remained as NPA for a period exceeding 12 months, e.g., a loan facility to a borrower which is treated as NPA on 1st April 2021, would be treated as 'doubtful' from 1st April, 2022. A loan classified as doubtful has besides the weakness inherent in that classified as sub-standard, with the continuing default makes the recovery in full, to be improbable. Here too, as in the case of sub-standard assets, rescheduling does not lead to upgradation of the category of the asset automatically. Similarly, a doubtful asset which is subject to rehabilitation and where the asset has been subsequently continually satisfactorily serviced for one year shall be graduated to a standard asset.
6. **Loss Assets:** A loss asset is one where loss has been identified by the insurer or its internal or statutory auditors or by IRDAI, but the amount has not been written off wholly. In other words, such an asset is considered un-collectible and as such its continuance as a bankable asset is not warranted although there may be some salvage or recovery value.
7. **Overdue Amounts Interest/Principal:** An amount, whether interest or principal is said to be overdue if it is not paid to the insurer on the specified date. An asset is classified as an NPA if the interest and/ or installment of principal remain overdue for more than 90 days (i.e., one quarter).

b. Provisioning for Loans and Advances:

Taking into account the time lag between an account becoming doubtful of recovery, its recognition as such, the realization of the security and the erosion in the value of security

charged to the insurers, it is necessary that insurers make adequate provisions against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets, as per the procedure outlined below:

- i. **Loss Assets:** The entire asset should be written off. If the assets are to remain in the books for any reason, 100 per cent of the outstanding should be provided for.
- ii. **Doubtful Assets:** a) 100 percent provision of the extent to which the asset is not covered by the realizable value of the security to which the insurer has a valid recourse and the realizable value is estimated on a realistic basis. b) Over and above item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful, 20% to 100% provision of the secured portion (i.e., estimated realizable value of the outstanding) should be made on the following basis:

Period for which the Asset has been considered as Doubtful	% of Provision
Up to one year	20%
One to three years	30%
More than three years	100%

- iii. **Sub-Standard Assets:** A general provision of 10% of total value outstanding remaining substandard is required to be made including loans granted by the Central/State Government. In case of nursing finance granted by an insurer, the additional loan facilities sanctioned under the rehabilitation programme may be treated as a separate account and the performance assessed separately. Asset classification and provisioning in respect of such loan facilities as per the prescribed guidelines may be made only if the interest /principal payments remain due beyond 90 days.
- iv. **Default in Repayment of Principal:** On account of various reasons, such as delays in project implementation, getting adequate working capital facilities, etc., repayment of principal may be delayed beyond the stipulated one quarter. The asset may continue to be considered as standard if the installments of the principal amount are rescheduled with the approval of the Board of the concerned insurer. This is subject to the condition that the rescheduling can be done only once while the interest continues to be paid regularly.
- v. **Time Overrun:** In case of time overrun for completion of project directly financed by insurers, the Board of Insurer should decide based on valid grounds, whether the advance should be treated as standard asset.

- vi. **One Time Settlement:** Sometimes insurers enter into one time settlement (OTS) of their dues with a new owner. In cases where a sick unit has been merged with a healthy and strong unit and where payments are being made as per the OTS scheme, the asset in respect of the merged unit may be considered as standard without waiting for a period of 2 years for upgradation from sub-standard to standard asset. However, such cases should be approved by the Board of the concerned insurer. It is clarified that the said relaxation is allowed only in OTS cases.
8. In respect of loan facilities extended to sick units (under nursing programmes or otherwise) taken over by borrowers falling under the “standard” classification, the facilities of the transferee and the merged units may continue to be classified separately for a period not exceeding 2 years from the date of takeover of the sick unit, after which the performance of the loan facility sanctioned to the borrower as a whole should determine their classification.
9. Units enjoying more than one loan facility: In case of borrowers who have been granted more than one loan facility by the insurer, all the dues from them will have to be treated as NPAs if 50 per cent of its total interest and/or principal dues from all loans extended to it remain overdue for more than one quarter.
10. **Government Guaranteed Loans:** Loans or other credit facilities backed by Central/State Government guarantees should be treated on par with other assets for income recognition and provisioning. However, in respect of loans backed by Central Government guarantee, such loans shall be treated as NPA only when the Government repudiates its guarantee when invoked.
11. **Income Recognition:** Income in respect of any asset classified as NPA shall not be recognized unless realized. However, any adjustment towards overdue interest against any fresh/additional loan shall not be considered as realized.
12. Insurers are permitted to participate in Joint Lenders Forum (JLF), formed within RBI Guidelines for loan accounts which could turn into potential NPAs, and take up need based exposure with the **prior approval** of the Insurers Board, which could exceed exposure permitted under applicable Regulations.
13. The Insurer shall follow the latest RBI Circular / Guidelines issued on the above points, where the provisions of Master Circular, are inconsistent with respect to Point 3.7 of this Master Circular on “Income Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other related items”.

Section – IV: Operational Procedure

4.1 Repo, Reverse Repo in Government Securities and Corporate Debt Securities

1. All Repo transaction shall also be reported to the Investment Committee and Board at least on a Quarterly periodicity.
2. Insurer shall enter into bilateral Reverse Repo/ Repo agreement as per the documentation finalized by FIMMDA. Such additional clauses may also be inserted in the standard agreement to suit the specific needs of the Insurance regulatory framework provided such clauses should be more stringent than the standard clauses provided by FIMMDA.
3. In all other matters such as Accounting Methodology, reporting of trades, settlement of trades, prohibition on sale of repo security, haircut, valuation etc. related to such Repo and Reverse Repo transactions, Insurers shall follow the Directions given in notification IDMD.DOD.05/11.08.38/2009-10 Dt. January 8, 2010, issued by RBI and as updated from time-to-time.
4. The Board of the Insurer shall issue necessary Guidelines in the Investment Policy covering the following:
 - i. Category of Counterparty
 - ii. Credit rating of the instruments issued by the Counterparty
 - iii. Exposure on the Counter party subject to the maximum limits prescribed in this circular
 - iv. Maximum exposure on the specific Corporate Debt Instrument and the Issuer of such Debt Instrument
 - v. Tenor of Collateral
 - vi. Applicable Haircuts
 - vii. The treatment of 'downgrading of rating' during the tenure of repo transaction

4.2 Securities Lending and Borrowing Framework

1. Lending securities through SLB in the Funds shall be made only after approval of the Investment Committee. While considering approval, the Investment Committee shall satisfy that lending securities through SLB will be in the interest of the Policyholders.
2. The Board of Insurer shall amend its Investment Policy and put in place adequate Risk Management framework on SLBs covering circumstances for an early recall & rollover, treatment of corporate actions such as dividend, split, bonus, rights, merger, demerger etc.

4.3 Investment in Equity Shares through IPO

1. The Board of the Insurers shall empower its Investment Committee to approve Investment in equities through IPOs, satisfying the dividend criteria.

2. Investment Policy of the insurer shall have a detailed policy in respect of investment in IPOs and the investment team can take decision on day-to-day basis subject to compliance with the Policy.
3. Such investments shall be subject to periodical review, particularly as to 'Approved' status.

4.4 Investment in Mutual fund

The Investment Committee of the Insurer shall lay down proper Guidelines for selection of Mutual Funds and schemes permissible including exposure Norms to a Single Mutual Fund and to each Scheme of Mutual Fund to avoid concentration.

4.5 Investment in Alternative Investment Fund

The Investment Policy of the insurer shall lay down the policy to invest in Venture funds or alternative Investment Fund, and the internal norms for such investments shall be decided by the investment committee (IC) of the Insurer.

4.6 Exposure to Credit Default Swaps (CDS)

1. The Board of the Insurer shall include in its Investment Policy and put in place necessary Risk Management Framework covering, *inter alia*, the following:
 - i. Types of Assets on which Protection can be bought
 - ii. Counterparties from whom CDS can be bought and limits on the counter parties
 - iii. Valuation norms
 - iv. Reporting and monitoring norms
 - v. Stress testing on the capability of the counterparty to meet the obligation at periodic intervals
 - vi. Margins applicable (Margins should be in cash or Govt. securities). Such margins collected should be not part of Investment Assets and Insurer should act as 'trustee' of such margins.
 - vii. Settlement of MTM obligations
 - viii. MIS, exception reporting
 - ix. Necessary systems and controls prescribed for User in line with risk management architecture provided in the aforesaid RBI circular
 - x. Review of the policy at periodic intervals in line with the Investment policy
2. Insurers shall enter into Master Agreement for CDS with counterparties as issued by FIMMDA. Such agreements may have additional clauses to suit the specific requirements of the Insurer

provided such clauses are more stringent than the clauses prescribed by FIMMDA. The Investment Committee should review such additional clauses on continuous basis.

3. All CDS transactions shall be reported to the Investment Committee, Audit Committee on a quarterly periodicity.

4.7 Outsourcing of Investment function

1. Clause 12(3)(ii) of Regulations makes it mandatory that **NO** part of Investment Function can be outsourced, as the same is a core function of the Insurance Business.
2. Engaging a specialist (not an entity falling under the Insurer's Promoter Group) to provide reports on any class of investment or a specific investment in a purely advisory capacity will not be considered as outsourcing of a function of the Insurer, provided the Assets under Management (both Shareholders and Policyholders funds taken together) of the Insurer is not more than Rs.500 Crores or had not completed one year of operations from the date of Registration by issue of R3, whichever is earlier, subject to the following conditions:
 - i. The Investment decisions are made within the Company with proper documentation within the delegated power as provided in the Investment Policy
 - ii. Deal placement and execution are done by the Front Office personnel
 - iii. Periodic reports to Management and Authority are drawn by the Company (in-house)
 - iv. The Advisory fee to be paid to the Service provider is on a case-to-case basis and not on Net Asset Value
3. The Advisory fee shall:
 - i. Not form part of NAV calculations in the case of ULIP business
 - ii. Be paid out of Shareholders funds beyond Solvency Margin

However, any such arrangement may only be made with the prior approval of the Authority, giving full details of the same including any Agreement to be entered into, in this connection.

4.8 Transfer of Investment

1. **Transfer from Shareholders' Account to Policyholders' Account:** Transfer of funds from the Shareholders' account to the policyholders' account to meet the Deficit in the Policyholders' account in a given financial year, made with the objective of meeting the deficit in the policyholders' account, as and when made, should be as per the conservative approach, i.e., at the cost price or market price, whichever is lower. In case of Debt securities, all transfers are to be carried out at the lower of the market price and the net amortized cost.

2. **Transfer between Policyholders' Funds:** No transfer of assets (investments) between different policyholders' funds (between Participating and Non-Participating funds) shall be allowed. Also, no funds can be transferred between (1) Life Fund excluding Shareholders Funds (2) Pension & General Annuity Fund and (3) Unit Linked Funds.
3. **Purchase/sale transactions between Unit linked funds:** Insurers may like to consider sale/purchase transactions between unit linked funds as part of investment management strategy, to limit transactions cost and also arising out of options exercised by the policyholders to shift between different unit linked funds. The sale/purchase of investments under such circumstances would be based on the market price of the investments, which are being shifted between unit-linked schemes. **ALL** such transactions should be made at a price as specified below.
 - a. In case of equity, preference shares, ETFs and Government Securities market price of the latest trade. Deal should be entered into the system within one hour of taking such quote or price.
 - b. In case of securities mentioned in (a) if the trade has not taken place on the day of transfer and for all other securities not part of (a) previous day valuation price.
4. The Concurrent Auditor shall confirm that all transaction as said in point 3 above, have been done as per the time lines specified in point 3 above.
5. Funds of Non-linked business: It is reiterated that no sale/purchase is permitted between the various policyholders' funds under the non-linked business.

6. Small sized fund:

In the initial stages of the new insurers, funds are likely to build up gradually, and insurers may face problems with regard to purchase of securities because of stipulations of minimum market lot. To tide over such difficulties, in the initial years, security sale at market price shall be permitted from the shareholders' assets, that too only in the 'approved category', to meet the needs of investments of policyholders' funds.

Such transactions shall be permitted only where a policyholders' fund size is small, i.e., up to Rs. 50 crore.

Life Insurer's funds shall be categorized under the following heads:

- a) Life Fund
- b) Pension, Annuity and Group Fund
- c) Unit Linked Funds

and the ceiling of Rs. 50 crore as mentioned above would apply to each of the Fund as listed above and not to individual funds within each of the above funds.

With a view to ensuring an audit trail on such transaction, it is mandatory that such transactions be subject to compliance of the following:

- a) Authorization of the Investment Committee giving the reason for such sale transaction to the policyholders' funds

- b) Disclosure in the financial statements/returns
- c) Audit by the statutory auditors
- d) The limit of Rs.50 crore shall be subject to the review by the Authority.

4.9 Other Investments in Pension and Group Fund

Where a security, being part of ‘Approved Investment’, at the time of acquisition, subsequently, due to non-fulfilment of regulatory criteria for Approved Investments, becomes a part of ‘Other Investments’, the insurer, shall ensure such security is not continued to be part of the Pension and Group fund, within a period of 180 days. If the security continues to be ‘Other Investments’, after expiry of 180 days, the value of such security shall be made good by transfer to Shareholders funds, at amortized cost.

4.10 Transactions on Stock Markets to be on Cash Basis

1. The Authority stipulates that all transactions entered into by insurers on the stock markets shall result in delivery.
2. Further, all insurers are required to file a certificate of compliance to this effect on a quarterly basis. The Certificate is required to form part of FORM 5 of the Return on “Statement of Investment Reconciliation” filed by the insurers under the Regulations. The Certificate of Compliance to be filed with the said Return shall read as under:
“Certified that all cash market transactions executed on the stock exchanges are only on delivery basis. **Further certified that** all information given herein is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.”

4.11 Negotiated dealing system – Order Matching (NDS – OM)

1. The Insurance Act, 1938 requires a Life Insurer to invest his Controlled funds as per Section 27A and a General Insurer to invest his Total Assets as per Section 27B in ‘Approved Investments’. The Act further requires a Life Insurer to hold not less than 50% and a General Insurer to hold a minimum of 30% in Approved Securities, which includes investment in Government of India Securities.
2. Reserve Bank of India, has operationalised Negotiated Dealing System – Order Matching (NDS-OM) Module from Aug, 2005 with the following broad features:
 - i. The system is purely order driven with all orders being matched based on strict price / time priority.
 - ii. The system is an anonymous order matching system wherein identify of parties are not revealed. The Clearing Corporation of India Limited (CCIL) will become the central counterparty to each trade done on the system.

- iii. The system allows straight-through processing (STP) and trades executed will flow straight to CCIL in a ready for settlement stage.
 - iv. The system provides functionalities for order management (placing, modifying or cancelling orders), trade related queries, activity log, market information and analytics (YTM computation etc.)
 - v. The system, presently, supports dealing in all Central Government and State Government securities for T+1 settlement.
3. All secondary market trading in Government Securities shall be placed in NDS-OM or reported in NDS-OM.

4.12 Reporting of OTC transactions in Certificates of Deposits (CDs) and Commercial Papers (CPs)

1. In order to ensure transparency in secondary market transactions and obtain information on actual trades in CDs and CPs, which are money market instruments, all insurers are advised to report their OTC trades in CDs and CPs on the FIMMDA reporting platform.
2. Accordingly, all IRDAI regulated entities shall report their OTC transactions in CDs and CPs on the FIMMDA reporting platform within 15 minutes of the trade for online dissemination of market information. Detailed procedure in this regard would be advised by FIMMDA.

4.13 Issue of Long Term Bonds by Banks – Financing of Infrastructure and Affordable Housing

Investment Committee shall ensure to have robust mechanism on classification of such investment to qualify as Infrastructure or Housing Sector exposure considering predominant objectives of the offer.

4.14 Reporting of transactions in Corporate Bonds, Commercial Papers, Certificate of Deposits & Securitised Debt

1. All Insurers to report their secondary market OTC trades in Corporate Bonds and Securitized Debt Instruments as per the reporting requirements on any of the stock exchanges (NSE, BSE and MCX-SX). These trades are to be cleared and settled through any of the clearing corporations (NSCCL, ICCL and MCX-SX CCL).
2. All Insurers to report their secondary market OTC trades in Commercial Papers and Certificate of Deposits as per the reporting requirements on FIMMDA (CBRICS).

4.15 Segregated Fund creation and NAV Process.

a. Segregated Fund Creation

The Insurers shall follow the following procedure for Segregated Fund Creation.

- i. SFIN shall be derived following the procedure mentioned below:

No	Fund Category	Procedure for 'SFIN'
1	Unit Linked Individual Funds	<ULIF>+<001>+<ddmmyy>+<FundName>+<Reg.No>
2	Unit Linked Group Funds	<ULGF>+<001>+<ddmmyy>+<Fund Name>+<Reg.No>

Note: Explanation to 'Procedure for SFIN'

- a. The 1st four Character of SFIN denote the Category to which the Fund belongs
- b. 001 denote the 1st fund in the particular Category
- c. ddmmyy refers to the date of launch of fund
- d. Fund Name denotes the Name of the fund, which shall be abbreviated to 10 Characters
- ii. The insurer shall confirm that the SFIN is unique and has not been allotted to any other segregated fund.
- iii. Reg. No is the Registration Number.
- iv. The 'Segregated Fund', by whatever name called, would invest only in the '**exhaustive**' Categories of Investments permitted under guidelines issued under Regulations at Annexure 1.
- v. The Investments to be made as per the Investment Policy, would be covered in the Standard Operating Procedure (SOP), approved by the Investment Committee of the Insurer and followed by the Investment Department of the Insurer, **before the launch of the fund, if existing SOP does not cover the new asset class**, if any. The 'Segregated fund' would have identifiable, individual 'Scrips', grouped as per guidelines issued by IRDAI and the same would be identifiable at custodian level, by a separate sub code, for such 'Segregated Fund'.
- vi. **Other conditions:**
 - a. No individual security is earmarked between two or more 'segregated fund'.
 - b. The New Fund offered by the Insurer shall **NOT** be a minor modification of any of its existing Fund.
 - c. The name of the Fund shall not be misleading and shall not contain word(s) that can convey an impression incongruous to the objective of the Fund.

- d. Each 'Segregated Fund' would have a 'single' NAV, declared on a 'day-to-day' basis and uploaded in the Insurer's Public Domain and in the Life Insurance Council Website.
- e. The insurer, through a portal, would enable the policyholder to know, through a secured login (i) the value of policy wise units held by him, as per FORM D02 and (ii) fund wise NAV (SFIN wise) on both the Insurer's website and life council website on the same day.
- f. The Insurer, **as a part of product brochure**, had included the disclosure mandated under FORM D02 and would provide the secured login details to Policyholders along with the Policy document.
- g. The 'Units' would be created on a '**day-to-day**' basis and would be backed by Investment assets, for the 'segregated fund'.
- h. The Investment Trial Balance, in respect of each 'Segregated Fund' [with clear link to SFIN] shall be generated through the system.
- i. All prudential and Exposure norms as per clause 8 of Regulations as amended from time to time shall be complied at each 'segregated' fund, **as well as** at Assets under Management (AUM) of ULIP.
- j. Fund Management Charges (FMC) is identified with respect to each 'segregate fund' and **NOT** otherwise.
- k. Transfer of funds between ULIP funds shall be done as per the norms laid in point 4.8 (3) above. The Concurrent Auditor shall certify that the Insurer has the required automated System in place to ensure compliance of this requirement.
- l. The **SFIN** would be quoted in all 'Fund' related filing / disclosure. Also, SFIN would be mentioned in all documents and all fund-wise information provided to policyholders, other users (public, distribution channels and others) and on all returns or fund related correspondence with the Authority.

The Insurer shall file a certificate issued by the Concurrent Auditor for the above Segregated Fund Creation process on creation of new SFIN. All records in this regard shall be made available for the inspection by IRDAI at any point of time.

b. NAV Process

1. The NAV Process to be followed for new and existing funds and Systems and Process should be in place for calculation of NAV for 'each' Segregated Fund.
2. The objective of defining the '**Net Asset Value (NAV)** Process' for the ULIP Funds, is to standardise the process to be followed by all Life Insurers in arriving at the NAV per Unit. Every Insurer in computing and declaring the NAV shall follow the below mention procedure consistently. In this regard the Investment Committee of the insurer shall ensure the Standard

Operating Procedure (SOP) to include clear internal guidelines, process flow charts, procedures and responsibilities to be followed by the insurer.

- A. Methodology of operating ‘Segregated Fund’
- B. ‘Units’ creation / Redemption
- C. Preparation of Daily cash flow statement
- D. Security Master Creation
- E. Primary Market deals / IPO
- F. Secondary Market Debt / Equity deal authorization
- G. Settlement Process
- H. Banking Transaction
- I. Corporate Actions
- J. Valuation Process
- K. Charges
- L. NAV Computation

A. Methodology of Operating ‘Segregated Fund’

- 1. Defines ‘Segregated Funds’ as ‘Funds earmarked in respect of Linked Business’.
- 2. To comply with the above requirements of ‘Segregated Fund’, the Insurer shall adopt the following procedure to ensure strict segregation of funds and computation of NAV:
 - a. The Insurer shall, shall open separate bank account and account with the Custodian for **each** “segregated fund”.
 - b. The Bank shall be directed to allot an Account Number/Account Name with specific reference to the particular "Segregated Fund" so as to match the 10 digit fund name of the **SFIN**.
 - c. Every Purchase, Sale of Investment, Income on Investment (including Corporate Action) shall be identified with reference to the particular ‘Segregated Fund’ and accounted for.
 - d. Every ‘Deal Slip’ shall be identified with reference to the ‘segregated fund’ along with ‘**Segregated Fund Identification Number “SFIN”** for such Segregated Fund(s) and the **respective** ‘sub-code’ of Custodian and the respective Bank Account.
- 3. Passive breach of regulatory limits, under any fund [SFIN] on any day, if corrected within three business days, **ALL** such corrective actions taken shall be reported by the Concurrent Auditor/Internal Auditor to the Audit Committee.

B. Units Creation / Redemption

Unit capital movement tracks the capital movement (subscription and redemption) in the funds and requires reconciliation with Policy Admin System (PAS), which requires

- a. Daily Report of 'Subscription & Redemptions' received from the Policy Admin System (PAS) to be uploaded [without manual intervention through process integration] in the Investment Accounting System
- b. Unit Report shall be reconciled with the Investment Accounting System's Creation / Redemption Report, after booking of unit capital entries
- c. Units created on a 'day-to-day' basis (including switches), shall be backed by 'segregated fund wise' Investment assets. In other words, the value / amount for which Units are created for the particular day (at the prevailing NAV, applicable for the day, of the respective fund), should be equivalent to the premium receipt (net of switches) less applicable charges and other outflows such as benefits paid, surrenders and foreclosures in excluding applicable charges of the 'respective segregated fund'.

C. Preparation of Daily Cash Flow Statement

The insurer shall prepare a cash flow statement for each 'Segregated Fund' on a day-to-day basis to ascertain the 'investible funds'. The preparation of the cash flow statement shall take into account the following:

1. Opening Bank balance at the Start of the Day (Closing Balance of the Previous Day)
2. Receipt on account of Sale of Investments
3. Receipt on account of Redemption of investment or Maturity of investments (Gross)
4. Receipt of Interest or Dividend etc.,
5. Payments on account of purchase of Security
6. Payments on account of Application Money
7. Premiums received net of charges and redemptions
8. Any other receipts or payments pertaining to investments

D. Security Master Creation

1. Equity Investments

Based on the inputs from treasury the investment back-office shall create Security Masters in the system (linked via NSE/BSE codes) and the same shall be validated by the Mid-Office. The procedure includes documentation of supporting and supervisory sign off.

2. Debt Investments

Security masters for debt Instruments are prepared on the basis of Information memorandum in case of primary and secondary market deals by the Back Office. The procedure includes documentation of supporting and supervisory sign off.

E. Primary Market Deals/IPO

1. Booking of Primary Market Deals - Debt

Primary Market Deals shall be booked on the date of application and on the date of allotment of the Securities will be reflected in the Investment Accounts.

2. Booking of Equity IPO

Equity Investments shall be accounted on the date of application for IPO Issue as 'Application Money' at the segregate Fund Level and on the date of allotment the allotted Shares shall be reflected in the Investment accounts in the same proportion of application money.

F. Secondary Market Debt / Equity Deal Authorization

1. Debt Deals

All Debt securities as categorised in Guidelines on Categories of Investments, as amended from time to time, shall be executed with counterparties and reported on NSE / BSE / FIMMDA reporting platform and the same shall be confirmed with counterparties. The deals shall be authorised in the investment system and the trade files / information shall be sent to custodian / other online settlement systems as recognised by any financial regulator for settlement.

2. Equity Deals

a. STP (Straight Through Process) Reconciliation

All Secondary Market equity deals shall be put through the STP module in the investment system. The dealer shall put through the deal in the investment system after concluding the transaction. The deal would then flow to the back office which would be compared with the input details and the STP file received from broker. If all details match, the transaction would be authorised in the system for settlement.

b. Custodian /Broker settlement

After STP reconciliation the equity trade files/ISO files shall be sent to custodian and broker houses through STP.

All deals shall be recorded on trade date accounting basis.

G. Settlement Process

As specified by SEBI / Clearing Houses.

H. Banking Transactions

1. Coupon Payments for Debt Investments

Interest receipt entries shall be passed in Bank (Reconciled with Custodian Corporate Actions Report / other online settlement systems as recognised by any financial regulator)

2. Redemptions/Maturities for Debt Investments

Redemptions/Maturity receipt entries shall be passed in bank account (Reconciled with Custody Corporate Actions report).

3. Dividend Receipts for Equity Investments

Dividend receivables shall be received in bank on the receipt date (Reconciled with Corporate Action Report received from the Custodian or other online settlement systems as recognised by any financial regulator)

4. Management Fees

Payment entries pertaining to Management fee transfer to Non-Linked Funds shall be passed in Bank accounts on respective payment dates.

5. Booking of Application Money

Application Money shall be booked in current asset account on the date of payment of application money towards prospective investments.

I. Corporate Actions

1. Equity

The insurer shall obtain details of corporate action from exchange(s) on which the stock is listed or custodian or any service provider who disseminates such information. While the information pertaining to corporate actions may be obtained from any service provider, it may be noted that it is duty of the insurer to have adequate internal controls in place to ensure that all corporate actions are duly acted upon.

2. Debt

The insurer shall configure their Investment System for details of interest receivable and redemption dates. Further, details of interest receivable and redemption can also be obtained from the custodian / other online settlement systems as recognised by any financial regulator.

3. Accounting of coupon payments, redemption / maturities for debt investments shall be automatically triggered by the system, based on the interest payment dates and maturity dates defined in the security masters created for 'each' security.

J. Valuation Process

1. Valuation of securities shall be in line with Annexure 2 of Master Circular – Investments.
2. The Insurer shall close the Investment Front Office system for transactions at 6.00 PM. The Concurrent Auditor shall confirm the compliance of this requirement in their quarterly report to the Board of Directors.

K. Charges

1. Fund Management Charges

Fund Management Charges (FMC) including GST shall be ‘accounted’ for on a day-to-day basis in the investment accounting system. The actual transfer to “UL-Non-Unit Reserve or Non-Linked Funds” account of accumulated FMC shall be done at least monthly or at lesser frequency

2. FMC charged on the segregated fund [SFIN], where investment is made in Mutual funds and Exchange Traded Fund, permitted by IRDAI, shall be subject to:
 - a. The FMC levied shall be the FMC as per the F&U of the segregated fund (SFIN) reduced by FMC charged by the Mutual Fund / Exchange Traded Fund
 - b. Point (a) above, shall be permitted **provided**; the insurer has a fully Automated System to compute the differential FMC as detailed in point (a) above.
 - c. The Concurrent Auditor shall certify the Systems in place, to comply with the requirement of this provision, **before** the Insurer could avail this provision

3. Dealing costs

Dealing costs securities transaction tax and service tax shall be adjusted in the cost of investments.

L. NAV Computation

1. NAV: The NAV of the Segregated FUND [SFIN] shall be computed as:

Market Value of investment held by the fund + Value of Current Assets – Value of Current Liabilities & Provisions, if any

Number of Units existing on Valuation Date (before creation / redemption of Units)

2. The NAV computed as above, in respect of ‘each’ Segregated Fund, shall be Audited by the Concurrent Auditor on a day-to-day basis.

3. The NAV calculated as above, in respect of 'each' Segregated fund, shall be declared on the Insurer's Website and at the **Life Insurers Council** Website, as and when the same is ready. The following notes shall be considered for the computation of NAV
 - a. Market value of investment, held by the fund shall be as explained above in the valuation of investments section and the same netted off for FMC
 - b. Value of Current Assets represents Accrued interest, Dividend Receivable, Bank Balance, Receivable for Sale of Investments and Other Current Assets (for Investments)
 - c. Value of current liabilities represents Payable for Investments
 - d. Number of units derived from the investment accounting system shall be reconciled on a day to day basis with the policy admin system.
 - e. Provisions shall include expenses for brokerage and transaction cost, NPA, Fund Management Charges (FMC) and any other charges approved by the Authority.

4. **Specifying SFIN in short message services (SMS), tele-callings, radio messages and ATM display**

It is clarified that, SFIN need not be displayed in fund related communication through SMS, tele-calling, radio messages and ATM display due to technology limitations. It would be full compliance of IRDAI's direction, if Insurers specify SFIN in all documents and all fund-wise information provided to policyholders and other users.

5. **Segregated funds having multiple plans, with different FMCs attached to it or running 'funds of funds' structure**

As each 'Segregated Fund' is required to have a 'single' NAV, declared on a 'day-to-day' basis and FMC is required to be identified to each segregated fund, all Insurers are required to convert various plans offered below a fund or funds of funds structure, as individual segregated fund with a SFIN with identified 'scrips' representing the investments of such segregated funds. In doing so, the net asset value (NAV) of each plan shall be segregated from the underlying fund. The Internal / Concurrent Auditor shall certify that such segregation had not resulted in enrichment of one set of policyholders from others due to change in the units or the NAV. The implication, to the policyholder of such change, if any, shall be put on the insurer's website, along with the rationale of making such change. The concurrent Auditor shall confirm the Insurer's adherence to these requirements.

6. **Operating CSGL / TREPS Account**

As RBI do not permit Banks to open multiple CSGL / SGL accounts against single entity the Insurers are permitted to operate with a single CSGL /SGL Account and allocate the holdings

in their books to each Segregated Fund [SFIN]. All insurers are required to reconcile their Government Securities holding across all segregated funds on a day to day basis.

Similarly, as CCIL permits opening only one Triparty Repo Account for every company, the Insurers are hereby permitted to have a common Triparty Repo Account at company level, and reconcile their holdings in Triparty Repo Account, segregated fund wise, on a day to day basis.

The Internal / Concurrent Auditor, in his Audit Report to the Audit Committee of the Insurer's Board shall confirm that the Insurer had done the reconciliation of G Sec and Triparty Repo holding, segregated fund wise [SFIN] on a day-to-day basis.

7. Usage of valuation matrix published by FIMMDA

The guiding principle shall be to follow, for all instruments, the day-to-day valuation matrix published by FIMMDA and where ever FIMMDA does not provide such valuation matrix on a day to day basis, the Insurer may adopt valuation matrix provided by Subsidiary/Holding company of any SEBI registered Rating Agency, till such time FIMMDA comes out with such valuation matrix and provides the same in the technology platform, as mandated by the Authority in eliminating manual intervention. The Concurrent Auditor shall certify in his Audit Report to the Board that the Insurer had consistently adopted the methodology prescribed above during the audit period.

4.16 Implementing RFQ platform for Investments in Corporate Bonds / Commercial Papers

1. With a view to enhance and coalescing the fragmented liquidity in Corporate Bonds, SEBI has implemented Request for Quote (RFQ) Platform through Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE). The RFQ platform seeks to replicate the OTC market albeit on an electronic platform in a move to bring more transparency, centralization in protecting investor interest apart from having enough liquidity in Secondary Market.
2. To achieve the above, SEBI, vide Circular: SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/130 Dated 22nd July, 2020 has mandated all Mutual Funds (MFs) to undertake 10% of their total Secondary Market trades of Corporates Bonds through RFQ to start with. As this is likely to bring transparency and liquidity in the Corporate Bond segment, the Authority, directs all Insurers as follows:
 - a. On monthly basis, the Insurers shall undertake at least 10% of their total Secondary Market trades in the Corporate Bonds in Value place / seek Quotes through one-to-many mode on RFQ platform available on BSE/NSE. The 10% limit shall be reckoned on the average of Secondary Market Trades by Value, in the immediately preceding 3 months on rolling basis.
 - b. Concurrent Auditor of the Insurer in his Quarterly Audit Report shall confirm that the Insurer has complied with these directions.

4.17 Control & Monitoring Mechanism of Investment Operations – Work from Remote Location

1. Insurers shall have in place prudent cyber security norms, proper systems and controls while allowing/continuing conduct of Investment Operations from remote location.
2. These systems and controls should take care of Data Privacy, Security and Confidentiality, possibility of Cyber-Attacks, Hackings, Malware Infections, Disruption Risks, Recording of Deals and Supervisory Controls of the dealing activities.

Section – V: Disclosure Norms

5.1 Repo, Reverse Repo in Government securities and Corporate Debt Securities

The following disclosures should be made by the Insurers in the Notes on Annual Accounts to the balance sheet:

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31
Securities Sold under repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities				
Securities purchased under reverse repo 1. Government Securities 2. Corporate Debt Securities				

5.2 Securities lending and borrowing framework

1. The securities lent shall continue to be shown in Form 5 as they were shown prior to SLB transaction. Income earned on lending securities shall be shown in the CAT Code that is applicable as it appears in Form 1. The Securities which are lent through SLB and are not held in custody shall be shown in Form 6 under the column 'others' along with a reconciliation statement with the following details (to be part of FORM 6 and filed as a part of periodical returns):
 - a. Name of the scrip
 - b. No. of securities lent
 - c. Name of the fund
 - d. Maximum limit permissible in such fund based on the total quantity held

- e. Stock Exchange
- f. Date of expiry of the contract
- g. Value of the securities lent as on the date

5.3 Exposure to Interest Rate derivatives

The presentation in the financial statements and disclosures are governed by AS 31 and 32. In specific, the Insurer have to make the following disclosures in the Financial statements:

- i. Description of Participant's financial risk management objective and policies, in particular its policy for hedging forecasted transactions.
- ii. Hedging strategy.
- iii. Accounting Policy for Derivatives.
- iv. Nature and terms of outstanding Interest Rate derivative contracts.
- v. Quantification of the losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate derivative contracts.

5.4 Issue of long term bonds by banks – Financing of Infrastructure and affordable housing

While preparing Exposure to Industry sector i.e. Form 4A- Part D, the Investments under ILBI and IOLB shall be classified under 'Infrastructure - Long Term Bonds –BFSI' and HLBH and HOLB shall be classified under 'Housing – Long Term Bonds- BFSI'

5.5 ULIP Periodical Disclosure

1. Every life Insurer shall at least on a **monthly periodicity**, on or before the 5th of the succeeding month, make the following portfolio disclosures [SFIN wise]in the Insurers website:
 - a. Name of the fund
 - b. SFIN Number
 - c. Investment Objective of the Fund
 - d. NAV as on the last business day of the month
 - e. All NAV shall be upto 4 decimals
 - f. AUM of Equity and Debt as on the last business day of the month
 - g. Benchmark as approved by the Investment Committee
 - h. Name of the Fund Manager
 - i. Number of Funds managed by Fund Manager (in point 'g' above) along with details of Equity, Debt and Balanced Funds
 - j. Asset Allocation provided in Product document (as per file & use procedure) and percentage of Actual Asset Allocation at the end of the respective month

- k. Rating Profile of Debt Instruments
 - l. Modified Duration of the Debt and Money Market Instruments
 - m. Exposure of SFIN (debt and equity) to top 10 industrial sectors as defined under National Industrial Classification 2008 and balance exposure to be shown under “others”
 - n. Performance of the fund over different period over 1 month, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year and since inception along with the performance against the Benchmark index for the corresponding period. Returns less than or upto 1 year, shall be based on absolute returns
 - o. The TOP 10 holdings under each Asset Category of G. Sec, Corporate Debt and Equity shall be disclosed. The exposure to the Money Market instruments to be disclosed as a consolidated amount and as percentage to AUM of the SFIN
 - p. The Debt and Equity holdings shall be disclosed as a percentage to the AUM of the SFIN in the statement of portfolio. The total percentage of holdings shall be totalled to 100% of the AUM of the SFIN
2. The Concurrent Auditor shall, in his Audit Report, confirm compliance to the above points.

Section – VI: Reporting Norms and Certificates

Various periodical returns and certifications on investment related matters to be submitted by insurers shall be as per the Formats and Periodicity as specified in the Master Circular on Submission of Returns.

Section VII: List of circulars repealed

Sr. No.	Date	Circular Reference	Short Description
1	27-10-2022	IRDAI/F&I/CIR/INV/226/10/2022	Master circular Version 03
2	01-12-2022	IRDAI/F&I/CIR/INV/233/12/2022	Clarification with respect to NDS-OM
3	26-12-2022	IRDAI/F&I/CIR/INV/248/12/2022	Declaration of NAV on quarter ending day
4	13-01-2023	IRDAI/INV/CIR/16/01/2023	Sovereign Green Bonds Classification
5	19-01-2023	IRDAI/INV/CIR/20/01/2023	Classification of shares issued by way of demerger.
6	31-01-2023	IRDAI/F&I/CIR/INV/027/01/2023	Clarification with respect to AIF and Mutual Funds
7	05-06-2023	IRDAI/F&I/CIR/INV/121/6/2023	Investments in NaBFID
8	28-06-2023	IRDAI/F&I/CIR/INV/139/06/2023	Monitoring investment in AIF.
9	04-08-2023	IRDAI/F&I/CIR/INV/155/08/2023	Relaxation for Investments in HDFC Ltd.
10	05-01-2024	IRDAI/F&I/CIR/INV/003/01/2024	Investments in Infrastructure Debt Funds-NBFC

Section VIII: Investment Category and Valuation Methodology

ANNEXURE – 1 CATEGORY OF INVESTMENTS (COI)

The following are the exhaustive Category of Investments (**COI**) that are permissible under Life, Pension and General Annuity, Linked Insurance Business, General Insurance (including Re Insurance) and Health Insurance Business, as per the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

No	INVESTMENT CATEGORY HEADS	CAT CODE
A	CENTRAL GOVT. SECURITIES	
A01	Central Government Bonds	CGSB
A02	Treasury Bills	CTRB
A03	Sovereign Green Bonds	CSGB
B	CENTRAL GOVT. SEC, STATE GOVT OR OTHER APPROVED SECURITIES	
B01	Central Government Guaranteed Loans / Bonds	CGSL
B02	State Government Bonds	SGGB
B03	State Government Guaranteed Loans	SGGL
B04	Other Approved Securities (excluding Infrastructure Investments)	SGOA
B05	Guaranteed Equity	SGGE
C	(a) HOUSING & LOANS TO STATE GOVT FOR HOUSING / FFE	
C01	Loans to State Government for Housing	HLSH
C02	Loans to State Government for Fire Fighting Equipment	HLSF
C03	Term Loan - HUDCO / NHB / Institutions accredited by NHB	HTLH
C04	Commercial Papers - NHB / Institutions accredited by NHB	HTLN
C05	Housing - Securitised Assets	HMBS
C06	Debentures/Bonds/CPs/Loans - Promoter Group	HDPG
C07	Long Term Bank Bonds Approved Investment - Affordable Housing	HLBH
C07A	Equity Shares in Housing Finance Companies	HAEQ
	<u>TAXABLE BONDS</u>	
C08	Bonds / Debentures issued by HUDCO	HTHD
C09	Bonds / Debentures issued by NHB / Institutions accredited by NHB	HTDN
C10	Bonds / Debentures issued by Authority constituted under any Housing / Building Scheme approved by Central / State / any Authority or Body constituted by Central / State Act	HTDA
	<u>TAX FREE BONDS</u>	
C11	Bonds / Debentures issued by HUDCO	HFHD
C12	Bonds / Debentures issued by NHB / Institutions accredited by NHB	HFDN
C13	Bonds / Debentures issued by Authority constituted under any Housing / Building Scheme approved by Central / State / any Authority or Body	HFDA

No	INVESTMENT CATEGORY HEADS	CAT CODE
	constituted by Central / State Act	
	(b) OTHER INVESTMENTS (HOUSING)	
C14	Debentures / Bonds / CPs / Loans	HODS
C15	Housing - Securitised Assets	HOMB
C16	Debentures / Bonds / CPs / Loans - (Promoter Group)	HOPG
C17	Long Term Bank Bonds Other Investment- Affordable Housing	HOLB
C18	Reclassified Approved Investments - Debt (Point 6 under Note for Regulation 36 to 41)	HORD
C18A	Equity Shares in Housing Finance Companies	HOEQ
	(c) INFRASTRUCTURE INVESTMENTS	
C19	Infrastructure - Other Approved Securities	ISAS
C20	Infrastructure - PSU - Equity shares - Quoted	ITPE
C21	Infrastructure - Corporate Securities - Equity shares-Quoted	ITCE
C22	Infrastructure - Equity (Promoter Group)	IEPG
C23	Infrastructure - Securitised Assets	IESA
C24	Infrastructure - Debentures / Bonds / CPs / loans - (Promoter Group)	IDPG
C25	Infrastructure - Infrastructure Development Fund (IDF)	IDDF
C26	Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC (Infrastructure-approved)	IORB
C27	Long Term Bank Bonds Approved Investment- Infrastructure	ILBI
C28	Infrastructure Investments rated not less than "A" along with Rating of "EL1"	IELB
C29	Debt Instruments of InvITs - Approved Investments	IDIT
C30	Units of Infrastructure Investment Trust	EIIT
	<u>TAXABLE BONDS</u>	
C31	Infrastructure - PSU - Debentures / Bonds	IPTD
C32	Infrastructure - PSU – CPs	IPCP
C33	Infrastructure - Other Corporate Securities - Debentures/ Bonds	ICTD
C34	Infrastructure - Other Corporate Securities - CPs	ICCP
C35	Infrastructure - Term Loans (with Charge)	ILWC
	<u>TAX FREE BONDS</u>	
C36	Infrastructure - PSU - Debentures / Bonds	IPFD
C37	Infrastructure - Other Corporate Securities - Debentures/ Bonds	ICFD
	(d) INFRASTRUCTURE - OTHER INVESTMENTS	
C38	Infrastructure - Equity (including unlisted)	IOEQ
C39	Infrastructure - Debentures / Bonds / CPs / loans	IODS
C40	Infrastructure - Securitised Assets	IOSA
C41	Infrastructure - Equity (Promoter Group)	IOPE

No	INVESTMENT CATEGORY HEADS	CAT CODE
C42	<i>Infrastructure - Debentures / Bonds / CPs / loans - (Promoter Group)</i>	IOPD
C43	<i>Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC (Infrastructure- others)</i>	IOOB
C44	<i>Long Term Bank Bonds Other Investment- Infrastructure</i>	IOLB
C45	<i>Reclassified Approved Investments - Debt (Point 6 under Note for Regulation 36 to 41)</i>	IORD
C46	<i>Reclassified Approved Investments - Equity (Point 6 under Note for Regulation 36 to 41)</i>	IORE
C47	<i>Infrastructure Investment below "A" or "EL1"</i>	IOEL
C48	<i>Debt Instruments of InvITs - Other Investments</i>	IOIT
C49	<i>Units of Infrastructure Investment Trust</i>	OIIT
D	APPROVED INVESTMENT SUBJECT TO EXPOSURE NORMS	
D01	<i>PSU - Equity shares - Quoted</i>	EAEQ
D02	<i>Corporate Securities - Equity shares (Ordinary)- Quoted</i>	EACE
D03	<i>Equity Shares - Companies incorporated outside India (invested prior to IRDA Regulations)</i>	EFES
D04	<i>Equity Shares - Promoter Group</i>	EEPG
D05	<i>Corporate Securities - Bonds - (Taxable)</i>	EPBT
D06	<i>Corporate Securities - Bonds - (Tax Free)</i>	EPBF
D07	<i>Corporate Securities - Preference Shares</i>	EPNQ
D08	<i>Corporate Securities - Investment in Subsidiaries</i>	ECIS
D09	<i>Corporate Securities - Debentures</i>	ECOS
D10	<i>Corporate Securities - Debentures / Bonds/ CPs /Loan - (Promoter Group)</i>	EDPG
D11	<i>Municipal Bonds – Rated</i>	EMUN
D12	<i>Investment properties - Immovable</i>	EINP
D13	<i>Loans - Policy Loans</i>	ELPL
D14	<i>Loans - Secured Loans - Mortgage of Property in India (Term Loan)</i>	ELMI
D15	<i>Loans - Secured Loans - Mortgage of Property outside India (Term Loan)</i>	ELMO
D16	<i>Deposits - Deposit with Scheduled Banks, FIs (incl. Bank Balance awaiting Investment), CCIL, RBI</i>	ECDB
D17	<i>Deposits - CDs with Scheduled Banks</i>	EDCD
D18	<i>Deposits - Repo / Reverse Repo - Govt Securities</i>	ECMR
D19	<i>Deposits - Repo / Reverse Repo - Corporate Securities</i>	ECCR
D20	<i>Deposit with Primary Dealers duly recognised by Reserve Bank of India</i>	EDPD
D21	<i>CCIL – CBLO</i>	ECBO
D22	<i>Commercial Papers</i>	ECCP

No	INVESTMENT CATEGORY HEADS	CAT CODE
D23	<i>Application Money</i>	ECAM
D24	<i>Perpetual Debt Instruments of Tier I & II Capital issued by PSU Banks</i>	EUPD
D25	<i>Perpetual Debt Instruments of Tier I & II Capital issued by Non-PSU Banks</i>	EPPD
D26	<i>Perpetual Non-Cum. P.Shares & Redeemable Cumulative P.Shares of Tier 1 & 2 Capital issued by PSU Banks</i>	EUPS
D27	<i>Perpetual Non-Cum. P.Shares & Redeemable Cumulative P.Shares of Tier 1 & 2 Capital issued by Non-PSU Banks</i>	EPPS
D28	<i>Foreign Debt Securities (invested prior to IRDA Regulations)</i>	EFDS
D29	<i>Mutual Funds - Gilt / G Sec / Liquid Schemes/overnight/ultra-short term</i>	EGMF
D30	<i>Mutual Funds - (under Insurer's Promoter Group)</i>	EMPG
D31	<i>Net Current Assets (Only in respect of ULIP Fund Business)</i>	ENCA
D32	<i>Passively Managed Equity ETF (Non Promoter Group)</i>	EETF
D33	<i>Passively Managed Equity ETF (Promoter Group)</i>	EETP
D34	<i>Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC</i>	EORB
D35	<i>Debt Capital Instruments (DCI-Basel III)</i>	EDCI
D36	<i>Redeemable Non-cumulative Preference Shares (RNCPS- Basel III)</i>	ERNP
D37	<i>Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS- Basel III)</i>	ERCP
D38	<i>Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [PSU Banks]</i>	EAPS
D39	<i>Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [Private Banks]</i>	EAPB
D40	<i>Units of Real Estate Investment Trust (REITs)</i>	ERIT
D41	<i>Debt ETFs - "Approved Investments"</i>	EDTF
D42	<i>Debt Instruments of REITs - Approved Investments</i>	EDRT
E	OTHER INVESTMENTS	
E01	<i>Bonds - PSU – Taxable</i>	OBPT
E02	<i>Bonds - PSU - Tax Free</i>	OBPF
E03	<i>Equity Shares (incl Co-op Societies)</i>	OESH
E04	<i>Equity Shares (PSUs & Unlisted)</i>	OEPU
E05	<i>Equity Shares - Promoter Group</i>	OEPG
E06	<i>Debentures</i>	OLDB
E07	<i>Debentures / Bonds/ CPs / Loans etc. - (Promoter Group)</i>	ODPG
E08	<i>Municipal Bonds</i>	OMUN
E09	<i>Commercial Papers</i>	OACP
E10	<i>Preference Shares</i>	OPSH
E11	<i>SEBI approved Alternate Investment Fund (Category I)</i>	OAFA
E12	<i>SEBI approved Alternate Investment Fund (Category II)</i>	OAFB

No	INVESTMENT CATEGORY HEADS	CAT CODE
E13	<i>Short term Loans (Unsecured Deposits)</i>	OSLU
E14	<i>Term Loans (without Charge)</i>	OTLW
E15	<i>Mutual Funds - Debt / Income / Serial Plans / Liquid Schemes</i>	OMGS
E16	<i>Mutual Funds - (under Insurer's Promoter Group)</i>	OMPG
E17	<i>Securitised Assets</i>	OPSA
E18	<i>Investment properties - Immovable</i>	OIPI
E19	<i>Passively Managed Equity ETF (Non Promoter Group)</i>	OETF
E20	<i>Passively Managed Equity ETF (Promoter Group)</i>	OETP
E21	<i>Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC</i>	OORB
E22	<i>Debt Capital Instruments (DCI-Basel III)</i>	ODCI
E23	<i>Redeemable Non-cumulative Preference Shares (RNCPS - Basel III)</i>	ORNP
E24	<i>Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS - Basel III)</i>	ORCP
E25	<i>Reclassified Approved Investments - Debt (Point 6 under Note for Regulation 36 to 41)</i>	ORAD
E26	<i>Reclassified Approved Investments - Equity (Point 6 under Note for Regulation 36 to 41)</i>	ORAЕ
E27	<i>Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [PSU Banks]</i>	OAPS
E28	<i>Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [Private Banks]</i>	OAPB
E29	<i>Units of Real Estate Investment Trust (REITs)</i>	ORIT
E31	<i>Debt ETFs - "Other Investments"</i>	ODTF
E32	<i>Debt Instruments of REITs - Other Investments</i>	ODRT

Valuation methodology for Investment Categories

ANNEXURE – 2

MARKET VALUE - BASIS FOR FORM-3A / FORM-3B

Method for determining the Market Value of Investments to report in FORM 3A, FORM 3B of the investment returns.

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
A	GOVERNMENT SECURITIES		
A01	Central Government Bonds	CGSB	Investments valued either as per prices provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of other rating agency registered with SEBI.
A02	Treasury Bills	CTRБ	At cost subject to amortisation of discount
A03	Sovereign Green Bonds	CSGB	Investments valued either as per prices provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of any rating agency registered with SEBI.
B	GOVERNMENT SECURITIES / OTHER APPROVED SECURITIES		
B01	Central Government Guaranteed Loans / Bonds	CGSL	Investments valued either as per prices / Yield Matrix provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of any rating agency registered with SEBI.
B02	State Government Bonds	SGGB	Investments valued either as per prices provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of any other rating agency registered with SEBI.
B03	State Government Guaranteed Loans	SGGL	Investments valued either as per prices provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of any other rating agency registered with SEBI.
B04	Other Approved Securities (excluding Infrastructure Investments)	SGOA	Investments valued either as per prices / Yield Matrix provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of any other rating agency registered with SEBI.
B05	Guaranteed Equity	SGGE	Book Value.
C	(a) HOUSING & LOANS TO STATE GOVT. FOR HOUSING AND FFE		
C01	Loans to State Government for Housing	HLSH	At Cost Less Provisions
C02	Loans to State Government for Fire Fighting Equipment	HLSF	At Cost Less Provisions
C03	Term Loan - HUDCO / NHB / Institutions accredited by NHB	HTLH	At Cost Less Provisions

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
C04	Commercial Papers - NHB / Institutions accredited by NHB	HTLN	Valued at amortised cost based on straight line method of amortisation over the remaining maturity period of the instrument or using IRR/ YTM basis of amortisation.
C05	Housing - Securitised Assets	HMBS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C06	Bonds/Debentures/CPs/Loans - Promoter Group	HDPG	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortised cost.
C07	Long Term Bank Bonds Approved Investment – Affordable Housing	HLBH	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C07 A	Equity Shares in Housing Finance Companies	HAEQ	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
<u>TAXABLE BONDS OF</u>			
C08	Bonds / Debentures issued by HUDCO	HTHD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any SEBI approved Rating Agency
C09	Bonds / Debentures issued by NHB / Institution accredited by NHB	HTDN	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C10	Bonds / Debentures issued by Authority constituted under any Housing / Building Scheme approved by Central / State / any Authority or Body constituted by Central / State Act	HTDA	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
	<u>TAX FREE BONDS</u>		

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
C11	Bonds / Debentures issued by HUDCO	HFHD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C12	Bonds / Debentures issued by NHB / Institution accredited by NHB	HFDN	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any SEBI approved Rating Agency
C13	Bonds / Debentures issued by Authority constituted under any Housing / Building Scheme approved by Central / State / any Authority or Body constituted by Central / State Act	HFDA	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
(b) OTHER INVESTMENTS (HOUSING)			
C14	Debentures / Bonds / CPs / Loans	HODS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI. Commercial paper at amortised cost.
C15	Housing - Securitised Assets	HOMB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C16	Debentures / Bonds / CPs / Loans - (Promoter Group)	HOPG	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortized cost.
C17	Long Term Bank Bonds Other Investment– Affordable Housing	HOLB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C18	Reclassified Approved Investments - Debt (Point VI under Note for Clause 3 to 7 of the Schedule III of the Regulations)	HORD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C18 A	Equity Shares in Housing Finance Companies	HOEQ	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
			(Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
	(c) INFRASTRUCTURE INVESTMENTS		
C19	Infrastructure - Other Approved Securities	ISAS	Investments valued either as per prices provided by FIMMDA or Subsidiary/Holding company of any rating agency registered with SEBI.
C20	Infrastructure - PSU - Equity shares – Quoted	ITPE	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
C21	Infrastructure - Corporate Securities - Equity shares-Quoted	ITCE	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). If unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
C22	Infrastructure - Equity (Promoter Group)	IEPG	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). If unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
C23	Infrastructure - Securitised Assets	IESA	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C24	Infrastructure - Debentures / Bonds / CPs / loans - Promoter Group	IDPG	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortized cost.

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
C25	Infrastructure - Infrastructure Development Fund (IDF)	IDDF	At NAV (if available) or at cost less Provision for diminution
C26	Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC (Infrastructure- approved)	IORB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C27	Long Term Bank Bonds Approved Investment– Infrastructure	ILBI	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C28	Infrastructure Investments rated not less than “A” along with Rating of “EL1”	IELB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by any Rating Agency registered with SEBI
C29	Debt Instruments of InvITs - Approved Investments	IDIT	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C30	Units of Infrastructure Investment Trust	EIIT	Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). Where Market Quote is not available for last 30 days , the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust.
<u>TAXABLE BONDS</u>			
C31	Infrastructure - PSU - Debentures / Bonds	IPTD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C32	Infrastructure - PSU - CPs	IPCP	Valued at amortised cost based on straight line method of amortisation over the remaining maturity period of the instrument or using IRR/ YTM basis of amortisation.
C33	Infrastructure - Other Corporate Securities - Debentures/ Bonds	ICTD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C34	Infrastructure - Other Corporate Securities – CPs	ICCP	Valued at amortised cost based on straight line method of amortization over the remaining maturity period of the instrument or using IRR/ YTM basis of amortisation.
C35	Infrastructure - Term Loans (with Charge)	ILWC	At Cost less opening Provisions
<u>TAX FREE BONDS</u>			

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
C36	Infrastructure - PSU - Debentures / Bonds	IPFD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C37	Infrastructure - Other Corporate Securities - Debentures/ Bonds	ICFD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
(d) INFRASTRUCTURE - OTHER INVESTMENTS			
C38	Infrastructure - Equity (including unlisted)	IOEQ	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
C39	Infrastructure - Debentures / Bonds / CPs / loans	IODS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortised cost.
C40	Infrastructure - Securitised Assets	IOSA	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C41	Infrastructure - Equity (Promoter Group)	IOPE	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
C42	Infrastructure - Debentures / Bonds / CPs / loans - (Promoter Group)	IOPD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortised cost.
C43	Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC (Infra - others)	IOOB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
C44	Long Term Bank Bonds Other Investment– Infrastructure	IOLB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C45	Reclassified Approved Investments - Debt (Point VI under Note for Clause 3 to 7 of the Schedule III of the Regulations)	IORD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C46	Reclassified Approved Investments - Equity (Point VI under Note for Clause 3 to 7 of the Schedule III of the Regulations)	IORE	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
C47	Infrastructure Investment below “A” or “EL1”	IOEL	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield
			Rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C48	Debt Instruments of InvITs - Other Investments	IOIT	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
C49	Units of Infrastructure Investment Trust	OIIT	Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). Where Market Quote is not available for last 30 days, the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust.
D	APPROVED INVESTMENT SUBJECT TO EXPOSURE NORMS		
D01	PSU - Equity shares – quoted	EAEQ	Market Value
D02	Corporate Securities - Equity shares (Ordinary)-quoted	EACE	Market Value
D03	Equity Share - Companies incorporated outside India (invested prior to IRDA Regulations)	EFES	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
D04	Equity Shares - Promoter Group	EEPG	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
D05	Corporate Securities - Bonds - (Taxable)	EPBT	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D06	Corporate Securities - Bonds - (Tax Free)	EPBF	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D07	Corporate Securities Preference Shares	EPNQ	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
D08	Corporate Securities Investment in Subsidiaries	ECIS	At Cost less Provision for diminution
D09	Corporate Securities Debentures	ECOS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D10	Corporate Securities - Debentures / Bonds/ CPs /Loan - Promoter Group	EDPG	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortised cost.
D11	Municipal Bonds – Rated	EMUN	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D12	Investment properties - Immovable	EINP	At Cost as per Balance Sheet
D13	Loans - Policy Loans	ELPL	At Cost
D14	Loans - Secured Loans -	ELMI	At Cost Less Provisions

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
	Mortgage of Property in India (Term Loan)		
D15	Loans - Secured Loans - Mortgage of Property outside India (Term Loan)	ELMO	At Cost Less Provisions
D16	Deposits - Deposit with Scheduled Banks, FIs (incl. Bank Balance awaiting Investment), CCIL, RBI	ECDB	At Carrying Cost
D17	Deposits - CDs with Scheduled Banks	EDCD	At Carrying Cost
D18	Deposits - Repo / Reverse Repo – Govt. Securities	ECMR	At Cost
D19	Deposits - Repo / Reverse Repo - Corporate Securities	ECCR	At Cost
D20	Deposit with Primary Dealers duly recognized by Reserve Bank of India	EDPD	At Cost
D21	CCIL – CBLO	ECBO	At Carrying Cost
D22	Commercial Papers	ECCP	Valued at amortized cost based on straight line method of amortization over the remaining maturity period of the instrument or using IRR/ YTM basis of amortization.
D23	Application Money	ECAM	At Cost
D24	Perpetual Debt Instruments of Tier I & II Capital issued by PSU Banks	EUPD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable Subsidiary/Holding company of market yield rates published by any Rating Agency registered with SEBI
D25	Perpetual Debt Instruments of Tier I & II Capital issued by Non-PSU Banks	EPPD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D26	Perpetual Non-Cum. P.Shares & Redeemable Cumulative P.Shares of Tier 1 & 2 Capital issued by PSU Banks	EUPS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D27	Perpetual Non-Cum.	EPPS	Investments valued either as per FIMMDA or at

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
	P.Shares & Redeemable Cumulative P.Shares of Tier 1 & 2 Capital issued by Non-PSU Banks		applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D28	Foreign Debt Securities (invested prior to IRDA Regulations)	EFDS	At Carrying Cost
D29	Mutual Funds - Gilt / G Sec / Liquid Schemes	EGMF	At NAV as on the reporting date
D30	Mutual Funds - (under Insurer's Promoter Group)	EMPG	At NAV as on the reporting date
D31	Net Current Assets (only in the case of ULIP Fund Business)	EMCA	At Book Value
D32	Passively Managed Equity ETF (Non Promoter Group)	EETF	Traded Price or at NAV as on the reporting date
D33	Passively Managed Equity ETF (Promoter Group)	EETP	Traded Price or at NAV as on the reporting date
D34	Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC	EORB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D35	Debt Capital Instruments (DCI-Basel III)	EDCI	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D36	Redeemable Non-cumulative Preference Shares (RNCPS-Basel III)	ERNP	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D37	Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS-Basel III)	ERCP	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D38	Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [PSU Banks]	EAPS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
D39	Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [Private Banks]	EAPB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
D40	Units of Real Estate Investment Trust (REITs)	ERIT	Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). Where Market Quote is not available for last 30 days , the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust.
D42	Debt ETFs - "Approved Investments"	EDTF	Traded Price or at NAV as on the reporting date
D43	Debt Instruments of REITs - Approved Investments	EDRT	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E	OTHER INVESTMENTS		
E01	Bonds - PSU - Taxable	OBPT	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E02	Bonds - PSU - Tax Free	OBPF	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E03	Equity Shares (incl Co-op Societies)	OESH	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
E04	Equity Shares (PSUs & Unlisted)	OEPU	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
E05	Equity Shares - Promoter Group	OEPG	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
			beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
E06	Debentures	OLDB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E07	Debentures / Bonds/ CPs / Loans etc. - Promoter Group	ODPG	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI and loans at cost. Commercial paper at amortized cost.
E08	Municipal Bonds	OMUN	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E09	Commercial Papers	OACP	Valued at amortized cost based on straight line method of amortization over the remaining maturity period of the instrument or using IRR/ YTM basis of amortization.
E10	Preference Shares	OPSH	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
E11	SEBI approved Alternate Investment Fund (Category I)	OAFA	At NAV (if available) or at cost less Provision for diminution
E12	SEBI approved Alternate Investment Fund (Category II)	OAFB	At NAV (if available) or at cost less Provision for diminution
E13	Short term Loans (Unsecured Deposits)	OSLU	At Cost Less Provisions
E14	Term Loans (without Charge)	OTLW	At Cost Less Provisions
E15	Mutual Funds - Debt / Income / Serial Plans	OMGS	At NAV as on the reporting date
E16	Mutual Funds (under Insurer's Promoter Group)	OMPG	At NAV as on the reporting date
E17	Securitised Assets	OPSA	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by any Rating Agency registered with SEBI
E18	Investment properties -	OIPI	At Cost

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
	Immovable		
E19	Passively Managed Equity ETF (Non Promoter Group)	OETF	Traded Price or at NAV as on the reporting date
E20	Passively Managed Equity ETF (Promoter Group)	OEFP	Traded Price or at NAV as on the reporting date
E21	Onshore Rupee Bonds issued by ADB and IFC	OORB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E22	Debt Capital Instruments (DCI-Basel III)	ODCI	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E23	Redeemable Non-cumulative Preference Shares (RNCPS-Basel III)	ORNP	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E24	Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS-Basel III)	ORCP	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E25	Reclassified Approved Investments - Debt (Point 6 under Note for Regulation 36 to 41)	ORAD	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E26	Reclassified Approved Investments - Equity (Point VI under Note for Clause 3 to 7 of the Schedule III of the Regulations)	ORAE	If quoted, valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). In unquoted, Book Value Less Provisions (Provisions shall be made at the end of the Year. For the purpose of Quarterly Returns, if there exist any Provision for any Equity Share at the beginning of the year, the same shall be reduced from the Book Value)
E27	Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [PSU Banks]	OAPS	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E28	Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds – [Private Banks]	OAPB	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI
E29	Units of Real Estate	ORIT	Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days). Where Market Quote is not

NO	PARTICULARS	CAT CODE	MARKET VALUE – BASIS FOR FORM-3A, FORM-3B
	Investment Trust (REITs)		available for last 30 days, the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust.
E31	Debt ETFs - "Other Investments"	ODTF	Traded Price or at NAV as on the reporting date
E32	Debt Instruments of REITs - Other Investments	ODRT	Investments valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by Subsidiary/Holding company of any Rating Agency registered with SEBI